

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186298

UNIVERSAL
LIBRARY

प्रमुख विवरक—

साहित्य-निकेतन
बरेली।

दूसरी बार १९५०

सर्वाधिकार सुरक्षित हैं।

मूल्य सजिल्द ४)

मुद्रक—

बू० पी० कोच्चाप० प्रिंटिंग प्रेस लि०
६०, सिविल लाईन्स, बरेली।

लेखक के दो शब्द ।

द्वितीय संस्करण ।

मुझे इस पुस्तक का दूसरा संस्करण पाठकों के सम्मुख रखते हुए बड़ा हर्ष है । जब यह प्रथम बार पुस्तक लिखी गई थी भारत स्वतंत्रता था अब स्वतंत्रता के बाद सारे देश में अनेकों परिवर्तन तथा नई योजनायें देशोत्थान की कार्य रूप में आ गई हैं, सहयोग तथा कृषि के विषय अनेकों परीक्षाओं में शामिल कर दिये गए हैं और इसे पुस्तक को भी हिंदी विश्वविद्यालय ने अपन परीक्षाओं के लिए स्वीकार किया है इस लिये इस पुस्तक को दुबारा लिखना पड़ा और बहुत से विषय जो पहले नहीं थे अब इस में सम्मिलित किए गये । इसी कारण इस पुस्तक में अधिक वृद्धि हो गई है । इसके अतिरिक्त पहले भाषा हिन्दुस्तानी रखी गई थी पर अब हिंदी राष्ट्र भाषा हो जाने के कारण इस पुस्तक की भाषा में भी परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया ।

जन तंत्र राज्य में भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की उन्नति के लिए जीवन सुख बनाने के अनेक प्रयत्न करे और सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में सहायता दे । परन्तु वह कर जवही सकता है जब उनके इन बातों का ज्ञान हो । इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह पुस्तक प्रेषक की आती है जिसमें वर्तमान सभी योजनायें और उनके

सी० एस० रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज यू० पी० का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ट्रेडिंग क्लाम कल्यानपुर का मुआइना करते समय मुझ से सहयोग के विषय पर आगामी क्लाम के लिये कुछ विषय नोट करने की आज्ञा दी थी। उसी आज्ञा का यह पाबन है। इस विषय में समय समय जो सजाहें उन से मिलती रही है उन के लिये मैं उनका अदा ऋणी रहूँगा।

अन्व में मैं अपने श्रद्धये गुरु प० दय० शंकर जी दुबं एम० ए० एज एल० बी० अर्थ शास्त्र प्रोफेसर इलाहबाद विश्वाविद्यालय का भी ऋणी हूँ जिन्होंने कृपा पूर्वक इस पुस्तक को पढ़ा और इसकी भूमिका लिखने का कष्ट उठाया। इस पुस्तक ने छपाने में बड़ी शीघ्रता की की गई है और बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी है जिस के लिये मैं प० मन्नूलाल आनन्द' व प० मोहनलाल जी व मैनेजर ब्राह्मण प्रेस को धन्यवाद देता हूँ। पाठक महाशय यदि इस पुस्तक की त्रुटियों के बारे में लेखक को सूचित करेंगे तो अति कृपा होगी ताकि आगामी संस्करण में इन त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया जावे। यदि यह पुस्तक ग्राम के कार्य कर्ताओं की व अधिकांश गांव वालों की आवश्यकता को पूरा कर सकी और वह इस से कुछ भी लाभ उठा सके तो मैं अपने परिश्रम का सफल समझूँगा।

मकर संक्रांति
१४—१—३६ ई०
कानपुर

देवीसहाय श्रीवास्तव

विषय-सूची

१—विषय प्रवेश ...	...	पृष्ठ	१
२—सहयोग ...	...	"	८
३—संसार में सहकारिता का रूप ...	...	"	२३
४—देहातों की कर्जादारी ...	...	"	३५
५—भारत में सहयोग आन्दोलन ...	...	"	४२
६—सहकारी समितियों का संगठन ...	...	"	५४
आर्गेनाइजर के गुण ...	...	"	६१
गांवों का चुनाव ...	...	"	६६
आर्गेनाइजर का दौरा...	...	"	७३
७—सहकारी समितियों का उत्तरदायित्व ...	...	"	८३
८—सहकारी समितियों के अङ्ग	...	"	१०५
९—सहकारी सभाओं के काराज्वात ...	...	"	११५
१०—विकास संघ, जिला व प्रांतीय बैंक ...	...	"	१२८
११—समितियों का संचालन तथा निरीक्षण ...	...	"	१५५
प्रांतीय सहकारी यूनियन ...	...	"	१५७
सुपरवाइजर के कर्तव्य ...	...	"	१६१
प्राविन्शल यूनियन की आय व्यवस्था :	:	"	१७१
सहकारी विभाग ...	...	"	१७२
१२—सहयोग और विकास कार्य ...	...	"	१८३
जीवन सुधार तथा विकास कार्य के सिद्धांत	...	"	१८८
सहकारी ग्राम समितियों का संगठन ...	...	"	२००
विकास समितियां तथा बहुधंधी समितियों का काम	...	"	२१२
(१) धन की वृद्धि ...	...	"	२१२
(क) अच्छा बीज ...	...	"	२१३
(ख) अच्छी बरपाव खाद ...	...	"	२१८
(ग) सिंचाई ...	...	"	२२६
(घ) खेती के यन्त्र ...	...	"	२३२

यह उसी समय हो सकता है जब सहयोग की लहर भारतवर्ष के कोने कोने में फैल जाय और देश में एक स्वर से गूँज उठे कि निर्बल का सहारा सहयोग ही है।

अब हमें जरा ठहर कर यह देख लेना चाहिये कि हमारी हालत क्या हमेशा से ऐसी ही चली आई है या पहले कुछ अच्छी भी थी। हमारा पहले का आर्थिक और सामाजिक इतिहास हमको बतलाता है कि हमारे देश में सम्मिलित गृहस्थ जीवन और पंचायती प्रबन्ध हमेशा से चला आया है जिसका टूटा फूटा नमूना अब भी वर्तमान है। किसान लोग मिल कर परिश्रम करने के आदी थे और अब भी किसी न किसी रूप में करते हैं। हमारे ग्रामों का संगठन सहयोग के ही सिद्धान्त पर निर्भर था जं अब शताब्दियों के सामाजिक पतन और पश्चिमी भावनाओं और सभ्यता के असर से गड़बड़ हो गया है। अब हमें यदि देश को फिर ऊंचा उठाकर उसी शिखर पर पहुँचाना है तो आवश्यक है कि हम जब वर्तमानकाल के अनुसार अपने सहयोगी सिद्धान्तों को फिर समझें और जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और अपने देश का सहयोग के आधार पर एक ऐसा नया संगठन करें कि जो फिर शताब्दियों तक कभी न टूट सके और प्रत्येक मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।

इस सम्बन्ध में मैं यहां पर यह भी बता देना चाहता हूँ

संगठन दृढ़ होना सम्भव है। कोई भी आन्दोलन हो वही देश उन्नति कर सकेगा जहां के लोगों में अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति है और अपनी उन्नति करने की दृढ़ इच्छा है। यह बातें सहयोग के सिद्धान्त ही पढ़ने और व्यवहार में लाने से मालूम हो सकता है। इस पुस्तक में यही प्रयत्न किया गया है कि सहयोग के सिद्धान्तों का वास्तविक रूप समझा कर यह बता दिया जाय कि जीवन के समस्त कामों में सहयोग एक बहुत आवश्यक वस्तु है, और मनुष्य इसी के द्वारा सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। इस पुस्तक में पहले सहयोग से परिचय कराया गया है फिर थोड़ा सा इतिहास दूसरे देशों की उन्नति का, फिर भारतवर्ष में इस आन्दोलन का प्रसार बता कर देहात में सहकारी समाजों का संगठन विस्तृत रूप से दिया गया है ताकि काम करने वाले और जनता दोनों को उसके लाभ और हानि अच्छी तरह मालूम हो जावें। सिद्धान्तों के बाद जीवन के जिन जिन कामों में सहयोग से सफलता के साथ काम लिया गया है या लिया जा सकता है बताया गया है। यह भी बताया गया है कि स्त्री समाज का सहयोग आन्दोलन में क्या स्थान है। इसके बाद सहयोग का राष्ट्रीय जीवन में क्या स्थान है इसका भी दिग्दर्शन कराया गया है। अन्त में कुछ नियम और फार्म के नमूने भी दे दिये गये हैं ताकि लोगों को काम करने में कठिनाई न हो।

मदद नही लेना है वह दूसरे के काम में सम्मिलित नहीं होता, जैसे किसी को खेत नही सींचना है तो वह दूसरे की सींचाई में मदद मही करता । जिसके मकान पर छप्पर नहीं है वह दूसरे का छप्पर नहीं उठाता । इससे यह समझना चाहिये कि एक ही सी जरूरत वाले आपस में मिलते हैं ।

सहयोग हमारे जिस्म में भी काम करता दिखाई देता है । यदि आपस में हर हिस्से का मेल न हो तो जीवन दुर्लभ हो जाय । इसी तरह यह सिद्धान्त मवेशियों में भी देखा जाता है । हिरन झुण्ड में रहते हैं । शहद की मक्खियां शहद मिल कर पदा करती हैं, च्यूटे मिलकर बड़े बड़े कीड़ों को उठा ले जाने हैं । मनुष्य ने भी अपनी शुरु की जंगली जिन्दगी को बदल कर एक टोली बनाकर गांव में रहना पसन्द किया इसका कारण यही है कि इससे एक दूसरे की मदद से ज्ञान व माल की रक्षा होगी और सब को आराम मिलेगा ।

इन सब बातों से पता चलता है कि सहयोग हर जगह पाया जाता है और हर व्यक्ति अपने फायदे को ही ध्यान में रख कर दूसरे की मदद करता है । यह भी प्रतीत हुआ कि सहयोग में लोग अपनी मरजी से सम्मिलित होते हैं कोई जबरदस्ती नहीं की जाती । इसके अतिरिक्त इस सहयोग में लोग एक दूसरे का फायदा करते हुये ईमानदारी के साथ काम करने और पब्लिक

लाभ पहुँचाने के लिये ही सम्मिलित होते हैं। वैसे तो मेल हर अच्छे व बुरे काममें हो सकता है। दस आदमी मिलकर किसी धनवान व्यक्ति के घर डाका डालने के लिये तैयार हो सकते हैं और उससे लाभ भी उठा सकते हैं परन्तु यह सहयोग नहीं कहा जायगा। इससे प्रत्यक्ष विदित है कि मामूली मेल में और सहयोग में कितना बड़ा अन्तर है। सहयोग में ईमानदारी एक विशेष अंग है। इसमें गरीब से गरीब आदमी जो ईमानदारी के साथ परिश्रम करके अपनी आवश्यकतायें पूरी करने का तैयार है दूसरों से सहयोग कर सकता है।

संसार में बहुत सी ऐसी संस्थायें भी हैं जो केवल पैसा पैदा करने के लिये ही स्थापित की जाती हैं और जिसमें वही लोग सम्मिलित होते हैं जिनके पास पर्याप्त धन है और जो कम धन के जरिए से और अधिक धन पैदा करते हैं। इसमें इस बात का विचार नहीं होता कि कौन किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा है और उस की क्या क्या आवश्यकतायें हैं वहां तो केवल धन का ही मान्य है और धन का ही सहयोग है। परन्तु हमारे सहयोग में इन्सान यानी मनुष्य मनुष्य के ही नाते शरीक होते हैं इसमें धनी तथा निर्धन का कुछ ख्याल नहीं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे धनवान हो या गरीब इस सहयोग से समान लाभ उठा सकता है और एक दूसरे की मदद कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति और धन व सत्ता और

प्रभाव दूसरों के लाभ के लिये प्रस्तुत रहता है। यहाँ पर धन या किसी और वस्तु का खयाल न करके जब मनुष्यत्व का ही खयाल किया जाता है तो इससे यह सिद्ध हुआ कि इस सहयोग में लोग मनुष्य के ही नाते सम्मिलित होते हैं।

इसके अतिरिक्त जैसा ऊपर बताया गया है सहयोग में लोग किसी विशेष उद्देश्य या मतलब को सामने रखकर सम्मिलित होते हैं। सहयोग की जड़ निर्धनता को दूर करने के ही अभिप्राय से पड़ी और यह ऐसे समय में आरम्भ हुआ जब जनता की हालत बहुत खराब थी पेट भर अन्न भी न मिलता था और उन्हीं लोगों के सोचे साधनों से चलाया गया, इस लिये इस सहयोग में विशेष प्रवृत्ति माली सुधार की मालूम पड़ती है। यानी जो कोई व्यक्ति इस में सम्मिलित होता है वह अपने और साथियों में माली सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिये हर प्रकार की शक्ति लगाता है। अब तक संसार में जहाँ कहीं भी सहयोग के सिद्धान्तों पर काम किया गया है यह सिद्ध हुआ है कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय उत्थान के लिये यह एक अपूर्व साधन है, क्योंकि प्रत्येक आर्थिक सुधार जिस सफलता के साथ सहयोग से हो सकता है दूसरे साधनों से नहीं हो सकता। इसमें विशेषता केवल यह है कि वह मनुष्य को नीचे से ऊपर उठाता है ऊपर से नीचे नहीं गिराता फल यह होता है कि कुछ दिन अमल करने के पश्चात सबमें बराबरी का दर्जा स्थापित हो जाता है।

सहयोग में जितने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं उनका समान स्तुत्व होता है, उनकी आवश्यकताओं तथा धन या योग्यता का कुछ ध्यान नहीं होता। चूंकि हर व्यक्ति मनुष्यत्व के नाते ही सम्मिलित होता है इसलिये प्रबन्ध में हरेक का हक समान है यानी प्रत्येक व्यक्ति समानता के दर्जे पर ही सम्मिलित होता है। इसलिये अब हम सहयोग की व्याख्या इस तरह कर सकते हैं। सहयोग काम करने का वह साधन है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी माली हालत का सुधार करने के लिए, स्वयं अपनी मरजी से, समानता से दर्जे पर मनुष्य के नाते ईमानदारी से काम करने को सम्मिलित होते हैं। इस व्याख्या में निम्न लिखित सहयोग के सिद्धान्त सम्मिलित हैं—

सहयोग के सिद्धान्त

- १—एक सब के लिये और सब एक के लिये।
- २—स्वयं अपनी मदद आप करना ही सब से बड़ी मदद है।
- ३—मितव्ययिता करना ही माली हालत का सुधारना है।
- ४—लोग बर्हेसियत इन्सान के शरीक होते हैं।
- ५—इसमें सदा समानता का दर्जा रहता है।
- ६—लोग अपनी मरजी से शरीक होते हैं और काम करते हैं कोई बाहरी दबाव नहीं होता।

५—इसमें ईमानदारी का सबसे बड़ा दरजा है बिना ईमानदारी के सहयोग काम नहीं कर सकता ।

ये सिद्धान्त क्यों स्थापित होगये ज़रा इसके समझने के लिये कुछ इतिहास जानने की आवश्यकता है । जिस समय सहयोग के यह सिद्धान्त निकाले गये उस समय योरोप में पूंजीपतियों का बहुत जोर था और कारखानेदारों को ही हर तरह का लाभ होता था । श्रम जीवी बेचारे मारे जाते थे पेट भर भोजन भी न मिल पाता था । किसानों की भी यही हालत थी । बहुत से लोग तो इस ज़ावन से तङ्ग आकर देश छोड़ देने को तैयार थे । उस समय आवश्यकता इस बात की थी कि कोई ऐसा सिद्धान्त निकले जिससे यह निर्बल मजदूर और किसान सबल महाजन और पूंजीपतियों का मुकाबला कर सकें । इसीलिये ज़ा सहयोग के सिद्धान्त बनाये गये उसमें पूंजी का नाम ही नहीं रखा गया, यदि यह होता तो सब पूंजीपति घुस पड़ते और मारें आन्दोलन को अपने हाथ में ले लेते । इसमें सम्मिलित होने की शर्त इसी लिये यह रखी गई कि मेम्बर मनुष्यता के नाते ही सम्मिलित होते हैं । सबका दर्जा समानता का रखा गया । यदि ऐसा न होता तो सब बड़े बड़े लोग प्रबन्ध अपने हाथमें ले लेते और ये गरीब फिर मारे जाते । यह भी आवश्यक था कि लोग कुछ बचत करके अपने पैंरो पर खड़े हो सकें क्योंकि आर्थिक दशा खराब था इसी लिये मितन्यता और अपनी मदद आप करने का सिद्धान्त

मजदूरी देने के बाद जो कुछ बचता है वह हिस्सेदारों व पूंजी-
 दारों में बंट जाता है। इस तरह सहकारी संस्थाओं में काम
 करने वाले स्वयं जोखिम उठाते हैं और रुपया सूद पर लेकर
 लगाते हैं लेकिन दूमरी संस्थाओं में पूंजी पति अपनी पूंजी
 इकट्ठा करते हैं और काम करने वालों को मजदूरी पर लगाते हैं
 अन्तिम और बहुत बड़ा अन्तर यह है कि सहकारी
 संस्थाओं में संस्था के प्रबन्ध में पूंजी का कुछ भी खयाल नहीं
 होता सबको बराबर अधिकार होता है। चाहे कितना ही
 अधिक रुपया किसी ने हिस्सों में लगाया हो एक से अधिक बांट
 देने का अधिकार नहीं परन्तु दूमरी संस्था में प्रबन्ध पूंजी वालों
 के ही हाथ में होता है, जितना ही हिस्से का सरमाया
 किसी व्यक्ति का अधिक होगा उतने ही अधिक उसके वोट होंगे
 यानी उतना ही अधिक प्रबन्ध में उस का हाथ होगा। सारांश
 यह कि इन दोनों संस्थाओं में विशेष अन्तर उद्देश और
 शासन में है। उदाहरण स्वरूप में सरमाये का ही राज्य होता
 है क्योंकि जितने हिस्से उतने ही वोट होते हैं। सहकारी संस्था
 में धनवान तथा गरीब सब एक समान होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति
 का एक ही वोट होता है। दूसरे कम्पनी का मंशा केवल मुनाफा
 कमाना होता है और सब मुनाफा हिस्सेदारों में बंट जाता है
 परन्तु सहकारी संस्था का उद्देश्य मेम्बरान की खास सेवा
 करना है जो वह अच्छे से अच्छे ढङ्ग से करती है। उसका

साधारण व्यक्ति भी सहकारी ढंग पर काम करके सुन्दर लाभदायक तथा क्रीमती यन्त्रों मशीनों तथा औजारों से पूर्णतः घनवानों की भांति कार्य ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं देश की उत्पादन शक्ति इसी ढंग पर कार्य करके बढ़ाई जा सकती है। अमजीवी तथा साधारण मनुष्य भी सहयोग से बड़े कारखाने खोलकर स्वयं अपना माल बना सकते हैं और मिलकर बिक्रय करके बड़े कारखानों का लाभ उठा सकते हैं जो उनको किसी और साधन से नहीं मिल सकता। साधारण किसान जो अपना कुआँ आदि नहीं बना सकता मिलकर सिचाई का ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जो बड़े २ फार्मों के मुकाबले का हो। मिलकर खेतों की चकबन्दी हो सकती है। सहयोग से हम कुटीर उद्योगों तथा खेती को संगठित कर सकते हैं सहयोग से हम उत्पादन में वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सुविधा पैदा कर सकते हैं। गरज यह कि सहयोग से जीवन के सभी काम हो सकते हैं। सहयोग का मुख्य उद्देश्य मेम्बरों को अच्छा मनुष्य, अच्छा किसान, अच्छा व्यापारी और हर प्रकार से अच्छा नागरिक बनाना है।

सहयोग पारसमणि है।

भारत के बड़े २ नेताओं का कथन है कि देश की सभी आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएँ सहयोग से ही हल हो सकती हैं

स्वर्गीय श्री बी० एन० महता आई. सी. एस. का उपदेश था कि यदि हम हरिजन समस्या हल करना चाहते हैं तो हमे सहयोग की पारसमणि से काम लेना चाहिये। इससे हमको एक पुरुष (पीढ़ी) के बाद ज्ञात होजावेगा कि जिस साधन को एक साधारण समझा जाता था वह सोना बन गया। यदि इनमें से ऊंच नीच का भाव दूर करना है तो यह हरिजनों को सहयोग मन्त्र देकर सहकारी सभा का मेम्बर बनाने से ही हो सकता है जमादार और काश्तकार में जो भयङ्कर युद्ध चल रहा है वह सहयोग के सूर्य के सामने प्रातःकाल की ओस की तरह शान्त हो जायगा क्योंकि सहयोग में आकर दोनों की इच्छा यही होगी कि भूमि से अधिक से अधिक उत्पादन किया जावे। कृषि में अधिक से अधिक लाभ जब ही हो सकता है जब दोनों एक दूसरे का साथ देते हुये अपना कर्तव्य पालन करें। देहात की जनता को जब सहयाग से उठाकर और मिलाकर एक आर्दश सहकारी संगठन में बदल दिया जायगा तब ही सब एक के लिये और एक सबके लिये होंगे।

(स) मेम्बरों से हिस्सा खरीदवाया जाता है, हिस्से की रकम बहुत ही छोटी रखी जाती है। इसमें मेम्बरों को मुनाफा नहीं मिलता और हर एक मेम्बर एक से अधिक हिस्सा नहीं ले सकता।

(द) बचत से दो फण्ड स्थापित होते हैं एक होने वाले किसी हानि को पूरा करने के लिये दूसरा असली बचत की पूँजी बनाने के लिए जिससे असली उन्नति की जा सकती है।

५—सभा का प्रबन्ध व संगठन बहुत सादा और प्रजातंत्र होता है। सब से बड़ा अधिकार जल्सा आम का है जिसमें हर मेम्बर का एक वोट होता है एक कार्य कारिणी कमेटी भी चुन दी जाती है जो समय समय से काम करती है। इसकी जांच के लिये एक कौंसिल ६ या सात आदमियों की चुन दी जाती है। हर दूसरे साल आडिट होता है। अमानत रजिस्टर के सिवा और सब काराजात मेम्बर देख सकते हैं।

६—क्रज प्रायः ६ महीने से लेकर ३ वर्ष तक के लिए दिया जाता है। चलतू खाता भी मेम्बरों का खुला रहता है जिसमें मेम्बरान रुपया जमा करते और निकालते रहते हैं। सुसायटी को चार हफ्ते का नोटिस देकर रुपया वापस लेने का अधिकार है। कर्षा क्रिस्तों में अदा होता है।

जावे तो लगभग १६ या १७ करोड़ के होता है जो यहाँ की मालगुजारी से कहीं ज्यादा है। अब हमें इसके कारण जानने की आवश्यकता है जो नीचे लिखे हैं।

कारण

किसान को अपनी फसल या मवेशियों इत्यादि की जमानत देने पर ही कड़े सूद पर रुपया मिलता है और वह भी बड़ी कठिनाई में पाता है उसके कारण निम्न लिखित मालूम पड़ते हैं-

- १—किसान अज्ञान होता है उसकी अज्ञानता का लाभ दूसरे उठाते हैं। उसे यह भी ठीक से नहीं मालूम होता कि वह ऋण किससे और कहाँ पा सकता है। देहात के ही महाजन के पास वह बार बार जाता है और वह उसकी आवश्यकता को समझकर मनमाना सूद लेते हैं।
- २—दूसरे, शहरों से जहाँ बैंक इत्यादि होते हैं वह अधिक दूर रहता है और अपना प्रतिदिन का काम छोड़कर वह नहीं जाना चाहता। एक दिन का हरज नहीं करता और हमेशा के लिये कड़े सूद के बन्धन में फँस जाता है।
- ३—बैंक इत्यादि भी जो शहरों में कम करते हैं अज्ञान देहातियों के साथ थोड़े २ रुपये का लेन देन नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें खर्चा अधिक होता है।

३—कड़ा सूद लेने के अतिरिक्त वह दस्तावेज या प्रोनोट में अधिक रकम लिखाते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि कोरे कागज पर अंगूठे का निशान लगवा कर रख लेते हैं और अत्रिधव्यतीत होने पर मनमानी रकम लिखा कर दावा कर देते हैं।

४—काश्तकार जो अदायगी करता है सर्वदा देने की तिथि तक सूद में काटते जाते हैं जिसका कोई हिसाब काश्तकार को नहीं मिलता। कभी २ तो अदायगी करते रहने पर भी सूद बढ़ता रहता है और हर छूटे महीने वह असल में जोड़ दिया जाता है।

५—काश्तकारों से सूद के अतिरिक्त बहुत सी बेगार लेते हैं। चारा भूमा लेने हैं काम-काज में दूध, दही, घी चाहते हैं, नही देना तो अदायगी के समय दाम काट लेते हैं। और जो बनिये महाजन हैं वह काश्तकारसे फसल पर नाज इत्यादि खरीदते समय बाजार से कुछ सस्ता भाव करके क्रय करते हैं बहुतों को तो अपनी सारी फसल इनके हाथ बेच देनी पड़ती है।

६—बाज महाजन रुपया ऋण देते समय कुछ रकम अपने नजराने में काट लेते हैं जैसे यदि किसी को १००) कर्ज देना तै करते हैं तो उसको असल में ९५) ही देते हैं इसके

पाँचवाँ अध्याय

भारत में सहयोग आन्दोलन

इस देश की ऋण पद्धति को देखकर १८८२ में पूना के डिस्ट्रिक्ट जज सर विलियम वेडरबर्न (Sir William Wedderburn) के कहने पर एक योजना पेश की गई जिसका उद्देश्य यह था कि एक तालुके में कृषि बैंक खोलकर कर्जदारी दूर की जावे। इसमें यह तै हुआ कि काश्तकारों को रुपया ऋण देने और इस कर्जदारी से बचाने के लिये पूना में कृषि बैंक खोलें जिसका उद्देश्य यह हो कि महाजनो व साहूकारों से मूद पर रुपया लेकर काश्तकारों को दिया जाय और इसका मूद इस से कुछ अधिक हो लेकिन उस दर से जिस पर काश्तकार स्वयं पाते हैं बहुत कम हो। भारत सरकार से यह भी कहा गया कि वह स्वयं कुछ रुपया कर्जदारी को मिटाने के लिये दें बशरते कि बैंक उसको अपने उत्तरदायित्व पर लें, बैंक का रुपया माल की अदालत के द्वारा से वसूल कर दिया जाय। बैंक के कर्जों को दूसरों की अपेक्षा विशेषता दी जाय और कुछ समय के लिये स्टाम्प फीस इत्यादि माफ करदी जाय, भारत सरकार ने इस योजना की शिफारिश की परन्तु उस समय के भारत सचिव ने इस स्कीम को स्वीकार नहीं किया और कहा कि सरकार के

७—इस कमेटी को मेम्बरों की साधारण देखभाल के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक मेम्बर की मुख्य देखभाल कराई जावे। यह ऐसे हो सकता है कि हर ऋणी के दो व्यक्ति जामिन लिये जायें जिनका काम यह होगा कि उनकी आवश्यकता के लिये ऋण दिलाते समय और बाद को प्रयोग की जांच कर लेंगे और क्रिस्त आने पर अदायगी की देखभाल करेंगे और नियम विरुद्ध होने पर पञ्चायत को रिपोर्ट करेंगे।

८—सुसाइटी के साधारण प्रबन्ध के लिये एक कमेटी होना चाहिये जिसमें चुने हुये असली सेवा भाव रखने वाले मेम्बरान रखे जायें और जो बिना किसी बदले के सेवा करें।

९—इस कमेटी को कुल अधिकार न दिये जायें बल्कि इसका निरीक्षण सम्पूर्ण सदस्य करें यानी सबसे बड़ा अधिकार जलसा आम के हाथ में रहे जो व्यवहारिक रूप से दिलचस्पी लेता रहे।

१०—इस खयाल से सुसाइटी का संगठन प्रजातन्त्र पद्धति पर हो अर्थात् प्रत्येक सदस्य को सुसाइटी के काम में एक से अधिक वोट देने का अधिकार न हो और जो काम हो वह बहुमत से मेम्बरान की सलाह से होना चाहिये अर्थात् सुसाइटी के अन्दर अधिक से अधिक प्रचार से काम किया जाय। जैसे

सहकारी आन्दोलन की प्रगति

इस आन्दोलन को काम करते करीब ५० वर्ष के होगये परन्तु भारत के कोने कोने तक इसकी लहर अभी तक नहीं पहुँची। इस देश में २५ लाख गांव हैं परन्तु इतने वर्षों में केवल ८८५३ गुमाश्टियां ही स्थापित हो सकी हैं। ३५ करोड़ की आबादी में केवल २५,५२,६२३ ही मेम्बर अब तक बन सके हैं। जहां इस देश में अरबों रुपये का ऋण है वहां इन सभाओं द्वारा केवल १०,५४,४६६१ रुपये का ही कुल कारोबारी सरमाया अब तक हो पाया है। इसमें ३॥ करोड़ हिस्से की पूंजी है और ६॥ करोड़ बचत का पूंजी है। मेम्बरान पर कर्जा २५॥ करोड़ है जिसमें १०॥ करोड़ बकाया है। यह दशा बिलकुल संतोषजनक नहीं है यू० पी० में इसकी हालत जो ३० जून १९४६ को थी निम्नलिखित है:—

तादाद समिति	३,५६६५
तादाद मेम्बरान	२६,००,०००
निजी पूंजी	७,५०,००,०००
कारोबारी सरमाया	१४,००,००,०००

अब इन बाकड़ों के देखने से पता चलता है कि इधर सहकारी समितियां परयाप्त संख्या में बनी है। १९३७ में केवल ८०६२ समितियां इस प्रान्त में थीं अब लगभग ३६००० के हैं और १० जून ४६ के बाद की संख्या जोड़ी जाय तो तादाद

२—मितव्ययिता से पैसे की बचत करना सिखाना ।

३—मेम्बरों को ऐसे कामों के लिये श्रृण लेने से रोकना जिससे आमदनी न बढ़े ।

४—मेम्बरों को पैदावार या आमदनी बढ़ाने वाले कामों के लिये ही रुपया देना ।

५—कृषि के उन्नतिशील पद्धतियों को प्रयोग कराकर आय वृद्धि कराना ।

६—अवकाश के समय में कोई दस्तकारी या कोई किसी अन्य कार्य द्वारा आय वृद्धि का पूर्ण प्रयत्न करना ।

७—मेम्बरान के पैदा किये हुये माल को अच्छी कीमत पर बिक्राने का प्रबन्ध करना ।

८—मेम्बरान को दैनिक आवश्यक सामग्रियों को एकत्रित करना और सस्ते दामों पर मंगा कर देना ।

९—विवाह, गामी, श्राद्ध इत्यादि रस्मों में जो अधिक व्यय होता है उसे रोकना जिससे सैकड़ों घर नष्ट-भ्रष्ट हो गये और जिनको एक दो व्यक्ति अलग २ नहीं रोक सकते ।

१०—काम करने के ऐसे ढंगों को चलाना जिससे थोड़े से थोड़े समय में अधिक से अधिक धन पैदा हो सके ।

संगठन का महत्व

संगठन के वास्तविक तात्पर्य हैं कि कई वस्तुओं को मिलाकर एक नवीन वस्तु तैयार कर देना, जैसे धन या दौलत उपार्जन करने के लिये हमें भूमि मेहनत या परिश्रम मूलधन या पूंजी का संगठन करने की आवश्यकता होती है तब धन उपार्जन होता है अर्थात् जमीन मेहनत और पूंजी के रहते हुये भी धन उपार्जन नहीं हो सकता यदि संगठन न हो। इसी प्रकार एक कार्तकार जिनके पास पर्याप्त भूमि और हल बैल, बीज इत्यादि सब सामान है अच्छी पैदावार नहीं ले सकता यदि उसमें कृषि विद्या का ज्ञान और संगठन की शक्ति नहीं है। इसी प्रकार व्यवसाय या तिजारा में भी सफलता उन्हीं लोगों की होती है जिनमें संगठन या प्रबन्ध की शक्ति होती है। यह प्रबन्ध या संगठन की शक्ति हमारी सहकारी सभाओं के लिये और भी आवश्यक वस्तु है। सहयोगी सदन (सहयोग की इमारत) प्राइमरी सभाओं पर ही बनाई जाती है यदि उनकी नींव शुद्ध है तब तो वह इमारत सर्वदा स्थिर रहेगी नहीं तो किंचित मात्र धक्का लगते ही ध्वस्त हो जायगी। इन सभाओं की सफलता पर उन जिला बैंकों की सफलता आश्रित है जो बाहर से रुपया इकट्ठा करके उनको देते हैं। सूबे में एक प्राविन्शल बैंक भी होता है जिसकी सफलता इन बैंकों की सफलता पर निर्भर है परिणाम यह निकला कि यदि प्राइमरी सुमाइटियों का संगठन ठीक नहीं है तो समस्त आन्दोलन असफल हो सकता है चाहे

उसको जल्सा आम करके नीचे लिखी कार्रवाई करना चाहिये ।

- (१) होने वाले मेम्बरों की एक सूची तैयार की जावे और हैसियत जो लिखी गई और पटवारी से तसदीक कराई गई है उस पर और दरखास्त रजिस्ट्री पर मेम्बरान के दस्तखत कराये जावें ।
- (२) बाईलाज आम सभा में पास किये जावें ।
- (३) पंचायत, सरपंच, खजांची, सेक्रेट्री का ठीक से चुनाव किया जावे और उनके अधिकार समझा दिये जायें । जल्सा आम और पंचायत के अधिकार माडल बाइलाज में बाइला नं० २० व २७ में लिखे हैं समझा देना चाहिये । जल्सा आम के अधिकार पंचायत पर कभी नहीं छोड़ना चाहिये ।
- (४) मेम्बरान जितने हिस्से खरीदें उनकी तादाद नामवार तै की जावे और हिस्से की खरीदारी का सिद्धान्त निश्चय किया जावे जैसे साधारणतः ४०) की औसत साख पर २०) का एक हिस्सा या २०) की औसत साख पर १०) का एक हिस्सा लिया जाता है । इसी तरह हर मेम्बर की हैसियत और औसत साख (कर्जे का लेन देन जो मेम्बर को करना है) निर्धारित की जावे ।
- (५) माहवारी जल्से की मिति या तारीख निश्चित की जावे

जिस पर हर महीने में सब मेम्बरान इकठ्ठा होकर अपनी समस्याये तथा समिति के काराबार के प्रति बावचीत किया करें जो निर्णय हो किताब कारवाई में लिख दिया जाय।

(६) बैंक से जो कर्जा समिति लगी उसकी हद निश्चित की जायगी।

(७) एक एसी सीमा निश्चित करना जिससे अधिक किसी मेम्बर को कर्ज नह दिया जा सकता।

(८) समिति की रजिस्ट्री किये जाने का प्रस्ताव पास किया जावे।

(९) आरगेनाइजर की रजिस्ट्री किये जाने का प्रस्ताव पास किया जावे।

(१०) आरगेनाइजर छपे हुये फार्म पर जिसका नमूना इस पुस्तक के अस्त में दिया है अपनी रिपोर्ट तैयार करें और नीचे लिखे कागजात रजिस्ट्री के लिये भेज दें।

१- दरखास्त रजिस्ट्री जो छपे हुये फार्म पर होगी।

२- मेम्बरों की हैसियत की नकल जो छपे हुये फार्म पर हो।

३- बाईलाज (नियमावली) की दो प्रतियां जिन पर चुने हुये

हर जगह प्रचलित है। बैंक ने भी इसी सिद्धान्त पर जमानत लेना आरम्भ किया है परन्तु इसमें जहां तक महाजनी प्रथा और लेन देन की सहकारी समिति का सम्बन्ध है कुछ अन्तर हो जाता है। समिति में सभी मिलकर एक दूसरे के जामिन होते हैं

जंजीरा बन्दी

समिति जो कुछ कर्ज किसी बैंक या महाजन से लेती है वह सभी मेम्बरों के प्रयोग में आता है और उन्हीं आवश्यकताओं के हिसाब से उनकी प्रार्थनाओं पर लिया जाता है और उनको बांटा जाता है, इसलिये उसकी अदायगी की जिम्मेदारी भी सभी मेम्बरों पर है। चूंकि बैंक किसी एक व्यक्ति को नहीं जानती वह समिति को कर्ज देते समय सबकी सम्मिलित साख पर विचार करके रुपया देती है क्योंकि अलग २ कार्रवारों की कोई साख नहीं होती। इसलिये उसको वह भी अधिकार रहता है कि यदि उसका रुपया सब लोग समिति के जरिये से नहीं पहुँचाते तो वह समिति के किसी सदस्य से उसकी जायदाद की आखिरी पाई तक वसूल कर सकती है। ऐसी जिम्मेदारी की अपरमित जिम्मेदारी कहते हैं और जमानत के सिद्धान्त से हर व्यक्ति घाटे का जिम्मेदार है यानी यदि किसी मेम्बर से वसूल नहीं होता तो उसके जामिन से लिया जायगा। यदि यह किसी

तरह जामिनों से भी वसूल न हुआ तो फिर यह नुकसान सब
 मेम्बरों को मिलकर पूरा करना होगा। तात्पर्य यह है कि बैंक
 या गहाजन के रुपये के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है चाहे अदा
 यगी एक व्यक्ति करे या सब मिलकर करें उसका रुपया अदा
 होना चाहिये। इस जिम्मेदारी के सिद्धान्त को जंजीराबन्दी कहते
 कहते हैं। तात्पर्य यह है कि हर एक मेम्बर जंजीर की कड़ियों
 की तरह बैंक के कर्जों की अदायगी में सम्मिलित है। जिस तरह
 एक भी कड़ी कमजोर होने से जंजीर साबित नहीं रह सकती
 और पूरी ताकत से काम नहीं कर सकती उसी तरह वह सह-
 कारी समिति भी जिसमें एक भी मेम्बर कमजोर है, सफलता के
 साथ काम नहीं कर सकती। देहात की सब समितियों में यही
 जंजीराबन्दी का उसूल चल रहा है और बहुत सफल है, परन्तु
 शहर की सभाओं में आम तौर से इस जिम्मेदारी को एक हद
 मुकर्रर कर देते हैं कि इससे अधिक का नुकसान देने का कोई
 भी जिम्मेदार नहीं। इस जिम्मेदारी को (परमित) जिम्मेदारी
 कहते हैं। यह हद आमतौर से हिस्से की रकम के बराबर, दूनी,
 या चौगुनी निश्चित की जाती है। मतलब यह है कि जिम्मेदारी
 की हद होती है। जमानत इत्यादि के वसूल और दूसरी बातें सब
 वैसी ही होती हैं। अब ग्रामों में जो नये ढंग पर बहुधंधी समि-
 तियां बनाई जा रही हैं उनमें परिमित जिम्मेदारी रखी जाती
 है अपरमित जिम्मेदारी से लोग डर कर समिति में सम्मिलित

जंजीराबन्दी कब और कैसे लगाई जाती है

जंजीराबन्दी का तो मतलब केवल यही है कि महाजन, बैंक या अमानतदार को उसके रुपये का अदायगी का विश्वास इस साधन से हटा जावे। इसका अभिप्राय काश्तकार को तो हानि पहुँचाने का है नहीं इसलिये जहाँ तक बनता है यही कांशिश होती है कि असली कर्जदार से ही वसूली की जावे और कोई हानि मंम्बरों के सर न पड़े। वसूली का ढंग मावारण रूप से यह रहता है कि जहाँ तक गुंजायश रहती है असली बार्कदार से वसूली की जाती है। जब उसके कोई जायदाद नहीं रह जाती और वह नादेहन्द हो जाता है तो उसके जामिनों को देना होता है। मान लें कि जामिन भी नादेहन्द हो गए और उनके पास भी कोई जायदाद नहीं रही तो फिर यह रकम समिति में बट्टे-खाते में डाल दी जायगी और वचत की पूंजी से यह हानि जल्सा आम की राय से और रजिस्ट्रार महोदय की आज्ञा से पूरी कर दी जावेगी। यह तो उसी समय हो सकता है जब समिति की हालत अधिक अच्छी है और वह काम भी अच्छा कर रही है केवल एक दो मंम्बर इस तरह इत्तफाक से गिर गये। पर जब अधिकांश मंम्बर नादेहन्द हो जाते हैं और समिति में वसूली एक दम बन्द हो जाती है तो समिति तोड़ दी जाती है और वसूली का काम किसी एक आदमी के जिसको लिक्विडेटर कहते हैं सुपुर्न कर दिया जाता है।

यह पहले असली बाकीदार से वसूली करते हैं फिर जमानतदारों से लिया जाता है। जब इस तरह सब वसूली समाप्त हो जाती है और फिर भी बाहर का यानी बैंक, महाजन या जमानतदार का देना बाकी रह जाता है तो प्रत्येक देनदार मेम्बर से हिस्सा क्रमशः वसूल करके बाहर वालों की अदायगी करदी जाती है।

इससे यह अच्छी तरह मालूम हो गया कि जंजीराबन्दी उसी समय लगाई जाती है जब बाहर वालों का देना रहता है। यदि समिति के किसी का कुछ देना नहीं है और वह अपनी पूंजी से काम करती है तो अपरमित जिम्मेदारी न लगाई जायगी। जब यह ऐसी अच्छी चीज है निर्धन को धन दिलाती है तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हां इस बात का ध्यान अवश्य रहना चाहिये कि नियमों की पाबन्दी जरूर हो क्योंकि कुछ ऐसे भी नियम रक्खे गये हैं जिनसे अपरमित जिम्मेदारी का कुछ भी असर मेम्बरों पर नहीं पड़ता यदि उनके अनुसार प्रयोग हाता रहे।

अपरमित जिम्मेदारी के भय से बचाने के उपाय

बहुत सीकानूनी बातें मौके २ से ऊपर ध्यान की जा चुकी हैं परन्तु फिर भी जनता और काम करने वालों के लाभ के लिये सब बातों को इकट्ठा यहां लिख देना उचित होगा। यदि अगर-

- ८ --त्याहारों का अच्छे और शुद्ध रूप से मनाये जाने का प्रबन्ध कराना जिससे लोगों को उसकी स्वभाविकता मालूम होकर नत्साह बढ़े और फिजूल खर्ची बन्द होजाय ।
- ९ --आपस के झगड़े व मेम्बरों की समस्याओं को आम राग से निर्णय करके अनुचित मुकदमोंवाज के खर्च को बचाना ।
- १० --अकसरान मोहकमे के मुआइने और आडिटर की रिपोर्ट पर पञ्च यत की पेश की हुई तजवीजों पर गौर करना ।
- ११ --जो मेम्बर किसी विशेष कारण से गैर हाजिर रहते हैं और जल्सों की काररवाई में दिज्ञचस्पी नहीं लेते उन पर जुर्माना कराना ।
- १२--मेम्बरों के तन, मन और धन की उन्नति के उपाय सोचना और ग्वास तौर से बच्चों व प्रौढ़ों के पढ़ने का उपाय तथा प्रबन्ध करना ।
- १३ --खजान्ची के पास जो तहवील (नक़द रुपया) मौजूद हो उसकी जांच करना ।
- १४--मेम्बरों से खुशी के अवसर पर दान वसूल करना ।
- १५--यदि कोई और विशेष समस्यायें पेश की जावें तो उन पर भी विचार करना ।
- १६- मेम्बरान को कोई मासिक पत्र या अखबार पढ़कर

सालाना जल्से या आम जल्से के लिये अलग कर दिये गये हैं
 उनको छोड़कर सभी काम पंचायती जल्सों में किये जा सकते
 हैं । साधारण रूप से जल्सा आम के तै किये हुये प्रोग्राम के
 अनुसार ब्योरेवार काम कराना पंचायत का मुख्य कर्तव्य है
 पंचायत ही सभा के काम को सफल बनाने की जिम्मेदार है ।
 अब जल्सों को जानने के बाद हमको यह देखना चाहिये कि
 समिति में क्या क्या कगजात रक्खे जाते हैं ।



दस्तखत होते हैं। यदि कोई मेम्बर समिति से अलग होजाता है या इस्तीफा दे देता है तो मेम्बरी से अलग होने की तारीख और उत्रका कारण भी लिखा जाता है। इस रजिस्टर को तातारीख और पूर्णलिखित रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि हर समिति के उद्देश्य के अनुसार मेम्बर के अधिकार और जिम्मेदारी तारीख भारती से शुरू होते हैं। लेन देन वाली सभा में मेम्बर के खारिज होने के दो साल व मर जाने के एक साल बाद तक बाहरी कर्ज के लिये जिम्मेदारी रहती है वारिसों की ठीक ठीक जांच करके लिखना चाहिये।

२-मेम्बर की पास बुक—हर मेम्बर को जो लेन देन का या किसी तरह का कारोबारी काम करता है एक छोटी सी किताब दी जाती है जिसे पास बुक कहते हैं। वह मेम्बर के हर लेन देन की रसीद होती है मेम्बरों को जब कभी कुछ देना या लेना हो वह अपनी किताब साथ ले जायें और उस पर लिखा कर तब लेन देन करें। जब कभी कोई अहसर पावे व आवे उसे वह किताब दिखा कर जांच करा लें कि जो कुछ उन्होंने लिया या दिया है वह उस पर लिखा है या नहीं। बाब बक्त सभा के कागजात खोजा जाते हैं या जल जाते हैं तो उस समय यदि मेम्बरों ने अपनी पास बुक ठीक तौर से रक्खी है तो सबका हिसाब मासूम हो जावेगा। यदि पास बुक

ठीक रहेंगी तो किसी तरह की गड़बड़ी मेम्बर के हिसाब में नहीं हो सकती। इसको बहुत संभाल कर रखना चाहिये। जो मेम्बर पढ़े लिखे नहीं है वह अपनी पास बुक को किसी दूसरे से पढ़वा कर हाल मालूम करलें कि उनका हिसाब सही है या नहीं। यदि सही न हो तो तुरन्त अपने जिल्ले के सहकारी अप्रसर से कह कर या लिखकर सही करा लें। उस किताब में मेम्बर के खाते की नकल होती है।

३—रोकड़ बही—यह खजांची की किताब है। जो कुछ आय तथा व्यय समिति में होता है वह खजांची के हाथ से होता है इसलिये उसको यह किताब रखना पड़ती है ताकि वह सही ३ रोकड़ हर समय निकाल सके और मांगने पर सही रोकड़ पेश कर सके। यह किताब खजांची को स्वयं ही लिखना चाहिये और जहां खजांची पढ़े लिखे नहीं हैं वहां इस किताब के लिखने या रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोकड़ बही हर प्रकार की सहकारी समितियों में रखनी जाती है क्योंकि थोड़ी आय व्यय तो हर एक समिति में होती है। यदि यह किताब न रखी जावे तो जमा खर्च के हिसाब का पता ही न चले। इसमें केवल तारीख लेन देन और मिलने या देने वाली रकम और रोकड़ बाकी लिखी जाती है जिस पर प्रतिदिन खजांची के दस्तखत होते हैं।

इस तरह सब प्रकार की जायदाद की मालियत जो मेम्बर के पास है उसको जोड़ने से जो कुल कीमत आती है वही मेम्बर की अन्तिम साख कहलाती है। इस पर समिति विचार करके और मेम्बर की वार्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुये एक हद निश्चित कर देती है जहां तक मेम्बर लेन देन कर सकता है और जिसको मामूली साख कहते हैं। यह आम तौर से अन्तिम साख की तीन चौथाई तक होती है। इसी मामूली साख पर ही हर मेम्बर को हिस्सा खरीदना पड़ता है। आम तौर से ४०) या ५०) की मामूली साख पर एक हिस्सा २०) का या २०) व २५) की मामूली साख पर एक हिस्सा १०) का खरीदना होता है और जो बीस छमाही किस्तों में अदा होता है। कुल हैसियत यानी अन्तिम साख निश्चित करते समय मेम्बर के बाहरी कर्ज की भी जांच करली जाती है और उसका कुल कर्जा हैसियत में से घटा कर अन्तिम साख निश्चित करते हैं। यदि किसी की जायदाद रहन है तो वह जायदाद या कर्जा हैसियत में शुमार नहीं होता। हैसियत रजिस्टर भी एक आवश्यक चीज है और इसी रजिस्टर से मेम्बर के कर्ज की गरज का ठीक पता लगता है।

७—खाता मेम्बरान—यह रजिस्टर भी लेन देन वाली सभाओं में अधिकांश काम देता है। वैसे खाता मेम्बरान हर स मिति

बैचने के लिये नहीं है इसे डेड स्टॉक भी कहते हैं। उसमें फरनीचर, लैम्प, लोटा, बाल्टी, अलमारी इत्यादि ऐसी वस्तुयें शामिल रहती हैं। इस रजिस्टर में खरीदने की तारीख, कीमत, तादाद, टूटने फूटने या निकाल देने की तारीख इत्यादि लिखा जाता है।

६- दैनिक बिक्री रजिस्टर (सेल रजिस्ट)र—यह रजिस्टर भी क्रय-विक्रय समितियों तथा उपभोक्ता स्टोरों में रक्खे जाते हैं। इसमें प्रतिदिन की बिक्री लिखी जाती है और प्रतिदिन मोबान अफजू लगाना पड़ती है और यही आंकड़े दिन भर के जोड़ कर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज हो जाते हैं। यदि समिति में कई वस्तुयें बिक्री के लिये हैं तो उसी रजिस्टर में उन सब वस्तुओं की बिक्री के लिये अलग २ कालम बना लिये जाते हैं तब स्टॉक निकाला जाता है। व्यवसायिक समितियों के लिये यह रजिस्टर अति आवश्यक है।

१०- रजिस्टर मुकदमात—इस रजिस्टर में उन डिारियों के बारे में लिखा जाता है जो मेम्बरों के खिलाफ ला जाती है। पूरी मालूमात मय मतालवा और खर्च के रक्खी जाती है। यह रजिस्टर माफ २ बताता है कि इजरा की कार्रवाई ठीक हो रही है या नहीं।

११-रजिस्टर मुआइना—इसमें गिरदावर हल्का (सुपरवाइजर) आडिटर, इन्स्पेक्टर तथा दूसरे अफसरान सोसाइटी का मुआइना लिखा जाता है। बैंक के डायरेक्टर साहिबान या और विजटरभी सोसाइटी को देखने के बाद अपनी राय लिख देते हैं। इससे सोसाइटी की उन्नति की हालत का पता चलता रहता है और पंचायत का फर्ज होता है कि यदि मुआइना में कोई तजर्वाजें पेश की गई हैं तो उन पर अमल करावें।

१२-प्रतिष्ठा रजिस्टर—वह रजिस्टर आम तौर से जीवन सुधार तथा बहुधनी समितियों में रक्खा जाता है। इसमें हर एक मेम्बर इस बात के हस्ताक्षर करता है कि वह समिति का मेम्बर होने के कारण इक़रार करता है कि सोसाइटी के बनाये हुये सब नियम और आम रिवाजों व क़ायदों को मानेगा, न मानने की हालत में समिति उस पर जुर्माना कर सकती है परन्तु जुर्माने की तादाद किसी हालत में भी १०० से अधिक नहीं होगी। इस इक़रार नामे पर हस्ताक्षर हो जाने से मेम्बर पाबन्द हो जाते हैं और क़ायदे मानने लगते हैं और समिति का काम ठीक से चलने लगता है। यदि कभी जुर्माना करने की नीयत आती है तो वह रकम

- ३—सहकारी कानून व क्रायदे की किताब
- ४—सार्टीफिकेट हिस्सा बैंक
- ५—पासबुक बैंक
- ६—दरखवास्त कर्जा के फारम
- ७—प्रोनोट (तमसुक) के फारम तथा बीज कपड़ा इत्यादि के इन्डेन्ट के फार्म
- ८—आडिटरों की रिपोर्ट
- ९—रसीदों की फाइल
- १०—सालाना नक्शे

इन रजिस्ट्रों की यदि अधिक जानकारी करना है तो इन कार्मों के नमूने किसी सहकारी बैंक से सहकारी समिति या संघ से यारजिस्ट्रार सहकारी विभाग लखनऊ के दफ्तर से मंगा कर देखने से समझ में आजावेगा। मामूली तौर से इतना जानना काफी है कि यह रजिस्टर रखना चाहिये।

अब हमारी गांव की समिति सम्पूर्ण हो गई। इसमें जगह २ बर जिक्र आया है कि इसको रुपया बैंक तथा थूनिशन से मिलता

सेन्ट्रल या जिला बैंक

जिम तरह गांव के लोगों ने जिनको कर्ज या सुधार की आवश्यक है मिळकर गांव की एक सहकारी समिति बनाली और एक एक हिस्सा लेकर हिस्सेदार बन गये और आवश्यकता के समय अपने मेम्बरों के देने के लिये रुपया या तो गांव के महाजन या बड़े काश्तकारों से अमानत में ले लिया या अपनी यूनिशन से या शहर के बैंक से लाये इसी तरह शहर के महाजन, या पढ़े लिखे लोग जिनको देहात की उन्नति का कुछ भी ख्याल है मिल गये और शहर में एक बड़ी सभा बनाली और उसके हिस्सेदार बन गये ।

इस सभा का मुख्य काम यह रहा कि गांव की समितियों को आवश्यकता के समय रुपया दिया करे या और जो सहायता गांव वाली सभायें मांगें वह सब दिया करे । ऐसी सभा को सेन्ट्रल बैंक कहते हैं क्योंकि यह एक केन्द्र (सेण्टर) में काम करती है और उस केन्द्र (हल्के या सेण्टर) की देहाती समितियों को रुपया देती है और उनसे लेन देन करती हैं । जब इनका क्षेत्र इतना बढ़ जाता है कि सारा जिला उसमें आ जाता है तो इस बड़ी सभा को जिला सहकारी बैंक कहने लगते हैं ।

इसमें उन शहर के व्यक्तिगत मेम्बरों के अनिरिक्त जिन्होंने इस बैंक को स्थापित किया है गांव की समितियों को भी जो

दिये जाते हैं, जैसे देहात सुधार फण्ड, कृषि फण्ड बट्टा आना फण्ड संगठन फण्ड, या इमारत फण्ड इत्यादि यानी यह समझना चाहिये कि इस बैंक के मुनाफे का अधिकांश हिस्सा किसी न किसी रूप में देहात में ही पहुंच जाता है। प्रबन्ध में भी अधिकांश उनका ही हाथ रहता है। इसलिये यदि भारनवर्ष को आर्थिक स्वतन्त्रता (माली आजादी) प्राप्त करना है तो लोगों को इस सिद्धान्त को अच्छी तरह समझ कर इसको अपना ही काम समझकर दिलचस्पी के साथ करना चाहिये ताकि पूर्ण सफलता मिले और पूंजी जल्द इकट्ठा हो जावे और दूमरों का मुंह न ताकना पड़े। जब तक लोगों में स्वयं अपनी उन्नति का क्याल न पैदा होगा और इन संस्थाओं को अपना समझकर इसमें भाग न लेंगे माली स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकते और आर्थिक स्वतन्त्रता ही हर प्रकार की स्वतन्त्रता का जड़ है हम अपनी पाई हुई नैतिक स्वतन्त्रता जब ही कायम रख सकते हैं जब हम आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें।

बैंक से लेन देन का ढंग

जिस तरह गांवकी समिति में हर एकमेम्बर को जो २०) ४० का एक हिस्सा खरीदता है ५०) से ५०) तक समिति से कर्जा दिया जा सकता है, वही तरह जो समिति बैंक में एक हिस्सा १००) का खरीदती है उसको बैंक हैसियत देखकर ८००) तक

सहकारी बैक इन हिस्सों के कारण और मुनाफे को एक तिधई बचत की पूंजी में डालने के कारण बहुत जल्द अपना निजी सरमाया (पूँजी) इकट्ठा कर लेते हैं । बैक बड़े साहू- कारों या और पूंजी वालों से अमानत लेकर अपनी पूंजी इकट्ठा करता है । आम तौर से अमानत पर सूद की दर २॥) रुपया सैकड़ा सालाना से लेकर ४॥) रुपया सैकड़ा सालाना तक होती है । बैक को हिस्से न बढ़ाकर अमानत बढ़ाना चाहिए क्योंकि इस पर सूद कम देना होता है । हिस्से बापस नहीं होते किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कमेटी की स्वीकृत से किये जा सकते हैं या बेचे जा सकते हैं । शरूसी या तरजीही हिस्सों का रकम जैसे जैसे बैक चाहता है वसूल करता है । इसकी कोई मियाद नहीं है ।

ज्यों ज्यों हिस्सों का रुपया बढ़ता जाता है त्यों त्यों अमानत देने वालों का भी विश्वास बढ़ता जाता है और लोग इसमें अमानत देने लगते हैं । प्राथ लोग यह समझते हैं कि यह एक देहाती बैक है इसमें रुपया खर्चित नहीं रह सकता । यह उनका ख्याल बिल्कुल गलत है । जितनी रुपयें की रक्षा सहकारी बैंकों में हो सकती है उतनी दूसरी जगह नहीं हो सकती । इसका कारण नीचे लिखा है:—

(१) पहले तो रुपया काशतकारों में ही सम्मिलित जिम्मेदारी पर लगाया जाता है और उसकी वसूली सरकार द्वारा बकाया

नत दारों का रुपया बहुत सुरक्षित रहता है। बैंकों में पोस्ट आफिस सेविंग बैंक की तरह यहां भी सेविंग बैंक में स्वरों व पब्लिक के फायदे के लिये खेल दिया जाता है। इस पर भी मूद और जगहों से कुछ अधिक ही मिलता है और रुपया निकालने व जमा करने में कोई कठिनाई नहीं होता।

डायरेक्टरों का काम ।

जैसा ऊपर समझाया गया है बैंक एक सामे की संस्था है जिसमें शहर के पंजी पति और गांव की भाभावियों के सरपंच (पंचायत की तर्फ से) हिस्सेदार होते हैं। सरपंच हिस्सेदार इसी लिए बनाए जाते हैं कि वह भी इस सामे से लाभ उठा सकें और बैंक के प्रबन्ध में उनका भी हक हो। वह भी डायरेक्टर इसी लिये चुने जाते हैं कि अपना प्रबन्ध स्वयं कर सकें। उनका यह चाहिय कि जब वह सभा की बैठक (मीटिंग) में जायें तो जा जा कठिनाइया काम में देहातों में पड़ती हैं उनको वहां बयान करे और उनको दूर करने की कोशिश करें। बैंक के डायरेक्टरों के मुख्य काम नीचे लिखे जाते हैं, जो उन्हें बड़ी दिलचस्पी के साथ करना चाहिये :---

१--बैंक के लिए अमानत द्वारा पूँजी इकट्ठा करना।

२--गांवों में सहकारी समिति का कायम करना, उनकी देख

भाल करना और शिक्षा देना ।

३-आस पास की सभाओं में स्वयं जाकर समझाना व देख भाल करना ।

४-यह देखना कि समितियां अपने मेम्बरान को कर्जा ठीक समय पर बांट देती हैं कोई देर तो नहीं करती ।

५-सभाओं को बक से ठीक समय पर कर्ज दिलाना और समय पर वसूली की निगरानी करना ।

६-यदि मेम्बरान को केई शिकायत गिरदावरों (सुपर-वाइजरों) या सक्रेट्रियों की बाबत हो तो उनको स्वयं सुनकर तै करना या बैंक के द्वारा प्राविनराल यूनिशन में भेजना ।

७-देहात की समितियों की अन्तिम साख और मानूली साख की जांच करना और ठीक निश्चय कराना ।

८-आस पास के गावों की सोसाइटी के सालाना जलसों में शरीक होना और उनको काम में सलाह देना ।

९-हल्के में २५ या ३० गावों की सभाओं की सम्मिलित बैठक जो होती है उसे ग्रुप कान्फ्रेंस कहते हैं । ऐसी कान्फ्रेंसों में शरीक होना और इस मौके पर कृषि उद्योग धंधों की नुमायश इत्यादि करने में सहायता देना ।

बैंक ३ प्रतिशत सूद देती हैं और ४॥ प्रतिशत पर यह बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देती है। हमारी सरकार ने इसको १ करोड़ रुपया ३ प्रतिशत पर ही दे दिया है और लगभग १॥ करोड़ रुपया गन्ने की समितियों का जो मेम्बरों की गन्ने की कीमत में से दो आना मन के हिसाब से जमा किया था डिपॉजिट में रक्खा। इस बैंक ने प्रान्तीय मारकेटिंग फेडरेशन को कपड़े के व्यवसाय के लिये कई करोड़ रुपया दे रक्खा है इससे बैंक को अपना रुपया रोजगार में लगाये रहने का अच्छा मौका मिल गया है।

अब हमें यह देखना है कि प्रान्तीय मारकेटिंग फेडरेशन क्या है और किस प्रकार यह काम करता है।

प्रान्तीय मारकेटिंग फेडरेशन

वैसे तो सहकारी समितियां कुछ न कुछ क्रय-विक्रय का काम करती ही रही परन्तु १९३६ की लड़ाई शुरू होने के पश्चात् हर आवश्यक सामग्री पर नियन्त्रण हो गया और सरकार ने उचित समझा कि इन वस्तुओं का बितरण सहकारी संस्थाओं द्वारा ही किया जावे। इसलिये सारे प्रान्त के लिये एक संस्था प्रान्तीय विकास तथा मारकेटिंग फेडरेशन के नाम से स्थापित हुई और हर जिले की केन्द्रीय सहकारी समितियां इसकी सदस्य हुईं।

कार्य चलाने के लिये एक कार्य-कारिणी कमेटी बोर्ड द्वारा चुनी जावेगी । इसमें वार्ड अपने चुने हुये मेम्बरों में से ५ व्यक्ति इसके लिये चुनेगा और सभापति और सेक्रेटरी को लेकर कुल ७ मेम्बर इसमें होंगे । इसके जल्से जब २ आवश्यकता होगी हुआ करेंगे । इस तरह से यह संस्था अब काम कर रही है ।

हमने अब तक सब केन्द्रीय संस्थाओं का और गांव की समितियों का संगठन का ढंग सीखा और उनके संचालन का भी हाल कुछ समझा । अब हमें यह देखना है कि सहकारी संस्थाओं का निरीक्षण का क्या प्रबन्ध है और इसका काम ठोक से कैसे चल सकता है ।

संचालन तथा निरीक्षण का काम तीन बड़ी संस्थाओं में बांट दिया गया है। संगठन, प्रचार तथा दैनिक कारोबार व हिसाब किताब का काम प्रान्तीय यूनियनों की अध्यक्षता में दिया गया है ताकि जनता के आन्दोलन की देख रेख जनता के हाथ में रहे। संचालन, लेन देन तथा आर्थिक सहायता के लिये जिला बैंक तथा प्रान्तीय सहकारी बैंक जिम्मेदार बनाये गये हैं। समितियों के काम की देख रेख, कानूनी निरीक्षण और आडिट तथा उचित सलाह के लिये सरकार ने अपने दूसरे मोहकमों की तरह एक सहकारी विभाग भी स्थापित कर दिया है। हम ऊपर प्रविन्शल (प्रान्तीय) बैंक और जिला बैंकों का ब्योरा दे चुके हैं इसलिये इस अध्याय में हम प्रांतीय यूनियन और सहकारी विभाग का कुछ ब्योरा देते हैं।

प्रान्तीय सहकारी यूनियन

हम पहले बता चुके हैं कि संगठन, प्रचार तथा सहकारी शिक्षा इत्यादि को रुपये पैसे तथा आर्थिक काम से अलग करने की योजना ओकडेन कमेटी ने निश्चय की जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया, फल स्वरूप हमारी प्रांतीय सहकारी यूनियन १९२७ में स्थापित हो गई। चूंकि सहकारी आन्दोलन प्रजातंत्र है इसलिये इस यूनियन का संगठन भी इसी आधार पर रक्खा गया। इस यूनियन का मुख्य उद्देश्य यह है:—

- १—प्रांत में सहकारी आन्दोलन की जड़ को दृढ़ करना ।
- २—प्रांत की समस्त सहकारी संस्थाओं को इकट्ठा करना और आपस में उन्नति के एक स्रे विचार उत्पन्न करना ।
- ३—प्रदर्शनी करके तथा अन्य ढंगों से प्रांत में सहयोग का प्रचार करना और जनता में सहयोग का भाव उत्पन्न करना ।
- ४—प्रांत के जो सहकारी बैंक इसके मेम्बर बन गये हैं उसकी समितियों की निगरानी के लिये उचित कर्मचारों चुनना, उनके शिक्षा देना और उनके नियुक्त करके पूरी निगरानी करना ।
- ५—सहयोग के विषय पर प्रांत की सहकारी समितियों के लाभार्थ कुछ पुस्तकें छपवाना या पत्र पत्रिकाएँ निकलवाना ।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये यूनियन में तीन प्रकार के मेम्बर रखे गये हैं। पहले तो पदेनु मेम्बर (Ex-officio) होते हैं जैसे भी रजिस्ट्रार महोदय जो उसके सभापति भी है और एडीशनल तथा डिप्टी रजिस्ट्रार जो पदेनु मेम्बर होते हैं। इसी प्रकार केन कमिश्नर और आर० डी० ओ० होते हैं और केन डेवलपमेंट आफिसर तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी होते हैं। दूसरी श्रेणी में नामजद किये हुये लोग होते हैं जिनको रजिस्ट्रार महोदय नामजद करते हैं और जो अपने सहकारी ज्ञान तथा काम के

लिये प्रसिद्ध होते हैं और रजिस्ट्रार उनकी सहायता लेने के लिये इस आन्दोलन में उनको नामजदगी द्वारा सम्मिलित करते हैं। तीसरी श्रेणी में समितियों तथा जिला बैंकों के जो इस यूनियन में सम्मिलित हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं।

प्रान्तीय यूनियन के संगठन का ढंग

यूनियन में उसके नियमों के हिसाब से सबसे बड़ा अधिकार जल्सा ग्राम General body को होता है जिसमें प्रत्येक बैंक को अपनी अन्तर्गत समितियों के हिसाब से तीन से चार तक प्रतिनिधि बैंक के बोर्ड द्वारा चुनकर भेजना होते हैं। इनमें कम से कम एक ग्राम समितियों का और कम से कम एक व्यक्तिगत बैंक के मेम्बरों का प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिये। एडीशनल मेम्बर केवल एक ही प्रतिनिधि भेज सकते हैं। इन सब प्रतिनिधियों को और पदेनु तथा नामजद मेम्बरों को मिलाकर जनरल वाडी बन जाती है। इसकी मीटिंग साल में एक बार होती है। जनरल वाडी अपने मेम्बरों में से हर तीसरे साल एक कमेटी का चुनाव करती है जिसको प्राविन्शल कमेटी कहते हैं। यही प्राविन्शल कमेटी इस यूनियन की मुख्य काम करने वाली व सलाह देने वाली कमेटी है।

प्राविन्शल कमेटी में हर सरकिल से ४ मेम्बर चुने जाते हैं और इस कार्य के लिये प्रांत को १० सरकिलों में विभाजित किया।

गया है। इस कमेटी में ५ नामजब किये हुये लोग और १७ पदेनु मेम्बर भी सम्मिलित रहते हैं। प्राविन्शल कमेटी की बैठक साल में दो बार होती है जिसमें कार्यकारिणी कमेटी के फैसलों की अपीलें व यूनियन की आय व्यय के सम्बन्ध में सभी बातों पर इसमें विचार होता है। कार्य कारिणी कमेटी की निश्चित की हुई सभी बातों की यह निगरानी करती है।

प्राविन्शल कमेटी अपने मेम्बरों में से हर तीसरे साल ७ मेम्बरों की एक कार्यकारिणी कमेटी चुन लेती है जिसमें ५ चुने हुये मेम्बरों में से और २ पदेनु मेम्बरों में से लिये जाते हैं। इस कमेटी की बैठक समय २ पर जैसा काम हो हुआ करती है और यह निगरानी तथा प्रबन्ध के सम्बन्ध के सभी दैनिक काय किया करती है। यूनियन के अन्तर्गत जो स्टाफ काम करता है उसकी नियुक्ति, सजा, तरकी इत्यादि सभी काम इस कमेटी में होते हैं। यूनियन का एक सेक्रेटरी भी होता है जिसकी सहायता से सभी कमेटियां अपना २ कार्य करती हैं। कार्यकारिणी कमेटी को बहुत बड़े अधिकार दिये गये हैं जो अधिकांश दैनिक कार्य से सम्बन्ध रखते हैं और यह सब काम कमेटी सेक्रेटरी की सहायता से पूरे करती है। प्रांत भर की समितियों की निगरानी के लिये स्टाफ का चुनाव, उसकी ट्रेनिंग तथा नियुक्ति इसी कमेटी द्वारा होता है। इस समय सुपरवाइजर्स की तादाद जो यूनियन के अन्तर्गत वैकों व संघों में काम करते हैं करीब १४०० के हैं।

सुपरवाइजरों के काम की देख रेख तो सहकारी विभाग के क़ाय कर्ता ही करते हैं परन्तु इस यूनियन का संगठन प्रजातंत्र होने के कारण उनकी सज़ा इत्यादि देने का किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं। प्रत्येक ज़िले में एक एक उपकमेटी सुपरवाइजरों के काम की निगरानी करने के लिये होता है जिसमें हल्के के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार या ज़िला सहकारी अक़सर और ज़िला बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा एक और डायरेक्टर मेम्बर होते हैं। जब कभी कोई शिकायत सुपरवाइजर की होती है तो उसकी जांच करने के बाद इस कमेटी के पास भेज दी जाती है और जो निर्णय इस कमेटी का होता है वह यूनियन की कार्यकारिणी कमेटी के समक्ष उपस्थित कर दिया जाता है और जैसा उसका आदेश होता है उसी के अनुसार काम किया जाता है। इसकी अपील प्राविन्शल कमेटी में हो सकती है। अब हमें सुपरवाइजर के कर्तव्य जानने की आवश्यकता है।

सुपरवाइजर के कर्तव्य

जैसा हम ऊपर बता चुके हैं प्रान्तीय सहकारी यूनियन ने सहकारी समितियों का संगठन, उनका प्रचार और सहकारी शिक्षा और उनके हिसाब किताब ठीक रखने का काम अपने जिम्मे लिया और इसी काम को पूरा करने के लिये सुपरवाइजर नियुक्त किये गये। उनकी ट्रेनिंग इत्यादि का प्रबन्ध भी यूनियन

समितियों की रजिस्ट्री के बाद आडिट और निरीक्षण का प्रबन्ध भी उनके ही करना पड़ता है क्योंकि कानूनने यह भार रजिस्ट्रार के ऊपर रखा है। समितियों की माली हालत की जांच कराना, कागजात के मुआइने का हुक्म देना, समितियों का रजिस्ट्री काट देना, या समितियों को तोड़ देने का हुक्म वही दे सकते हैं। समितियों के कारोबार सम्बन्धी यदि कोई मामला पेश हो तो उसका फैसला या तो स्वयं करें या सालिस द्वारा करा दें और उसकी अपील स्वयं सुने। इसी प्रकार इस कानून द्वारा समितियों का काम चल रहा है। रजिस्ट्रार प्रान्तीय यूनियन और प्राविन्शल सहकारी बैंक के सभापति हैं इसलिये इन संस्थाओं को सफल बनाने को भी उनकी जिम्मेदारी है। सरकार ने रजिस्ट्रार को निम्नलिखित स्टाफ दिया है:—

१—एडोशनल रजिस्ट्रार	एक
२—डिप्टी रजिस्ट्रार	६
३—असिस्टेंट रजिस्ट्रार	२४
४—स्पेशल इन्स्पेक्टर	३
५—सहकारी ,,	लगभग २५०
६—आडिटर	,, १७०

अब हम प्रत्येक श्रेणी के अफसरों के कर्तव्यों पर विचार

करते हैं।

एडीशनल तथा डिप्टी रजिस्ट्रार

यह अफसरान रजिस्ट्रार महोदय की सहायता के लिये होते हैं इसलिये उनको भी एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रार के सभी अधिकार दे दिये गये हैं। रजिस्ट्रार स्वयं इन अफसरों को अपनी सुविधा के लिये काम बांट देते हैं। पहले प्रत्येक कमिश्नरी का एक हल्का या अब प्रान्त को चार हिस्सों में बांटा गया है और हर सर्किल एक डिप्टी रजिस्ट्रार के चार्ज में है। वह सहकारी आन्दोलन को सही रास्ते पर चलाने के लिये सबको सलाह देते हैं और कहां तक नियमों की पाबन्दी होती है इसकी देख भाल करते हैं। प्रान्त में दो और डिप्टी रजिस्ट्रार विशेष कार्य के लिये हैं जैसे एक मारकेटिंग फेडरेशन के इंचार्ज हैं और दूसरे प्राविन्शल बैंक या इन्डस्ट्रियल फेडरेशन या आडिट इत्यादि के इन्चार्ज होते हैं। एक सहकारी शिक्षा के इन्चार्ज हैं जो एजुकेशन अफसर कहलाते हैं। यह जगह उन नौ के अलावा है। सहकारी प्रचार कार्य करने के लिये एक पब्लिसिटी आफिसर भी इस विभाग में काम करते हैं। डेरो का काम देखने के लिये एक डेरो अफसर भी प्रान्त में रजिस्ट्रार के अन्तर्गत काम करते हैं।

सहायक रजिस्ट्रार

सहकारी एक्ट के अनुसार बहुत से रजिस्ट्रार के अधिकार

अब सीड मटर का भी इंचार्ज होता है और उसको एक कामदार सहायता के लिये दिया जाता है। इंस्पेक्टर का हल्का इस समय एक तहसील का है किसी २ जगह जहाँ सर्मानियाँ अधिक बन गई हैं तहसील में एक से ज्यादा इंस्पेक्टर भी काम करते हैं।

इंस्पेक्टरों के मुख्य कर्तव्य नीचे लिखे होते हैं:—

(१) सहायी समितियों का संगठन करना और सुपरवाइजर ने जो संगठन के कागजात बनाकर दिये हैं उनकी जांच करना और सहयोगी शिक्षा मेम्बरों को देना और उसकी जांच करना और रजिस्ट्री कराने के लिये समितियों के कागजात कायदे के अनुसार बनाकर अपनी रिपोर्ट के साथ भिजवाना और सिफारिश करना।

२—रजिस्ट्री की हुई समितियों का मुआइना करना।

३—बिगड़ी हुई समितियों का पुनरुद्धार करना और उनमें जान डालकर काम चालू कराना।

४—जो समिति किसी प्रकार काम नहीं कर सकती उसको तोड़ने की सिफारिश करना और टूटने पर लिक्विडेटर का काम करना।

५—जिन मेम्बरों से कर्जा वसूल नहीं होता उन पर समिति को

काम जिनका असर देहात के जीवन पर पड़ता है शामिल हैं । इनका असली मन्शा यही है कि गाँव के लोगों में सुख व आगम का संचार हो और तन, मन, और धन की उन्नति हो । जीवन सुधार से हम गाँव के जीवन के सभी अङ्गों की उन्नति करना चाहते हैं, जैसे शिक्षा, सफाई, कुटीरव्योग, खेतों, फिजूल खर्ची की रोक और शासन प्रबन्ध इत्यादि । पहिला प्रश्न उत्पादन बढ़ाने का है और उसके साथ २ उपज के विक्रय का तथा उचित वितरण का है । एक बहुत बड़े विद्वान ने जो कष्ट-कारों के बड़े हितकारी थे कहा है कि अच्छा जीवन ही अच्छी खेती और अच्छे व्यापार काध्येय है ।

हमारे देश में लगभग ७ लाख के गाँव हैं इस लिए हमारे देश की उन्नति गाँवों की ही उन्नति पर निर्भर है । दूसरे देशों ने भी उन्नति उसी समय कर पाई है जब वहाँ के ग्रामों ने उन्नति दिखाई है इस लिए जीवन सुधार वह वस्तु है जिससे गाँव वालों की सभ्यता की और आर्थिक व सामाजिक दशाओं की उन्नति होती है और वह लोग आज कल की उन्नतियों के परिमाण के अनुसार ध्येय पर पहुँच जाते हैं । जीवन सुधार कार्य से जीवन निर्वाह को सारी वस्तुयें सरलता से इकट्ठा हो सकती हैं और सारी कठिनाइयाँ बहुत शीघ्र दूर हो जाती हैं । सारांश यह कि जीवन को सुखमय बनाने के साधनों के प्रयोग को जीवन सुधार तथा विकास

कार्य कहते हैं। अब हमें यह देखना है की इसकी क्या आवश्यकता है और यह कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है।

जीवन सुधार तथा विकास कार्य की आवश्यकता

हमें अपने पुराने इतिहास से पता चलता है और संसार भर में यह प्रसिद्ध भा है कि हमारे गांव पहले इतने समृद्ध थे कि कोई इनकी समानता नहीं कर सकता था। हर तरह से यह परिपूर्ण मिलते थे। गांव का प्रबन्ध गांव वालों के ही हाथ में था न कोई भगड़ा था न मुकदमे बाजी। कोई बात यदि होती भी थी तो गांव के पंच मिलकर तै कर देते थे। गांव में कोई सामान बाहर से नहीं आता था। हर गांव में पढ़ने, पढ़ाने का भी उचित प्रबन्ध था। गुरुद्वारे खुले हुये थे, गुरुओं का विशेष यहाँ कर्तव्य था कि वह जनता के बालकों को बिना किसी लालच के पढ़ाते थे और जनता उनके खाने, पीने, और रहने का प्रसन्नता से प्रबन्ध करती थी।

सैकड़ों बरसों के पतन से, अब हमारे गांवों की हालत बहुत बिगड़ गई है। मूर्खता और गराबी ने यहां अपना घर बना लिया है और रोगों ने गांवों में अड्डा जमा लिया है। जैसा पहले बताया जा चुका है हमारे ग्राम भाइयों को दिन की कड़ी धूप और रात को सरदी सह कर परिश्रम करने पर भी पेट भर भोजन और तन ढांकने को कपड़ा नहीं मिलता। आपस के झगड़े और रस्मों/रिवाज

१—वह कर्जा देते समय इसका कुछ विचार नहीं करते कि किसान की आवश्यकता ठीक है या नहीं। कभी कभी तो ५० की जगह सौ भिड़ा देते हैं, जब कभी कोई मजबूत आसामी चंगुल में आजाता है। वह रुपया सहायता या दान की नियत से नहीं देते बल्कि स्वयं सूद की कमाई करने के लिये अधिक से अधिक रुपया कर्ज देते हैं। कभी कभी कजूलखर्ची को भी कर्जा दे देते हैं।

महाजन लोग जो सूद काश्तकारों से लेते हैं उसकी दर प्रान्तीय बैंकिंग जांच कमेटियों ने निम्न लिखित निकाली है।

पञ्जाब में रेहन पर सूद ६) से १२) सैकड़ा तक लिया जाता है वैसे दर मालुम नहीं।

मदरास में १२ से ४८ फी सदी तक	यू० पी० में १२ से १८
मौसेर में १२ , ,	बयदारी की ६। से १२।।
बम्बई में १२ से ५० , ,	हथ फेर १८ से ३७।।
	अनाज पर २५ से ५० तक

सी० पी० में १८ से ३७।।

बंगाल में कम से कम १० ज्यादा से ज्यादा ३००

आसाम में १२ से ७५ तक

बिहार में १८।। से ५० तक

२—सूद की दर काश्तकार की आवश्यकता तथा सम्पत्ति और साख के देखकर नियत करते हैं यानी यह कहना चाहिये कि वह उसकी आवश्यकता का नाजायज फायदा उठाकर कड़ा सूद लेते हैं।

जाने के बाद जीवन में अधिक परिवर्तन हो रहा है और समय के हिसाब से आवश्यक भी है ।

इसलिये हमारा तीसरा सिद्धान्त जीवन सुधार का यह है कि हमको गांव में किसी ऐसी संगठित संस्था के द्वारा सुधार का काम करना चाहिये जिसमें गांव के कम से कम ७५ प्रति सैकड़ा लोग सम्मिलित हों । यानी एक सहकारी समिति विकास के काम के लिये बनाकर रजिस्ट्री करा लेना चाहिये । वर्तमान बहुधंधी समितियां इसी सिद्धान्त पर बनी हैं ।

अब इस संस्था के स्थापित हो जाने के बाद हम हर व्यक्ति तक अपने भाव पहुँचा सकते हैं । काम कराने के कई ढंग होते हैं । एक तो कानून बना कर हुक्म देने से भी हो सकता है । दूसरे सामाजिक प्रचार से हो सकता है, तीसरे लोग स्वयं अपनी अपनी त्रुटियों को समझकर उनको दूर करने और अपना सुधार करने का उपाय सोच सकते हैं । यही तीसरा ढंग यह है जिसका हमें प्रचार करना है क्योंकि तजरबे ने यह बता दिया है कि पहले दो ढंगों से कोई स्थाई लाभ नहीं हुआ । हमको उन्हीं कामों से शुरुआत करना चाहिये जिसको गांव वाले अच्छी तरह समझ सकते हों और जिसकी उन्हें तत्काल ही आवश्यकता हो । हमारे काम के तरीके सस्ते और प्रयोग में आने लायक होना चाहिये ।

चूंकि संसार में ऐसा कोई काम नहीं, जिसकी कुछ भी मुखालफत न हो, इसलिये हमको वही काम करना चाहिये जिसमें कम से कम मुखालफत होने की आशा हो और गांव वाले हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हों। हमें गांव वालों से उन्नति के खयाल पैदा करके उनको अपनी मदद आप करने के लिये तैयार कर देना चाहिये। दूसरों पर भरोसा न करना चाहिये।

इसलिये हमारा चौथा सिद्धांत यह है कि हमारे काम करने का तरीका वह होना चाहिये जिसमें गांव वालों की दिलचस्पी हो और हमको प्रत्येक उन्नति के कार्य के लिये उनकी सहानुभूति प्राप्त करके काम करना चाहिये। गांव वालों में उन्नति की इच्छा पैदा करना ही मुख्य काम है।

हमने यह देख लिया कि जीवन सुधार की उन्नति वहीं अधिक हो सकती है जहां लोगों में उन्नति की इच्छा पैदा हो गई है। हर गांव में ऐसे लोग नहीं मिलते जो उन्नति पसन्द हों। बहुत से लोग तो इन सब कार्यों को बेकार समझते हैं। आम तौर से यही देखा गया है कि जो क़ौमों अपने आपको ऊंचा समझती हैं वह उन्नति के रास्ते पर नहीं आतीं। दूसरे जो लोग स्वयं अपने हाथ से काम करने को बुरा समझते हैं वह भी कुछ उन्नति नहीं कर सकते और ऐसी जगह हमारा

स्वयं परिश्रम और पैसा बेकार चला जाता है। जब आरम्भ में ही जीवन सुधार कार्य असफल हुआ तो अच्छे और उन्नति बखन्द गांवों में भा उसका प्रभाव पड़कर सब काम बिगाड़ सकता है।

इसलिये हमारा पांचवां सिद्धांत यह होना चाहिये कि जीवन सुधार का कार्य ग्राम तौर से उनहीं लोगों में शुरू करना चाहिये जो उन्नति पसंद हों। हमको वही गांव चुनना चाहिये जहां आधिकांश उन्नति पसंद और अपने हाथ से काम करने वाले लोग आबाद हों। इसी में सफलता होगी।

इसके पश्चात् हमें यह देखना है कि असली सुखी जीवन देहात में कैसे हो सकता है। देहात के जीवन की सभी बातों का जब तक सुधार न हो असली सुखी जीवन नहीं पैदा हो सकता। हमको ग्राम जीवन की सारी कमी की जाँच करके जीवन की सभी बातों का सुधार एक दम शुरू कर देना चाहिये। हम जब तक सब बुराईयों को एक दम दूर करने के ढंग नहीं सोचेंगे, जीवन सुखमय नहीं हो सकता है, और न जीवन सुधार ही असफल हो सकता है।

आजकल के जमाने में वहीं स्कीम लोकप्रिय होती है जो

यहाँ की सारी कमी को एक दम जड़ से साफ़ करदे और तब ही सफल जीवन सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिये देखिये कि यदि हमने गाँव वालों के धन पैदा करने की शक्ति में सुधार कर दिया और वह अधिक धन पैदा करने लग गये, परन्तु उनकी किजूलखर्ची की आदतें वैसी ही बनी रहीं, जैसे जुवा वह अब भी खेलते हैं, नाच वह अब भी कराते हैं, कुरीतियों में अब भी खर्च करते हैं, अदालत अब भी जाते हैं, तो उस सुधार का क्या परिणाम हुआ ? जब अधिक धन आवेगा तो इन्हीं सब बातों में अधिक खर्च भी होगा। काश्तकार को हालात फिर वैसी ही रहेंगी। इसलिये धन की उन्नति के साथ २ उनको आदतों का भी सुधार होना चाहिये, तब ही जीवन ठीक २ सुखमय हो सकता है।

इसलिये हमारा छटा सिद्धान्त यह है कि हमारे सुधार के काम में देहात की समस्त बुराइयों का इलाज एक दम करने का प्रबन्ध हो और सब बुराइयों की एक साथ दूर करने की स्कीम चलाई जाये, तब ही जीवन सुधार सफल हो सकता है। इसलिये सहकारा बहुधंधी समितियां प्रत्येक गाँव में बनाई जावें।

जब सब बुराइयों का एक दम सुधार करना है तो यह किसी मामूली व्यक्ति या संस्था से हो भी नहीं सकता। इसके लिये तो

स्टेट के सब ही जरिये काम में आयेगे, तब ही सफलता हो सकती है। रायल कमीशन ने यह बतया है कि यदि हमको सैकड़ों वर्षों की काहिली और मुस्ती को दूर करके देश में नया जीवन पैदा करना है तो गवर्नमेंट के सभी मोहकमों को मिलकर लगातार कोशिश करने की आवश्यकता है कि गांव वालों में उन्नति के खयालात पैदा हो जावें। परन्तु इसके साथ ही यह भी प्रसिद्ध है कि कोई गवर्नमेंट बिना पब्लिक का पूरी सहायता के किसी काम में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती।

इसलिये परिणाम यह निकला कि कोई ऐसी संस्था जिसे में होना चाहिये जिस पर जनता और सरकार दोनों का विश्वास हो और वह इस काम को अपने हाथ में ले तो सफलता हो, क्योंकि सुधार का काम न तो अकेले पब्लिक ही बिना सरकार की मदद के कर सकती है और न सरकार ही बिना पब्लिक की पूरी सहायता के कर सकती है। इस संस्था का यह मुख्य काम होना चाहिये कि उसे सुधार के सस्बन्ध में जो कुछ जानकारी (ज्ञान) जहाँ कहीं से भी प्राप्त हो सके, इकट्ठा करके गांव गांव में फैलाना चाहिये। इसके अतिरिक्त गांव की संस्थाओं में अपना सुधार स्वयं ही कर लेने के विचार पैदा करे। शुरू में परिणाम की परवाह न करके सही रास्ते पर चलकर असली उन्नति का भाव पैदा करना चाहिये।

इसलिये हमारा सातवां मिद्धान्त यह है कि हमको किसी हल्के या जिले में किसी ऐसी संस्था के द्वारा काम करना चाहिये, जिसपर पब्लिक और सरकार दोनों का विश्वास हो क्योंकि ऐसा होने से सरकार अपनी पूरी सहायता देगी और जनता भी साथ देगी ।

जिले के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऐशोसियेशन इसी ख्याल से स्थापित किये गये हैं । वरु में यदि जिले की सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित मेम्बर हों तो यह संस्था अधिक सफल हो सकती है ।

इतना सब काम होने के बाद हमको यह आवश्यक मालूम पड़ता है कि गांव में नेताओं की कमी है । गांव वालों को उनके काम में सहायता देने के लिये किसी सहायक की आवश्यकता है । गांव में कोई व्यक्ति होना चाहिये जिससे वह समय २ पर अपनी आवश्यकता के हिसाब से सलाह लेते रहें । हर काम के लिये देहात में अलग अलग प्रचारक और सलाह देने वाले पहुँचते रहते हैं इससे वह परेशान हो गया है । वहां एक ही व्यक्ति ऐसा होना चाहिये जिसके द्वारा बाहर वाले या मंदकमे वाले अपने विचार गांव वालों तक पहुँचा सकें ।

गांव वाले अपने आवश्यकताओं को खुनकर हर एक व्यक्ति

के बताने की शक्ति नहीं रखते। जिसको वह अपना समझते हैं उससे ही खुल कर कहते हैं। यह अगुवा यदि वहीं गांव का रहने वाला हो तो बहुत ही अच्छा है।

इस लिए हमारा आठवां सिद्धान्त यह है कि हमको गांव वालों को उनके सुधार के काम में सहायता देने की आवश्यकता है जो हम लोकल गांव के पथप्रदर्शक या अगुवा के द्वारा दे सकते हैं। इस काम के लिए हमको कुछ पथप्रदर्शक गांव से ही छांटने की आवश्यकता होगी। इन्हीं के द्वारा सफलता प्राप्त हो सकती है।

हमको अब जीवन सुधार तथा विकास के साधारण सिद्धान्त ज्ञात हो गए जिस पर हमारी विकास समितियां काम करती हैं। अब यह देखने की आवश्यकता है कि जीवन सुधार तथा विकास समितियां काम क्या करती हैं।

सहकारी ग्राम समितियों के उद्देश

पहले जीवन सुधार के लिये अलग समिति बनाई जाती थी परन्तु अब सभी विकास कार्य के लिये एक ग्राम समिति बनाकर जीवन सुखी बनाने के सभी काम उसी के द्वारा किये जाते हैं। इसलिए जीवन को सुखी बनाने के लिए जो कोई भी काम करना

८—आम तौर से वह सब काम करना जिससे मेम्बरों में बचत करने, दूसरों की मदद करने और अपनी मदद आप करने की आदत पैदा हो।

ऊपर लिखे गये आम उद्देश्यों का और अधिक व्योरा जानने के लिये ग्राम समिति तथा सहकारी संघ के माडेल नियमावली, जो रजिस्ट्रार साहब के यहां से बिना मूल्य मिल सकती है देखना चाहिये। विकास तथा ग्राम समितियों के उद्देश्य जान लेने के बाद हमें यह जानने की आवश्यकता है कि यह समितियां कैसे संगठित की जाती हैं ताकि उसी नियम के अनुसार गांव वाले स्वयं या आरगेनाइजर ऐसी समितियों का संगठन कर सकें।

सहकारी ग्राम समितियों का संगठन

ग्राम समितियों के संगठन के आम उद्देश्य वही हैं जो लेन देन की समिति के हैं और वह व्योरेवार पहले बताये जा चुके हैं। इस समिति का लेन देन की सभा से तीन बातों में थोड़ा अन्तर है। पहला तो यह कि इस समिति का उत्तरदायित्व परमित होता है। चूंकि सभा में रुपये पैसे के लेन देन का काम विकास कार्य के लिये ही होता है इसलिये यह जिम्मेदारी नाम मात्र ही को रहती है क्योंकि बहुत से लोग रुज नहों लेते। यह रक्खी इसलिये जाती है कि बिना जिम्मेदारी की हद निश्चय किये हुये समिति की रजिस्ट्री परमित जिम्मेदारी की सभाओं में नहीं हो

आरगेनाइजर को समिति की सब बातें समझाने के बाद जल्सा ग्राम करके चुनाव इत्यादि कराकर उस जल्से में वह काम करना चाहिये जो आगे बताया गया है। रजिस्ट्री के लिये और सब कागजात वही जावेंगे जो और सहकारी समिति में होते हैं केवल इसमें हैसियत की नकल के साथ २ प्रतिज्ञा पत्र पर भा सब मेम्बरों के हस्ताक्षर कराकर भेजना चाहिये। और क्षेत्रीय संघ के कुल रकबे का एक नक्शा भी लगा देना चाहिये प्रतिज्ञा का मसमून इस प्रकार है—

और हर मेम्बर को इस मसमून के इकरारनामे पर दस्तखत करना होगा। 'मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सहकारी ग्राम समिति का मेम्बर होने के कारण मैं उन सब विशेष क़ायदों और 'रवाजों की पाबन्दी करूंगा जिनको जल्सा ग्राम पसन्द करे। उनही पाबन्दी न करने पर मैं ऐसा रकम जुर्माना अदा करूंगा जो पंचायत निश्चित करे और जो १००) रु० से अधिक न होगी।' इसके बाद वह समिति के हकूक और जिम्मेदारियों में हिस्सा ले सकेगा।

इसके साथ दो प्रति सहकारी ग्राम समिति के बाइलाञ्च (नियमावली) की पंचायत के दस्तखत कराकर रजिस्ट्री के और कागजों के साथ भेजना चाहिये।

ग्राम समितियों के मेम्बरों की सहकारी शिक्षा

आरगेनाइजर या संगठनकर्त्ता को जब गांव में जाने का अवसर हो तो गांव वालों को इकट्ठा करके नीचे लिखी विशेष बातों स्वयं अच्छी तरह समझा देना चाहिये। यह उन बातों के अतिरिक्त है जो पहले सहकारी समिति के मेम्बरों की शिक्षा के लिए बताई गई हैं

- १—पहली बात यह बताना चाहिए कि यह समिति एक ही गांव में काम करेगी और यदि गांव के कई पुरवे या मजरे हैं और यदि वहां के लोग आसाना से मार्टिंग इत्यादि में आ प्रकते हैं तो उसमें शामिल किए जा सकते हैं।
- २—दूसरी बात यह है कि गांव में जो समिति विकास कार्य के लिए बनाई जा रही है उसका मतलब यही है कि गांव के लोग स्वयं मिलकर अपनी मदद आप करके एक दूसरे का साथ देकर गांव का और अपने जीवन का सुधार करें। इस सुधार के काम में कुछ न कुछ व्यय अवश्य हो करना होगा। जब अपने पैरों पर ही खड़ा होना है तो हमको अपने व्यय का खर्च ही प्रबन्ध करना चाहिये। इस लिए यह नियम रक्खा गया है कि ग्राम समिति के मेम्बर साल में कुछ चन्दा गांव के सुधार करने के लिये अवश्य दिया करें चाहे वह नाज के रूप में हो या नकदी हो। इस चन्दे की तादाद बहुत कम

किमी तरह नहीं पा सकता चाहे उसका ५००) रु० ही क्यों न चाहिये हो। यह ज़िम्मेदारी नाम मात्र को ही रहती है क्योंकि प्रत्येक मेम्बर और उसके ज़ामिन अपना २ हिस्सा बँटते रहते हैं।

११-सरकार ने सहकारी समितियों को कुछ रियायतें दे दी हैं वह सब इसको भी मिलती हैं। जैसे इन्कम टैक्स, फीम रजिस्ट्री, स्टाम्प फीस माफ है और मनीआर्डर कमीशन का तीन चौथाई वापस हो जाता है। यह सब रियायतें रजिस्ट्री की तारीख से मिलने लगती हैं।

१२-हर एक मेम्बर को एक इक्क़रारनामे पर दस्तखत करना होते हैं कि वह सहकारी ग्राम समिति के बनाये हुये सभी नियमों की पाबन्दी करेगा। और न मानने पर समिति को दण्ड देने का अधिकार होगा।

१३-यदि कोई मेम्बर इन कायदों की जो आम सभा में बैठकर सबकी राय से बनाये जाते हैं पाबन्दी न करे तो पञ्चायत को उस मेम्बर पर जुर्माना करने का अधिकार है। जुर्माने की तादद एक पैसे से लेकर १००) तक हो सकती है। मेम्बर यदि पञ्चायत के फैसले से सन्तुष्ट न हो तो वह आम सभा में अपील कर सकता है। यह जुर्माना कायदे के मुताबिक सातसौ डिगरी द्वारा बकाया मालगुजारी बसूल हो जाता है।

को छांटकर एक सेवादल में बनाया जाता है। अब क्षेत्राय संघ की ओर से भी सभी कामों की देख रेख होने लगी है।

१५—गांव में इस समिति के द्वारा हा सभी जावन के तथा विकास के काम किये जाते हैं। यह सब नियम बता देने के बाद आम सभा करना चाहिये।

सहकारी बहुधंधी तथा ग्राम समिति का आम जल्सा

जब सब मेम्बरान ऊपर लिखे हुये नियम अच्छी तरह समझ जावें तो उनका जल्सा करके नीचे लिखी बातें बताना चाहिये। जल्सा किसी ऐसे स्थान पर किया जावे जहां आम जनता इकट्ठा हो सके और किसी को वहां जाने में कोई संकोच न हो। सबके बैठने के लिये बिछोने इत्यादि का सचित प्रबन्ध होना चाहिये। इस आम जल्से में नीचे लिखे काम होंगे।

१—ईश बन्दना सबसे पहले होना चाहिये। इस सम्बन्ध में जो प्रार्थना पहले बताई गई है वही की जावे और बाद में रामायण गान भी हो सकता है।

२—इसके पश्चात उस दिन की सभा के लिये सभापति का चुनाव कर लिया जावे। यदि गांव के प्रतिष्ठित लोग बुलाकर सभापति बनाये जावें तो और भी अच्छा है।

- ३—इसके पश्चात् विकास कार्य के लिये ग्राम समिति संगठित करने पर और रजिस्ट्री कराने पर विचार किया जावे और बाइलाञ्च (नियम) पढ़ कर सुनाये जावें या आरगेनाइजर सबका खुलासा बताकर स्वीकृति करावे ।
- ४—जब बाइलाञ्च स्वीकार हो जावें तो शामिल होने वाले मेम्बरों का चुनाव करके एक सूची बनाई जावे और प्रतिज्ञा रजिस्टर पर दस्तखत भी करा लिये जावें ।
- ५— इसके बाद पंचायत का चुनाव किया जावे । पंचायत में वही लोग पंच चुने जावें जो ईमानदारी के साथ काम करने और पब्लिक सेवा करने के लिये अपना कुछ समय देने को तैयार हों । इनका गांव वालों पर कुछ दबाव और प्रेम भा होना चाहिये । पंचायत में कम से कम पांच व्यक्ति चुने जाना चाहिये । यदि गांव की सब आबाद जातियों में से उनके अगुआ या चौधरी इस सभा के पंच चुन लिये जावें तो और भी अच्छा है । परन्तु बहुत सी ऐसी जातियां भा गांव में होंगी जिनका गांव भर में एक ही एक घर है उनके अलग २ प्रतिनिधि लेने की आवश्यकता नहीं है । ऐसी छोटी छोटी जातियों को मिलाकर उनकी तरफ से एक व्यक्ति चुन लिया जावे । परन्तु यह याद रहे कि चुनाव सब गांव वाले ही मिलकर करेंगे । और जातीयता का भाव सहकारी

समिति में नहीं आना चाहिये। सबको मिलकर काम करना है इसलिये चुनाव भी मिलकर ही होगा।

६—पंचायत के चुने जाने के पश्चात् समिति के खज्जाची, सरपंच, सेक्रेटरी का चुनाव होना चाहिये। समिति की सफलता अधिकतर उसके सरपंच और सेक्रेटरी पर निर्भर होती है इसलिये इन दोनों को बहुत सावधानी से चुनना चाहिये। खज्जाची तो विशेषकर ईमानदार व्यक्ति होना चाहिये।

७—इसके बाद जिन २ कमेटियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है समिति के काम चलाने के लिये उन सब कमेटियों का चुनाव कर लेना चाहिये और चुने हुये लोगों को उनके काम की ज़िमेदारी बता देना चाहिये।

८—सभा के चलाने के लिये नियमानुसार कुछ नियम व क़ायदे बनाना चाहिये जो सबको मानना अनिवार्य होगा और न मानने पर पंचायत जुर्माना कर सकेगी। नमूने के कुछ क़ायदे अन्त में दिये गये हैं।

९—यह बात भी तैकी जायगी कि कौन २ सौ रस्में गांव में जागरूक रखी जावें और कौन २ सौ बदल दी जावें और शादी, ग़मी या और रस्मों में अधिक से अधिक कितना खर्च किया जावे।

१०-मेम्बरों पर वह चन्दा लगाया जाय और उसकी तादाद निश्चित कर दी जावे जो मेम्बर के खानदान या घराने में खुशी के मौके पर सोमति को दान देना होगा या और कोई ऐसे चन्दे जो वार्षिक लिये जावेंगे स्वीकृति कराना चाहिये जिसकी आवश्यकता समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये पड़ती है।

११-माहवारी कमेटी की तारीख निश्चय करना चाहिये और जो उस तारीख पर सभा में न आवें उन पर जुर्माना करने की एक हद भी तै कर देना चाहिये।

१२-गांव में सुधार के क्या २ काम आरम्भ करना हैं उसका एक प्रोग्राम बनाकर सभा में स्वीकार करा लेना आवश्यक है।

इस तरह पर जल्सा करके सब काम कर लेना चाहिये और यश्वराय को अपना काम तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिये। दरखास्त रजिस्ट्री पर भी मेम्बरों से हस्ताक्षर करा लिये जावें और इसके साथ हैसियत फार्म व प्रतिज्ञा पत्र व एक नकल कारंबाई जल्सा, व दो प्रति बाईलाज व रिपोर्ट आरगेनाइजर मुकम्मिल करके कागजात रजिस्ट्री को भेज देना चाहिये और सभा का काम बराबर जारी रखना चाहिये। क्षेत्रीय संघ जिसमें यह समिति शामिल रहेगा उनके दफ्ते का एक नक्श भी यदि

भेजा जावे तो बहुत अच्छा हो। इस पूरे रजिस्टर फायल की दो प्रतियां भेजना चाहिये।

विकास तथा बहुधंधी समितियों का काम

हम ऊपर बता चुके हैं कि विकास तथा जीवन सुधार से आंतर्य यह है कि समस्त देशवासियों को तन, मन और धन की उन्नति के ढंग बता कर इस योग्य बना दिया जावे कि वह अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकें। इसलिये अब हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ऊपर बताये हुये सिद्धान्तों का प्रयोग करके हम क्या २ काम करें जिससे जीवन सुखी बन जाय। संसार में मनुष्य के लिये सुख जब ही है जब जीवन की सभी आवश्यक वस्तुयें सुविधा से मिल जाये और यह उसी समय हो सकता है जब उनके प्राप्त करने के लिये उचित धन प्राप्त हो। इसलिये सभी उन्नति कार्यों के लिये धन की आवश्यकता है और धन की उन्नति से जीवन सुखी बन सकता है। हम नीचे कुछ साधन धन के उन्नति के बताते हैं जिससे देश वासी लाभ उठा सकते हैं।

१-धन की उन्नति

धन की उन्नति प्रायः दो प्रकार से हो सकती है। एक तो आमदनी बढ़ाने से दूसरे खर्च घटाने से भी आमदनी बढ़ती है।

इसलिये पहले हम आमदनी बढ़ाने के साधनों पर विचार करेंगे। इस विचार से पहले हमें यह जानना चाहिये कि आय होती कैसे है। किसी व्यक्ति की आय या तो (अ) खेती से, या (ब) व्यापार से, या (स) द्योग धंधों से हो सकती है अब हम इन्हीं तीनों साधनों की उन्नति पर विचार करेंगे। पहले हम खेती की उन्नति पर विचार करते हैं:—

(अ) खेती की उन्नति

यह सभी जानते हैं कि अच्छी खेती के लिये भूमि के अतिरिक्त अच्छे बीज, अच्छी और पर्याप्त खाद, काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अच्छे बैल और औज़ार भी चाहिये। अब हम इन सब बातों पर एक २ करके विचार करेंगे। इतना ही कह देना उचित होगा कि भूमि उपजाऊ होना चाहिये। भूमि के सम्बन्ध में यदि खेत इधर उबर बिखरे हुये हैं तो सब को चकबन्दी करा लेना चाहिये जिसका व्यय आगे दिया जाता है अब हम पहले अच्छे बीज पाने के साधन बताते हैं।

(क) अच्छा बीज

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीज अच्छा और शक्तिवान होने से उपज में सवाये का अन्तर पड़ जाता है। सबही खेतों में एकसी उपज नहीं होती और न एक स

खाद इत्यादि लें ले और उसके बोने का ढंग भी उनसे सीख लें । हम यह कह सकते हैं कि गन्ने की प्रतियोगिता कान्फ्रेंसों जो अब तक हुई हैं उनमें यह देखा गया है कि गन्ने की उपज लगभग २००० मन प्रति एकड़ तक पहुँच गई है । उन काश्तकारों ने जिन्होंने महकमे की सलाह से खेती की और कहने के अनुसार खाद पानी का प्रबन्ध किया उन्होंने उपज बढ़ाई और पुरस्कार पाये । गन्ने में उपज के हिसाब से को० ४२१, ४५३, ३५६, ३१३, ५२७ अच्छी उखें हैं ।

गेहूं, धान इत्यादि—हम यह जानते हैं कि कोई किसान ऐसा नहीं है जो अच्छा बीज न चाहता हो परन्तु उसके लिये कोशिश कोई नहीं करता । अब नई विकास योजना के अनुसार रबी तथा खरीफ़ दोनों के लिये सरकार ने प्रत्येक विकास संघ के साथ साथ एक एक सहकारी बीज गोदाम भी लगा दिया है । इसलिये किसानों को चाहिये कि अपनी २ आवश्यकतायें समय से पहिले पंचायत से स्वीकृत कराकर बीज गोदाम के सुपरवाइजर के पास भेज दें वह उतने बीज का प्रबन्ध गोदाम से करेगा । यदि वहां बीज न होगा या कम होगा तो सहकारी समिति को वह सूचित कर देगा ताकि पंचायत अपना दूसरा प्रबन्ध कर सके । विकास संघ का यह कर्तव्य है कि वह अपनी अन्तरगत समितियों के लिये तथा उनके मेम्बरों के लिये हर प्रकार का शुद्ध

और साफ़ बीज गोदाम में रखे और ठीक समय पर बांटे। यदि मेम्बर स्वयं इसमें दिलचस्पी लेंगे और अच्छे से अच्छा बीज पैदा करके वह अपने संघ के गोदाम को देंगे तो समय पर उनको कभी कमी न होगी और उनके आवश्यकतानुसार बीज मिलता जायगा।

गेहूँ—गेहूँ के बीज के लिये सरकार ने हर विकास संघ में एक बीज गोदाम खोल दिया है। संघ की समितियों के द्वारा बीज किसानों को सवाई पर दिया जाता है बीज की नस्ल अच्छी रखने के लिये जब नाज खेतों में होता है तो सुपरवाइजर स्वयं खेतों पर जाकर खेत देखता है और यदि उसमें कोई बाल जी या दूसरे किस्म के गेहूँ की होती है तो उसे निकलवा देता है ताकि अन्त में कोई मिलावट न रहे और शुद्ध गेहूँ ही आवे इसी प्रकार चना, मूंगफली इत्यादि और फसलों का भी होता है। एक एक बीज गोदाम पर कम से कम १२०० मन गल्ला रखने का प्रवन्ध है।

गोदामों में बीज को सुरक्षित रखने के लिये वर्षा आरम्भ होने से पहिले गोदाम को साफ़ कराकर उसमें गैमकसीन छिड़का कर गोदाम को बीज रखने योग्य बना लिया जाता है। नीम की पत्ती जलाकर भी कमरों को साफ़ कर लेते हैं इसमें चारों ओर २ फुट से ३ फुट तक भूसा डालकर बोरे जिनमें बीज छान कर ब तोलकर भरा गया है रख दिये जाते हैं और यह दीवारों से दो

दो फुट दूटे रहते हैं। इसमें भूसा भर दिया जाता है ताकि बाहर की ठंडी हवा उसमें न लगने पावे जब सब भूसा से ढक जाता है तो कमरा का दरवाजा ब खिड़की बन्द कर दी जाती है और सील (मोहर) लगा दी जाती है। क्वाडों को या दरवाजों में गोबर या मिट्टी मिलाकर लेस कर देते हैं ताकि हवा न घुस सके। यह बीज बरमात के बाद अक्टूबर के महीने में निकाला जाता है और जांच कर बाने के लिये बांट दिया जाता है।

गोहू में प्रायः पूषा की किस्में जैसे आई० पी० न० ४ तथा कानपुर न० १३ और पंजाब ५६१ इत्यादि अच्छे किस्म के बीज हैं जिन्हें बोना चाहिये। धान में टाइप ६, २१, २७, १ अच्छे होते हैं इन्हीं को बोना चाहिये इसी तरह मूंगफली इत्यादि का बीज भी इसी गोदाम से मिल सकता है। गरज यह है कि बीज गोदाम स्वयं किसानों का है इस लिये उनकी आवश्यकतायें तो अवश्य ही पूरी की जायेंगी। हर तहसील में एक एक बेसिक बीज गोदाम खोला गया है वहां सरकारी ढंग पर खेती करके विशेष किस्म का बीज उपजाया जायगा और वही सरकारी बीज गोदामों को वितरण के लिये दिया जायगा ताकि यह नमूने का बीज सब जगह पहुँचे और बीज गोदाम स्वयं उसको अच्छे कश्तकारों द्वारा पैदा कराकर अपने गोदामों को बढ़ा लें। इस लिये यदि हम अपने देश को दूसरी जगह के अन्न के लिये मोहताज नहीं बनाना चाहते तो सब किसानों को नई योजनाओं

से लाभ उठाना चाहिये और सहकारी समितियों में शामिल होकर अच्छा बीज लेकर उपज बढ़ाना चाहिये और अपने बीज गे दाम को भी अच्छा बीज उपजा कर देना चाहिये ।

हमारे यहां के विकास संघ जो रबी तथा खरीफ़ के बीज का प्रवन्ध करते हैं आलू तथा कपास का भी बीज दे सकते हैं । आलू की फसलें भी किसान के लिये बड़ी लाभदायक होनी हैं और इसको हर किसान को फसलों के लिये हेर फेर से बोना चाहिये । पटना, दारजिलिंग तथा सहारनपुर इत्यादि से आलू का बीज मंगाकर सहकारी संघ अपने मेम्बरों को देते हैं । देहातों में तरकारी इत्यादि बहुत कम बोई जाती है । आमदनी बढ़ाने के लिये आलू के अतिरिक्त भिन्डी, कद्दू या कुम्हड़ा, लौकी, प्याज टिमाटर, गोभी, बन्दगोभी, मूली, शलजम, गाजर इत्यादि अवश्य बनना चाहिये । इन सब चीजों से पैसा भी मिलता है और देहात में यह चीजें जब खाई जाने लगेंगी तो तन्दुरुस्ती भी अच्छी होजायगी । इन सब चीजों के बीज का प्रवन्ध सहकारी विकास संघ करता है और कर सकता है ।

(ख) अच्छी पर्याप्त खाद

उपज बढ़ाने के लिये अच्छे बीज के बाद फिर अच्छी खाद का नम्बर आता है । बहुत से किसान कूड़ा करकट तथा चून्हे की राख इकट्ठा करते रहते हैं और उसी को खेतों में डालकर यह

आवश्यकता यह है कि आरगेनाइजर (संगठन कर्ता) इस योग्य होना चाहिये कि वह इस कठिन काम को भली प्रकार कर सकें। दूसरे गांव जहाँ सभा का संगठन किया जाता है, देख भाल कर चुना जाये। तीसरे हृदय में सभा को सफल बनाने की लगन हो, केवल नियम की पाबन्दी करके कागजात भर देने से सफलता नहीं मिलती। जैसे सभा बनाने के लिये आरगेनाइजर को गांव में कम से कम तीन बार जाना चाहिये और मेम्बरान को नियम समझा कर पास कराना व पंचायत का चुनाव व साधारण जलसों का आम कार्य सम्पादन करना चाहिये। अब यदि वह तीन बार जाता तो अवश्य है किन्तु कोई मेम्बर उसकी बात नहीं समझता या सोसाइटी के नियम अच्छी तरह लोगों के मन में नहीं बैठते तो यह समिति सफल नहीं हो सकती। वास्तव में आरगेनाइजर को चाहे १० बार जाना पड़े, जब तक उसके विचार से मेम्बरान अच्छी तरह सब नियम और काम करने के ढंगों को न समझ जावें उसको रजिस्ट्री के कागजात बनाकर न देना चाहिये। यदि वह समझता है कि मेम्बरान सब नियम जिनको बाइलाज कहते हैं, समझ गये हैं तो पंचायत का चुनाव कराकर कागजात बनाकर जिले के सहकारी विभाग के इंस्पेक्टर के पास भेजदे इंस्पेक्टर इसकी जांच मौके पर जाकर करेंगे और यदि वह समझेंगे कि सहकारी शिक्षा मेम्बरान की ठीक हुई है और लोग समिति के कान को भली प्रकार

बैलों का पेशाब इधर उधर होने से इकट्ठा नहीं होता इसलिये ब्रेकार चला जाता है। अब हम गांव के कम्पोस्ट बनाने के साधन बताते हैं। महात्मा गांधी ने बताया था कि घूरे से सोना कैसे किसान को मिल सकता है और वह विधि वही है जो नीचे लिखी जाती है। किसान के पास घूरे से सोना पैदा करने के सभी साधन मौजूद हैं और बिना कुछ खर्च किये ही वह इन सब वस्तुओं को अच्छी तरह इकट्ठा कर सकता है। वह चीजें यह हैं—

१—खरपतवार जैसे चकोड़, कांस, गन्ने की पताई, अरुसा, जलकुम्भी, पुराने छप्पर की घास, खेत निकाई की घास इत्यादि।

२—घरों के प्रतिदिन का म्हाड़न, कूड़ा करकट, राख, जूठन, छिलके इत्यादि।

३—तालाबों या कुओं की काली मिट्टी।

४—पशुओं का गोबर और मूत्र।

५—नांद का बचा हुआ भूसा और मवेशी खाने की बैलों के नीचे की मिट्टी व बिछाली।

६—परनालों या घर की नालियों का पानी।

कम्पोस्ट बनाने का ढंग

अब हम आपको कम्पोस्ट बनाने का ढंग बताते हैं। कम्पोस्ट जाड़े और गर्मी में तो गढ़ों में ही बनाना चाहिये परन्तु बरसात में जब गढ़ों में पानी भर जाता है तब किसी ऊँचे स्थान पर खुले में ही चबूतरे के ढंग पर बनाना उचित होगा। यह कम्पोस्ट के गढ़े या स्थान मवेशी बांधने की जगह के पास हों तो अच्छा है ताकि प्रतिदिन कूड़ा करकट, गोबर, मूत्र इत्यादि वहाँ ले जाने में कठिनाई न हो। हर किसान के पास मवेशी के शिंसाब से दो से लेकर चार तक गढ़े होने चाहिये।

गढ़े की नाप—इसकी नाप ऐसी होनी चाहिये कि वह गेज के कूड़ा करकट, गोबर, मूत्र इत्यादि से तीन महीने में भर जावे। गढ़े की लम्बाई ८ फुट, चौड़ाई ६ फुट, और गहराई एक ओर ३ फुट और दूसरी ओर ३½ फुट होना चाहिये। गढ़े के ऊपर मुँह पर चारों ओर मेंड बांध देना चाहिये ताकि बाहर का पानी न जा सके।

गढ़े भरना—जैसे ऊपर कहा गया है कि एक गढ़ा ३ महीने में भरना चाहिये इसलिये यदि गढ़ा ८ फुट लम्बा है तो लगभग ३ फुट एक महीने में भरा जावे। भराई गढ़े की कम गहराई वाली ओर से शुरू करना चाहिये और एक महीने में एक तिहाई गढ़ा नीचे से ज़मीन के ३ इञ्च ऊपर तक भर देना चाहिये।

इसमें सबसे नीचे तह में सूखी पत्तियां, खर फूव. पताई इत्यादि की ६ इंच मोटी तह लगाना चाहिये। इसके ऊपर मवेशी खाने की मिट्टी और गोबर और गौमूत्र मिलाकर २ इंच मोटी एक तह लगा देना चाहिये। यदि मूत्र न मिले तो गोबर इत्यादि बिछाकर पानी छिड़क देना चाहिये। इस दो इंच वाली तह के ऊपर घास व कचरा इत्यादि जो हो उसकी ३ की इंच तह लगा देना चाहिये। इसी तरह रोज एक तह खर पतवार पत्ती इत्यादि की और एक गोबर मिट्टी मूत्र इत्यादि की लगाता रहे जब तक कि गढ़ा भर कर जमीन से ६-७ इंच और ऊंचा न हो जावे। जब इस तरह एक हिस्सा गढ़े का भर जावे तो ऊपर बराबर करके कब्र की तरह गोलाई बनाकर गोबर मिट्टी से लीप देना चाहिये। इसी तरह गढ़े के बाक़ी २ हिस्से भी भर देना चाहिये। यह खाद गढ़ा भरने के ३ महीने बाद उसी तरह निकालना चाहिये जैसे भरी गई थीं यानी पहले भरा टुकड़ा पहले और बाद के भरे बाद को निकालने चाहिये। यह तो रहा प्रतिदिन कम्पोस्ट बनाने का हाल परन्तु कुछ ऐसे भी समय होते हैं जब खर पतवार पत्ती इत्यादि एक दम बहुत मिलती है और गढ़ा एक दम भरा जा सकता है ऐसे समय को हाथ से न जाने देना चाहिये और ऊपर बताये ढंग पर सब चीजों की तह लगाकर भर देना चाहिये।

बरसाती कम्पोस्ट—कोई ऊंचा सा स्थान चुनकर एक चबू-

कम्पोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा ७ से लेकर १५ तथा १ प्रतिशत तक होती है। कम्पोस्ट का काम हरी खाद से भी निकल सकता है परन्तु यह उसी जगह सफलता पूर्वक दी जा सकती है जहां पानी की कमी न हो। हरी खाद से तात्पर्य यह है कि सनई या ठेचा या और इसी तरह के पौदों को ज़मीन में हरे ही जोत देना और पानी देकर सड़ा देना और सड़ने के बाद फिर जुताई करके खेत में मिला देना। साधारण तौर से जिन खेतों में हरी खाद देना होती है उनमें जुलाई के आरम्भ में पानी का पहला छींटा पड़ते ही एक जुलाई करके सनई बांटा जाती है। जब वह सनई बढ़कर छाती के बराबर हो जाती है और उसमें फूल आने का समय होता है उसी समय किसी मिट्टी पलटने वाले बड़े हल (जैसे विकट्रो हल) से जोत देते हैं। जोतने से पहले पटेला देकर सनई के पेड़ों को गिरा दिया जाता है और गिरने के बाद हल चलाने से वह मिट्टी के अन्दर दब जाते हैं। यदि पानी बरस रहा होता है तो अच्छी तरह वह सनई सड़ जाती है परन्तु जब पानी नहीं बरसता तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पानी देकर सड़ा देना चाहिये। सनई के पेड़ की जड़ में नाइट्रोजन अधिक तादाद में रहती है इसकी पहचान यह है कि जड़ देखने से यह पता चलता है कि इसमें सफेद २ छोटे २ दाने से होते हैं यही नाइट्रोजन के हैं। सड़ने से यह सब नाइट्रोजन और हरी पत्तियां (बनस्पति) ज़मीन

में मिल जातो है और उसको अधिक उपजाऊ बना देती है। हरी खाद देने के बाद गोहूँ या गन्ना बहुत अच्छा पैदा होता है।

२—खली की खाद

गोबर तथा कम्पोस्ट के अतिरिक्त कई प्रकार की खली भी खाद के काम में लाई जाती है और वह भी भूमि में वनस्पति पदार्थ पहुँचाती है। बहुत से किसान केमिकल खाद (सलफेट इत्यादि) देना बहुत पसन्द करते हैं क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं पड़ती परन्तु बिना किसी ऐसी खाद के जो भूमि को वनस्पति पदार्थ दे केमिकल खाद भी काम नहीं देती। नीचे लिखी खली खाद के काम में आती है।

१—रेडी की खली जिसमें ३ से लेकर ५ तक प्रतिशत नाइट्रोजन होती है

२—महुआ की खली ” १.५ से लेकर २.५ ”

३—मूंगफली की खली ५ से लेकर ६.५ ”

४—नीम की खली ३ ” ७, प्रतिशत ”

इन सबमें नं० ३ व ४ में अधिक नाइट्रोजन भी होती है और अधिक लाभदायक भी। नीम की खली दोमक वाले खेतों में अवश्य देना चाहिये। इसकी मात्रा फसल के अनुसार होती है। यह एक एकड़ में ४ मन से लेकर १० मन तक छोड़ी जाती है। १० मन प्रति एकड़ गर्ने में ही पड़ती है।

रूप में मिल जाती है। इस योजना के चलाने के लिये एक Masonary well Engineer अलग नियुक्त कर दिये हैं।
 कुयें सहकारी समितियों द्वारा बड़ी सरलता से बनवाये जा सकते हैं जिसमें मेम्बरों को केवल इतना ही करना है कि कुआ बनवाने की जगह निश्चय कर दें और यह अपनी सोसाइटी में प्रार्थना-पत्र देकर बांड भर दें कि वह लोग मिल कर खेती का कुआ बनवाना चाहते हैं और अपने उन रकबे के हिसाब से जो कुयें के पास है जहा सिंचाई हो सकती है खर्च देने को तैयार है और बांड लिख रहे हैं जो हिस्सा रसदी खर्च हो किस्तों में ले लिया जावे। पंचायत मंजूर करने के बाद बैंक से रुपया मंगा कर कुआ बनवा लेगी और (५००) सहायता के सरकार से कलक्टर महोदय द्वारा मंजूर करावेगी बाकी दरखास्त देने वाले मेम्बरों से किस्तों में वसूल कर लेगी। इससे सरल योजना बिना पैसा दिये पानी मिलने की और कोई नहीं हो सकती। अपने २ जिल्ले के सहकारी अफसरों को प्रार्थना-पत्र भेजकर शीघ्र ही प्रबन्ध कराना चाहिये।

२—इसी प्रकार पुराने कुओं की मरम्मत कराकर उसमें बोरिंग कराई जा सकती है और यह काम भी मिल कर गांव की सहकारी समिति द्वारा या क्षेत्रीय यूनियन द्वारा कराया जा सकता है।

(चैफ कटर) भी किसानों के लिये बड़ी हितकर सिद्ध हुई है। यह तीन प्रकार की होती है (१) सादा (२) ब्रास बुश बेअरिंग (३) बाल बेअरिंग। न० १ जरा कड़ी चलती है पर सस्ती होती है न० २ आसानी से चलती है और उतने ही समय में अधिक चारा काटती है और थकावट नहीं होती यह पहली से कुछ मंहगी होती है पर अधिक नहीं मध्य दामों में अच्छी है न० ३ बहुत हल्की चलती है और अधिक दिन तक काम देती है पर दाम इसके सबसे अधिक होते हैं।

७—रस निकालने के लिये तीन बेजन के कोल्हू। कुमार या सुलतान या नाहन नाम के कोल्हू बहुत अच्छे होते हैं और साथ ही गुड़ बनाने के लिये भारी पैदी के कढ़ाव व रस छानने के लिये बड़े गहरे छलने इत्यादि काश्तकारों को प्रयोग करने चाहिये जिससे अधिक रस निकले और रस की सफाई अच्छी होकर अच्छा साफ गुड़ बने। इन यन्त्रों के प्रयोग से इतनी आमदनी बढ़ जाती है कि यन्त्र के दाम एक साल में ही निकल आते हैं क्योंकि माभूली कोल्हू में और उन्नतिशील कोल्हू में २० प्रतिशत का अन्तर हो जाता है। रस पकाने के लिये चिमनीदार भट्टी जिसमें लोहे की सलाखें डालकर भट्टी बनाई जाती है प्रयोग करना चाहिये। इसमें ईंधन बहुत कम लगता है और गुड़ अच्छा और

खेती का ढंग ही न सुधारा गया और प्रबन्ध पुराना ही रहा । नये ढंग से खेती करने के लिये नीचे लिखी बातों का प्रयोग करना चाहिये—

- १—मेस्टन गुरजर हल से जुताई खेत के बीच से आरम्भ कराकर चारों तरफ करना चाहिये । किनारे से शुरू करके बीच में खत्म करके ठीक नहीं होता ।
- २— फसलों की बुवाई सीधी लाइनों में होना चाहिये ताकि गुड़ाई इत्यादि कल्टीवेटर से या अकेला हो से की जा सके इसमें समय की और खर्च की बचत होती है । यह फसलों लाइन में बाई जा सकती हैं ।

(१) अरहर और मूंगफली

(२) अरहर और मक्का

(३) गन्ना

(४) कपास

(५) मूंगफली और आलू

- ३—गन्ने को नाली बनाकर चोना चाहिये । रिजमेकर से नाली बनवा दी जावे और मेंड पर मटर या चना बो दिया जावे और नाली के अन्दर खाद इत्यादि डलकर गुड़ाई होती रहे और समय आने पर गन्ना बो दिया जावे इससे दो फसलें

अब हम खेती की उन्नति के सभी साधनों पर विचार कर चुके परन्तु इस बढ़ी हुई उपज से कोई लाभ नहीं हो सकता यदि वह बाजार में अच्छे दाम नहीं पा सकते। इस लिये आमदनी बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि खेती अच्छी करके जो उपज बढ़ाई जावे उसके बिकने का भी ऐसा प्रबन्ध किया जावे कि उसका अधिक से अधिक मूल्य काश्तकार को मिल सके इसलिये जीवन को सुखी बनाने का दूसरा साधन अच्छा व्यापार है। अब हम कुछ विचार उस पर करेंगे।

(ब) अच्छा व्यापार

यह हम भली भांति जानते हैं कि किसान ने जो कठिन परिश्रम अपनी उपज बढ़ाने में किया उसका पूरा लाभ जब ही होगा जब उसके पूरे २ दाम बाजार में मिलेंगे और पूरे दाम जभी मिल सकते हैं जब बीच के सैकड़ों दलाल और व्यापारी जो सामान पैदा करने वाले और उपभोग करने वाले के बीच में हैं तुरन्त दूर कर दिये जायें। इसका तात्पर्य यह है कि उन्नति का पूरा लाभ तो जभी होगा जब सहकारी ढंग से क्रय-विक्रय का प्रबन्ध हो और यही हमारी ग्राम समितियां जो विकास कार्य करा रही हैं क्रय-विक्रय भी स्वयं करने लगे।

सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का संगठन आगे चलकर

८—प्रबन्ध बहुत अच्छा हो ।

९—मारकेटिंग में लगाने के लिये पर्याप्त धन हो ।

१०—औसत काम किया जावे ताकि औसत ही व्यापार का खतरा रहे क्योंकि बिना कारण भारी खतरा ओढ़ लेने से बड़ी हानि भां हो सकती है ।

११—स्टाफ की ईमानदारी सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है ।

इन्ही सिद्धान्तों पर किसान की या किसी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार मिलकर माल खरीदा भां जा सकता है । छोटे २ व्यापारियों को मिलाकर भां सहकारी ढंग पर काम हो सकता है । परिणाम यह कि सुलभ व्यापार जो सहकारी ढंग पर हो हर व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकता है । जैसे अच्छी खेती से आय बढ़ी उसी प्रकार अच्छे व्यापार से उत्पादक वस्तु के अधिक दाम मिलें जिससे व्यक्ति को अधिक धन मिले अर्थात् उसका जीवन अधिक सुखमय व्यतीत हो । तात्पर्य यह कि अच्छे व्यापार से भी जीवन सुखी हो सकता है । अब हम यह देखेंगे कि उद्योग धंधों से कैसे सुखी जीवन होता है ।

(स) अच्छे उद्योग धंधे

हमारे गांव में अधिकांश लोग खेती ही करते हैं जिसका

विस्तार ऊपर बनाया गया और उसका अच्छा या बुरा प्रभाव जो पड़ता है वह भी ध्यान किया गया है। पर यह बात सभी मानेंगे कि कृषि उत्पादन के साथ २ यदि कुछ घरेलू उद्योग धंधे भी चलें तो व्यक्ति की आय भी बढ़ेगी और शिक्षा भी बढ़ेगी जिससे अन्त में जीवन सुखी होगा। आय बढ़ाने के लिये नीचे लिखे घरेलू उद्योग धंधे प्रचार करके स्थापित कराये जा सकते हैं जिससे खाजा समय में काश्तकार काम करके कुछ और धन पैदा कर सकता है क्योंकि कच्चा माल वह स्वयं खेतों से पैदा करता है:—

१—चर्खा चलाना, सूत कातना, कपड़ा बुनना।

२—ऊन कातना और कम्बज इत्यादि बनाना।

३—कपास ओटना, रुई निकालना और धुनाई करना।

४—घन कातना, सुतली बांध बनाना।

५—लकड़ी चीरना, लकड़ी का सामान ट्रे, कुर्ची इत्यादि बनाना या खिलौने बनाना।

६—निवाड़ व दरो इत्यादि बनाना।

७—बांस, ताड़ या बेत के पखे, डलिया, बक्स इत्यादि सामान बनाना व बेचना।

८—पीतल तथा फूल के बर्तन बनाना इससे अधिक जानकारी उद्योग

इंस्पेक्टर (Industrie Inspector) से कर सकते हैं ।

६—खोश और घी बनाना ।

१०—मुर्गी पालना व अण्डे बेचना ।

११—मछली पालना और बेचना और उसी ताल से सिंहाड़े भी पैदा करना इस सम्बन्ध में जिले के मछलीइंस्पेक्टर से बात करें ।

१२—लकड़ी के कोल्हू लगाकर सरसों इत्यादि का तेल निकालना इसके लिये बारधा घानी लगाना चाहिये इस घौनी में १ मन सरसों में १४ सेर तेल निकलता है इसमें अधिक लाभ है ।

१३—मवेशी पालना व बछड़े पालना व बेचना । उनकी नस्ल में उन्नति करना ।

१४—दूध का रोजगार करना इस में को-ओपरेटिव के डेरी अफसर से अधिक जानकारी करै ।

१५—फल पैदा करना सुरक्षित रखना और बेचना इसलिये जिले के हार्टिकलचर इंस्पेक्टर से अधिक मालूमत करें ।

१६—गन्ना पर कर अच्छा साफ गुड़ राब या खण्डसारी बनाना यह उन लोगों के लिये है जो गन्ना मिल तक नहीं पहुँचा सकते और गन्ने को खेती करते हैं । यदि उनके गुड़ बनाने का उचित प्रबन्ध चाहें तो समिति स्वयं कर सकती है और

जबाब निकाल कर काम में लाते हैं। इसकी सफाई बारीक कायले को जो धान की भूसी जला कर बनाये जाते हैं और जिसे (Activated carbon) भी कहते हैं छेनों वाली बाल्टी में रखने से और रस उसमें डाल कर छानने से सफाई हो जाती है। इस तरीके से साफ करने से बिल्कुल सफेद गुड़ बनता है। इन सब बातों में कुछ अधिक खर्च नहीं होता परन्तु चीज अच्छी बन जाती है और दाम भी अच्छे मिलते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी यू० पी० के डायरेक्टर उद्योग विभाग कानपुर से जिनकी देख रेख में गुड़ का एक नया मुहकमा स्थापित हुआ है हो सकता है। प्राणाय गुड़ डेवलपमेंट अफसर कानपुर से पूरी जानकारी हो सकती है और जिज्ञे में गुड़ इंस्पेक्टर भी रहते हैं जो अधिक बातें बता सकते हैं।

यह सब काम सहकारी ग्राम समिति तथा बहुधंधा समिति द्वारा हो सकते हैं और क्षेत्रीय संघ द्वारा सब उत्पादक वस्तुओं की बिक्री हो कर अधिक धन मिल सकता है अब तक हमने देखा कि किसी व्यक्ति की आमदनी उत्पादन बढ़ाने से या उसको उचित बाजार में उचित मूल्य पर बेचने से ही बढ़ती है। परन्तु कहीं ऐसा भी होता है कि अनावश्यक खर्च कम कर देने से भी आमदनी बढ़ जाती है इसका उगोरा हम नीचे देते हैं।

खर्च घटाना

गांव वालों की आमदनी बढ़ाने का एक साधन यह भी है

कि उनका खर्च घटाने का प्रयत्न किया जाय। यदि उाज न भी बढ़े तो भ व्यर्थ खर्च कम कर देने से भी आमदनी बढ़ जाती है। इस सम्बन्ध में नीचे लिखे काम करना चाहिये।

१—पंचायत में ही गांव के मामले मुक्तदमे तै करके अदालत का खर्च बिल्कुल बन्द कर दिया जावे।

२—लोगों को इस बात पर तैयार किया जावे कि वह शर्दों में जेवर व कपड़ा इत्यादि में अधिक खर्च न करें। दूसरी रस्में के भी खर्च रोकें।

३—जुबा, भांग, इत्यादि सब बुरी आदतों को छुड़ा कर खर्च कम कराया जाय।

४—बारातों व दूसरे खुशी के अवसरों पर बड़ी २ दावतें न की जावें।

५—रिश्वत, नजराना या और दूसरे ना जायज खर्च जिसमें बड़ा २ रकमे चली जाती हैं बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये।

६—लोगों को इस बात पर तैयार किया जावे कि अपनी आमदनी का थोड़ा सा हिस्सा बचा कर आवश्यक समय के लिये वह जरूर रखें।

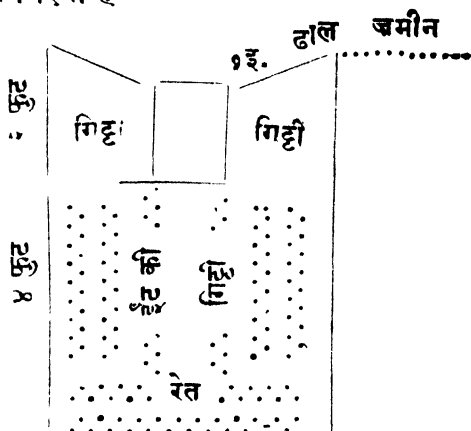
ऊपर बताई हुई सब बातें प्रयोग में आने से गांव वालों की

(ब) गांव की सफाई—(१) खाद के गड्ढे बनवाए जायें—

गांव के अंदर कूड़ा नहीं पड़ना चाहिये इससे गांव की हवा दूषित होती है। हर कारतकार को ८ फुट लम्बा, ६ फुट चौड़ा और ३ से ३½ फुट गहरा गड्ढा खोद कर घर का झाड़न कूड़ा गोबर इत्यादि उसमें रखना चाहिये। जिनके पास मवेशी काफ़ी नहीं है वह ६ फुट लम्बा ४ फुट चौड़ा और २ फुट गहरा गढ़ा ही बना लें।

२—सोखन गड्ढे—इन गड्ढों के प्रयोग से घरों में कीचड़ नहीं होने पाता और न गलियों में पानी बहता है। ऐसे गड्ढे मोहरों के पास ढाई फुट लम्बे और ढाई फुट चौड़े खोदे जाते हैं और गहराई इतनी होती है कि जमीन से रेत निकल आवे और जहां पर रेत बहुत अधिक गहराई में निकलता हो वहां इतना खोदना चाहिये कि पोली बलुई मिट्टी की तह मिल जावे। इसके फिर झावां ईंट के टुकड़ों से भर देना चाहिये। नीचे आधी २ ईंट के टुकड़े हों और ऊपर एक सेडेढ़ इअ ईंट के टुकड़े हों। कहीं २ नीचे तह में रेत भी छोड़ देते हैं। यह गड्ढा मुंह से २ फुट नीचे तक गिट्टी से भर दिया जायगा। इसके बाद एक एक मजबूत लोहे की जाली, जिसके छेद ३ इंच से बड़े न हो, की नली दो फुट लम्बी और ६ इंच चौड़ी बना ली जाये और बीच में खड़ी

रख कर चारों ओर गिट्टी से ऊपर तक भर दिया जावे और ऊपर सीमेंट से ढाल बना दिया जावे ताकि पानी जाली के मुँह के अन्दर चला जावे। इस जाली के मुँह पर एक टीन का टुकड़ा छेद करके रक्खा जा सकता है जिससे कूड़ा करकट जाली के अन्दर न जाने पावे। गड्ढे की नाप का आकार नीचे दिया है—



जो गड्ढे इतने गहरे और ऐसे नहीं बनेंगे वह पूरा काम नहीं दे सकते जल्द खराब हो जावेंगे।

—मकानात—आम तौर से गांव के मकानों में रोशनी और हवा नहीं जाती। इनमें छत के निकट एक २ बालिशत के छेद रोशनी के लिये करा देना चाहिये ताकि घर बन्द होने पर दूषित वायु बाहर निकलती रहे और जहां २ अवसर हो, २ हाथ लम्बी और १॥ हाथ चौड़ी खिड़की जिसमें बोर्डे

जाए उसको आठवें दसवें दिन साफ करा देना चाहिए ।
मवेशियों को गन्दा पानी पिलाने से रोग उत्पन्न होते हैं ।

गांव के तालाबों को भी साफ रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसी में गांव वाले नहाते भी हैं । तालाबों के किनारों को चारों ओर से ढलवा छीलकर बराबर कर देना चाहिए और किनारे २ फुल फूल लगा देना चाहिए और तालाब में एक तरफ मवेशियों के पानी पीने का और दूसरा नहाने का प्रबन्ध करना चाहिए तालाब में बर्तन इत्यादि न धोना चाहिए क्योंकि तालाब का पानी भी गन्दा होता है और बर्तनों की भी सफाई नहीं रहती ।

(द) जच्चा ब बच्चा—गांव में साधारण तौर से नार काटने का काम चमारिन या पाषिन करती हैं । पहले तो गांव वाले ही स्वयं यह नहीं समझते कि उनके बच्चों का नार सफाई से कटना चाहिए, दूसरे यह दाइयां भी सीखी हुई नहीं हैं । इसलिए बहुत से बच्चे इसी लापरवाही से सौरी में ही मर जाते हैं । हमको इन गांव की काम करने वाली दाइयों को ट्रेनिंग (शिक्षा) देना चाहिए ।

इनको नीचे लिखी बातें सिखाने की आवश्यकता है:—

१—अपने नाखून कटवाती रहें, नाखून बड़े न रहें ।

२—हाथ में छल्ला अंगूठी, या चूड़ी न रहना चाहिए ।

३—जब काम पर जावें तो अपने हाथ साबुन से और लाल दवा के पानी से धोकर काम शुरू करें ।

४—नार कैंची से काटना चाहिए और डोरे से बांधना चाहिए इन दोनों चीजों के पानी में उबाल कर तब काममें लावें ।

५—नार काटने से पहले नार को खूब अच्छी तरह दूह कर डोरे से बांध देना चाहिए । फिर तीन अंगुल और हटकर नार दूह कर दूसरा डोरा बांधना चाहिए । फिर इन दोनों डोरों के बीच से कैंची से काट देना चाहिये और सफेद पौडर (बोरिक पौडर) छिड़कना चाहिए । जहां यह न मिले वहां कण्डे की गरम राख को कपड़े में छान कर छिड़क देना चाहिए ।

६—गांव की दाइयों को यह बातें सिखा कर समिति की तरफ से एक २ छोटा सा बक्स जिसमें कैंची, डोरा, लाल दवा, साबुन, सफेद पौडर हो दे देना चाहिए । इसमें खर्च कुछ भी नहीं है । एक या दो रुपए में लाखों रुपए की जान बच जाती है । औरतों को भी यह सिखाना चाहिए कि दाइयों से इसी तरह काम लें ।

(य) गांव की बीमारियां—इस सम्बन्ध में सब से पहिले गांव वालों को हैजे, मग (ताउन), मलेरिया (जूड़ी

योग्य बनाना है। इसको पूरा करने के लिये नीचे लिखे काम करना होंगे :—

- १—सब से पहिले गांव वालों की शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा। सरकार और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से स्कूल खुले हैं परन्तु इसका पूरा लाभ गांव वाले नहीं उठाते। ६ बरस या इसके ऊपर के बच्चों (लड़के वा लड़कियों) को नजदीक वाले स्कूल में भिजवाना चाहिये और जो अधिक उम्र के हो गए और बचपन में नहीं पढ़ सके उनके लिए प्रौढ़ पाठशाला रात में काम करेगा और इस में गृहस्थी में काम आने वाली बातें ही बताई जायेंगी और इस योग्य बना दिया जायेगा कि अपनी चिट्ठी, मनीआर्डर, रसीद, पुरज्जा इत्यादि अपने आप लिख व पढ़ सके। पढ़ा हुआ आदर्मा ही जीवन क सुख उठा सकता है। हमको गांव वालों के ज्ञान की आंखें खोलना है और उनको भारत का सच्चा नागरिक बनाना है।
- २—गांव में एक दो ऐसे समाचार पत्र भी मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे उनकी जानकारी बढ़े और वह अपने काम की बातें सीख सकें और जान ले कि उन के देश की सरकार जिसको उन्होंने स्वयं चुना है उन के लिए क्या कर रही है
- ३—औरतों में भी सभा कायम करके उनकी कुछ जानकारी बढ़ाना और बचत सिखाना चाहिये।

थी वह उसे मिल जावे। केवल ध्यान यह रहेगा कि जितनी प्रकार की भी भूमि उसे मिले वह एक दूसरे के पास हो और जहां तक हो एक प्रकार की भूमि का एक हो चक हो।

३—चकबन्दी केवल उन्हीं जमीनों की की जावेगी जिसमें काश्तकार को कोई स्थाई हक प्राप्त है।

४—भूमि बदलने से काश्तकार के हक में अन्तर नहीं आता, जो हक उसके पहले थे वही उसके अब भी बने रहेंगे। जैसे एक काश्तकार जिसको मौरूसी हक प्राप्त है अपनी ४ बीघा भूमि दूसरे से बदलता है जिसको शरह मौअइअन का हक प्राप्त है, तो अब नई भूमि में इसके हक दखीलकारी के और उसके हक शरह मौअइअन के वैसे ही हो जायेंगे जैसे पहले थे इसी तरह यदि कोई नम्बर खेत खुदकाश्त का सीर के नम्बर से बदला जाता है तो जिसके पास वह जाता है उसी के हक के अनुसार भूमि में हक पैदा हो जाते हैं। यदि सीर का नम्बर ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसको खुदकाश्त का हक है तो उस भूमि में उसे खुदकाश्त का हक पैदा हो जायगा और दूसरे को खुदकाश्त वाली भूमि मिलने पर उसमें सीर का हक मिलेगा। मतलब यह कि जो हक बदलने वालों के होंगे वह वैसे ही रहेंगे और जो कोई भी जमीन उनके पास आवेगी उसी में वह हक उनके मिल

से पूरी कर दी जायगी।

६—गरज यह है कि जितने तबादले होंगे वह किसानों या काश्तकारों की मंजूरी से उनके अधिक से अधिक लाभ के लिये किये जावेंगे।

१०—जोतने के क़ाबिल दूसरी भूमि जो अभी बेकार पड़ी है वह भी मालिकों की राय से खेती की उन्नति के लिये काश्तकारों की भूमि के साथ मिला दी जायगी और उसी हिसाब से लगान में भी उचित अन्तर कर दिया जावेगा।

इन नियमों के अनुसार जो तबादले होंगे और चकबन्दी समिति के आम जल्से में मंजूर हो जावेंगे उन पर कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया जावेगा। यानी काश्तकार अपने २ नये चकों पर कब्जा कर लेंगे और अपना २ काम शुरू कर देंगे। इस तरह से वह कम से कम ४ साल तक काम करते रहेंगे और जो तकलीफ़ आगम होगी समिति देखती रहेगी। इस निश्चित समय के ख़तम होने के छः महीने पहिले यदि ७५ फी सैकड़ा काश्तकार जिनके पास चकबन्दी किया हुआ दो तिहाई रकबा हो यह दरख़्बास्त दें कि इससे उनको कोई लाभ नहीं है तो यह चकबन्दी तोड़ दी जावेगी और सब लोग अपने अपने पुराने खेतों पर कब्जा कर लेंगे। परन्तु यदि लोगों को एतराज न हुआ और चकबन्दी सफल होगई तो यही स्थाई हो जावेगी। मतलब

यह कि आदि से अन्त तक सहकारी चक्रवन्दी समिति में सब काम मेम्बरो की ही रजामन्दी से उनके लाभ के लिये किया जाता है इस में उनको किसी प्रकार से भी डरना न चाहिये कि उनके हकों में कोई अन्तर हो जावेगा। आमदनी बढ़ाने के लिये कार्तकारों को चक्रवन्दी अवश्य कराना चाहिये। इसी से खेती में सन्नति हो सकती है।

इससे यह पता चला कि चक्रवन्दी का सारा काम मेम्बरो की अपनी इच्छा पर ही निर्भर है। मेम्बरो को प्रभावित करने के लिए प्रचार और समझाने के सिवाय कोई दूसरा ढंग नहीं है क्योंकि इस समिति की एक शर्त यह भी है कि जो काम होगा वह सबकी सम्मति से होगा और सब की सम्मति बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है इसी लिए चक्रवन्दी समितियों की प्रगति बहुत धीमी है। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल १,७०,००० एकड़ भूमि की चक्रवन्दी हो पाई है और करीब ४१० समितियां काम कर रही हैं।

चक्रवन्दी की समितियां अधिकांश बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद जिलों में काम कर रही हैं इसके अतिरिक्त ६ और जिलों में जैसे रायबरेली इत्यादि में भी काम हो रहा है चक्रवन्दी से जो लाभ किसानों को हुआ उसे देख कर लोग सहकारी ढंग पर चक्रवन्दी कराने को तैयार हैं और यह आन्दो-

जन पश्चिमी जिलों में अधिक सकल हो रहा है। देश के अन्न उत्पादन की समस्या को हल करने के और साधनों के साथ साथ चकबन्दी की समस्या को हल करना बहुत आवश्यक है और चकबन्दी से उत्पादन शक्ति अधिक बढ़ सकती है और देश में अन्न की कमी शीघ्र ही दूर हो सकती है। अब हमें यह देखना है कि खेती सम्बन्धी और कौन कौन सी समितियां यहां काम कर रही हैं।

जैसे चेन पम्प इत्यादि ।

३—पानी की कमी की हालत में कुओं में बोरिंग कराना या नल डलवाना ।

४—कुयें, तालाब या बांध से खेतों तक पानी लेजाने के लिये सीधी नालियां बनवाना ताकि पानी खराब न हो और जल खेतों तक पहुँच जावे ।

५—सिंचाई के लिये कायदे बनाना और सिंचाई की दर प्रति बीघा निश्चित करना ।

६—सिंचाई के लिये जिस २ सामान की मेम्बरों की आवश्यकता हो या इस सम्बन्ध में जो २ मेम्बरों की आवश्यकता हो उसको मंगा कर पूरा करना ।

७—टयूबवेल के क्षेत्रों में समिति का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक मेम्बर को समय पर और उसकी फसल के हिसाब से पूरी आवश्यकता के अनुसार पानी मिल जावे । समिति जोसरा बन्दी करके बहुत अच्छा प्रबन्ध पानी दिलाने का कर सकती है और सिंचाई का रेट देने में जो कठिनाइयां काश्तकार को होती हैं वह समिति स्वयं दूर कर सकती है । यह सरकार को चचित दर से अदा कर दे और मेम्बरों से फसल पर वमूल करले । यही प्रबन्ध कराना सबसे बड़ा

कर खेदी कराना, आवपाशी के नए कुएँ बनवाना, कम्पोस्ट बनवा कर अधिक खाद भूमि में पहुँचाना या और इसी तरह के काम करना जिनसे अधिक अन्न उपजे। इन्हीं योजनाओं के साथ साथ सामूहिक खेती की भी एक योजना है जिस से अधिक अन्न उपजाने में सहायता मिलेगी। हमारे देश को १९५१ तक सन्पन्न होजाना है ताकि हमें दूसरे देशों के आगे अन्न के लिए हाथ न फेलाना पड़े और बाहर से अन्न मंगाना बन्द कर दिया जावे। जो देश अपने नागरिकों को पेट भर अन्न भी नहीं दे सकता वह कैसे स्वतंत्र रह सकता है। भूमि से अधिक से अधिक इस प्रकार चरज ली जावे कि भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम न होने पावे और अन्न भी अधिक मिले।

अब प्रश्न यह है कि सामूहिक खेती किस ढंग से की जावे कि किसानों में लगन भी बनी रहे और मंशा भी पूरी हो जावे। कोई भी ढंग हो खेती के लिए सहकारी समिति तो अवश्य ही बनाना पड़ेगी। यह सहकारी समिति दो प्रकार से काम कर सकती है। एक तो यह कि किसान अपने अपने खेतों पर अलग अलग काम करे परन्तु भिन्न भिन्न कार्यों के लिये जैसे बुवाई, सिंचाई फसलों का देख भाल, कटाई, मड़ाई और उपज की बिक्री इत्यादि सब काम समिति के द्वारा हुमा करे। इसी तरह खेती की आवश्यक सामग्री जैसे बीज, औजार, खाद पानी इत्यादि

वर्ज थोड़े ही दिनों के लिए देती है। उसमें कर्ज पैसापैदा करने वाले काम के लिए ही अधिकांश दिया जाता है। जमीन खरीदने या पुराना कर्जा अदा करने के लिए वह रुपया नहीं देती और न उसके पास इतनी पूंजी ही होती है जो अधिक समय के लिए रुपया फंसा दे। इस लिए मामूली कार्तकारों की आवश्यकता तो लेन देन की समिति से पूरी हो सकती है परन्तु बड़े कार्तकार जिनके पास रहन व बै करने लायक भूमि है या जमींदार लोग जो जमीन के मालिक हैं इनकी आवश्यकता पूरा करने के लिए भूमि रहन बैंक खोले गये हैं। गांव की सभाएं अधिक दिन को रुपया जमीन रहन करके इस लिए नहीं देती कि पहले तो वहां जाती साख पर रुपया देने का तरीका है रहन कराने से जाती साख का महत्व ही जाता रहता है। दूसरे उनके पास इतना रुपया नहीं। तीसरे वह जायदाद की क्रोमत का अन्दाजा ठीक से नहीं लगा सकती। चौथे रहन के कागजात रखने और समय पर अक्षत जाने, डिगरी कराकर जादाद नीलाम कराने का कोई साधन इनके पास नहीं। इस लिए जमीन रहन सभाएं अलग से ही खोली गई है जो विशेष कर भूमि के मालिकों को कम सूद पर रुपया दिलवाने का प्रबन्ध कर देती हैं।

भूमि रहन समिति के उद्देश्य ।

इस सभा के विशेष उद्देश नोचे लिखे हुये होते हैं:—

जिनके पास ऐसी जमीन है जो रहन या बै की जा सकती है। हर एक मेम्बर को १) फीस दाखिला देना होता है। इस समिति में तीन तरह के हिस्सेदार होते हैं। एक तो वह जो कर्जा नहीं लेते दूसरे वह जो कर्जा ले सकते हैं। तीसरे वह जो रहन की रजिस्ट्री में शामिल कर लिए जाते हैं ताकि कोई कानूनी खराबी न रहे। यह मेम्बर ए, बी, और सी दर्जे के कहलाते हैं। तीसरे दर्जे के मेम्बर का हिस्सा १० का होता है। इसमें २॥) तो हिस्से दिये जाने के समय देना होता है। बाकी २॥) रुपया करके जब जब समित्त मांगे देना होता है। तीसरे दर्जे के मेम्बर हिस्सा नहीं लेते फ्रीम दाखिला देना होता है। परन्तु यह ढाई रुपये कम से कम तीन महीने का अन्तर देकर मांगा जाता है। यह तरीका उन मेम्बरों के लिए है जो कर्ज नहीं लेते। कर्ज लेने वाले मेम्बरों को पूरा हिस्से की रकम हिस्से खरीदते समय ही अदा कर देनी होती है। यह हिस्से बेचे या मुन्तकिल कराये जा सकते हैं परन्तु प्रबन्ध करने वाली कमेटी की मंजूरी लेना पड़ती है। इस समिति की जिम्मेदारी परमिन होती है। इसमें कर्ज न लेने वाले हिस्सेदार अपने हिस्से की रकम तक के ही जिम्मेदार होते हैं परन्तु कर्ज लेने वाले अपने हिस्से की पूरी रकम के जिम्मेदार होते हैं। हर एक मेम्बर को लिखित नामावली अपने वारिस की देना होती है जिस पर दो गवाही देना होती है।

समिति की पूंजी हिस्सों, अमानतो और कर्जों से बनती है।

अमानत कम से कम ५ बरस के लिए ली जाती है। सूद को शरह जिस पर कर्जा दिया जाता है साधारण तौर से ७.१) रु० प्रति सैड़ा से ८) प्रति सैड़ा तक होती है। समिति का सभापति (एक आफिशियो) जिलाधीश यानी कलक्टर महोदय अपने पद की बजह से होते हैं। जल्मा आम में एक प्रबन्ध कारिणों कमेटी चुन दी जाती है जिस में सभापति के अतिरिक्त तीन मेम्बर नामजद किये होते हैं और ६ मेम्बर चुने हुए होते हैं। नामजद मेम्बरों में एक रजिस्ट्रार महोदय नामजद करते हैं, दूसरा कलक्टर महोदय और तीरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नामजद करते हैं। मेम्बरान तीन साल के लिए चुने जाते हैं और इनका चुनाव फिर दूसरी बार भी हो सकता है। हर मेम्बर को एक वोट देने का हक है, सभापति को एक और फ़ैसला देने वाला वोट भी देने का अधिकार है जब किसी मामले में वोट बराबर हों। सिवा परदा नशीन औरतों के और कोई दूसरा व्यक्ति अपना वोट दूसरे के द्वारा नहीं दे सकता।

काम का ढंग।

मेम्बरों की जायदाद की तहकीकात कराकर उसकी कीमत जगा ली जाती है। जब कोई मेम्बर कर्जा लेना चाहता हैतो वह पहले दरखास्त के साथ अपने कारजात जो ज़मीन का मिलाकियत साबित करें जायदाद की सूची के साथ दाखिल करता है। समिति की तरफ से इस जायदाद की मिलाकियत की ओर

३—जब मेम्बर अपने पिछले कर्ज का मही पता नहीं बताता और समिति की बिना आज्ञा बाहर से और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है ।

४—जब कमेटी के मांगने पर और अधिक या नये जामिन नहीं दे सकता

५—जब मेम्बर अपनी किस्त अदा नहीं करता ।

—जब मेम्बर रहन की हुई भूमि का लगान या मालगुजारी अदा नहीं करता ।

७—जब मेम्बर दीवालिया या पागल हो जाता है और समिति से निकाल दिया जाता है ।

८—जब रहन की हुई भूमि अदालत से कुर्क हो जाती है ।

९—जब मेम्बर बाईलाज की पाबन्दो नहीं करना और समिति का हानि पहुँचने की सम्भावना होती है ।

५—दूध विक्रय समितियाँ

खेती करने वालों जमींदारों और भूमेधरों के जीवन को सुखी बनाने का प्रबन्ध करने के पश्चात् हमको यह देखना है कि उन लोगों के सुखी जीवन का क्या प्रबन्ध है जो इन दोनों क्रिमों में नहीं आते जैसे गाय भैंस पालने वाले जो अपना

गुजर दूध बेचकर या घी बेचकर करते हैं। इन लोगों के लिये सहयोग क्या कर सकता है ? साधारण तौर से यह लोग अपना दूध गांव के ही किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं जो बहुत सस्ते भाव पर लेता है। यह अनुभव हुआ है कि गांव में जहां दूध काफी होता है यह लोग ढाई तन सेर फा रुपया तक लेते हैं। इसका या तो वह स्वयं खोया भून लेते हैं या दूध को ही साइकिल के द्वारा शहर को ले जाते हैं और वहां १॥, २ सेर प्रति रुपये के हिसाब से बेचते हैं। इनमें इन लोगों को काफी मुनाफा होता है। उधर मवेशी पालने वालों को सस्ता दूध या घी बेचना पड़ता है और मवेशियों के लिये खली, चुनी, भूसी या और चीजें अलग २ गांव के बनिये से मंहगी लेना पड़ती है। यदि कोई बड़ी बाजार या शहर से जाता है तो उसको अपना दिन भर का हर्ज करना पड़ता है और उतनी दूर से सब चीजें ढंकर लाना पड़ती हैं। इन सब कष्टों से बचाने और दूध वालों को अधिक पैसा दिलाने के लिये सहकारी दूध विक्रय समितियां जारी की जाती हैं। इनका नाम कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी भी रक्खा जाता है।

सहकारी दूध विक्रय समिति के उद्देश्य

वैसे तो यह समिति साधारण तौर से वह सब काम करती है जिसे मेम्बरों का माली हालत सुधारने और आपस में मिल

अच्छी नस्ल पैदा करने के लिये अच्छे सांड का भी प्रबन्ध करना ।

दूध समिति का सगठन ।

हर शख्स जिसका चाल चलन अच्छा हो और उम्र १८ साल के ऊपर हो और जिसके गाय, भैंस मौजूद हों या लेना चाहता हो इस समिति में सम्मिलित हो सकता है । हर मेम्बर को आठ आना से १) तक फीस मेम्बरी देना होगा और यह वापस न मिलेगी । हर मेम्बर को एक हिस्सा जिसकी कीमत २०) होंगी खरीदना होगा । यह हिस्सा एक या दो पैसा की खेर दूध के हिसाब से जो उसने दिया है कीमत देते समय काट लिया जावेगा और यदि मेम्बर माहवारी किस्त देना चाहता है तो पचायत की मंजूरी से दे सकता है परन्तु कुछ हिस्से का रकम शीघ्र से शीघ्र दो साल में अदा हो जाना चाहिए । दूध की कीमत पन्द्रह दिन में या एक महीने में जैसा मेम्बर चाहें अदा की जावेगी और उस कीमत में से एक आना से दो आना प्रति रुपया के हिसाब से हर मेम्बर को नए मवेशी खरीदने के लिए जमा करना होगा । जब यह रकम २००) से अधिक हो जावेगी तो उस में कुछ पंचायत की मजूरी से बीमार इत्यादि या बच्चों की शिक्षा या और आवश्यक काम के लिए रक्खा जा सकता है । इस बचत के रुपये पर ६) सैकड़ा सालाना सूद

दिया जावेगा । हर मेम्बर को यह इकरारनामा भी लिखना होगा कि समिति का मेम्बर होने की वजह से समिति के सब नियमों को मानेगा और समिति के अतिरिक्त और कहीं दूध दही इत्यादि नहीं बेचेगा और न जलसा आम के बनाए हुये नियम का उलंघन करेगा । न मानने पर पंचायत को अधिकार होगा कि वह ५०) तक जुर्माना करदे । एक हिस्से पर ५०) तक बर्जा मिल सकता है और ६) सालाना सूद देना होगा ।

हर एक काम पंचायत की राय से हुआ करेगा । सब से बड़ा अधिकार जलसा आम को है जिस में एक तिहाई मेम्बरों का कोरम होगा और यदि जलसा मुलजबो होजावे तो १/६ मेम्बर ही काम कर सकेंगे । हर मेम्बर की एक वोट होगी । यदि लोग उचित समझें तो अधिक के अधिक दो आदमी पंचायत में ऐसे मेम्बर भी रखे जा सकते हैं जो सभा के मेम्बर नहीं हैं परन्तु जिनसे समिति के काम या प्रबन्ध में मदद मिल सकती है । पंचायत में ३, ५, ७ या ९ व्यक्ति होंगे और जो केवल ऐसे जलसा आम की राय से जिस में एक तिहाई मेम्बर मौजूद हों और उस में से दो तिहाई राय दें अलग किये जा सकते हैं । कुछ कारोबारी नियम जलसा आम से पास किये जावेंगे ।

समिति की जिम्मेदारी परमित होगी । हर जठे के महीने में

करके बेचने का प्रबन्ध सहकारी ढंग पर करना आवश्यक है इसलिये शहर में एक मिल्क सप्लाय यूनियन का संगठन किया जाता है। इस यूनियन के उद्देश्य भी वही हैं जो दूध समिति के होते हैं केवल अन्तर इतना है कि यूनियन व्यक्तिगत किसी मेम्बर से उपोहार नहीं करती। वह अपनी अन्तर्गत दूध समितियों से ही व्यवहार करती है। विशेषकर मिल्क यूनियन के उद्देश्य नीचे लिखे होते हैं:—

१—मेम्बर समितियों के लाभ के लिये बढ़िया सांड रखना और समितियों को मवेशियों की नस्ल का सुधार करने में मदद देना।

२—इक्ठु चारा, खज्जी या और ऐसी वस्तुओं खरीदना और समितियों को उचित मूल्य पर थोक भाव में देना।

३—मेम्बर समितियों के दूध न देने वाले मवेशियों को रखना और उनके चरागाह किराये पर लेना या किसी तरह उनके चारे का प्रबन्ध करना।

४—मवेशियों के लिये दवाखाने स्थापित कराना और बचाई बीमारियों के रोकने का उचित प्रबन्ध करना और मवेशियों की तन्दुरुस्ती की जांच समय २ पर कराना।

५—मेम्बर समितियों का दूध इक्ठु करना और उसको किसी

केन्द्रीय स्थान पर पहुँचाना और वहाँ से उसके विक्रय का प्रबन्ध करना ।

६—यूनियन में एक लेबोरेट्री (Laboratory) स्थापित करना और समितियों में दूध इकट्ठा करने वाले सेन्टरों पर दूध की जांच कराना और दूध के शुद्ध होने का सर्टीफिकेट देना ।

७—शहर में दूध प्रयोग करने वालों की समिति या क्लब बनाना जिससे उनको शुद्ध दूध या उसकी बनी वस्तु उचित दामों में मिल सके ।

८—दूध पीने वालों के लिये मिल्क बार खोलना और इसी के द्वारा दूध तथा उसकी बनी वस्तुओं का प्रचार करना ।

९—दूध इकट्ठा करने के लिये अन्तरगत गांवों में सेन्टर खोलना और बेचने के लिये भी सेन्टर स्थापित करना ।

१०—नई २ मशीनें दूध को रखने या मक्खन इत्यादि बनाने के लिये मंगाना और मक्खन, क्रीम तथा दूसरी वस्तुयें तैयार कराना ।

११—गांव में दुहने के शौड बनवाना और सड़कें व रास्ते दुरुस्त कराना ।

मोल लेगा। मम्बर भैंस ठीक करके पंचायत से क्रीमत देने को कहेगा भैंस के व्याने के समय मम्बर से तै कर लिया जायगा कि वह कितना घी देगा और कितने दिनों में वह पूरा करेगा। पंचायत जो सदस्य से घा की मात्रा का ठेका करता है उस ठेके का पूरी रकम मम्बर को एक दम दे दी जाती है। इससे मम्बर को बहुत लाभ होता है क्योंकि घा के व्यापारी थाड़ी थोड़ी क्रीमत घा की देते हैं। पंचायत निश्चित किए हुये समय पर इकट्ठा होकर घा तुलाकर, साफ कराकर बाजार भेजने का प्रबन्ध करेगी या किसी बनिए से तै कर लेगी और यह निश्चित समय पर आकर घा ले जावेगा। घा में यदि मिलावट होती है तो वह लेने से इनकार कर देगी और मम्बर पर जुर्माना कर देगी। घा के दर्जे भी निश्चित कर दिये जाएंगे और उसी हिसाब से भाव भी होगा। पंचायत का कर्तव्य है कि बाजारों से कभी कभी जाकर या और किसी के द्वारा भाव मलूम करती रहे ताकि बनियां उसके धोका न दे सके। ऐसी समितियों की सफलता के लिए मम्बरों में उत्साह और व्यापारियों के तराकों की जानकारी होना चाहिए। यदि मंडियों और शहरों के हेडक्वार्टर पर एक केन्द्रीय सहकारी संस्था हो तो अधिक लाभदायक हो।

घी युनियन ।

गांव में जब घी समितियां बन गईं तो इन सब का घी शहर में

शक्ति जिज्ञासु या हाकिम परगना होते हैं और यही जनरल बाडी एक बोर्ड चुनती है जिस में ७ या ८ चुने हुए डायरेक्टर होते हैं। और एक नामजद व्यक्ति बैंक की ओर से और सरकिल अफसर सहकारी विभाग और दान को आपटेड डायरेक्टर होते हैं। एक आनरेरी सेक्रेटरी भी होता है जो बोर्ड का भी मेम्बर होता है। यह सब डायरेक्टर अगली वार्षिक जनरल मीटिंग तक काम करते हैं।

दैनिक कार्य की देख रेख के लिए एक प्रबन्ध कारिणी कमेटी हाती है जिसमें तीन चुने हुए डायरेक्टर होते हैं और वाइस चेयरमैन, सरकिल अफसर और आनरेरी सेक्रेटरी भी रहते हैं। यह कमेटी बोर्ड से चुनी जाती है और जो काम बोर्ड इस कमेटी के सुपुर्द करे वही करती है।

आज कल जब शुद्ध घों की इतनी कमी है इसी लिए तो ऐसी यूनियनों के संगठन की बड़ी आवश्यकता है।

७—गन्ना विकाश तथा विक्रय समितियां।

हम ऊपर गांव की क्रय-विक्रय समितियों का तथा क्षेत्राध्य यूनियन जो क्रय-विक्रय का काम करती हैं उनका उल्लेख कर चुके हैं। गन्ना इस प्रान्त में हर जगह बोया जाता है इस लिए उसके प्रयोग और क्रय विक्रय का भी प्रश्न सदैव ही बना रहना

है खेती की और वस्तुएँ तो पैदा होने के पश्चात् गोदामों में रख दी जाती हैं और समय व भाव मिलने पर विक्री रहती है। परन्तु गन्ना ऐसी वस्तु है जो किसी गोदाम में भर कर नहीं रक्खा जा सकती। इसे तो मस्ल पर ही बेच देना होता है। इसके अतिरिक्त चीनी के मिलों पर जहाँ इसकी अधिकांश खपत होती है सरकार का नियंत्रण है इस सिये उन विशेष नियमों के अनुसार ही गन्ना बिक सकता है। ऐसी दशा में सरकार ने गन्ने के विकास कार्य के लिये एक अलग मोहकमा कायम कर दिया है जिसे गन्ना विकास विभाग कहते हैं और जिसके अध्यक्ष केन कमिशनर कहलाते हैं। गन्ने का विकास कार्य तथा विक्र। सहकारी समितियों द्वारा ही होता है और यह समितियाँ केन कमिशनर के अन्तर गत ही काम करती हैं। उत्तर प्रदेश को गन्ने की पैदावार तथा चीनी मिलों के अनुसार पांच भागों में बांट दिया गया है और प्रत्येक भाग को एक रेंज कहा जाता है इस तरह इस प्रान्त में निम्नलिखित रेंज हैं।

१- पूर्वी रेंज—इसका हेड क्वार्टर गोरखपुर में है और इसमें गोरखपुर, देवरिया जिले और कुछ हिस्सा आज़मगढ़ बलिया और गाज़ीपुर का भी आता है क्योंकि वहाँ का गन्ना गोरखपुर व देवरिया जिलों की मिलें ही खरीदती हैं। इस रेंज में २१ चीनी मिलें हैं।

२—मध्य पूर्वी रेंज—इसका हेड क्वार्टर गोंडा में है और इस में बस्ती, गोंडा, बहराईच इत्यादि जिले शामिल हैं। इस में ११ चीनी मिलें हैं।

३—सेन्द्रल रेंज—इसका हेडक्वार्टर सीतापुर में है और इस में सीतापुर, लखीमपुर, खीरी, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, फ़ैजाबाद और कानपुर जिले शामिल हैं।

इस के अलावा बनारस, जौनपुर और आजमगढ़ जो पहले बनारस रेंज के नाम से अलग थे वह अब फ़ैजाबाद में मिला दिए गए हैं। इसमें १० चीनी मिलें हैं।

४—रोहेल खण्ड रेंज—इस का हेडक्वार्टर बरेली में है और इसमें बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर शामिल हैं। इस में भी ११ चीनी मिलें हैं।

५—पश्चिमी रेंज—इसका हेड क्वार्टर मेरठ में है और इस में मेरठ, सहारनपुर, मुजफ़्फ़रनगर, देहरादून के जिले शामिल हैं। इस रेंज में १४ चीनी मिलें हैं।

हैं और रोग को दूर करने के उपाय बताते और उस पर अमल कराते रहते हैं। जिन गांव में ग्राम समिति रजिस्टर्ड हो गई है वहां गांव वाले अपनी पंचायत द्वारा सब काम मिल कर करते हैं और जिस गांव में ग्राम समिति की रजिस्ट्री नहीं हुई है वहां भी यूनियन के मेम्बर जो उस गांव में रहते हैं आपस में मिल कर पंचायत चुन लेते हैं। हर गांव का साल में एक बार वार्षिक ग्राम जल्सा किया जाता है और उसमें हर गांव से एक एक डेली गेट चुन कर यूनियन में गांव प्रतिनिध कर के भेजा जाता है। जिस गांव में १० से कम मेम्बर होते हैं वह डेली गेट नहीं भेजते।

जब सब यूनियन के गांव के डेली गेट का चुनाव हो जाता है तब यूनियन का वार्षिक जल्सा किया जाता है और एक बोर्ड चुन लिया जाता है जो यूनियन का उचित प्रबन्ध करता है। यूनियन के सभापति जिन्हाधोश (Ex-officio) होते हैं और बोर्ड में डेली गेटों में से ६ चुने हुए डायरेक्टर होते हैं और एक नामजद किए हुए होते हैं। सरकिल के डिप्टी सी० डी० आ० या सी० डी० आ० भी डायरेक्टर होते हैं। बोर्ड यदि चाहे तो एक प्रबन्धकारिणी कमेटी तीन डेली गेटों को बना सकता है इसके अतिरिक्त ए० सी० डी० आ० जा वेर्ड का सेक्रेटरी होता है वह और हल्के के डिप्टी सी० डी० आ० को शामिल करके पांच व्यक्तियों की प्रबन्ध कारिणी कमेटी काम करती है।

बोर्ड इत्यादि बनाने के बाद युनियन की रजिस्ट्री करा ली जाती है। इसकी जिम्मेदारी परमित होती है और हिस्सा १०) का होता है। हर मेम्बर को एक प्रतिज्ञा पत्र लिखना पड़ता है कि वह बिना समिति की राय के न गन्ना कहीं बेचेगा और न गुड़ इत्यादि बनाए या बेचेगा।

गन्ना विकास युनियन का काम।

यूनियन का मुख्य काम तो मेम्बरों को गन्ने की अधिक उपज कराना और उसे बेच कर अधिक मूल्य दिलाना है। अधिक पैदवार के संबंध में उसको मोहकमे की बताई हुई बातों पर अमल करना पड़ता है। यहां पर यह बता देना ठीक होगा कि यूनियन के काम के दो भाग हैं एक विकास और दूसरा विक्रय। चूंकि गन्ना विकास के भी दो हिस्से काम के संबंध में हैं इसलिये यह दोनों केन कमिशनर की मातहत ही काम करते हैं। एक तो विकास विभाग जिसके अफसर डेवलपमन्ट कोआरडिनेशन अफसर कहलाते हैं और दूसरा हिस्सा मारकेटिंग का है जिसके अफसर मारकेटिंग कोआरडिनेशन अफसर कहलाते हैं। नई योजना के अनुसार गन्ना विकास कार्य के लिये हर चीनी मिल में एक एक गन्ना विकास कौंसिल स्थापित की गई है जिस में दो प्रतिनिध मिल की ओर से और दो गन्ना विकास युनियन की ओर से होते हैं और सभापति अलग से चुने जाते हैं जिन्हें केन कमिशनर मंजूर करते

हैं। इस गन्ना विकास कौंसिल को यूनियन की कुल कमीशन की कमाई का एक तिहाई हर साल दिया जाता है जो वह अपना अलग बजट बनाकर गन्ना विकास कार्य में खर्च करती है। विकास कार्य के सम्बन्ध में यूनियन इस कौंसिल के बनाए हुए सब काम करती है और खाद औजार इत्यादि सब उसी की मर्यादा से मंगा कर किसानों को देती है। अधिक उपज बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता नुमाईश होती है जिस में इनाम दिए जाते हैं।

दूसरा काम गन्ना विकास व विक्रय यूनियन का गन्ना बेचने से सम्बन्ध रखता है। मिल चालू होने से पहले मेम्बरों के गन्ने की फसल की जांच पड़ताल करके उपज का अन्दाज़ लगा लिया जाता है और अन्दाज़ के आधार पर यूनियन मेम्बर से उतने गन्ने का सट्टा कर लेती है और सब सट्टों के आधार पर मिल से उतने गन्ने का सट्टा कर लेती है। यूनियन का कर्तव्य होता है कि वह सट्टा दिया हुआ कुल गन्ना मिल को दे न देने की हालत में मिल तावान ले सकती है। १५ प्रति सैकड़ा तक की कमी तक कुछ तावान नहीं देना पड़ता इससे अधिक कमी होने पर कुल कमी पर तावान पड़ता है।

सट्टा हो जाने के बाद जब मिल चालू होती है तो वह यूनियन को रोज़ इन्डेन्ट देता है कि इतना गाढ़ा गन्ना मिल पर

हमारे देश में ऐसी संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है ।

८—बहुधंधी समितियाँ

अब हम देख चुके कि खेतों से सम्बन्ध रखने वाली समितियाँ किस प्रकार बन सकती हैं और वह कष्टकारों के जीवन को कैसे सुखा बना सकती हैं । हमारे गांव में अलग २ समितियों के काम करने के लिये अगुवा मिलना बहुत कठिन है इसलिये एक ही गांव में जहाँ ऊपर बताया हुये सभी काम करना हों अलग २ समितियों का चलाना असम्भव नही तो कठिन अवश्य है । इसलिये यदि गांव वाले इस बात पर तैयार हैं कि सहयोग समिति के द्वारा उनको सुखी जीवन व्यतीत करना आ जावे तो एक ही समिति में सब लोग शामिल कर दिये जावें और उसी में हर प्रकार के काम हुआ करें । उसका नाम भी अलग २ काम पर न रख कर केवल बहुधंधी समिति रखा जावे और मेम्बर की हर प्रकार का आवश्यकतायें उससे पूरी की जावें । गांव के सभी लोगों को कुछ न कुछ आवश्यकता अवश्य ही रहती है । यदि समिति के द्वारा यह पूरा हो सकती है तो सबको इसमें सम्मिलित होने में कोई पतराज न होगा । समिति का काम भी हर समय चलता रहेगा और लोगों में उत्साह भी बना रहेगा । ऐसी समितियों के संगठन के नियम हम पहिले विकास समिति के सम्बन्ध में बता चुके हैं उन्ही के अनुसार

यह समितियां बनाई जा सकती हैं। ऐसी समितियों से निम्न-लिखित लाभ मालूम होते हैं:—

१—ऐसी समिति में गांव का हर एक व्यक्ति सम्मिलित होकर अपनी सभी आवश्यकतायें पूरी कर सकता है। यह समिति सब गांव वालों को एक सूत्र में जबही बांध सकती है जब सबकी भिन्न २ आवश्यकताओं को पूरा करे। दूसरे यदि हर प्रकार का काम समिति करती है तो मेम्बरों का समिति से और एक दूसरे से बराबर सम्बन्ध रहता है और यही आपस का प्रेम व उत्साह बढ़ाने का साधन है।

२—जब मेम्बर की हर प्रकार की उचित आवश्यकता समिति से पूरी होती है तो उसकी समिति में श्रद्धा बढ़ती है।

३—भिन्न २ काम होने के कारण समिति को मुनाफा भी काफी हो जाता है जिसके कारण वह प्रबन्ध बहुत किफायत के साथ कर सकती है और यदि आवश्यकता सम्भले तो विशेष काम जानने वालों को नौकर भी रख सकती है।

४—गांव में आम तौर से एक या दो ही व्यक्ति प्रभावशाली और योग्य होते हैं और जिनसे केवल एक काम करके कोई सहायता नहीं ली जा सकती है। यदि समिति सब काम करने लगती है तो वह किसी न किसी काम के लिये अवश्य

बनवाकर अधिक अन्न उपजाने में बहुत कार्य किया है। अ. जमींदारी उनमूलन में हजारों भूमिधर बनवाकर लाखों रुपया फण्ड में जमा कराया है। इसी प्रकार सरकार की हर स्कीम में यह सहायता करती और काम को पूरा कराती है। कई स्थानों पर यह समितियां खाद उत्पादन करती और बारधा घानां से घरों का तेल निकलवाती हैं। सागंश यह देश के निर्माण कार्य में यह समितियां सभी से मिलकर महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब हमें गौरवरायता समितियों पर भी कुछ विचार करना है।

मिलता जावे और जो कपड़ा तैयार करें उसकी शीघ्र ही बिक्री हो जावे। यह काम अलग २ बड़ी कठिनाई से होता है। यदि तमाम कपड़ा बुनने वाले और सूत कातने वाले संगठित हो जावें तो एक समिति की रजिस्ट्री कराई जा सकती है। इस समिति में केवल १०) का हिस्सा रक्का जावे और जिम्मेदारी भी मेम्बरो की हिस्से की ही रकम तक परमित हो तो वह समिति आसानी से काम कर सकती है। हिस्से की रकम अधिक से अधिक १० महीने में अदा हो जावे।

इस हिस्से के रुपये से समिति रुई खरीद कर और चरखे खरीद कर मेम्बरो को या उनका औरतो का देदे और कता हुआ सूत लेकर उनको कताई दे दिया करे। यही सूत फिर बुनने वालों को देकर कपड़ा तैयार करा लिया जावे। इस कपड़े को समिति स्वयं बेच सकती है या खहर भण्डार जो शहर में काम करते हैं उनको दे सकती है। यदि मिल के कते सूत से अधिक कपड़ा बनवाना हो तो समिति उस रुपये से सूत खरीद कर बुनने वालों को देदे और उनसे कपड़ा लेकर मजदूरी देदे। जो कुछ साल में मुनाफा हो उसमें से एक तिहाई बचत की पूंजी में रखकर बाकी में से १०) प्रति सैकड़ा खैरात में खर्च करदे और बाकी में से हिस्सों पर १०) सैकड़ा मुनाफा बांटने के बाद जो बचे उसमें से मकान बनाने के लिये प्रबन्ध किया जावे और कुछ

लोगों की बुनाई व कताई का खयाल करते हुये बोनस भी दे दिया जावे। ऐसी समितियों की इस देश में अधिक आवश्यकता है और जब तक ऐसी समितियां न बनेंगी गांव २ खदर का प्रचार होना या जुलाहों और कोरियों की रोजी बढ़ना कठिन है। यह समिति इन दस्तकारों के बच्चों की शिक्षा आदि का भी प्रबन्ध कर सकती है।

समिति का प्रबन्ध और समितियों की तरह पंचायत करेगी जिसको जल्सा आम चुन लेगा। पंचायत अपनी तरफ से नये नये क्रिस्म के चरखे व करघे बनवा कर मेम्बरों को किगाये पर या सस्ते मूल्य पर दे सकती है। इस काम के लिये जो रुपये की आवश्यकता हों तो सरकार से बहुत ही कम सुद पर मिल सकता है। समिति अपना एक खजांची व सेक्रेटरी भी चुन लेगी। यह अवश्य ही देख लेना होगा कि सभा के सेक्रेटरी व सरपंच बुनाई व कताई के काम से कुछ जानकारी रखते हों। यदि उनको जानकारी नहीं है तो कुछ बातें ऐसी सीखना होंगी। बिना सीख सफलता नहीं हो सकता।

इसी तरह और दूसरे कारीगरों की भी समितियां बना कर कुटियों में दस्तकारी का प्रचार करके उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। सूत की तरह चरखों पर ऊन कताई जा सकती है, कम्बल आसन आदि बुनवाये जा सकते हैं। मूंज, टाट, षट्टी,

खड़ाऊं इत्यादि और लकड़ी की चीजें, चमड़े का काम, पीतल या फूल के बर्तन बनाने के काम या लोहे के चाकू छुरी, सरौते, ताले, कुञ्जी, कढ़ाई करछुल, बाल्टी इत्यादि बनाने का काम बहुत आसानी से इन समितियों के द्वारा हो सकता है। यानी सहयोग से इन दस्तकारों का भी जीवन सुखी बनाया जा सकता है।

२—मजदूरों की सहकारी समितियां

ऊपर हम देख चुके हैं कि कार्तकारों और दस्तकारों के जीवन को सहयोग से कैसे सुखी बनाया जा सकता है। अब हमें वह देखना है कि मजदूरों के लिये सहयोग क्या कर सकता है। मजदूरों की सहकारी समितियां सबसे पहले इटली में स्थापित हुईं और इन्हीं के द्वारा सड़कें बनाने, मकानात बनवाने, और रेल व पुल इत्यादि बनाने का ठेका लेना आरम्भ किया गया। इन समितियों का यही उद्देश्य था कि जो मुनाफ़ा ठेकेदार लोग ले जाते हैं वह स्वयं मेम्बरान को ही मिल जावे जो अपने हाथ से काम करते हैं। यह समितियां करीब ७० वर्ष पहिले जारी हुई थीं और अब बहुत ही सफलता के साथ चला रही हैं और वादाद भी इटली में ३००० से ऊपर पहुँच चुकी है। वहां सरकार की ओर से भी काफ़ी सहायता मिलती है।

हमारे देश में इन समितियों के स्थापित होने की और भी

के अतिरिक्त कुछ अधिक रुपया भी देते जाते हैं। जब क्रोमत पट जाती है तो मकान बनका हो जाता है। दूसरा ढंग यह भी है कि समिति मेम्बर के लिए मकान बनवाने का तख्तीना करा देती है। उस तख्तीने का एक चौथाई से लेकर एक तिहाई तक मेम्बर अपने पास से लगाता है और बाकी समिति कम सूद पर बतौर कर्जा दे देती है जो उस या पंद्रह साल में बसूल हो जाता है। मेम्बर को वह मकान समिति के नाम रजिस्ट्री कर देकर बढ़ता है। जब कर्जा अदा हो जाता है तो मकान मेम्बर का हो जाता है।

हमारे देशों में ऐसी समितियां अभी तक नहीं बनी हैं, मकानात बनवाने की और अच्छे ढंग के मकानात के नमूने देने की देहात में बड़ी आवश्यकता है। जब गृह निर्माण समिति से रुपया लेकर कोई मकान बनवाता है तो उसको मकान भां समिति के बताए हुए ढंग पर बनवाना होता है, इस तरह उन्नत शोध हो जाती है। इस समिति में भी वचत की पूंजी रहती है और मुनाफा भी और समितियों की तरह बांटा जाता है। इस प्रांत में यह समितियां इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली में तथा अन्य बड़े शहरों में काम कर रही हैं। अब कानपुर में भी मिल के मजदूरों के लिए मकानात बनवाने की योजना जारी की जा रही है। अभिप्राय यह है कि सहयोग इस तरह भी मनुष्य के जीवन को

अच्छे मकानात देकर सुख बना सकता है ।

गृह सम्बन्धी समस्याएँ जैसा ऊपर बताया गया अधिकांश मध्यम श्रेणी के लोगों में होती हैं और बड़े शहरों में यह समस्या विकट रूप धारण कर लेती है । इसका मुख्य बातें यह हैं कि कोई मेम्बर इसमें मुनाफ़ाख़ोरों नहीं कर सकता । रहने को यदि स्थान नहीं है तो पा सकता है । बिना समिति का मंजूरी के ई मेम्बर मकान न बेच सकता है और न किराया पर दे सकता है । इस तरह समिति के द्वारा बने गृह केवल रहने के लिए ही हैं ।

सरकार समितियों की नीचे लिखी सहायता कर देती है:—

१— मकान बनवाने के लिए ज़मीन प्राप्त करके समिति को उचित मूल्य पर दे देती है ।

२—आवश्यकतानुसार समिति सरकार से सस्ते व्याज पर रुपया भी पा सकती है ।

३—सरकार समिति को घर बनाने का सामान भी नियमित मूल्य पर दिला देती है ।

४—नकशा इत्यादि बनवाने में भी यदि कोई सहायता की आवश्यकता हो तो मिल जाती है ।

अब उत्तर प्रदेश में काफी समितियों की मांग है ।

अब हम देख चुके कि जीवन का कोई ऐसा काम नहीं जिस में सहयोग सफल न हो सकता हो। इस देश में भी अन्य देशों की तरह हर प्रकार के मनुष्यों के लिए और हर क्रिस्म के कामों के लिए सहयोग समितियां जारी करके जीवन सुखा बनाया गया है। अब हमको यह देखना है कि स्त्री समाज के लिए सहयोग क्या कर सकता है।



समझती हैं और अपने पति की आमदनी का कुछ भी हिस्सा दूसरे के खर्च में लगते हुए नहीं देख सकतीं। भाइयों भाइयों में झगड़ा इसी से होता है, गांव देश में लड़ाई की जड़ यह है। शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है। क्या लक्ष्मी के यही गुण हैं ? नहीं, उस समय जब कि स्त्रीयां लक्ष्मी कही जाती थीं उस समय यह अपनी सेवा व प्रेम के बल से परिवार में सुमति पैदा करती थीं और जहां सुमति होती है वहां धन की कमी नहीं रहती इसी लिए वह लक्ष्मी कहाती थीं। आज कल बात बात में कहल लड़ाई और झगड़ा रहता है फिर सुमति कहां और जब सुमति नहीं तो लक्ष्मी कहां ? अब हमें देखना यह है कि वह झुर्राईयां कैसे दूर हों। पहले तो इसके कारण पर विचार करना होगा।

आमतौर से स्त्रियों को दिन रात गृहस्ती के कामों से, जैसे चूल्हे, चक्की, मादू, पानी से, और बच्चों के कामों से बिल्कुल फुरसत नहीं मिलती जो वह अपने घर की बात के अतिरिक्त बाहर की भी सुन या समझ सकें। अधिकांश स्त्रियों को पढ़ने लिखने का भी अवसर शहरों में कम मिलता है और गांवों में ठो बिल्कुल नहीं मिलता। वह बेचारी अपने सब काम करें और अपने पति के लिये जो कुछ बन पड़े सो करें। जब उनको कहीं जाने, आने, मिलने बैठने का मौका ही नहीं होता तो बताइये कि उनके विचार संकीर्ण न हों तो क्या हों। इसके लिये पुनः

समाल भी उत्तरदाई है कि अपनी देवियों की उन्होंने यह हाकत बनादी। पुरुषों और स्त्रियों में एक हिसाब से सहयोग ही नहीं रह गया। क्योंकि एक दूसरे के ख्यालात को ही नहीं समझ सकते। यदि हम अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें स्त्रियों में सुधार पहले करना होगा, उन्हें सहयोग मन्त्र पहले देना होगा तब सुखी जीवन हो सकेगा क्योंकि घरेलू जीवन की उन्नति स्त्रियों ही के हाथ में है।

अब हमको यह देखना चाहिये कि मनुष्य क्या चाहता है। प्रत्येक मनुष्य सुखी घर और गृहलक्ष्मी चाहता है और इसी लाजसा में सारी उम्र कड़ी से कड़ी मेहनत करता रहता है। हर मनुष्य की यही इच्छा रहती है कि उसका गृह स्थान साफ और सुन्दर हो, घर में तन्दुरुस्त और सुन्दर बच्चे हों, तन्दुरुस्त साफ और हँसमुख गृहलक्ष्मी हो और परिवार में सदा शान्ती रहती हो। जब यह बातें होगी तभी घर स्वर्ग और स्त्री गृहलक्ष्मी कहलायेगी। यह सब बातें उस समय तक नहीं मिल सकती जब तक कि स्त्रियां जो अब भी घर की मालिक होती हैं शिक्षित न हों। शिक्षित से मेरा तात्पर्य केवल यही नहीं है कि वह लिख पढ़ सकती हों बल्कि यह है कि गृहस्थी के काम को अच्छी तरह समझती हों और दिल में अपने घर, ग्राम और देश की उन्नति का ख्याल हो।

यह सब कोई जानता है कि जिम घर में स्त्री अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना जानती है वही घर सुखी जीवन का अनुभव करा सकती वहीं हमें घर में नफाई और फूल पत्तों भी दिखाई देते हैं और लक्ष्मी का वास होता है बच्चे साफ, सुन्दर और खुश मालूम होते हैं। भोजन भी स्वादिष्ट और तन्दुरुस्ती बढ़ाने वाला मिलता है। सब सामान ठिकाने से सफाई के साथ रक्खा हुआ होता है। बीमारी पहले तो आती ही नहीं और यदि आई भी तो तुरन्त इलाज होता है और कष्ट नहीं होने पाता। भूत प्रेत का इस घर में काम नहीं होता। बहुत से घर ऐसे हैं जहां मूढ़ स्त्रियों ने ही भूत प्रेत, ओम्हाई, लड़ाई मगड़े, मुकदमेबाजों में घरों का सत्यानाश करा दिया। इससे हमको मालूम हो गया कि यदि हम सुखी जीवन चाहते हैं तो स्त्रियों में सुधार करना होगा। स्त्रियों को मंगठित करने की हमें उतनी ही आवश्यकता है जितना कि पुरुषों को, क्योंकि जीवन के अधिकांश हिस्से का भार स्त्रियों हा पर है।

यह सब संगठन स्त्रियों में विकास समितियां खोल कर बहुत अच्छी तरह हो सकता है। परन्तु यह समितियां चलाने का भार स्त्रियों को स्वयं ही लेना पड़ेगा। पहले तो कुछ ऐसी स्त्रियां चुनी जावें जो गांव में या शहर के मोहल्लों में जाकर संगठन का काम कर सकें और उनको नीचे लिखे विषय में

नहीं लगता क्योंकि वह छिपा दिये जाते हैं और अन्त को उनका जीवन बरबाद हो जाता है।

५—पांचवीं आवश्यक बात उनको किरायतशारी सिखाना है क्योंकि अधिकांश फिजूल खर्च इन्हीं लोगों की बर्बाद होती है। पूजा पाठ व ओम्माई में, जेवर इत्यादि में, शादी गमी व और रस्मों में खर्च इनको ही सिखाकर कम कराया जा सकता है और कोई दूसरी सूरत नहीं।

६—इनको कुछ और दस्तकारी का काम जैसे सूत काटना, कपड़े सीना, स्वेटर शाल बुनना ऊन काटना इत्यादि भी सिखाना चाहिये ताकि फुरत के समय कुछ काम करके वह अपने परिवार की आमदनी को बढ़ा सके और इस तरह अपने जीवन को सुखी बना सकें।

हम देखते हैं कि हमारी शारीरिक सामाजिक व आर्थिक उन्नति सभी में स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ है। बिना इनकी सहायता के किसी उन्नति के काम में सफलता होना कठिन है। इनमें उन्नति होने से पुरुषों के भी जीवन में परिवर्तन हो जायगा और उन्नति हो जायगी क्योंकि पग २ पर जो बाधाएँ अब जो नासमझी के कारण पड़ती हैं वह फिर न पड़ेंगी। जैसे बच्चों के टीका लगवाने में, समय से पहले व्याह या और रस्में करने में

जेवर इत्यादि बनवाने में जो खर्च होता है या बाधायें पड़ती हैं वह न रहेंगी जीवन सुधार का काम वगैर स्त्री समाज को संगठित किये हुये एक तिहाई ही रह जाता है, क्योंकि स्त्रियों में काम करने से ग्रियों और बच्चों का सुधार होता है वैसे अकेले पुरुषों का होता है। अब हम समझ गये कि स्त्रियों के बिना संगठन किये हुये देश की उन्नति नहीं हो सकती।

यू० पी० में सहकारी विभाग ने कुछ काम इस सम्बन्ध में किया है और स्त्रियों में विकास तथा बहुधंधी बचत की सहकारी समितियां खोली हैं परन्तु वह काफी नहीं है। कठिनाई तो है कि काम करने के लिये स्त्रियां नहीं मिलती।

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हित के लिए कई स्कीमें जारी की। प्रांत में पहले एक लेडी इंस्पेक्टर की नियुक्ति करके कई जिलों में महिलाओं के सुधार सेन्टर खोले और बचत सहकारी सभायें स्थापित कीं। स्त्रियों में काम करने वाली समितियों की संख्या १४४ है। अधिकांश यह समितियां गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, बनारस लखनऊ जालौन परताबगढ़ सुलतानपुर, मैनपुरी भांसी और मुरादाबाद में हैं और ६ स्त्री सुपरवाइजर काम करती हैं। इन समितियों में १११७ सदस्य हैं और इनका ३३१३१) नकद और ५७८ मन गल्ला बचत तथा हिस्सों में जमा है। परताबगढ़ में स्त्रियों को सुई का काम सिखा-

६ हमीरपुर ।

जोन नं० १ में तीन जिले हैं—१० इटावा ।

११ मथुरा ।

१२ देहरादून ।

प्रत्येक जिले में एक एक डिस्ट्रिक्ट आरगनाइजर रखे जायेंगे जो जोनल आरगनाइजर की देख रेख में काम करेगी । जिले में डेवलपमेन्ट ब्लाक में से कुछ ऐसे गांव चुनि जायेंगे जहां स्थितियों में काम हो सकता है और उस सेन्टर में दो तीन गांव लिये जायेंगे पर सेन्टर पर तीन काम विशेष रूप से होंगे और उस के लिये विशेष ज्ञान रखने वाली सेवाएँ नियुक्त की जायेंगी । यह कह है:—

(१) दाई का काम सिखाने के लिये

(२) दस्तकारी का काम सिखाने के लिये ।

(३) पढ़ाई लिखाई का काम सिखाने के लिये ।

इस तरह हर सेन्टर पर कम से कम तीन ग्राम सेवाकार्य प्रारम्भ करेंगी । उनका काम यह होगा कि वह ७ बजे से १० बजे तक गरमी के मौसम में और १० बजे से १२ बजे तक जाड़ों में छोटे बच्चों को भी जो तीन से ७ साल की उम्र के होंगे शिक्षा देंगी । और दोपहर से तीसरे पहर तक औरों का सम्मेलन करेगी ।

करेगी और उनके घर गृहस्था का काम, बच्चों का पालन पोषण और कुछ इस्त्राफाली व पढ़ने लिखने का काम सिखावेगी । गांव में इबा का बक्स खेती जिस से क्या फल भी सिखाया जावेगा । गांव की दूरियों को भी काम सिखावेगी और उसके साथ जा कर काम किया करेंगी । हर एक ग्राम सेविका गांव में बच्चों तथा औरतों को हर समय मिल सकेगी । यह स्कूल बड़ी लाभदायक है पशु लाभ जब ही होगा जब ग्राम वाली अपनी स्त्री और लड़कों को सीखने का अवकाश देंगे और स्त्रियों में काम करने की शिक्षने की लग्न होगी ।

सत्रहवां अध्याय

सहयोग और सरकार

जैसा पहले बताया जा चुका है भारतवर्ष में सहयोग आन्दोलन का श्री गणेश सरकार ही द्वारा हुआ है। दूसरे देशों की भांति यहां का जनता आगे नहीं हुई। किसी काम को आरम्भ में चलाने और लोकप्रिय बनाने में बड़ा कठिनाई हाती है और कुछ सहायता दूसरों की भी लेना पड़ती है। यही यहां भी हुआ। सरकार को प्रचार, निरीक्षण और सहयोग शिक्षा की सारी जिम्मेदारी लेना पड़ी और पब्लिक के लोग जो इस काम में सम्मिलित हुये उनको कुछ विशेष रियायतें भी देनी पड़ीं।

सहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार ने समय २ पर आवश्यकता के अनुसार जो सहायता के नियम बनाये हैं और जो अब तक जारी हैं नीचे लिखे जाते हैं। यदि यह सहायता न मिलती तो सहयोग आन्दोलन का प्रचार भारतवर्ष में होना कठिन था। हालांकि यह आन्दोलन एक सार्वजनिक आन्दोलन

क्योंकि यह कोई कारोबारी काम नहीं है, यह उसका जार्ता काम है। यदि दीवानी कचहरी में कोई दरखास्त देना हो या और कार्रवाई करना हो तो स्टाम्प माफ नहीं है।

४—सहकारी सभायें या उसके कर्मचारी या मेम्बर जो कोई दस्तावेज रजिस्ट्री के कानून के अनुसार रजिस्ट्री करावें तो फ्रीस रजिस्ट्री माफ है परन्तु वह दस्तावेज सभा के कारोबार के सम्बन्ध में हो या उस विषय से सम्बन्ध रखती हो जो समिति के उद्देश्यों में हो।

५—सहकारी समितियों के मुनाफे पर इन्कम टैक्स नहीं लगता।

६—सभाओं को यह सुविधा दे दी गई है कि वह अपनी सहवील या दस्तावेजों एक मसबूत औरत दर्जे के बक्स में बन्द करके ताला व मोहर लगाकर हिफाजत के लिये किसी सरकारी खजाने में रखी जा सकती है परन्तु शर्त यह है कि खजाने के कर्मचारियों को बार २ खोलने व बन्द करने का अधिक कष्ट न करना पड़े।

७—इसी तरह सहकारी समितियां अपनी सहवील या दस्तावेजों को सन्दूक में बन्द करके ताला व मोहर लगा कर हिफाजत के लिये किसी थाने में रख सकती हैं।

८—यह समितियाँ डाकखाने में सेविंग बैंक हिसाब खुलवा सकती हैं और रिजायन यह दी गई है कि नोटिस की मियाद को कम कर दिया है। यानी ३०००) सबर डाकखाने से तीन दिन के नोटिस पर और किसी दूसरे डाकखाने से ३०) से अधिक दिनों के नोटिस पर निकाला जा सकता है। १००००) १०) के लिये १०० दिनों के नोटिस की आवश्यकता होगी।

९—सरकार ने 'म्यूनिस्पल बोर्डों' को सलाह दे रखी है कि प्राइमरी समितियों के हैसियत और जायदाद सम्बन्धी टैक्स माफ करदे। यदि कोई बोर्ड यह रिजायन सहकारी सभाओं को देगा तो सरकार को एतराज न होगा।

१०—एक सहकारी सभा दूसरी सभा को खजाने की रसीद के द्वारा रुपया भेज सकती है। जैसे मान लीजिये बनारस सहकारी बैंक को लखनऊ बैंक के पास रुपया भेजना है। बनारस का बैंक बनारस के खजाने में उतना रुपया जमा करके रसीद लेकर लखनऊ बैंक के पास भेज देगा और लखनऊ बैंक वहाँ के खजाने से रसीद दिखा कर रुपया ले लेगा। इसमें बगैर किसी खर्च के रुपया पहुँच जाता है।

११—सरकार ने बटवारीयों को हिदायत करदी है कि सहकारी सभाओं के 'मैम्बरों' को हैसियत तस्वीक किया करें और

(३७३) सरकार और सहयोग

उसके बदले में सभा उसको २५ मेम्बरों तक १) बजारब
धिया करेगी और इससे अधिक मेम्बरों के बिना एक आना
की मेम्बर दिया जायगा ।

१२—सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को यह सूचना दे रखी है कि
यदि बोर्ड चाहें तो अध्यापकों को सहाय्य, आन्दोलन में
काम करने की आज्ञा दे सकते हैं । सरकार इसके अनुकूल
है ।

१३—प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार है कि अशुद्ध और
पिछड़ जाति की सहाय्य समितियों को सफल बनाने
के लिये उनका हिसाब किताब लिखने वाले किसी सुपरि
या सेक्रेटरी को नियुक्त करदे और उसका खर्च सरकार
बरबारत करे । यह खर्च सरकार उसी हद तक दे सकती
है जहां तक उसे खैरात में खर्च करने का अधिकार है ।
इन समितियों के लिये किसी अच्छे काम करने वाले को
सरकार इनाम भी दे सकती है ।

१४—सहाय्य समितियों का रुपया जब कभी बाकी पड़ जाता
है तो सरकार उसको बतौर बकाया मालगुजारी के बसूल
कर देती है । इस काम के लिये जो विशेष कर्मचारी रखना
पड़ते हैं उनका खर्च सरकार व्यय करती है और कीस

अठारवां अध्याय

राष्ट्रीय जीवन में सहयोग का स्थान

भारतवर्ष में जनता की उन्नति के लिये जितने भी वार्षिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक आन्दोलन चल रहे हैं उनमें सहकारी आन्दोलन ही सब से अधिक आवश्यक माना जाता है। देश की आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय होती जा रही है कि कोई व्यक्ति का काम आगे नहीं बढ़ पाता। आपस का रहन सहन का ढङ्ग भी बहुत बिगड़ रहा है। वर्तमान हालात को देखते हुये इस समय सहकारी आन्दोलन के सिवा और कोई दूसरा आन्दोलन ऐसा नहीं माना जाता जो देश की हर प्रकार की जनता को एक सूत्र में बाँध सके। जब तक देश को एक सूत्र बाँधने का प्रयत्न नहीं होगा उस समय तक हमारा राष्ट्र ही ठीक नहीं हो सकता। सहकारी आन्दोलन ३३ करोड़ की सम्पन्न देश की आबादी में से किसी का अलग नहीं करता। हर प्रकार के

सुधार का यह उपाय बताता है, इसी लिये हमको एक महत्त्वपूर्ण आन्दोलन समझना चाहिये।

इस देश में इस आन्दोलन की शुरुआत जैसा ऊपर बताया गया है कारशकारों की कर्षदारी व शरीरी मिटाने और उनकी उन्नति के लिए ही हुई थी। कोई भी आन्दोलन हो जब तक उस में शिक्षित समाज भाग नहीं लेगा सफल नहीं होगा। चूंकि सहकारी आन्दोलन की शुरुआत शरीरों से हुई थी और बेहाश में शिक्षित लोग हैं नहीं, इसलिए शिक्षित समाज के लोग अब भी इस के महत्त्व को नहीं समझते। यह देश ग्रामों का देश है इसीलिये इस देश की उन्नति ग्रामों की उन्नति से हो सकती है ग्रामों की उन्नति के लिये सहकारी आन्दोलन से बढ़ कर और कोई दूसरा आन्दोलन नहीं।

आज का राष्ट्र जीवन की धारा किधर बह रही है यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि लोग राजनैतिक सुधार, आर्थिक लाभ और सामाजिक उन्नति चाहते हैं और आर्थिक लाभ के लिये सहयोग सब से अधिक आवश्यक है। हम देख चुके हैं कि कारशकारों को अब भी अधिकांश महाजनों से ही लेन देन करना पड़ता है। परन्तु सहकारी समितियों का इतना प्रभाव तो अवश्य पड़ा है कि गाँव वालों के साथ महाजन लोग अब कुछ नरमी और ईमानदारी का व्यवहार करने लगे हैं। सूद की दर भी समिति के कारखाने

गया है। वेदांत में जहाँ पर इसका लाभ मालूम हो गया है समितियों अपना काम आप करने लग गई हैं।

जैसा इन पुस्तक में समझाने का प्रयत्न किया गया है सहयोग से हमें देश के अखिरिक जीवन के सभी कामों में सहायता मिली गई है और बहुत से आर्थिक प्रश्न इस लिये गये हैं। खेतों से अच्छी पैदावार लेने के लिये कृषि का सामान मगाने और बेचने के लिये, भित्त कर खेती व आवास कर देने के लिये, खेतों की तक लब्धी के लिये या बहुत ऐसे कामों के लिये और समस्त जीवन की समस्याएँ हल करने के लिये समितियाँ बनाई गई हैं। परन्तु लेन देन के काम में अधिक सफलता पहले प्राप्त हुई क्योंकि और काम तो अभी थोड़े ही समय से आरम्भ हुये हैं। परन्तु अब भ्रम के परिवर्तन से स्वतंत्र भारत में सभी काम सहयोग सिद्धांत पर हो रहे हैं इस लिये इसकी सफलता अवश्य होगी। कोई भाँ देश हो बिना व्यापार की उन्नति के वह उन्नति नहीं कर सकता। देश के आर्थिक जीवन में व्यापार का मुख्य स्थान है और छोटे छोटे व्यापारियों के लिये सहयोग ही जीवन है। सहयोग ने ही उनको अपने घेरे में ले लिया है। अपने देश की अभी बहुत सी दस्त कारियाँ और उद्योग धन्ये सहयोग की राह देख रहे हैं। मिलों में वहाँ के काम करने वालों के लिये विकास समितियाँ बन गई हैं। इससे उनकी आवश्यकताएँ भी पूरी होती हैं और जायस में प्रेम भाव भी उत्पन्न हो रहा है। सम्पत्तिवाद का दोष

एक दूसरे की राय का ख्याल रखना, अपने मामले स्वयं से करना यह ऐसी बातें हैं जो उन्नति करने वाले गणराज्य देश में हर मनुष्य को जानना चाहिये। इसी से वह एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कारवकारों को बरसों की नींव से जगाने वाली यह सहकारी समितियाँ ही हैं। यह आन्दोलन एक प्रजातन्त्र आन्दोलन है। इसमें प्रजा को स्वयं अपने लिये काम करना होता है।

हमारे देश में इस समय प्रजातन्त्र गणराज्य शासन की लहर बह रही है और इसका पूरा ज्ञान जनता में सिखाव सहकारी समितियों के और कोई भली प्रकार नहीं दे सकता। हर एक सरकार का और खास तौर से प्रजातन्त्र सरकार का मुख्य कर्तव्य जनता के जीवन को सुखी बनाना है। सरकार अब विकास कार्य करके जीवन के सुधार करने का प्रबन्ध कर रही है। इस सम्बन्ध में यह कह देना अनुचित न होगा कि सहयोग से जीवन के सुधारने का काम अवश्य सफल हो सकता है। परन्तु सरकार को एक कानून बहुत जल्द बना देना चाहिये कि जिस गाँव में ७५ फी सदी घरानों के लोग किसी गाँव की सहकारी ग्राम समिति में सम्मिलित हों तो जो नियम वह समिति बनायेगी वह सारे गाँव पर लागू होंगे और उन पर अमल कराने में सरकार सहायता देगी। ऐसा होने से सुधार में बड़ी सुविधा होगी।

सब काम समितिमां करता हैं। गारख यह है कि जीवन का केहि ऐसा अङ्ग नहीं है जहां सहयोग सकलता से काम में करता हो इसलिये राष्ट्रीय जीवन में इसका प्रथम स्थान है। वही देश को ऊपर उठा सकता है इसलिये इसी आन्दोलन को अपना कर अपने देश के कोने कोने में इसकी लहर को पहुँचा कर देश की स्वतन्त्रता को अमर बनाना चाहिये।

❀ समाप्त ❀

परिशिष्ट नं० (१)

सहकारी समाजों के रजिस्टर में दर्ज किये जाने के प्रार्थना-पत्र का आदर्श

- १—निरिचत सहकारी सभा का नाम ।
- २—सेक्टर या गांव की या नगर की ।
- ३—सभा के भेद—(परिमित या अपरिमित उत्तरदायित्व हिस्सों के साथ या बिना हिस्सा) ।
- ४—जिले का नाम ।
- ५—सभा का उद्देश्य ।
- ६—बहि पूंजी हिस्सों द्वारा बनाई जायगी तो उन हिस्सों की संख्या और प्रीमियम क्या है जिसके बेचने का निश्चय हो चुका है ।
- ७—किस्तें जिनमें हिस्सा चुकाया जायगा ।
- ८—कार्य-क्षेत्र ।
- ९—सदस्यों के चुनाव सम्बन्धी योग्यता जो निरिचत की गई हो ।
- १०—उन लोगों की संख्या जो सम्मिलित होने के लिये कटिबद्ध हों ।
- ११—भाषा और अक्षर (लिपि) जिनमें बहियां रखनी आयेंगी ।
- १२—सभा-मन्त्री या सरपंच का नाम ।
- १३—पता—(ग्राम और डाकघर) जो रजिस्टर में अंकित होगा ।

सहकारी सभाओं के एक्ट नं० २ सन १९१२ ई० की धारा ८ सहायक धारा (२) के (घ) और (ब) टुकड़े के अनुसार हम लोग जिनके हस्ताक्षर नीचे किए गए हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनमें सभासद सर्राखे व्यक्तियों की सी चुने जाने को योग्यता विद्यमान है यह प्रार्थना करते हैं कि सभा रजिस्टर में वृत्तों की जाय। दो प्रतिनिधियां निश्चित की हुई निवासवालों की जिन पर कोसामटी की ओर से निबमानुसार हस्ताक्षर किए गए हैं, हस्तक्षेप साध भेजी जाती हैं।

हस्ताक्षर

निवास स्थान

क्रम नक़्सा	नाम	बाप का नाम	वृत्त	जात	ग्राम	उ. कथर	जिला
१							
२							
३							
४							
५							
६							
७							
८							
९							
१०							

परिशिष्ट नं० २

सहकारी विकास समिति तथा ग्राम समिति के बाईसाज के अनुसार आदर्श नियम

प्रत्येक मेम्बर को निम्नलिखित नियमों को मानना होगा। न मानने की दशा में पंचायत को उन पर १००) तक जुर्माना करने का अधिकार होगा।

१—प्रत्येक मेम्बर को अपने घर की सफाई करके कुड़ा करकट आबादी से बाहर गड्ढों में रखना होगा।

२—प्रत्येक मेम्बर को अपने २ घर के सामने गलियां या मार्ग साफ रखने होंगे।

३—प्रत्येक मेम्बर को अपने २ नाबदान (पानी सोखने वाले गड्ढे) दुरुस्त करने होंगे, और हर साल बीपावकी पर उभरवा कर साफ करा देना होगा।

४—प्रत्येक मेम्बर को अपना घर हर सप्ताह दो दिन लिपवाना होगा।

५—किसी भी मेम्बर या उसके सम्बन्धी को कुयों की जगह पर न नहाना होगा और न कपड़े ही धोना होगा।

६—कोई भी मेम्बर गांव के अन्दर मिट्टी खोदकर गड्ढा न बना सकेगा और जो गड्ढे ऐसे मौजूद हैं उन्हें दो साह के अन्दर पटाना होगा।

७—प्रत्येक मेम्बर को नये मकान बनवाने समय या पुराने मकानों को नया बनवाने समय या उसमें परिवर्तन करते समय पंचायत की मंजूरी लेनी होगी और उसके बतलाये हुए ढंग पर खिड़की आदि रखनी होंगी।

८—प्रत्येक मेम्बर के बच्चों को दो बार टीका लगवाना होगा, एक छः या सात माह की उम्र में, दूसरा ७ या ८ साल की उम्र में।

९—प्रत्येक मेम्बर को फ़ैर्ल है कि बंके के पैदायश के समय पंचायत को खबर दे और नार काटने का जो प्रबन्ध वह करे उसके मुताबिक काम करे ।

१०—प्रत्येक मेम्बर को अपने सभी बच्चों को स्कूल भेजना होगा व प्रीटों को भी पढ़ाना होगा ।

११—प्रत्येक मेम्बर को आवश्यक होगा कि वह अपने पशुओं को दूसरों के दरवाजे और आम रास्ते से अलग बांधें और इसी भांति चरनी भी अलग बसाना होगी ।

१२—कोई मेम्बर किसी दूसरे का खेत या मेंड़ न जोतेगा और न तोड़ेगा और न किसी दूसरे के खेत को बरायेगा और न फसल या घास ही चुरा कर काटेगा ।

१३—प्रत्येक मेम्बर को चाहिये कि न तो वह स्वयं जुआ खेले और न मादक वस्तु का प्रयोग करे और न अपने घर या रां के खेती दे ।

१४—प्रत्येक मेम्बर का फ़ैर्ल होगा कि वह पंचायत के बतलाए हुए ढंग पर खेत करे और उन्नति शील धातु और औजारों का इस्तेमाल करे और बतलाए हुए ढंग पर खाद बनावे व प्रयोग करे । और अपनी उपज को सार्मात के बतलाए ढंग पर बेचे ।

१५—प्रत्येक मेम्बर को ग्राम-सभा की वप समितियों का हुकम मानना पड़ेगा ।

१६—प्रत्येक मेम्बर को शादी, पैदायश या खुशी के मौकों पर अपनी हैसियत के अनुसार दान देना होगा ।

१७—प्रत्येक मेम्बर को हर फसल पर दस सेर अनाज प्रति हल दवाखाने, पाठशाले आदि के प्रबन्ध को देना होगा और जो अन्न न देंगे वह बाजारी कीमत देंगे ।

- १८—प्रत्येक मेम्बर को चाहिए कि वह सबके साथ ईमानदारी का व्यवहार करे, लेन देन ठीक रखे, अदायगी वक्त पर करे।
- १९—प्रत्येक मेम्बर को चाहिये कि नाच के बजाय अपनी भजन मंडली तथा नाचक मंडली से काम ले।
- २०—प्रत्येक मेम्बर को धर्म घट रखना होगा।
- २१—प्रत्येक मेम्बर को गांजा, भंग, शराब आदि से बचना होगा।
- २२—प्रत्येक मेम्बर को चाहिये कि वह जो चीज यात्री हल औजार या और आलात व बीज बरौन्द, जो सोसाइटी से ले वह मय सवाई या किराये के अगर कोई हो समय पर वापस कर दे वरना पंचायत दण्ड देने की अधिकारी होगी।
- २३—प्रत्येक मेम्बर को चाहिये कि गांव में सब त्योहार शुद्ध रूप से पंचायत के बतलाए ढंग से मनावें और उनको पंचायत के बताए हुए काम करना होंगे।
- २४—प्रत्येक मेम्बर को अपने घरों में रोशनदान बतलाए ढंग पर खोजना होगा।
- २५—कोई मेम्बर बिना पंचायत की राब के कोई मामला अदालत में नहीं लेजायगा।
- २६—प्रत्येक मेम्बर को कम से कम साल में ४ आम जत्तों में शरीक होना पड़ेगा विशेष कारणों में पंचायत जमा कर कर सकती है।
- २७—प्रत्येक मेम्बर को लाजिम होगा कि वह हर एकदशी को अपने अपने कारोबार बन्द रखे और उस रोज अपने मवेशी औजार और कपड़े आदि की सफाई करे।
- ऊपर लिखे हुए क़ायदे.....सुसाइटी की काररवाई जल्ता आम के प्रस्ताव नं०.....में जोकारीख.....को हुई पास हुए।

सरपंच

इससे लेन देन करना चाहती हैं इस बैंक का हिस्सेदार बनना पड़ता है। जिस तरह गांव की समिति का मेम्बर अपना हिस्सा २० छमाही किस्तों में यानी १० वर्ष में पूरा करता है उसी तरह यह गाँव की सभायें भी बैंक के हिस्से को १० वर्ष में पूरा करती हैं। आम तौर पर बैंक का हिस्सा (१००) का होता है जो १० की १० सालाना किस्तों में अदा किया जाता है। समिति यदि चाहें तो अपना कुल हिस्सा एक साथ ही दे सकती है किंतु की आवश्यकता नहीं। जिस तरह देहार्ता समिति मेम्बर को हिस्सेदार बनाकर बचत करना सिखाता है उसी तरह एक बैंक गांव की सभा को अपना हिस्सेदार बनाकर बचत करना सिखाता है।

सेण्ट्रल जिला बैंक का गांव की समिति से सम्बन्ध

गांव की समितिका सेण्ट्रल बैंक या जिला बैंक से वही सम्बन्ध है जो एक गाँव के मेम्बर का गांव की समिति से है। जैसे गांव की समिति का मुख्य उद्देश्य यह है कि मेम्बर को कम सूद पर रुपया दिलावे और मेम्बर की आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारे इसी तरह बैंक का मंशा यह है कि देहात की समितियों को कम सूद पर रुपया दिलावे और ग्रामों से सुधार करावे। जैसे गांव की समिति अपने मेम्बर के सिवाय और किसी को कर्जा नहीं दे सकती उसी तरह जिला या सेण्ट्रल बैंक भी अपने अन्तर्गत

ग्रामों की समितियों के सिवाय और किसी से लेन देन नहीं कर सकते। ग्राम समितियों को अब क्षेत्रीय यूनियन के द्वारा भी रुपया दिया जाता है।

सेण्ट्रल या जिला बैंक एक हिस्सा में गांव की सभा के महाजन हैं परन्तु ऐसे महाजन नहीं जो अपना ही फायदा देखते हैं और आमामियों को चूम कर अपना भत्ता करते हैं। सेण्ट्रल बैंक का असली मंशा यही रहता है कि जैसे एक देश का मेम्बर अपनी समिति में बचत करके कुछ जमा करता जाता है और फिर पूंजा वाला हो जाता है उसी तरह वह गांव की समितियों को अपने यहाँ हिस्सेदार बना कर बचत करना मिला दें और उनके स्वतन्त्र बना दें। इसक अतिरिक्त गांव की सभा जब सेण्ट्रल बैंक में हिस्सेदार हो गई तो बैंक का इनाजम इन्हा लोगों के हाथ में रहता है क्योंकि डायरेक्टर इन्हीं समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा ही चुने जाते हैं। इस तरह यह गराव कारगर एक बड़े बैंक के मालिक हो जाते हैं।

देशत की समितियों को जिनके मेम्बर कम हैसियत के और बेपढ़े होते हैं पूंजा की आवश्यकता होती है और मेम्बरों को शिक्षा देने की भी इच्छा होती है। शिक्षा और पूंजी दोनों ही गांव में नहीं मिलते, इसलिये शहरों या कस्बा से सम्बन्ध रखने की आवश्यकता होती है। जहां गांव वालों का शहर वालों से

इस तरह सभा में जाकर सम्बन्ध हुआ तो फिर गांव की समितियों को पूंजी का भी कमी नहीं रह जाती और शिक्षा भी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त और दूसरे सुधार करने की भी गुंजायश निकल आती है।

सेण्ट्रल बैंक असल में एक आदत का काम करता है। यह शहर से रुपया बटोर कर देहात के काम के लिये भेजता रहता है और देहात के उत्थान के लिये पढ़े लिखे लोगों की सहायता भी मिलती रहती है। देहात की समितियों में रुपया पैसा सेण्ट्रल या जिला बैंकों से ही जाता है इसलिये बैंक की सफलता गांव की समितियों या ग्रामनयनों की सफलता पर ही निर्भर होता है। यदि गांवों का सभायें बैंक को ठीक समय पर किस्त अदा नहीं करतीं तो बैंक भी अपने अमानत दारों को जिनसे उसने रुपया लिया है समय पर नहीं दे सकता। नतीजा यह होता है कि बैंक की साख जाती रहती है और उसको फिर कोई रुपया नहीं देता। इसका मतलब यह हुआ कि गांव की समिति की सफलता मंत्रियों की ईमानदारी और समझ पर निर्भर है और बैंक की सफलता गांव की समितियों के ठीक काम करने पर निर्भर होती है। नतीजा यह हुआ कि बैंक की भी सफलता गांव के ही मंत्रियों पर निर्भर है।

यह एक उदाहरण से समझ में आ जायगा। यदि हम कोई

बड़ी इमारत बनाना चाहें तो हमको अच्छी पक्की ईंटों की आवश्यकता होगी और इमारत उस समय तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसमें अच्छी पक्की ईंटें न लगी हों। या कोई गाड़ी नहीं चल सकती और न बोझ ही ढो सकती है अगर उसके पहियों की लकड़ी या आरे खराब और कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे इमारत बनाते समय पक्की ईंट देखी जाती है और गाड़ी बनाते समय पहिये की मजबूत लकड़ी देखते हैं, वैसे ही सहयोग की इमारत के लिये अच्छे और ईमानदार मेम्बर चाहिये। इनके ही ऊपर इस आन्दोलन की सफलता का सारा बोझ है। यदि यह अपना काम ठीक से समझकर ईमानदारी से करते जाते हैं तो ऊपर की इमारत मजबूत बनती जायगी जैसे गाड़ी में यदि कोई कमजोर लकड़ी लगी है तो उसे बदल देने या निकाल देने से गाड़ी मजबूत हो जाती है और अधिक बोझ ढो सकती है उसी तरह यदि कोई खराब मेम्बर समिति में आ गया है तो उसकी दुरुस्ती करने से या बदल देने से सभा मजबूत हो जाती है। मेम्बर की मजबूती से बैंक भी मजबूत हो जाता है यानी सहयोग की सारी इमारत मजबूत हो जाती है।

बैंक का प्रबन्ध

साधारणतः तौरसे लोग इसे सरकारी कह समझते हैं और कहते हैं कि यह सरकारी रुपया है और सब मुनाफा सरकार में जाता है

यह खयाल बिल्कुल गलत है । सरकार सिवाय निगरानी के और कुछ नहीं करती । इन बैंकों में जैसा बताया गया है स्वयं गांव वालों की और कुछ शहर वालों की पूंजी होती है जो गांव वालों के ही काम आती है । इसका प्रबन्ध इन्हीं लोगों की बनी हुई पञ्चायत या बोर्ड के हाथ में होता है । बोर्ड में चुने हुये १२ से १७ मेम्बर तक होते हैं । यह बोर्ड अपनी तरफ से पाँच या सात आदमियों की एक प्रबन्ध कारिणी कमेटी चुन देता है जो सब बातों की देख भाल करती है । जैसे गांव की समिति में मेम्बरों की साख, ओसत साख, हिस्सा व सूद इत्यादि सब जल्सा आम में निश्चित किया जाता है, इसी तरह बैंकों में भी सब सभाओं की अन्तिम साख, ओसत साख, सूद की दर, हिस्सा इत्यादि सब काम बोर्ड के ही द्वारा ते होता है । बोर्ड सब सभाओं के प्रतिनिधियों का ही चुना हुआ होता है ।

बैंक में भी हिस्सों पर मुनाफा क़ानून के हिसाब से १० फीसदी से अधिक नहीं दिया जा सकता परन्तु साधारणतः नियमानुसार अमानत के सूद से एक या दो प्रतिशत अधिक देते हैं । मुनाफे में से बकाया सूद निकालने के बाद जो रहता है उसका एक चौथाई बचत की पूंजी में डाला जाता है परन्तु इस समय रजिस्ट्रार की आज्ञानुसार एक तिहाई डाला जाता है और १० प्रतिशत ख़ैरात फण्ड में डालते हैं । बाकी में से मुनाफ़ा बांटा जाता है और बहुत से गांव वालों के फायदे के फण्ड बनाए

कर्ज दे देता है। बैंक का हिस्सा १००) का होता है और यह १०) सालाना की दस किस्तों में अदा किया जाता है। जब कभी कोई गांव की समिति बैंक से लेन देन करना चाहती है तो वह अपनी सभा में हिस्से की खरीदारों का प्रस्ताव पास करके और मेम्बरान की हैसियत जो दर्ज की गई है उसका जोड़ और मेम्बरान की मामूली साख का जोड़ बैंक को भेज देती है। बैंक अपनी प्रबन्ध-कारिणी कमेटी की मीटिंग में उस समिति की अन्तिम साख और औसत साख निश्चित करके समिति को सूचित कर देती है। हिस्से की पहिली किस्त जमा हो जाने पर समिति को बैंक से कर्जा पा जाने का अधिकार हो जाता है।

ग्राम समिति अपने मेम्बरों की दरखास्त कर्जा आवश्यकता के अनुमार तैयार करती है और उसी का जोड़ जो होता है, उतनी रकम की दरखास्त कर्जा समिति की ओर से बैंक को पञ्चों के हस्ताक्षर कराकर भेज दी जाती है। इस दरखास्त पर हल्के के काम करने वाले आरगेनाइजर या सुपरवाइजर की सिफारिश होती है। यह दरखास्त जब बैंक में पहुँचती है तो मैनेजर बैंक इस दरखास्त को अपनी रिपोर्ट के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भेजकर मंजूर करा लेते हैं। मंजूरी के बाद समिति को रुपया मनीआर्डर से भेज देते हैं या पंच लोग स्वयं आकर ले जाते हैं। यह रुपया गांव में पंचायत के सामने मेम्बरों से प्रोनोट लिखा कर बांट दिया जाता है और जामिनदारों के

भी हस्ताक्षर उस प्रोपोजिट पर करा लिये जाते हैं। इस प्रोपोजिट के फार्म का नमूना पुस्तक के आखिर में दिया है।

बैंक की ज़िम्मेदारी व पूजा

जैसा ऊपर बताया जा चुका है प्राइमरी (गांव की) समिति की ज़िम्मेदारी समिति के कर्जों की अदायगी के लिये अपरमित होती थी परन्तु अब बहुधंधी समितियों में परमित होती है यानी अपरमित में हर एक मेम्बर अपनी जायदाद की आखिरी पाई तक समिति के कर्जों को अदा करने का ज़िम्मेदार रहता है और परमित में हिस्से की रकम का दुगना या चौगुना तक रहता है। परन्तु बैंक में यह बात नहीं है। यहां पर ज़िम्मेदारी परमित (महदूद) होती है। यानी बैंक जो कर्ज या अमानत लेती है उसकी अदायगी के लिये बैंक के मेम्बर अपने हिस्से की ही हद तक ज़िम्मेदार होते हैं। बैंक में जैसा बताया जा चुका है, दो तरह के हिस्से होते हैं। एक शख्सी हिस्से जिनपर मुनाफा बांटते समय कुछ तरजीह भी दी जाती है। शख्सी हिस्से कोई भी व्यक्ति अपनी निजी हैसियत से खरीद सकता है। दूसरे वह हिस्से होते हैं जो आम तौर से गांव की समितियां या दूसरी सहकारी संस्थाएं खरीदती हैं। वह समितियां मामूली हिस्सेदारों की कहलाती हैं। दोनों तरह के हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी परमित होती है।

मालगुजारी के ढंग पर हो जाती है। यानी रुपया मारे जाने की सम्भावना ही नहीं है।

(२) दूसरे सूद भी और बैंकों से अधिक मिलता है क्योंकि देहात में कुछ अधिक सूद में रुपया लग जाता है।

(३) तीसरे हर महीने बैंकों को एक रिपोर्ट देना होती है कि कितनी अमानत वापस करना है और कितनी वसूली होना है। यानी इससे अमानतों के वापसों का उचित प्रबन्ध हो जाता है और बैंक की माली हालत का पता चलता रहता है।

(४) चौथे हर तीसरे महीने बैंक अपनी माली हालत का एक नक्शा बनाकर रजिस्ट्रार महोदय के यहां भेजता है जिससे कुल अमानत जो वापस करना है और कुल रुपया जो हाथ में है इसका सम्बन्ध मालूम हो जाता है और बैंकों को एक नियमित हद के अनुसार रुपया तैयार रखना पड़ता है।

(५) पांचवें प्रान्तीय सहकारी बैंक से इसका सम्बन्ध होता है जिसे हर प्रकार की कठिनाई के समय वह बैंक इसका सहायता करता है।

यह सब जांच और निगरानी सरकार स्वयं करती है। सरकार स्वयं हर साल अपने मुद्दमें के द्वारा वार्षिक हिसाब किताब की जांच करा लेती है। इस तरह से इन बैंकों में अमा-

(१४५) डायरेक्टरों का काम

- १०—गांव की समितियों के लिये रईसों, जमींदारों या भत्ते आरमियों की सहानुभूति पैदा करना और सहायता लेना ।
- ११—यदि कोई ऐसी आवश्यकता आ पड़े तो मेम्बर और जमींदार या महाजन के बीच में पड़कर समझौता करा देना और झगड़ों को रोकना ।
- १२—बैंक के सालाना मुनाफे को ठीक तौर से इस तरह बटवाना कि गांवों के सुधार के लिए भी काफी रुपया मिले ।
- १३—साज भर में जो सहाकारी सभाओं ने काम किया है उसका व सालाना आमदनी व खर्च और पूंजी व जिम्मेदारी की रिपोर्ट पब्लिक की सूचना के लिए प्रकाशित करना ।
- १४—गांव के रहने वालों में अच्छे रहन सहन, बचत और सुधार के भाव पैदा करना और यह कोशिश करना कि सब लोग बहुधंत्री सभायें बनावें और उनमें शामिल हों ।
- १५—गाँव में उतारावन शक्ति बढ़ाने तथा कुटीर उद्योगों में उन्नति करने के सारे उपाये सोचना और बैंक तथा सुपरवाइजर द्वारा अमल कराना ।
- १६—यदि उन्नति के लिए रुपय की कमी पड़े तो प्रविशंल बैंक द्वारा प्रबन्ध करना ।

निजी लेन देन

बैंक के पदाधिकारियों को जैसे सेक्रेट्रियों या दूसरे कर्मचारियों को अपनी ओर से या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों की ओर से लेन देन न करना चाहिये। यह भी अक्सर देखा गया है कि जहाँ डारेक्टर या सरपंच या और पदाधिकारियों ने ऐसा चलन किया तो वह फिर जनता के लाभ को छोड़ कर अपना ही लाभ सोचने लग जाते हैं। इसलिए इसकी देख भाल रखना चाहिये कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम से भी किसी मेम्बर या सभा से लेन देन न करने पावे। अब कुछ व्योरा प्रान्तीय सहकारी बैंक का दिया जाता है ताकि जिला बैंकों का सम्बन्ध मालूम हो सके।

प्रान्तीय सहकारी बैंक

हम पहिले बता चुके हैं कि जिला सहकारी बैंक ग्राम समितियों के लिये उन्हीं के प्रतिनिधियों द्वारा स्थापित हुआ और उसमें ग्राम समितियों के अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत हिस्सेदार जिनके पास कुछ धन था वह भी सम्मिलित हो गये। ऐसे बैंक प्रत्येक जिले में अपनी अन्तर्गत समितियों को चलाते रहे परन्तु इन समितियों की समस्त आवश्यकतायें पूरी न कर सके क्योंकि इनके पास इस काम के लिये प्रयाप्त धन न था। बाज २ जिलों

में जहां क्रय-विक्रय का काम आरम्भ किया गया बैंक पूरी आर्थिक सहायता न दे सके। और रजिस्ट्रार महोदय के जरिये से प्रान्त के दूसरे जिले के बैंकों से रुपया लेना पड़ा १९४४ तक इसी तरह प्रान्त में काम चलता रहा। प्रत्येक बैंक हर महीने रजिस्ट्रार को यह सूचित करता था कि उसके पास कितना रुपया आवश्यकता से अधिक है या उसको कितने रुपये की आवश्यकता है। रजिस्ट्रार महोदय उसी हिसाब से एक जिला बैंक से दूसरे को दिला देते थे। इसमें कभी २ बड़ी कठिनाई पड़ती थी। भारत के सभी प्रान्तों में प्रान्तीय सहकारी बैंक थे केवल उत्तर प्रदेश में नहीं था।

यहां की सरकार का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया और १९४४ में यहां भी प्रान्तीय सहकारी बैंक स्थापित हो गया इसके मुख्य उद्देश्य नीचे लिखे हैं:—

- १—जिला बैंकों का आधुनिक बैंकिंग के ढंग पर पथ-प्रदर्शन करना।
- २—जिला बैंकों की आवश्यकता के अनुसार रुपये कर्ज दिलाना और उनकी जिले की सहकारी स्कीमों को सफल बनाने में आर्थिक सहायता देना।
- ३—प्रान्त के सहकारी आन्दोलन का केन्द्र बनकर सब जिलों

में समान रूप से आन्दोलन चलाना ।

७—रुपये जमा कराने और उसको लाभदायक कामों में लगाने के उपाय ढूँढना और बैंकों को बताना ।

४—भारतीय रिजर्व बैंक से सम्बन्ध रख कर जिला बैंकों को सहायता दिलाना और बैंकों का सम्बन्ध कायम कराना ।

५—देश के अन्य बैंकों और जिला सहकारी बैंकों में सम्बन्ध स्थापित कराना ।

७—दूसरे और ऐसे काम करना जिससे प्रान्त में सहकारी आन्दोलन तथा क्रय-विक्रय की जड़ मजबूत हो जावे ।

इस बैंक में जिला सहकारी बैंक व और दूसरे सहकारी समितियां मेम्बर हैं और साथ साथ कुछ धनी व्यक्ति भी हैं जिन्होंने काफी हिस्से लिये हैं । प्रान्तीय के १० बैंक के श्री रजिस्ट्रार महोदय पदेनु प्रभाषति हैं । इसका प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा होता है जिसमें ६ सहकारी समितियों के प्रतिनेधि और व्यक्तिगत मेम्बरों में ५ और दो सरकर द्वारा नामजद डायरेक्टर होते हैं ।

प्रान्तीय बैंक में हिस्से की रकम १२,५७ लाख रुपया १९४१ में थी और २-३ करोड़ रुपया डिपॉजिट था और व्यवसायिक पूंजी ३.१ करोड़ रुपया थी । इस बैंक की शाखायें बाराबंकी, सीतापुर, कानपुर और अजमोड़ा में खुली है । डिपॉजिट पर

पहले तो इसने प्रान्त भर में अपने डिपो खोलकर काम चलाया और आवश्यक नियन्त्रित वस्तुओं का जैसे मिट्टी का तेल, कपड़ा, चीनी, खली इत्यादि का वितरण किया और करोड़ों रुपये का माल बेचा। कन्ट्रोल टूट जाने पर डिपो बन्द कर देना पड़े।

अब १९४७-४८ में जब सरकार की नई विकास योजना के अनुसार कार्य आरम्भ हुआ तो प्रान्त में १२५० विकास क्षेत्र कायम हुये और प्रत्येक में एक २ विकास यूनियन स्थापित की गई। इन यूनियनों को एक सूत्र में बांधने तथा समान रूप से काम चलाने के लिये जिला विकास फेडरेशन स्थापित हुये। इन्हीं बहुधनी समितियों तथा विकास संघों और जिला फेडरेशन के द्वारा नियंत्रित वस्तुओं का वितरण भी होने लगा। अब आवश्यकता यह हुई कि प्रान्त में सभी जिलों में समान पालिसी रखने के लिये एक प्रान्तीय केन्द्र पर एक सहकारी संस्था हो जो यह काम करे। इसलिये सरकार ने प्रान्तीय विकास तथा मार्केटिंग फेडरेशन को यह काम सौंपा।

१९४८ में ५६७ बीज भण्डार जिसमें लगभग दो करोड़ का माल था क्षेत्रीय विकास संघों के हित के लिये इस फेडरेशन को दे दिये गये। १९४९ में १७४ बीज भण्डार नये स्थापित हुये। इसी साल १९४८ में फेडरेशन ने प्रान्त के ३१ जिलों में कपड़ा

वितरण का कार्य ले लिया और साल ४८-४९ में लगभग ८ करोड़ का माल खरोश और $६\frac{1}{2}$ करोड़ का बेचा। फेडरेशन को सरकार के ओर से मिर्जापुर जिले में दुधरी में लाख व्यवसाय का काम सौंप दिया गया है जहां यह लाख इकट्ठा करके विंढम गंज फैक्ट्री में चपरा बनाता और बाहर भेजता है।

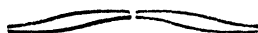
फेडरेशन ने इस प्रकार बहुधंधी कार्य करना शुरू किया और यह जान पड़ा कि उसके पुराने नियमावली से कुछ काम में रुकावटें पड़ती हैं इसलिये अब दूसरी संशोधित नियमावली पास कर दी गई है। अब केवल जिला विकास फेडरेशन और वह जिला बैंक जो इस समय इसमें शामिल है वही इसके सदस्य रहेंगे। इस समय मारकेटिंग के काम के लिये प्रान्तीय फेडरेशन इस प्रान्त की एक प्रमुख संस्था है। यह उत्पादकों और उपभोगता समितियों के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है।

इसके मुख्य उद्देश्य नीचे लिखे हैं:—

- १—जिला फेडरेशन के द्वारा खेती से अधिक उत्पादन के लिये अच्छे बीज, खाद तथा औजारों का प्रबन्ध करने में सहायता देना और उद्योग धंधों में उन्नति करने के लिये कच्चा माल और मशीने इत्यादि मंगा कर देना और इन कामों में उन्नति करने के लिये विशेषज्ञ बुलाकर काम को सिखाना।
- २—दूध के मवेशियों में उन्नति कराकर अच्छा दूध पैदा

ग्यारहवाँ अध्याय

समितियों का संचालन तथा निरीक्षण



हम पहले बता चुके हैं कि पहले ग्राम समितियों को संगठन करके नई योजना के अनुसार क्षेत्रीय विकास यूनियन (संघ) बनाये गये जो अब नये ढंग पर विकास का कार्य भी करते हैं और अपनी अन्तर्गत समितियों को सहायता भी देते हैं। प्रत्येक जिले में सब क्षेत्रीय यूनियनों को संगठित करके जिला विकास फेडरेशन बना दिए गए हैं जो मुख्यतः विकास कार्य करते हैं और क्रय-विक्रय का काम भी यूनियनों द्वारा करते हैं। रुपये पैसे के लेन देन के लिये हर जिले में जिला बैंक हैं जो आवश्यकतानुसार प्रान्तीय सहकारी बैंक से सहायता लेते हैं जिससे सम्बन्धित हैं। प्रान्तीय बैंक सभी बैंकों को आर्थिक सहायता के अतिरिक्त समितियों को तथा समस्त सहकारी आन्दोलन को

सफल बनाने का प्रयत्न करता रहता है और सही रास्ता बताता है ।

आरम्भ में जब न तो जिला फेडरेशन थे और न प्रान्तीय बैंक था तब समितियों के संगठन, उनके संचालन तथा आर्थिक सहायता का सभी भार जिला सहकारी बैंकों पर ही था । परन्तु देखा यह गया कि जिला बैंक इस कठिन काम को पूरी सफलता के साथ पूरा न कर सकें । और १९२६ में प्रान्तीय सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की जो श्री ओकडेन साहब कमेटी के चेयरमैन के नाम से प्रसिद्ध है । इस कमेटी ने जगह २ का दौरा किया और काफी समय जांच परताल में लगाया ।

इसका फल यह हुआ कि इस कमेटी ने यह निश्चय किया कि समितियों का संगठन, प्रचार और सहकारी शिक्षा तथा हिस्साब किताब रखने का काम एक अलग संस्था के सुपुर्द किया जावे और जिला बैंक केवल लेन देन का काम करे और जिले की सम्स्त सहकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता दे । इस प्रान्त के अतिरिक्त सभी प्रान्तों में इससे पहले ऐसी संस्थायें प्रान्तों में बन चुकी थीं । कहीं इसका नाम प्रान्तीय सहकारी फेडरेशन रक्खा गया और कहीं प्रान्तीय सहकारी इन्स्टीट्यूट रक्खा गया । यू पी० में प्रान्तीय सहकारी यूनियन के नाम से यह संस्था स्थापित हुई । इस तरह अब सहकारी समितियों के संगठन,

ने किया। सुपरवाइजरों के मुख्य काम नीचे लिखे होते हैं। इनको हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं।

१—काम के सिद्धान्त	४—मुख्य काम
३—दौरा	५—उन्नति
२—शिक्षा	६—देखभाल
७—पंचायत की सहायता	

अब हम हर एक का कुछ व्योरा समझाते हैं।

काम के सिद्धान्त

सुपरवाइजर को अपने इल्के में सभी काम मेम्बरों से कराना है इसलिये उनमें अपना विश्वास पैदा कराना आवश्यक है इसलिये गांव वालों में उसको अधिक मेल जोल पैदा करना चाहिये और सेवा भाव से उनकी तन मन से सेवा करके अपना प्रभाव जमा लेना चाहिये। विशेषकर नीचे लिखे सिद्धान्तों पर काम करना चाहिये।

१—गांव वालों पर इकूमत न जताना चाहिये न डाटना चाहिये बल्कि प्रेम से बर्ताव करके सब काम कराना चाहिये।

२—सेवा भाव से सबकी सहायता करके अपना प्रभाव जमाना चाहिये।

३—ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिये।

(१६३) सुपरवाइजर के कर्तव्य

- ४—सब काम गांव वालों की सलाह से उनका सच्चा दोस्त, मददगार और सलाह कार बनकर करना चाहिये ।
- ५—सरकार के सभी मोहकमे वालों से मेल जोल रखना चाहिये ।
- ६—बैंक के डायरेक्टरों की सलाह से काम करके अपना पतवार जमाना चाहिये ।
- ७—गाँव वालों को उनकी ही ज़बान में समझाकर बात करना चाहिये ।
- ८—उसको स्वयं सादगी से और मितव्ययता से रहना चाहिये और जिन सहयोग के सिद्धान्तों का वह प्रचार करता है उन पर स्वयं अमल करना चाहिये ।

दौरा

सुपरवाइजर जब तक अपने हल्के के गांव में दौरा नहीं करता उसको वहां के कोई हाल मालूम नहीं हो सकते । इसलिये उसे दौरा करना अति आवश्यक है पर इस बात का खयाल रखना चाहिये कि उसके दौरे से गांव वालों को कोई कष्ट न हो और न ऐसा हो कि वह उसके दौरे से डकटा जायें । रात को उसे गांव में ठहर कर उनसे बात करना चाहिये । दौरे में यह क़ायदे उसको अमल में लाना चाहिये ।

१—हल्के भर में दौरा करना ।

२—कम से कम २० रात गांव में बिताना और प्रोग्राम के अनुसार काम करना चाहिये ।

३—उसको अपनी नमूने की समिति में और बिगड़ी हुई समस्याओं में अधिक समय देना चाहिये ।

४—उसको हर समिति के कम से कम तीन मुआइने करना चाहिये और कम से कम चार माहवारी जल्सों में सम्मिलित होना चाहिये ।

५—उसको हर साल अप्रैल व अक्टूबर के महीने में समिति के हिसाब किताब जांच कर सूद लगाना और क्रिस्तों की सूची बना देना चाहिये और सालाना जल्से में शिरकत करना चाहिये ।

६—उसको महीने में एक बार बड़े बैंक में जाकर सबसे मिलना चाहिये और अपनी समितियों के हिसाबत मिला लेना चाहिये और हफ्ते में एक दिन हेडक्वार्टर पर अवश्य रहना चाहिये ताकि मेम्बर जो आवें उनसे भेंट कर सके ।

७—उसको हल्के का एक नक्शा गांव बार रखना चाहिये और एक नोटबुक कायदे के अनुसार रखना चाहिये । उसको अपने सर्किल की मुआइना बुक व डायरी की किताब भी

रखना चाहिये ।

८—उसको हर महीने अपने काम की रिपोर्ट और दो पन्द्रह रजि० डायरी इन्स्पेक्टर को देना चाहिये ।

शिक्षा

सहकारी समितियों की सफलता उसके मेम्बरों की सहकारी शिक्षा पर निर्भर है इसलिये सुपरबाइजर को नीचे लिखी बातें मेम्बरों को समझाना चाहिये ।

१—मेम्बरों को सहयोग के सिद्धान्त और सहकारी समिति का असली मन्शा बताना चाहिये उनके मेल जोल, मितव्यता हिस्से, ज़ामिन, पूंजी और बचत के बारे में समझाना चाहिये ।

२—मुनाफा समय पर बांटा जाय और हिस्से की समय पर वापस होना चाहिये । भले आदर्श समिति में शामिल होना चाहिये ।

३—समिति की माली हालत कैसे सुधरती है बताना चाहिये और देखना चाहिये कि फुटकर खर्च तो अधिक नहीं है ।

४—वाइलाज के विरुद्ध यदि कोई काम हुआ तो मेम्बरों को बताना चाहिये ।

५—अडिट और मुआइनों की बातों को ठुकरा कराना और अपने

मुआहने गांव की जवान में लिखना ।

६—सभी कारोबारी बातों को देखना और मेम्बरों को आवश्यक वस्तुयें जैसे खाद, बीज, कपड़ा इत्यादि दिलाना और उनकी पैदा की हुई चीजों की बिक्री कराना ।

मुख्य काम

सुपरवाइजर को अपने हल्के के मेम्बरों की उन्नति व उनकी शिक्षा की ओर मुख्य ध्यान देना चाहिये । इस सम्बन्ध में उसे नीचे मिले काम करना चाहिये ।

१—सुपरवाइजर को प्रत्येक मेम्बर से साल में कम से कम एक बार अवश्य मिलना चाहिये और दरखवास्त कर्जा की अच्छी तरह जांच करके बड़े बैंक तथा क्षेत्रीय यूनियन में भेजना चाहिये । यदि उसकी राय में कर्जा नहीं मिलना चाहिये या कम मिलना चाहिये तो उसको अपनी राय सही २ लिख देना चाहिये । सोसाइटी के प्रोनेट को तत्दीक भी कर देना चाहिये ।

२—समिति में जो कर्ज बांटा गया है उसके प्रयोग की जांच ८ दिन के अन्दर कर लेना चाहिये और वसूली के समय पंचायत को मदद देना उसका कर्तव्य है ।

३—मेम्बरों की हैसियत लिख कर उसकी जांच करके मेम्बर की

(१६७) सुपरवाइजर के कर्तव्य

अन्तिम साख व औसत साख निश्चित कराना चाहिये और कुल हैसियत का नकशा समितिवार बनाकर बैंक भेज देना चाहिये ।

४—सुपरवाइजर का कर्ज है कि सालाना नकशे बनावे और एक साल वाली समितियों का अडिट करे और बिगड़ी हुई समितियों को सुधारे और नई समितियों का संगठन करे ।

५—मेम्बरों को बाहरी कर्ज अदा कराने में मदद दे और डायरेक्टरों की राय से अपने हक्के में एक नमूने की समिति बनावे और कभी २ समितियों की एक कान्फ्रेंस करे और प्रदर्शनी आदि करावें ।

६—अफसरों के बताये हुये सब काम करे जिससे समिति में उन्नति हो और उसका एतबार जमे ।

उन्नति

मेम्बरों की तन, मन और धन की उन्नति कराना सुपरवाइजर का कर्तव्य है और इसके लिये उसे नीचे लिखे काम करना चाहिये ।

१—मेम्बरों का सामाजिक सुधार कराना और बुरी आदतें और रस्में छुड़ाना जैसे जुवा, नशा इत्यादि बन्द कराना और

इसी तरह का फिजूल खर्च रोकना, शादी गमी इत्यादि में कम खर्च करना ।

२—मेम्बरों को इस बात पर तैयार करना कि वह अपनी कुल आमदनी अपनी समिति में जमा करें और आवश्यकता-नुसार लेते रहें और मुख्य आवश्यकता पर जमा किये हुये रुपये से अधिक भी कर्ज के रूप में ले ले । आमदनी में से कुछ रुपया नकद या गल्ले के रूप में जमा करे ।

३—मेम्बरों के झगड़े झुकसमे गांव में ही तै कर देना ताकि बेकार खर्च न हो ।

४—खेती की उन्नति के लिये अच्छे बीज, खाद, औजार, पानी इत्यादि का उचित प्रबन्ध कराना और खेती के नये ढंग प्रयोग कराकर उपज बढ़ाना । और उसकी सहकारी ढंग पर बिक्री कराना । सम्मिलित खेती का भी प्रचार करना ।

५—गांव में आने जाने के रास्ते दुरुस्त कराना, नालियां बनवाना दवाखाना स्थापित कराना और दवा इत्यादि बांटने के लिये ग्राम सेवक तैयार करना और गांव में हर प्रकार से सफाई रखना ।

६—गांव में लड़के लड़कियों और प्रौढ़ मर्द व औरतों के पढ़ने का प्रबन्ध करना और तन्दुरुस्ती के लिये कसरत, खेल,

कूद और अखाड़ों का प्रबन्ध कराना ।

७—गरज यह कि हर प्रकार से स्वयं उन्नति करते रहना और गांव की हर प्रकार की उन्नति कराना ।

देखभाल

सुपरवाइजर को अपनी समितियों की देखभाल अच्छी तरह करना चाहिये और जांचते रहना चाहिये कि पंचायत ठीक से काम कर रही है और नेम्बरों को कोई कठिनाई तो नहीं है । नीचे लिखे काम करना उसका कर्तव्य है—

१—तहसील की जांच करना और मेम्बरों के लेन देन व हिसा-बात की जांच करना और उनकी पास बुकें जांचना व ठीक करना । साल में सभी पास बुकें जांच लेना चाहिये ।

२—यह देखना चाहिये कि कोई बकायादार न रहे विशेषतः पंचों और सरपंच पर किसी प्रकार की बकाया न रहनी चाहिये और यदि रह जावे तो उचित कारवाई होना चाहिये मेम्बरान से बसूली बाहर से कर्ज दिलाकर नहीं कराना चाहिये ।

३—बैंक के हिस्से समिति के हिस्सों की आय से अधिक नहीं होना चाहिये और मुनाफा सभी हिस्सेदारों को ठीक से बंट जाना

चाहिये। समिति की माली हालत की जांच करते रहना चाहिये और खर्चों की रोक थाम करना चाहिये। यदि कोई खराबी है तो समिति में पेश करके मेम्बरों को बताना चाहिये और इन्स्पेक्टर को रिपोर्ट कर देना चाहिये। यदि कोई गबन इत्यादि हो तो उसको रिपोर्ट अवश्य करना चाहिये।

४—गांव के भले आदमियों को समिति में शरीक करना और मेम्बरों की हैसियत की जांच ठीक २ करना और समिति के सभी कामों की देख भाल करना।

पंचायत की सहायता

सुपरवाइजर का यह भी एक कर्तव्य है कि वह समिति को सफल बनाने के लिये उसकी पंचायत को बराबर सहायता देता रहे ताकि समिति अपना काम स्वयं कर सके। विशेषतः उछे नीचे लिखे कामों में सहायता देना चाहिये।

१—कर्ज के प्रयोग की जांच में उसकी वसूली में, साक्षसी दावा कराने और डिग्री इजरा कराने में, और कर्ज के इत्तल दिलाने में सहायता करना चाहिये।

२—समिति के लिये बैंक से रुपया दिलाने में या डिपाजिट दिलाने में सहायता देना चाहिये।

३—मेम्बरों की साख निश्चित करने में, हृद कर्जा बांधने में और मुनाफा बंटवाने में सहायता करनी चाहिये ।

४—नये और अच्छे मेम्बर भर्ती करने में और खराब मेम्बरों को निकलवाने में और मेम्बरों का महजनी कर्ज चुकाने में सहायता करना चाहिये ।

५—मेम्बरों को खेतों से, या उद्योग धंधों से अधिक धन पैदा कराने में या आवश्यक वस्तुओं को मंगा कर देने में या उत्पादन किया हुआ सामान बिकवाने में सहायता देना चाहिये ।

अब हमें प्राविन्शल यूनियन की आय व्यय का भी कुछ हाल जान लेना चाहिये ।

प्राविन्शल यूनियन की आय व्यय

हम ऊपर यह बता चुके हैं कि यह यूनियन केवल इसलिये स्थापित हुई कि हर जिला बैंक के अन्तर्गत समितियों का संगठन प्रचार और सहकारी शिक्षा इसके द्वारा हो । इसलिये इसमें मेम्बर वहीं बैंक और बड़ी समितियां हुई जिनको इस यूनियन से निगरानी कराना स्वीकार थी । इन्हीं बैंकों या समितियों की कुछ प्रवेश फीस और सालाना चन्दा इसकी आय है । बैंकों से

यह चन्दा प्रत्येक सुपरबाइजर के औसत खर्च का ५५ प्रतिशत के हिसाब से लिखा जाता है। सरकार ने इस यूनियन के निगरानी के लिये जो कर्मचारी सुपरबाइजर रखे जाते हैं उनके वेतन इत्यादि के लिये और नई स्कीमों के संगठन के लिये कुछ ग्रांट मंजूर कर रखी है जो हर साल काम के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। पिछले साल में सरकार ने यूनियन को लाख रुपया दिया इस तरह इस यूनियन की आमदनी केवल दो ही मद्धों से होती है एक तो सम्मिलित बैंकों तथा समितियों से प्रवेश फीस व चन्दा दूसरे सरकारी ग्रांट। प्रचारादि के लिये भी सरकार अलग ग्रांट दे देती है और वह भी यूनियन की आय में मिल जाती है।

अब हमें यह देखना है कि समितियों का संगठन और संचालन होने के पश्चात् उनका निरीक्षण इत्यादि का क्या प्रबन्ध है।

सहकारी विभाग

हम सहकारी समितियों का संगठन देख चुके और यह समझ लिया कि इसकी रजिस्ट्री कैसे होती है। जितनी सहकारी समितियां यूनियन के प्रबन्ध से प्रान्त में बनाई जाती हैं सबकी रजिस्ट्री सहकारी एक्ट १९१२ के अनुसार होती है। उसी विधान में यह भी निश्चय है कि सरकार के और मोहकमों की तरह एक

सहकारी विभाग भी हो और प्रान्त में एक प्रधान अफसर जिसको रजिस्ट्रार सहकारी विभाग कहा जाता है उस मोहकमे का अध्यक्ष हो। यह विभाग भी उत्तर प्रदेश के मन्त्रि मण्डल के अन्तर्गत एक मन्त्री की निगरानी में काम करता है। अब हमारी सरकार की नई योजना के अनुसार देश में विकास कार्य सभी सहकारी ढंग पर हो रहे हैं। इसलिये रजिस्ट्रार महोदय को सभी काम देखना पड़ते हैं। एक व्यक्ति के लिये इतने कामों की स्वयं निगरानी कर लेना एक असम्भव सी बात है। इसलिये सरकार ने रजिस्ट्रार की मातहतों में उनकी सहायता के लिये कई अफसरान दे दिये हैं।

सहकारी एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रार महोदय का मुख्य काम सहकारी समितियों की सहायता करना और कठिनाइयों को दूर करके सही रास्ता बताना है। सहयोग के सिद्धान्तों पर काम कराकर समितियों के मेम्बरों का जीवन सुधार करना है। प्रान्त में जितने सहकारी विभाग के कर्मचारी हैं सभी के काम का निगरानी करनी पड़ती है और संसार भर के सहयोग के सिद्धान्तों का अध्ययन करके अपने देश के कायदे के लिये ज़रूरी के ठीक मालूम हों उनके जारी कराना होता है। समितियों के लिये नये कायदे रजिस्ट्रार ही बनाते हैं और उनकी रजिस्ट्री करते हैं। बाइलाज में काट छांट भी उनकी ही मंजूरी से होती है।

सहायक रजिस्ट्रारों को भी सरकार ने दे दिये हैं जिसका व्योरा सरकारी रूलस में जो सरकार ने एक्ट के अनुसार बनाये हैं, दिया गया है। वर्तमान प्रणाली के अनुसार सहायक रजिस्ट्रार एक जिले में काम करते हैं और इनकी सहायता के लिये कुछ इन्सपेक्टर नियुक्त किये जाते हैं जो अपने २ हल्के का सहकारी काम देखते हैं। सहायक रजिस्ट्रारों के अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित हैं :—

- १—सहकारी समितियों के संगठन के क्रायजत की जांच करना और रजिस्ट्री की सिफारिश करना।
- २—रजिस्ट्री की हुई समितियों का मुआइना करना और इन्सपेक्टरों के मुआइने की जांच करना।
- ३—ग्राम समितियों तथा प्रारम्भिक समितियों (Primary Societies) के मुनाफाबांटने की स्वीकृत देना।
- ४—सेन्ट्रल बैंकों तथा क्षेत्रीय यूनियन, विकास संघ तथा जिला फेडरेशन का मुआइना करना।
- ५—समितियों के कारोबार के सम्बन्ध में यदि कोई झगड़ा पैदा हो तो उसको एक्ट के अनुसार तै करने के लिये सालाही कार्यवाही करने की स्वीकृत देना और फैसला हो जाने पर यदि अपील हो तो उसे सुनना और अन्तिम फैसले के

बाद उस पर अमल कराना। यदि डिगरी हो तो उसे जारी कराने की आज्ञा देना।

६—दूटी हुई समितियों में लिक्वीडेशन की कार्यवाही की निगरानी करना और उसके लिये विशेष स्टाफ जिलाधीश से नियुक्त कराना और उसकी निगरानी करना।

७—समितियों के पुनर निर्माण की आज्ञा देना और देखना कि उनके सुधार का काम ठीक हो रहा है। समितियों के कर्ज लेने की हद जो नियुक्त होती है उसकी स्वीकृत देना।

८—एक से अधिक अपरमित जिम्मेदारी की समितियों में यदि कोई सम्मिलित हो गया हो उसको अलग करने की आज्ञा देना और निकाला हुआ कोई मेम्बर दोबारा समिति में शरीक होना चाहे तो उसकी स्वीकृति देना।

९—एक समिति को दूसरी से कर्ज लेने की आज्ञा देना।

१०—समितियों के आडिट के लिये प्रबन्ध करना और आडिटरों में कम बांटना।

११—अग्ने मातहत इन्स्पेक्टर, सुपरवाइजर, आडिटर इत्यादि के काम की जाँच करना।

इसके अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार एक गजटेड आफिसर

की हैसियत से रजिस्ट्रार का जिले में प्रतिनिधि होता है और सभी वैतनिक तथा अवैतनिक कार्य कर्ताओं से सम्बन्ध रखना पड़ता है।

इंसपेक्टर और उनका कर्तव्य

असिस्टेंट रजिस्ट्रारों के अन्तर्गत कुछ इंसपेक्टर काम करते हैं अब नये तरीके में इंसपेक्टर दो ग्रेड के रखे गये हैं एक साधारण इंसपेक्टर जिनकी तनख्वाह (१२०) मासिक से आरम्भ होती है दूसरे सीनियर इंसपेक्टर जिनकी तनख्वाह (२००) मासिक से आरम्भ होती है। यह अधिकतर जिलों में एडीशनल डी-सी-ओ का काम करते हैं या जो पुराने हैं वह छोटे जिलों में डी-सी-ओ कर दिये गये हैं। साधारण दोनों ग्रेड के इंसपेक्टरों के अतिरिक्त कुछ विशेष काम के लिये भी इंसपेक्टर हैं जैसे कपड़ा बुनने वालों के लिये^१ कसटायल इंसपेक्टर (Textile Inspector), दूध के लिये डेरी इंसपेक्टर, चकबन्दी इंसपेक्टर, प्रकाशन इंसपेक्टर और महिला इंसपेक्टर इस विभाग में काम करते हैं।

प्रत्येक जिले में असिस्टेंट रजिस्ट्रार या जिला सहकारी अफसर के मातहत ४ से ६ तक इंसपेक्टर काम करते हैं और हर इंसपेक्टर के पास १५० समितियां होती हैं और हर २५ से ३० समिति पर एक सुपरवाइजर होता है। वही सुपरवाइजर

सत्ताह देकर दावा पास कराना और यदि वह सालिस नियुक्त हो जावे तो सालसी दावे का फैसला करना ।

६—सालसी डिगरियों की इजरा कराकर रुखा वसुल कराना और पुपन्वाइजरो की वसुली की निगरानी करना ।

७—सुपरवाइजरो से समितियों के हिसाब किताब ठीक ठीक रखाना और उसकी जांच करना । मेम्बरों की हैसियत का लेखा जो सुपरवाइजरो ने बनाया हो उसकी भी जांच करना ।

८—सालाना हिसाब किताब व नकशे बनवाना और जिले भर का इकट्ठा कराकर सहायक रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के पास भिजवाना ।

९—सहकारिता का हर प्रकार से प्रचार करना, प्रदर्शनी कान्फ्रेंस तथा और ढंगों से प्रचार करना ।

१०—जिला बैंक तथा क्षेत्रीय यूनियन या और सेण्ट्रल समितियों का मुआइना करना ।

११—सरकार के चलाये हुये सभी विकास प्रोग्रामों को चालू करके ग्रामों में उन्नति कराना, कृषि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा क्रय-विक्रय की योजना को सफल बनाना ।

१२-तात्पर्य यह कि सहयोग से सम्बन्ध रखने वाले सभी काम करना और हर प्रकार की सहकारी समितियों को जैसे ही सफल बनाना ।

आडिटर

प्रत्येक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की निगरानी में कुछ आडिटर दे दिये गये हैं उन्हीं से वह अपने हल्के की समितियों के हिसाब बित्तों की जांच कराते हैं। आडिटर का इन्सपेक्टर से कोई सम्बन्ध नहीं होता वह सीधे सहायक रजिस्ट्रार के मातहत होते हैं। इनका काम यह होता है कि साल में १५० समितियों का आडिट करे और गांव २ जाकर हिसाब की जांच करे और मेम्बरों की सहकारी शिक्षा की जांच करे और उनको स्वयं शिक्षा दें। इस समय जिला बैंक और बड़ी २ समितियों का आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा लिया जाता है जिनको निश्चित फीस दी जाती है और बाकी समितियों का आडिट असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बनाये प्रोग्राम के अनुसार इन्हमे के आडिटर कर देते हैं।

अब हमने ग्राम समितियों, क्षेत्रीय यूनियन, जिला फेडरेशन प्रान्तीय फेडरेशन तथा प्रान्तीय सहकारी यूनियन का संगठन समझ लिया और यह भी जान लिया कि सहकारी विभाग क्या है और उसमें क्या होता है। सहयोग का एक ढांचा जो हमसे

सारे जीवन के कामों में लगाया जा सकता है ऊपर बता दिया गया। अब यह आवश्यक है कि हम यह देखें कि इस सहयोग से जीवन के भिन्न २ कामों में हम कैसे काम ले सकते हैं और हम जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं। हमारी सरकार जो जनता की चुनी हुई सरकार है चाहे जैसा प्रबन्ध जनता के जीवन को सुखी बनाने का करें परन्तु उसे अपने उद्देश्य में सफलता जब ही हो सकती है जब जनता से पूर्ण सहयोग उन योजनाओं के सफल बनाने में मिले। इस देश की हालत देखते ये हमें जीवन की सभी बातों में सुधार करना है जो बिना सहयोग के नहीं हो सकता। जनता का अब यह कर्तव्य है कि उसका सरकार जो योजना भी जीवन को सुखी बनाने की रखे उसमें वह पूर्ण सहयोग दे और उसे सफल बनावे। अब हम यह बतायेंगे कि जीवन को सुधारने के क्या २ काम सहकारी समितियों द्वारा और किस ढंग से किये जा सकते हैं और वह समितियां कैसे बनता है।

बारहवां अध्याय



सहयोग और विकास कार्य

हम पहले बता चुके हैं कि हमारे देश में सबसे प्रथम रोटी का प्रश्न है। अधिकांश देश की आबादी देहातों की है और भारत में देहातों की बुरी दशा है। देश की उन्नति या अवनति उसके देहातों से ही होती है। हमारे देश के किसान संसार के सभी देशों के किसानों से गरीब हैं और इसीलिये उनकी उत्पादन शक्ति भी सबसे कम है। हमारा किसान सबसे अधिक परिश्रम करता है पर उपज सबसे कम पाता है। हमारे देश की उन्नति जब ही हो सकती है जब हमारी भूमि की, किसानों की और किसानों के तरीकों की उन्नति हो और विकास कार्य चारों ओर से आरम्भ किया जाय क्योंकि यहा तो न किसानों को ही भर पेट रोटी और जी भर कपड़ा है और न मजदूरों को ही। सभी का हाल बिगड़ा है। जब इतनी मंहगाई होने पर भी किसानों का तथा मजदूरों का हाल न सुधरा तो आगे क्या होगा वही एक प्रश्न है। मंहगाई के साथ २ अन्न प्राप्त का भी एक

संकट सामने है। किसान की कुछ जायत हुई और सरकार ने भी स्वतन्त्रता के बाद से कुछ चंचलता दिखाई परन्तु अन्न संकट के सामने किसी और समस्या पर इतना ध्यान नहीं जाता। अन्न समस्या के अतिरिक्त किसान की और बहुत सी समस्यायें हैं।

इन्हीं को हल करने के लिये हमारी जन-सेवक सरकार ने कई विकास योजनायें जारी की हैं जो सहकारी बहुधंधी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं और जिनकी सफलता सहकारिता की सकलता पर ही निर्भर है। इस सहकारी योजना का संगठन सहकारिता के सिद्धान्तों पर ही निश्चित किया गया है जो वर्षों के हमारे नेताओं और नतिज्ञियों के तजरबे से सफल हुये हैं। हमारे सभी विकास कार्य जो जीवन को सुधार कर नये पैमाने पर लाने के लिये चलाये जा रहे हैं बहुधंधी समिति को संगठित करके ही चलाये जा रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि जीवन सुधार क्या है किन २ सिद्धान्तों पर इसका संगठन हुआ है और इसके अन्तर्गत क्या २ काम हैं।

जीवन सुधार तथा विकास कार्य क्या है

जीवन सुधार तथा विकास कार्य से अभिप्राय उन तमाम कामों से है जिनसे किसी गांव के रहने वालों में अच्छा जीवन व्यतीत करने के ढंगों का प्रचार हो जावे। इसमें गांव के तमाम

में अंधाधुन्ध खर्ची से उनकी जान मुसौबत में रहती है, चारों ओर अन्वकार हाँ दिखाई देता है, कोई इनका सहायक प्रतीत नहीं होता । इन लोगों को जीवन एक बबाल मालूम पड़ता है ।

इसो लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने गांव वालों को, जिनके हाँ भरोसे हम स्वयं जी रहे हैं, इस घोर अन्वकार से निकालें और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन करके उनको सुखी जीवन व्यतीत करने का नया रास्ता व नवीन ढंग दिखाएं । वही विनास कार्य है । जीवन सुधार की आवश्यकता गांव वालों के जीवन को सुखी बनाने के लिए हाँ पड़ा । क्योंकि गांव वालों का ऐसा कठिन परिश्रम और उनको तकलीफ देकर कोई भी देशवासी खामोश नहीं रह सकता । हमारे इस पतन, गरंवा और हाहाकार के कारण दूसरी पुस्तक 'ग्राम जीवन' में बताए गए हैं । यहां पर तो हम यही बतायेंगे कि जीवन का सुधार हम उन कारणों को दूर करके कैसे करें । हमें जीवन में किस प्रकार के संगठन करने की आवश्यकता है यह भत्ती भांति यहां समझाया गया है । अनुभव से हम कह सकते हैं कि जीवन सुधार का काम बिना किसी सिद्धान्त पर चले या कुछ उद्देश्यों को सामने रखे सफल नहीं होता इस लिये हम पहले जीवन सुधार तथा विकास कार्य के सिद्धान्तों पर विचार करेंगे ।

जीवन सुधार तथा विकास कार्य के सिद्धान्त

जैसा ऊपर बताया गया है हमारे देश में गांवों की खराबियाँ बहुत दिनों से चली आ रही हैं। रायल कमीशन ने कृषि अवनति की जाँच करते समय ग्राम जीवन की भी अच्छी तरह जाँच की थी। उन्होंने यह बताया है कि हम चाहे जैसी अच्छी स्कीम गांव वालों के सुखी जीवन बनाने की उनके लिये जारी करें परन्तु उसमें सफलता जभी हो सकती है जब वह लोग स्वयं जिनके आराम का प्रबन्ध किया जा रहा है अपने दिल से अपनी हालत सुधारने को तैयार हों और अपनी खुशी से बिना किसी दबाव के काम करने लगे। इसलिये सबसे पहले हमको गांव वालों की आवश्यकतायें समझकर उनके ख्यालात बदलने को जरूरत है।

जब तक उनके मस्तिष्क में उन्नति करने की आवश्यकता बैठ न जायगी वह कोई काम दिल से न करेंगे। हमको गांव की कोई समस्या बिना गांव वालों की राय के हल करने का प्रयत्न न करना चाहिये। जो काम भी बाहर से बिना उनकी राय के किसी दबाव से किया जाता है वह स्थाई नहीं होता। गुड़गांव में जो पञ्जाब प्रान्त में है यह तजरबा हा चुका है और यह साबित हुआ कि अरुसरों के जरिये से जो काम हुक्मन किया गया वह थोड़े दिनों के बाद दबाव हट जाने से कमजोर

वालों के खयाल को बदलना चाहिये और उनमें उन्नति करने की इच्छा पैदा करना चाहिये क्योंकि इसके बिना कोई उन्नति नहीं हो सकती ।

और दूसरा सिद्धान्त यह हुआ कि हमको गांव में सहयोगी जीवन व्यतीत करने का भाव पैदा करना चाहिये और गांव के मौजूदा अगुआ व लीडरों की सहायता से ही कार्य आरम्भ करना चाहिये ।

जब हमने गांव के अगुआ के द्वारा काम करना शुरू कर दिया तो हमको सारे गांव तक पहुँचाने के लिये किसी संस्था की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें गांव के सब लोग शामिल हों क्योंकि कोई काम व्यक्तिगत एक २ की सलाह लेकर नहीं हो सकता । हमको गांव वालों में सुधार के खयालात पहुँचाने के लिये कोई ऐसा साधन चाहिये कि सब लोगों से एक साथ ही हम बात कर सकें और जिसका प्रभाव भी सब पर एक सा पड़े । गांव में कोई संगठित संस्था होना चाहिये जिसके द्वारा लोगों को सुधार के विचारों का उपासक बना दिया जाय । इस काम में कोई जल्दी नहीं करना चाहिये । ऐसी संस्था विकास सहकारी समिति ही हो सकती है क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है । और देश की स्वतन्त्रता हेतु

हो कही सहकारी ग्राम समितियों के उद्देशों में सम्मिलित किए जा सकते हैं । अर्थात् मनुष्य के तन मन और धन की उन्नति के सब काम करना ग्राम समिति का उद्देश्य है परन्तु साधारण तौर से नीचे लिखे उद्देश्य विशेष समझे जाते हैं :—

१—मेम्बरों में जो बुगी रुमें प्रचलित है उनका सुधार करना ।

२—मेम्बरों की शाररिक नैतिक और आर्थिक उन्नति का प्रबन्ध करना ।

३—फिजूल खर्चों को रकना और बचाव करने को आदत पैदा करना ।

४—सकाई और तन्दुरुस्ती के साधारण विद्वान्तों का प्रयोग कस्बा और गांव में बवाई बीमारियों को रोकना और रोगियों को आमुली मर्ज की दवा दिलाने का प्रबन्ध करना

५—अग्नी इज्जत बढ़ाने का खयाल पैदा करना और बेईमानी को दूर करना ।

६—मेम्बरों के बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध कराना और औद्योगिक पढ़वाना, और आम तौर से उन तमाम बातों का प्रबन्ध कस्बा जिससे गांव वालों का जीवन सुखमय हो जावे ।

७—गांव वालों की खेती, उद्योग धंधों या और रोजगारों

में उन्नति करने का प्रबन्ध करना जिससे गांव वालों की आमदनी बढ़े ।

इस सम्बन्ध में नीचे लिखे काम विशेष कर करना—

(अ) उन्नत शील बीज, खाद तथा औजार मंगा कर मेम्बरों को देना ।

(ब) सिंचाई का उचित प्रबन्ध करना ।

(स) अच्छे बैल तथा दूध देने वाले भवेशों मंगा कर देना ।

(ध) अच्छी नस्ल के सांड मंगा कर गांवों में छुड़ना और भवेशियों में उन्नति कराना ।

(१) ऊन, रुई तथा रेशम कटाई के लिए मंगाना व सूत कटा कर कड़े बुनवाना और इस कार्य में उन्नति करना ।

(भ) मेम्बरों के व्यवसाय के लिए पूंजी का प्रबन्ध करना ।

(म) मेम्बरों का बनाई तथा उत्पन्न की हुई वस्तुओं की सहकारी ढंग से उचित मूल्य पर विक्रय का प्रबन्ध करना ।

(न) मेम्बरों की दैनिक आवश्यकताओं की सामग्रियों को सस्ते दामों पर मंगा कर देना ।

(य) मिला जुली खेतां करने का प्रबन्ध करना ।

सकती। दूसरा अन्तर यह है कि इस सभा में रजिस्ट्री के काग-
जात भेजते समय हैसियत लिखने के साथ २ प्रतिज्ञा रजिस्टर
भी तैयार किया जाता है जो उसी के साथ भेजा जाता है तीसरे
यहां पर सहकारी शिक्षा में भी अन्तर होता है। उस समिति में अधिकांश
शिक्षा कर्ज लेने देने और हिस्से इत्यादि के बारे में ही होती है
और ग्राम समिति में उसके अतिरिक्त और दूसरे नियमों और
सुधार सम्बन्धा बातों की भी शिक्षा होती है।

आरगेनाइजर को ऊपर बताये हुये सिद्धान्तों के अनुसार
पहले गांव चुन लेना चाहिये, उसके बाद लोगों को ग्राम सुधार
तथा विकास कार्य के सिद्धान्त समझा कर समिति के चलाने के
कायदे समझाना चाहिये। गांव में रहने वाले घरानों में से जक-
तीन चौगई सहमत हो जावे तब समिति की रजिस्ट्री के काग-
जात तैयार करके भेज देना चाहिये। इस समिति के बनाने के
लिये यह कोई जरूरी नहीं है कि आरगेनाइजर तीन बार अवश्य
ही जावे। यदि गांव के लोग समझदार हैं और वह दो बार
आकर समझाने से ही राजी हो जाते हैं और नियमों को भी
अच्छी तरह समझ जाते हैं तो समिति बना देना चाहिये और
यदि चार दफा उसको जाने की जरूरत पड़ती है तो जाना
चाहिये। तात्पर्य केवल यह है कि समिति के नियम, उद्देश्य
और सुधार के सिद्धान्त उन लोगों की समझ में अच्छी तरह
आ जावें ताकि काम चलाने में कोई कठिनाई न हो।

रक्खी गई है। साल में हर मेम्बर को १) से २) तक चन्दा देना होता है जो समिति की पंचायत निश्चित करती है। यह रकम समिति के खजाने के पास जमा की जाती है और गांव के ही सुधार के काम में पंचायत द्वारा सब की राय से खर्च की जाती है। यह रकम कही बाहर नहीं जाती बल्कि बाहर वाले स्वयं कुछ मदद काम देख कर दे देते हैं।

३—इस समिति में जिन मेम्बरों को विक्रम कार्य के लिए नकद रुपये की आवश्यकता है कर्षा हैसियत के अनुसार दिया जा सकता है परन्तु साधारण तौर से अच्छा बीज, चन्नतिशील औजार और खाद और दूसरी आवश्यक वस्तुयें इकट्ठा मंगा कर दी जा सकती है। सब मेम्बर पंचायत की आज्ञानुसार समिति में हिस्सा खरीदेंगे।

४—इस समिति में गांव के रहने वाले घरानों का हर एक सिर-धरा या मुन्तजिम मेम्बर बनाया जाता है। घर पीछे एक व्यक्ति मेम्बर होता है। गांव में जितने बूल्हे हों उतने ही मेम्बर होना चाहिए क्योंकि जब रोटी अलग हुई तो सब ही प्रबन्ध अलग हो जाते हैं।

५—इस समिति का सब काम गांव वालों को स्वयं ही करना होता है। पंच, सरपंच, खजान्नी व सेक्रेटरी इत्यादि को कोई तन-कबाह नहीं दी जाती। अच्छा काम और संतोष जनक

मुनाफ़ा होने पर समिति कार्यकर्ताओं को इनाम दे सकती है।

६—मेम्बरों की भरती सबकी राय से जल्सा आम में की जाती है।

७—हर एक मेम्बर को एक बोट देने का अधिकार है इसमें ऊँच नोच का कोई रूपांतर नहीं।

८—गाँव के सब सुधागे तथा बिकास का प्रबन्ध पंचायत के अधिकार में होता है जो एक बनाये हुए प्रोग्राम के अनुसार काम करती है। सबसे बड़ा अधिकार जल्सा आम को होता है जिसमें सब मेम्बर शरीक होते और राय देते हैं।

९—समिति कर्जा बिकास कार्य के लिए क्षेत्रीय संघ से या जिला बैंक से आवश्यकता पड़ने पर ले सकती है या सरकार से तक्राभी मांग सकती है।

१०—समिति की जिम्मेदारी परमित होती है यानी यदि समिति किसी क्रिस्म की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, जैसे १००) का बीज ही मंगा लिया तो इस क्रोमत के देने के सभी जिम्मेदार होंगे परन्तु यदि यह अदा न हो तो हर एक मेम्बर को जिम्मेदारी समिति के कर्ज के लिए २०) के हिस्से के अनुसार उसके दुगने या चौगुने जो निश्चय हुआ हो होगी। मतलब यह है कि बाहर का कोई व्यक्ति उससे अधिक किसी मेम्बर से उस जिम्मेदारी के सम्बन्ध में निश्चित रकम से अधिक

१४-सहकारी ग्राम समिति में हर एक सुधार का काम करने के लिये एक २ छे:टी कमेटी भी चुन दी जाती है जो उस विशेष काम की जिम्मेदार होती है जो उसके सुपुर्द किया जाता है और इसमें वही लोग रखे जाते हैं जिनको उस विशेष काम से दिलचस्पी होती है। इन कमेटियों में यदि एक २ मेम्बर समिति की पञ्चायत का भी रहे तो अधिक लाभप्रद होता है। हर कमेटी में तीन २ मेम्बर होते हैं, नीचे लिखी कमेटियां बनाकर साधारण तौर से काम बांट देना चाहिये।

(अ) शिक्षा कमेटी

(ब) खेती कमेटी

(स) व्यायाम कमेटी (कसरत व खेल कूद के लिये)

(द) सफाई व स्वास्थ्य कमेटी

(य) व्यापार कमेटी

(र) नाटक या भजन मण्डली

(ल) कुरीति निवारण कमेटी (बुरी रस्मों का सुधार करने के लिये)

समिति की बड़ी पंचायत सब कमेटियों के काम की निगरानी करती है और गांव के सब भागड़े व मामले मुकदमे सब स्वयं ही तै करती है। सेवा का काम करने के लिये गांव के नवयुवकों

वाना होता है। बीज के लिये सभी किसान अच्छे से अच्छा नाब रखते हैं आम तौर से पैसा देने वाली फसलों किसान बोते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ बरों की और कुछ घर के खर्च को दूसरे अनाज भी वो देते हैं। पैसा देने वाली फसलों निम्न-लिखित हैं: —

१—गन्ना, ऊख

२—गेहूँ

३—आलू

४—धान

५—कपास, रुई

इसके अतिरिक्त चना, जौ, मटर, मसूर, तिल, सरसों, अलसी, मूंगफली, अरहर, उरद, मूंग इत्यादि फसलें भी हेर फेर करके समयानुसार बोई जाती हैं।

गन्ना—गन्ने के लिये सरकार ने गन्ना विकास विभाग एक अलग ही खोल दिया है जहां गन्ने की अधिक से अधिक उपज लेने के लिये सभी साधन बताये और सहकारी समितियों द्वारा प्रयोग कराये जाते हैं इसका विस्तार यहां देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग गन्ने को खेती करते हैं और अधिक उपज लेना चाहते हैं वह किसी सहकारी गन्ना विकास संघ में सम्मिलित हो जावें और उसी संघ से अच्छे से अच्छा बीज तथा

तरा सा ८ फुट लम्बा और ६ फुट चौड़ा बना लेना चाहिये और बरसात भर प्रतिदिन जो कूड़ा करकट मवेशियों की बिछाली या गोबर हो वह इस चबूतरे पर जमा करता रहे और एक २ महीने पीछे इसको उलट पलट दिया जावे तीन महीने में तीन बार उलटने पलटने से यह खाद बहुत अच्छा बन जा ी है और अक्तूबर में खेत में डालने के काम में लाई जा सकते हैं ।

कम्पोस्ट से लाभ

कम्पोस्ट को खाद देने से नीचे लिखे लाभ होते हैं:—

- १—भूमि को बनस्पति पदार्थ मिलते हैं जिसकी हमारे यहां बहुत कमी है ।
- २—भूमि में नमी इससे बनी रहती है ।
- ३—यह भूमि को सुरक्षित रखती है और हवा पानी इत्यादि से बहने नहीं पाती ।
- ४—यह जमीन में वह कीटाणु पैदा करती है जिनके द्वारा पौधों को भोजन मिलता रहता है ।
- ५—यह फसलों को पाले और दूसरी बीमारियों से बचाती है ।
- ६—यह पौधों को मजबूत बनाता है और दाने को भी पुष्टि करती है ।

३—मिश्रित खाद

यह एक नये ढंग की खाद है जो खली और अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट को मिलाकर बनाई जाती है। इसमें हर प्रकार की खली मिलाई जा सकती है। सल्फेट तथा नाइट्रेट में २० से ३० प्रतिशत तक नाइट्रोजन होती है इसलिये इसको प्रायः सबसे सस्ती खली से मिलाते हैं। साधारणतया रेडो की या महुआ की खली का मिक्सचर तैयार करके बांटा गया है। अलग २ दोनों खादों को देने से अच्छा है कि मिक्सचर दिया जावे। गन्ने या धान में यह बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है यह सस्ता भी होता है। इसमें नाइट्रोजन का मात्रा करीब ११ प्रतिशत होती है और दाम भी लगभग ११) या १२) मन होते हैं यह गोबर तथा कम्पोस्ट की खाद के अलावा ४ या ५ बोरी का एकड़ दी जाती है जिससे गन्ने की पैदावार ७ या ८ सौ मन प्रति एकड़ होती है।

४—केमिकल खाद

इसको देहात वाले सफेद खाद या नमक की खाद भी कहते हैं यह सोडे की शक्ल की होती है और बाहर वाले देशों से आती है। भारत में भी यह खाद बनाने का प्रबन्ध हो रहा है। वैसे तो यह तेज और लाभदायक खाद है तुरन्त लाभ पहुँचाती है

परन्तु इसको अकेला या अधिक मात्रा में व्योहार हानिकारक सिद्ध हुआ है। यह खादें निम्नलिखित नाम की होती हैं:—

- १—अमोनियम सलफेट
- २— " नाइट्रेट
- ३— " फास्फेट
- ४— " सुपरफास्फेट
- ५—हड्डी का चूरा

इन खादों के फलों में अकेले कभी नहीं देना चाहिये और इस बात का ध्यान रहे कि खेत में डालते समय यह खाद पेड़ की पत्तियों पर न गिरने पावे वरना सब पेड़ जल जायेंगे इससे खेत में डालते समय तीन हिस्सा राख भी मिला लेना चाहिये। राख के प्रयोग से पेड़ों के पोटाश भी मिल जायगा जो उनके लिये बहुत आवश्यक वस्तु है। खेतों में यह खाद या तो भाद-पाशी के समय देना चाहिये या पानी बरसते समय देना चाहिये या खाद खेत में डालने के बाद ही तुरन्त पानी देना चाहिये।

पहले हमारे यहां किसान हड्डी की खाद को बहुत प्रयोग में लाते थे। गांवों में हड्डें मवेशियों के पेशाब और चूने से गला दी जाती थी गांव की यह मसल अब भी मशहूर है “वही किसानों में है पूरा। जो छेड़े हड्डी का चूरा।” इसका प्रचार भी नये ढंगों के साथ करना चाहिये।

इन खाशों का प्रयोग निम्नलिखित मात्रा में होना चाहिये—

नाम फसल	रकबा	तादाद दीगर खाद	किस्म खाद	तादाद
१-गेहूँ ज्वार इत्यादि	१ एकड़	६ गाड़ी गोबर या हरी खाद सनई या १० मन खली	सलफेट	२० सेर
२-धान	१ एकड़	हरी खाद या २०० मन सनई हरी काटकर खेत में डाले या ८० मन कम्पोस्ट या ६ मन खली	सलफेट	१ मन
३-आलू	१ एकड़	गोबर की खाद या कम्पोस्ट २०० मन या रेडों की खली २० मन	सलफेट या नाइट्रेट	२ मन या १ मन
४-गन्ना	१ एकड़	हरी खाद या कम्पोस्ट १५० मन या रेडों की खली १५ मन	सलफेट या नाइट्रेट	३ मन या १॥मन

इस प्रकार ऊपर बताई हुई विधि से खाद बनाने और प्रयोग करने से उपज बढ़ेगी और उपज बढ़ने से अधिक आम-दनी होगी जिससे जीवन सुखी होगा। यह सब खादें सहकारी

समिति द्वारा मंगाई तथा प्रयोग कराई जा सकती हैं ।

(ग) खेती के लिये पानी—सिंचाई

हमने अब तक देखा कि खेती के लिये अच्छे बीज और अच्छे खाद की बहुत आवश्यकता है बिना इनके खेती से अच्छी उपज नहीं हो सकती । परन्तु यह सब चीजें व्यर्थ होंगी यदि सिंचाई को पानी नहीं मिलता । बिना पानी के न तो पौदे जम सकते हैं और न अपनी खुराक खींच सकते हैं । इसलिये पता यह चला कि पानी सबसे अधिक आवश्यक वस्तु खेती के लिये है । पानी के साधन नहरें, कुयें और तालाब हैं और कहीं सरकारी टयूबवेल हैं । अच्छी खेती करने और देश की उपज तथा काश्तकार की आमदनी बढ़ाने के लिये पानी का उचित प्रबन्ध होना चाहिये इस सम्बन्ध में उन्नति करने के लिये नीचे लिखे काम करना चाहिये:—

१—आवश्यकतानुसार नये कुयें बनवाना । हमारी विकास स्कीमों में आवषाशी के कुयें बनवाने की भां योजना है जिसके अनुसार सरकार से ५००) प्रति कुआं के हिसाब से सहायता मिलती है । हर जिले में ४०० या ५०० कुयें इस तरह बनवाने का प्रबन्ध होता है । सरकार जो ५००) की सब सीढ़ी (प्रहायता) प्रति कुआं देती है वह सीमेंट, लोहा, लकड़ी, ईंट इत्यादि जो सामान कुयें में लगता है उभके

३—सभी सिंचाई के कुंओं पर रहट लगबाये जा सकते हैं या पम्पिंग सेट खरोदकर आवपाशी कराई जा सकती है यह भी समिति द्वारा ही होगी। समिति सिंचाई का प्रबन्ध करके मेश्वरों से रकबे के हिसाब से सिंचाई के दाम फसल पर ले सकती है।

४—बांध बंधा कर पानी रोक कर सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सकता है। या तालाबों की मरम्मत कराकर या उनकी मिट्टी निकलवाकर गहरा कराया जाय ताकि उसमें अधिक पानी आ सके और अधिक रकबा की सिंचाई हो सके। यह काम भी ग्राम समिति या क्षेत्रीय संघ अच्छी तरह कर सकता है।

५—तालाबों या कुंओं से सीधी नालियां बनवाना जिससे पानी खेतों तक सुगमता से जा सके और बीच में पानी का अधिक नुकसान न हो।

६—नहरों के किनारे गांवों में भी नहर से पूरा पानी नहीं मिलता और सिंचाई का दाम देना पड़ता है इसके लिये गांव के गूलों की सफाई कराकर खेतों तक पानी पहुँचाया जा सकता है। यह काम भी सहकारी समितियों द्वारा ही ठीक हो सकता है।

७— नहरों व टयूबवेल के इलाके में सहकारी समिति द्वारा पानी का ठीक बटवारा कराकर सब काश्तकारों को उचिन फसलों के लिये समय पर पानी पहुँचाया जा सकता है और आव-पाशी कर वसूल करके सरकार को दिया जा सकता है। इस प्रबन्ध से सब किसानों को जिन्हें पानी की आवश्यकता है गांव वालों के ही प्रबन्ध से पानी मिल सकता है और उनको कर देने में भी कठिनाई न होगी।

ऊपर बताये हुए सभी कामों के करने से उपज तथा आम-दनी बढ़ेगी और जीवन सुखी होगा।

(ध) 'अच्छे खेती के यन्त्र

उन्नतिशील खेती करने के लिये अच्छे बीज, खाद और पानी के अतिरिक्त यन्त्रों की भी आवश्यकता होती है। हमारे किसान जो देशी हल चलाते हैं उनमें एक नुकीली जोहे की बड़ी कील लगी होती है जिससे न तो अधिक गहराई तक ज़मीन खुरती है और न मिट्टी ही पलटती है। बीघ २ में जमीन बिना जुती ही रह जाती है। फल कट जाने के पश्चात् खेत के ऊपर की मिट्टी जिसका सारा जोर निकल चुका है पलट जाना चाहिये ताकि नीचे की नई मिट्टी ऊपर आ जावे। इसके अतिरिक्त घास इत्यादि जिनकी गहरी जड़ें नीचे तक होती हैं गहरी जुताई

से खुदकर ऊपर आ जाती हैं और वह धूप और हवा से सूख कर नष्ट हो जाती हैं और हानिकारक कीटाणु भी मर जाते हैं । इसलिये मिट्टी पलटने वाले हलों के प्रयोग की अधिक आवश्यकता है । नीचे लिखे यन्त्र मंगाकर प्रयोग में लाये जावें तो बड़ा लाभ होगा ।

- १—बड़े काश्तकारों के लिये बिक्ट्री हल ।
- २—मध्य श्रेणी के किसानों के लिये मेस्टन, गुरजर, वाह २ हल या प्रजा हल प्रयोग करना चाहिये ।
- ३—गुड़ाई के लिये मैकारमिक कल्टीवेटर और अकोला हो बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है और उस परमिट्टी चढ़ाने के लिये या ऊख की नाली बनाने के लिये रिजमेकर प्रयोग में लाना चाहिये ।
- ४—रबी की फसलों को मांडने के लिये आलपैड थ्रेशर प्रयोग में लाना चाहिये ।
- ५—सिंचाई के लिये रहट, या पम्पिंग सेट, कुयें या तालाब से पानी निकालने के लिये और पानी उठाने के लिये चेन पम्प या Egyptian Screw तीन चार फीट तक पानी उठाने के काम में लाये जा सकते हैं ।
- ६—मवेशियों के चारा काटने के लिये कुट्टी काटने की मशीन

जल्दी बनता है ।

इन सब यन्त्रों में हल और अकेला हो तो सबको अपने पास से खरीदना चाहिये बाकी जितने बड़े यन्त्र हैं वह समिति की ओर से खरीद लिये जावें और मेम्बर से उनके प्रयोग पर कुछ दाम ले लिया जावे ताकि समिति के रुपये का सूद और यन्त्रों की टूट फूट निकलती रहे और कारतकारों को भी अधिक पैसा न खर्च करके ही बड़े यन्त्रों का लाभ मिल जावे । यदि मिलकर लोग ट्रैक्टर से जुताई करालें तो बहुत लाभ हो ।

उन्नतिशील यन्त्रों के साथ २ अच्छी खेतों के लिये अच्छे बैलों की भी आवश्यकता होती है यह कारतकार स्वयं ही अच्छी नस्ल के खरीद कर रख सकते हैं । समिति से अच्छी नस्ल का एक सांड गांव में रख लिया जावे और मेम्बरों को अच्छी नस्ल की गाय रखने का आदेश हो तो थोड़े दिनों में वहां के बैलों की नस्ल अच्छी हो जावेगी ।

(प) उन्नतिशील खेती के ढंग

हमने अब तक यह देखा कि किसान की आमदनी तथा उपज बढ़ाने के लिये अच्छे बीज, खाद, पानी और यन्त्रों की आवश्यकता होती है परन्तु यह कोई चीजें काम नहीं देंगी यदि

मिल जाती हैं और उपज भी अधिक होती है और भूमि निर्वल नहीं होने पाती ।

४—उत्तम खेती के लिये यह आवश्यक है कि खेत की अच्छी तैयारी हो और साथ २ फसलों का हेर फेर भी ऐसा हो कि जिससे अधिक पैसा मिले । नीचे लिखी फसलें बोकर लाभ उठाया जा सकता है ।

गेहूँ, धान, सम्बाकू, आलू, कपास, गन्ना, बड़ी मटर, सोया बीन, तरकारियां और फल जैसे नीबू अमरुद, फालसा, आम, पपीता, संतरा, केला इत्यादि । इन चीजों की खेती गांव में बहुत अच्छी तरह हो सकती है । गुलाब, चमेली, बेला इत्यादि ऐसे फूलों की खेती भी व्यापारी ढंग से हो सकती है और इससे अधिक धन काश्तकारों को मिल सकता है परन्तु ऐसे गांवों में ही हो सकता है जो शहर के निकट हों । इसी प्रकार खेती के नये २ ढंग निकलते रहते हैं सहकारी समितियों को चाहिये कि वह इसकी जानकारी रखें और अपने मेम्बरों से नये ढंग से खेती कराकर उनको लाभ पहुँचावें । इससे देश की भी उन्नति होगी +

५—सम्मिलित खेती कराई जावे और ट्रैक्टरों का प्रयोग करा कर अच्छी और सस्ती जुताई कराकर उन्नतिशील खेती की जा सकती है ।

बताया जायगा इस समय इतना ही कह देना काफी है कि जो व्यक्ति उत्पादन करते हैं उनकी बिक्री की समस्या एक सी होती है। यदि वह सब एक साथ मिलकर काम करे तो उनको कीमत भी अच्छी मिल सकती है और थोड़े समय में ही सब माल बिक सकता है। सहकारी विक्रय संघ स्थापित होने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्रीय विकास संघ जिसकी कि ग्राम समितियां मेम्बर हैं इस सहकारी विक्रय के काम को अपने हाथ में ले सकते हैं। सहकारी विक्रय की सफलता के लिये नीचे लिखी बातें अवश्य होना चाहिये:—

१—सभी मेम्बरों को मिलकर विक्रय करने की आवश्यकता हो।

२—विक्रय का काम भी अधिक तादाद में हो।

३—जो वस्तु उत्पादन हो रही है उसमें भी कुछ विशेषता हो।

४—विक्रय संस्था जनतन्त्र नियमों पर चलाई जाय।

५—मेम्बर जो उसमें शामिल हो वह व्यापार की बातें सब जानते हों।

६—नैतिक और धार्मिक बातों से मारकेटिंग संस्था अलग रहे।

७—काम करने वाले सब तनखाहदार हों क्योंकि बिना तनखाह के कोई काम नहीं करेगा।

चन्नटि शील भट्टी कोल्हू बढ़ाव मंगकर साफ गुड़ बनवा सकती है।

गन्ना पेरने के लिये तीन बेलन के कोल्हू इस्तेमाल करने से ७० फीसदी तक रस निकल सकता है। छोटे बैलों के बास्ते 'कुमार' कोल्हू जो कृलोस्कर कम्पनी सतारा, (बम्बई) में बनता है मंगाना चाहिये। और कुछ अच्छे बैल वाले काश्तकारों के लिये 'मुलतान' या नाहन कोल्हू जो नाहन फैक्ट्री अम्बाला पञ्जाब में ढलता है, बहुत लाभदायक होगा।

सबसे अच्छा तो यह है कि समिति की ओर से कुछ कार्तकार मिलकर एक २ कोल्हू दोनों प्रकार के मंगा लें। क्योंकि अलग २ इतने दाम काश्तकार नहीं खर्च कर सकते। यह देखने में तो मंहगे मालूम होते हैं परन्तु एक ही साल में अपना मूल्य भर पैदा करा देते हैं। जैसे मान लीजिये ३ महीने कोल्हू चला और औसत में यदि १००० मन गन्ना भी उसमें पेरा तो २०० मन रस का लाभ होगा क्योंकि मामूली कोल्हू में ५० प्रति सैकड़ा से अधिक रस नहीं निकलता और इसमें ७० प्रति सैकड़ा निकलता है। इस २०० मन रस का गुड़ यदि ५० मन भी तैयार हुआ और १२ मन ही बिका तो ६०० का हो गया। काश्तकार को अपने पास से कोल्हू के दाम नहीं लगाना होंगे और

सदैव के लिये यह चीज उनके पास हो जायगी ।

इसके अतिरिक्त गुड़ बनाने के सम्बन्ध में कढ़ाव और भट्टी में भी हेर फेर करने की आवश्यकता है । जैसी देहात में भट्टी बनती है उसमें ईंधन अधिक खर्च होता है और आंच बेकार जाती है । भट्टी चिमनीदार बनाना चाहिये और जलाने की जगह छोड़े की सलाखें डाल कर अर्द्ध ठाँ की तरह बना लेना चाहिये । इसमें ईंधन कम लगेगा और धुवां भी ऊपर निकल जायगा । दूसरे कढ़ाव भी बहुत पतली चादर के इस्तेमाल होते हैं जिसमें रस जल कर काला हो जाता है और गुड़ में दाना नहीं पड़ता ।

मोटी चादर के और चपटी पेंच के बढ़ाओं में रस जल्दी भी पकता है और साफ भी रहता है । तीसरे रस की सफाई देहात वाले नहीं करते जिसकी वजह से गुड़ साफ और दानेशर नहीं बनता और यही कारण है कि दाम पूरे नहीं पाते । रस को पहले कपड़े में छानकर कढ़ाओं में डालना चाहिये और जब बवाल आने लगे तो दिथोला (जंगली भिण्डी) या भिण्डी का रस पानी में मिलाकर थोड़ा २ देने से मैल साफ हो जाता है । दूध का छींटा देने से भी सब मैल साफ हो जाता है । एक पैसे भर छोड़ा एक बरबा भर पानी में घोल कर जरा २ सा छींटा देकर मैल साफ कर लेने से भी गुड़ साफ बनता है । गुड़ की सफाई के लिये कार्लसे के पेड़ यानी पतली २ डालों को कूट कर

आमदनी अवश्य ही बढ़ेगी। इसके पश्चात् समिति का दूसरा बड़ा काम गांव वालों की तन्दुरुस्ती में उन्नति करना है।

२—तन की उन्नति

तन्दुरुस्ती और सफाई भी जीवन का एक मुख्य अंग है। जब तक मनुष्य तन्दुरुस्त न हो उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसलिये यह समिति का मुख्य काम है कि गांव में सफाई व बीमारी रोकने का ठीक प्रबन्ध करे। इस सम्बन्ध में नीचे लिखे काम करने से गांव वालों की तन्दुरुस्ती भी बढ़ेगी और गांव में सफाई भी रहेगी:—

(अ) तन्दुरुस्ती की शिक्षा—महीने में एक दो बार जब सभा का आम जल्सा हुआ करे उस समय जनता को तन्दुरुस्ती के साधारण नियम बताये जावे और गांव में कम से कम ६ नवयुवक छांटकर उनको प्रारम्भिक सहायता (फर्स्ट एड) का काम सिखा दिया जावे और दवा का बक्सा जो गांव में रहता है उसमें से दवा देना भी बता दिया जावे। औरतों में भी साधारण सफाई की शिक्षा के प्रचार का प्रबन्ध किया जावे। बच्चों में रेड क्रॉस का काम जारी करके उनको उत्साहित किया जावे।

की सलाखें हो लगवाना चाहिये। जिस घर में रोटी बनाई जाती हो उसकी छत थोड़ी खोलकर जरा ऊंचे से पाट दी जावे तो धुआं अन्दर नहीं घुटेगा और तकलीफ न होगी।

४—मकान के अन्दर एक चबूतरा ऐसा बना लेना चाहिये जिस पर बर्तन इत्यादि सब ग्रहस्थी का सामान सफाई के साथ अलग रक्खा रहे। बर्तन बिना कुयें के ताजे पानी के धोये काम में न लाये जायें। इस चबूतरे को आठवें दिन और सारे घर को हर एकादशी को यानी पन्द्रहवें दिन गोबर से छीप देना चाहिये, ताकि हमेशा सफाई बनी रहे और रोग न आने पावे। खाना ठकने के लिये बांस की डलियों या जाली का प्रयोग करना अति उत्तम होगा।

५—गांव की व घर की सफाई के लिये यह आवश्यक है कि घर के चारों तरफ बराबर सफाई रक्खी जावे और घास कूड़ा न इकट्ठा होने पावे। हर घर में कम से कम एक पेड़ तुलसी का और दो चार फूलों के पेड़ अवश्य होना चाहिये और गांव में जहां २ खाकी जमीन पड़ी हुई खराब हो रही है उनमें पंचायत की तरफ से फूल पत्ती, तुलसी इत्यादि लगाने का प्रबन्ध होना चाहिये।

६—मवेशी बाड़ा—गांव व घर की सफाई जब ही स्थिर रह सकती है, जब मवेशियों के रहने का ठीक प्रबन्ध हो जाये।

मनुष्य के रहने वाले मकानों से मवेशी अलग रहना चाहिये यदि दस २ या पन्द्रह २ घरों के मवेशी बांधने व रखने का एक स्थान पर प्रबन्ध हो जाये तो गांव में बहुत सफाई रह सकती है। मवेशियों की चरनी (नादें) एक लाइन में बनाई जावें तो जगह भी कम लगे और मवेशियों को भी आराम मिले। लाइन में चरनी बनाकर दोनों तरफ मवेशी बांधे जा सकते हैं। जमीन कुछ ढालू रहे तो अच्छा है, इसमें मवेशियों के नीचे बिछाली चाहिये जिसको हर हफ्ते उठाकर खाद के गड्ढा में छोड़ देना चाहिये। मवेशियों के पीछे की ओर नाली बना कर छोटे २ गढ़े बना देना चाहिये जिस में मवेशियों का मूत्र जमा होता रहे और प्रतिदिन कम्पोस्ट वाले गढ़े में डाला जाय।

मवेशियों के पेशाब का खाद सबसे बढ़िया खाद होता है। इसको राख, मिट्टी या और बिछाली डालकर सुखाते रहना चाहिये और उसी को हर हफ्ते या पन्द्रहवें दिन उठा कर गढ़ों में छोड़ते रहना चाहिये। इससे खाद भी बढ़ जाती है और लाभ भी अधिक होता है। यदि गांव के चारों तरफ मवेशी बांधने के लिये मवेशी बाड़े सम्मिलित ढंग पर बना लिये जायें तो और भी अच्छा है।

७—स्नान का प्रबन्ध—गांव में अकसर देखा गया है कि

लोग कुओं की जगह पर ही नहाया करते हैं या गांव के तालाबों में नहाते हैं। नहाने के लिये तीन हाथ लम्बा तीन हाथ चौड़ा और डेढ़ बालिशत ऊंचा एक पक्का बबू-तरा कुये से कुछ हटकर बनवा देना चाहिये ताकि लोग उस पर स्नान किया करें और कुएं पर स्नान करके पानी को गन्दा न करें। इस बबूतरे से एक नाली ऐसी बनाना चाहिए कि पानी जो गिरे वह निकल जावे। कुएं की गहराई से ड्योढ़े फास्ले तक यह नाली जाना चाहिए फिर इसके सिरे पर केले इत्यादि लगवा दिए जायें या सोखन गढ़ा बनवा दिया जाय। तालाबों में भी लोग जहां नहाते हैं घाट बनवाने का प्रबन्ध कराना चाहिए। कुओं पर जो नहाने के बबूतरे बनेंगे उनको टट्टी या शीवार से घेर दिया जावे तो और अच्छा है।

८—गांव के अन्दर जितने छोटे २ गड्ढे हों जिसमें पानी भर जाने पर सड़ता है और मच्छर इत्यादि पैदा होते हैं उन्हें सबको-जल्द से जल्द मिलकर पाट देना चाहिए।

९—आम सफाई—गांव के अन्दर जितने खड़हर हैं वह सब बराबर कराकर बबूतरे बनवा दिए जावें और यदि मौका हो तो फूल पत्ती वहां लगा दी जावे।

सुभर वाड़े गांव की आबादी के किनारे बनाना चाहिए ताकि

गांव के अन्दर गन्दगी न फैले ।

गांव की आबादी के अन्दर जितने बड़े २ पेड़ हैं उनकी जड़ पर मिट्टी डालकर गोल या चौकोर चबूतरे बनवा दिए जायें इससे सफाई व खूबसूरती भी बढ़ जाती है और गांव वालों के बैठने का स्थान भी हो जाता है ।

गांव के अन्दर जितनी गलियां या रास्ते हैं उनकी मरम्मत और सफाई का भी प्रबन्ध होना चाहिए । जहां २ अवसर हो गलियों को पक्का भी करा देना चाहिए जैसा कि आदर्श ग्राम चिरईगांव जिला बनारस में लोगो ने सहयोग से किया है ।

(स) पानी का प्रबन्ध—(—पानी एक ऐसी वस्तु है कि जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है । इस का ठीक प्रबन्ध न होने से गांव में रोग फैलते हैं । गांव में जितने पानी पीने वाले कुयें हैं सब पर डेढ़ हाथ ऊंची पैरापेट (यानै मुंह पर मुंडेर) बनवा देना चाहिए ताकि कुयें के अन्दर छींटे न जा सकें । इस मुंडेर के ऊपर का हिस्सा बाहर की तरफ ढालू होना चाहिए । यह मुंडेर कुयें की जगत के ऊपर बनवाई जायगी, और जगत की ऊंचाई एक हाथ होगी ।

२—यदि कुयें के ऊपर सायबान डलवा दिया जावे और स्नान

के लिए अलग चबूतरा बनवाकर सोखन गढ़ा बनवा दिया जावे और कुम्हां अन्दर से पलस्तर कराकर पक्का करा दिया जावे तो यह आदर्श कुम्हां हो जावेगा । इसमें पानी खींचने के लिए गड़ारी या गिरी भी लगाना आवश्यक होता है । हर व्यक्ति अपने २ घड़े या गगरे से पानी भरता है जो न जाने कैसे होते हैं । अच्छा प्रबन्ध तो यह होगा कि समिति की ओर से एक डोल और रस्सी कुये पर रक्खा रहे और उसी से सब पानी भरें । अपना बर्तन कुये के अन्दर न डालें ।

३—छाल में एक बार गर्मियों में हर कुये की मिट्टी निकाल कर साफ करा देना चाहिए और महीने में एक बार लाल दवा (Potash Permanganate) कुये में अवश्य छोड़ना चाहिए जिससे पानी हमेशा साफ रहे । लाल दवा इतनी छोड़ना चाहिए कि पानी का रंग हल्का गुलाबी हो जावे ।

४—मवेशियों के पीने के लिए प्रायः गांव के तालाबों का ही पानी प्रयोग में आता है । जहां तालाब नहीं होते वहां कुये से ही पिलाते हैं । इसलिए यदि कुये से पानी मवेशियों को पिलाना हो तो पानी पिलाने के लिए चरनी बनवा देना चाहिए और उसमें साफ पानी भरवा दिया

बुखार) और चेचक (माता माई) से बचने की शिक्षा देनी चाहिये। उनको बताना चाहिये कि यह सब रोग गंदगी से आते हैं। हैजा, पानी व मक्खी से फैलता है। ताउन चूहों से होता है, जूड़ी बुखार मच्छरों से होता है, और चेचक को खराब हवा और मक्खी फैलाती है। इस लिए पानी और हवा साफ रखो और मक्खी न आने दो। हैजे के ज़माने में लाल पानी पियो, सिरका प्याज खाओ, नीम की पत्ती जलाओ, बांधी खाना न खाओ और बीमार के क़ै व दस्त को जला या गड़वा दिया करो। ताउन में घर छोड़ दो और चूहों को मरवाओ मलेरिया में कुत्ता खाओ और गाँवके गड्ढे सब बन्द करा दो। चेचक का बच्चों को टीका लगवा दो और सफ़ाई रखो। हैजा व ताउन का भी टीका लगता है। आवश्यकता पड़ने पर जिले के हेल्थ अफसर को किसी के द्वारा भी खबर करा दो।

साधारण मर्ज के लिये गांव में दवा का एक बक्सा रखन चाहिये जिसमें दवाईयां हों और जो छैं छैं ग्राम सहायक सिखाए गये हैं उनके ही द्वारा दवा बंटवाना चाहिये। दवा का स्टॉक बराबर मौजूद रखने के लिए हर एक गांव में रहने वालों से दवा के सालाना खर्च के लिए कुछ चन्दा कर लेना चाहिये और जहां

विकास समिति है और लोग उस-में चन्दा देते हैं वहां अलग से चन्दा करने की आवश्यकता नहीं है। गांव में एक फौजी पैदायश का रजिस्टर और एक दवा का भी रजिस्टर रखना चाहिये। जहां सहकारी संध सफलता से काम करते हैं और उनकी आम-दनी अच्छी है वहां सहकारी अस्पताल खोले जा सकते हैं। गोरखपुर, देवरिया, सीतापुर जिलों में ऐसे सहकारी अस्पताल चल रहे हैं।

मनुष्यों की बीमारियों के अतिरिक्त मवेशियों की बीमारियां भी काश्तकारों को बहुत हानि पहुंचाती है इस लिए सभा को चाहिए कि मवेशियों की बीमारी की भी आम दवाइयां एक बक्ख में गांव में रक्खें। बीमार मवेशी को तुरन्त और मवेशियों से अलग करा दें और डाक्टर मवेशियान को खबर करा कर मवेशियों के भी टीका लगवा देना चाहिये ताकि यह बीमारियां दूसरे मवेशियों में न फैलने पावें। मवेशियों की बीमारी से हजारों रुपये का नुकसान हो जाता है, इसलिए इस पर पूरा ध्यान देना चाहिये।

३—मन की उन्नति

जीवन को सुखी बनाने के लिए आवश्यक है कि मन प्रसन्न रहे इस लिए समिति का तीसरा बड़ा काम गांव वालों के मन की शुद्धी करना है और उनको उत्साहित करके सुखी जीवन के

- ५—गांव में दीवारों पर या और आम जगहों पर शिक्षा प्रद वाक्य लिखने से भी सुधार का ज्ञान बढ़ता है ।
- ६—कभी कभी सभा के माह्वारों जल्मों में बाहर से नेताओं या और योग्य व्यक्तियों के लेक्चर करा देने से भी गांव वालों की जानकारी बढ़ेगी और नागरिकता का भाव उत्पन्न होगा ।
- ७—गांव में सेबादल स्थापित करके और स्काउटिंग सिखाकर सेवा भाव पैदा किया जा सकता है । देशों खेल जैसे कंबड्डों, मुगदर, बाना, पटा, बनेठी, गतका फर्री, लेजिम इत्यादि जारी करके अधिक दिल चस्पी पैदा की जा सकती है ।
- ८—भजन व नाटक मण्डली कायम करके शिक्षा प्रद नाटक खिलवाने से खर्च भी बचता है, शिक्षा मिलती है और मनो विनोद भी होता है ।
- ९—गांव के लड़कों और प्रौढ़ों को शिक्षा प्रद गाने सिखा कर उससे प्रचार कराया जा सकता है । प्रभात फेरी से बड़ा उत्साह पैदा होता है । हर एकादशी को गांव में दूसरे काम बन्द करके गांव की सफाई, मवेशियों की सफाई, आम जल्सा और प्रभात फेरों का प्रबन्ध करने से बहुत जल्द सफलता होगी और हमारे गांव की उन्नति होगी ,

६—गांव में कभी कभी कई गांवों को मिला कर एक नुमायश का दंगल भी कराना चाहिये ताकि एक दूसरे को देख कर उन्नति करने की इच्छा बढे और मनो विनोद भी हो। इस नुमाइश में बच्चों की नुमाइश और मवेशियों की नुमाइश भी होना चाहिये और पुरस्कार दिया जाना चाहिये।

१०—कभी कभी हल्के भर के या तहसील भर के गांव का संगठन करके एक बड़ी सहकारी कांफ्रेंस करना चाहिये जिसमें हल्के या तहसील के सुधार की समस्याओं पर विचार हो और बड़ी नुमाइश, खेल कूर, दङ्गल इत्यादि भी हों। इससे बहुत दिलचस्पी पैदा होती है।

इस तरह अब हम देख चुके हैं कि विकास तथा बहुधनी समिति का संगठन करके हम अपने जीवन को कैसे सुखी बन सकते हैं। एक ही सभा से धन, मन, और धन की कैसे उन्नति हो सकती है हम यह भली भांति समझ चुके। परन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल धन की ही उन्नति करना चाहते हैं और सब में भी केवल खेलों को या उद्योग धंधों को ही या किसी एक साधन के लिए समिति बनाना चाहते हैं, या जीवन के किसी अंग की उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए अलग २ काम के लिए अलग अलग समिति खोली जा सकती हैं। इसका व्योरा अर्थात् इस प्रकार की समिति का थोड़ा २ हाल समझा कर आगे लिखा जाता है। सबसे पहले खेलों के सम्बन्ध में जो २ समितिगण बन सकती हैं, उनका व्योरा लिखते हैं।

तेरहवां अध्याय



चकबन्दी की सहकारी समितियां

हमारे देश में अधिकांश खेती का ही पेशा होता है, इसलिये मनुष्य को उपज तथा उसकी जीविका उसके खेतों से ही मिलती है। सुखी जीवन बिताने के लिये भूमि सबसे आवश्यक वस्तु सिद्ध हुई है। ग्राम जीवन में हम यह बता चुके हैं कि भूमि क्या वस्तु है। हमारे देश के काश्तकारों के पास खेत बहुत छोटे २ हैं और बिखरे हुये हैं। इससे क्या हानियां होती हैं यह भी बताया जा चुका है। यहां पर तो हमें केवल उन हानियों के उस प्रबन्ध से ही मतलब है जो सहयोग से हो सकता है। यह बताया जा चुका है कि यदि किसान की भूमि जिससे वह धन दा करता है उसको किसी तरह एक चक में या यदि एक में नहीं हो सकता तो निकटवर्ती दो तीन चकों में मिल जावे तो उसको अपनी उपज बढ़ाने में बहुत सहायता मिले। उपज बढ़ने ही से जीवन सुखी हो सकता है। और राष्ट्र का धन भी बढ़ता

है। हर एक काश्तकार यहो चाहता है कि ज़मीन चक्र में मिल जावे। इसलिये यह काम सब लोग मिलकर एक चक्रवन्दी की समिति बनाकर और रजिस्ट्रो कराकर पूरा कर सकते हैं।

गांव का चुनाव

चक्रवन्दी पहले मुख्य २ गांवों में ही की जा सकती है इस लिये गांव का चुनाव करते समय जिलाधीश (कलक्टर) से सम्मति लेने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि बिना माल विभाग की सहायता के चक्रवन्दी नहीं हो सकती। कलक्टर महोदय क्रानूनगो के द्वारा उन गांवों की सूची तैयार करायेंगे जहां चक्रवन्दी सरलता से हो सके। यह सुविधा वहीं होगी जहां ज़मीन का एक ही मालिक है या ऐसे पट्टेदार हैं जिनमें आपस में मेल है और जो चक्रवन्दी का लब्धि समझते हैं। जिस गांव में भूमि लगभग एक ही प्रकार की है और काश्तकार व ज़मींदार दोनों चक्रवन्दी को चाहते हैं वहां यह कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। ऐसे गांव का चुनाव करके गांव के काश्तकारों की एक सूची तैयार की जावेगी जिसमें खेतों का नम्बर, रकबा, क्रिश्म ज़मीन और लगान लिखा होगा और जिन २ खेतों की चक्रवन्दी की विशेष आवश्यकता है उस पर निशान लगे रहेंगे।

समिति का संगठन

अब यह सूची बन गई और गांव चुन गया तो काश्तकारों

से कहा जायगा कि सब लोग मिलकर एक सहकारी चकबन्दी समिति बनालें जिसमें हर किसान जो एक खाते पर अपनी कृषिज होगा मेम्बर हो सकेगा । इस समिति का काम केवल चकबन्दी ही कराना है, इसलिये इसमें हिस्सा नहीं रक्खा जाता । केवल प्रवेश फीस ही रहती है । चकबन्दी के नियम और उनका व्योरा सब आम सभा में तै होंगे । चकबन्दी का ढंग आर काम का व्योरा उसी समय सब लोगों को माननीय होंगे जब समिति के तीन चौथाई लोग पसन्द करें । चकबन्दी के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव स्वीकार न होगा जब तक कि ७५ प्रति सैकड़ा उपस्थित मेम्बर उसका समर्थन न करें । यह आम जल्से में पेश हुआ करेंगे जिसमें ७५ प्रति सैकड़ा मेम्बर मौजूद हों । जल्सा आम में एक पंचायत चुन ली जायगी जिसमें ५, ७ या ९ मेम्बर होंगे । एक सभापति और सेक्रेट्री व खजांची भी चुन लिया जावेगा । सरपंच बाहरी आदमी भी हो सकता है परन्तु वह व्यक्ति गांव से दो मील से अधिक दूरी पर न रहता हो और सब पंच गांव के ही रहने वाले होने चाहिये । बाहर वाला सरपंच केवल उसी समय बोट दे सकता है जब फैसला करने की आवश्यकता हो और मेम्बरों की राय बराबर हों । यदि मेम्बरों में से ही सरपंच बनाया गया तो उसको अपनी व्यक्तिगत बोट के अतिरिक्त एक फैसला करने वाली बोट का भी अधिकार होगा । हर मेम्बर एक बोट देगा और समिति के मेम्बर बहुमत

से चुने जायेंगे ।

चकबन्दी समिति, चकबन्दी के तरीके, सिद्धान्त इत्यादि सब तै करके पंचायत को उसी के अनुसार काम करने को कहेगी । पंचायत या जल्सा ग्राम अपनी कार्रवाई को एक किताब कार्रवाई में लिख कर सब काश्तकारों के दस्तखत रजामन्दी करा लेगी । इस जल्सा ग्राम में भूमि की क्रिस्म बन्दी भी तै होगी और हर मेम्बर एक इक्करारनामे पर हस्ताक्षर करेगा कि वह जल्सा ग्राम की सभी तजवीजों को जो तीन चौथाई मेम्बरों की सम्मति से पास होंगी मानेगा यदि कोई भगडा हो तो वार्षिक जल्से में तै होगा या सालसी तौर से तै होगा इसके बाद कागजात रजिस्ट्री को भेजे जावेंगे ।

चकबन्दी का तरीका

नीचे लिखे ढंग से चकबन्दी का काम आरम्भ होगा:—

१—गांव में जो खेत इधर उधर बिखरे हुये हैं उनको एक दूसरे से इसतरह से बदल दिया जायगा कि जहां तक हो सके काश्तकार के पास एक चक हो जावे और यदि यह सम्भव न हो तो जितने चक बने वह एक दूसरे के निकट हों ।

२—चकबन्दी करने में इस बात का खास खयाल रक्खा जायगा कि एक काश्तकार को हर प्रकार की भूमि जो उसके पास

जायेंगे ।

५—लगान कुल गांव का वैसा ही रहेगा परन्तु व्यक्तिगत भूमि की क्रिस्म इत्यादि में जो बदलने के पश्चात् अन्तर पड़ेगा तो उसी हिसाब से लगान में अन्तर कर दिया जायगा पर औसत बही रहेगा ।

६—कोई किसान भी जिसके पास कम से कम भूमि है इससे अलग न किया जायगा । यह ख्यात गलत है कि चक्रबन्दी होने पर छंटे २ काश्तकार निकाल दिये जायेंगे ।

७—तबादला जहां तक होगा एक ही से लाभ वाली भूमि में किया जावेगा जैसे आवपाशी या और दूसरी आराम का ख्याल रक्खा जावेगा और जो भूमि किसी काश्तकार की विशेष होगी या कुयें इत्यादि के निकट होगी या जिसपर उसका कुआं होगा वह उससे बदलने को न कहा जायगा बल्कि जहां तक होगा उसका और हिस्सा भी उसी के निकट कर दिया जायगा ताकि वह और उन्नति कर सके ।

८—तबादले के सम्बन्ध में यदि पेड़, मकान, कुआं या और मिलकियत वाले हकों का तबादला किया जावे तो यह दोनों फरीक जो बदलने वाले हों उनकी रजामन्दी से ही किया जायगा और जो मूल्य में कमी तथा बढ़ती होगी वह नकदी

चौदहवां अध्याय

खेती सम्बन्धी दूसरी समितियाँ



१—आवपाशी समिति

काश्तकार को भूमि ठीक मिल जाने के बाद खेती के लिए सब से अधिक आवश्यकता पानी की होती है। इस प्रान्त के देहात में पानी की बहुत कमी है यू० पी० के पश्चिमी हिस्सों में गङ्गा व जमुना की नहरें और बीच के हिस्से में सारदा की नहरें बहुत लाभ पहुँचा रही हैं। मेरठ, बुलन्दशहर, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद इत्यादि में कुछ टियूथ वेल यानी बिजली से पानी देने वाले कुएं भी तैयार कराए गए हैं जिनसे काश्तकारों को सिंचाई के लिए पानी सस्ते दामों पर मिलता है। परन्तु फिर भी काश्तकारों को पानी की कमी मालूम होती है। पूरबी जिलों में न तो नहरें ही हैं और न काफी कुएं ही। इधर पानी भी कुओं में काफी गहराई पर निकलता है। कांसी, उरई, कालपी की तरफ मामूली कुयों की गहराई ६० हाथ या इस से भी अधिक होती है। गरीबी के कारण हर एक काश्तकार अपने लिए कुआँ

नहीं बनवा सकता वैसे तो अब ऐसे स्थाई हक सबको हासिल हैं जो कुआं खुदा सकें। परन्तु अकेले किसान कुछ कर नहीं पाता। बिना पानी के न तो अच्छी पैदावार ही हो सकती है और न क्रीमतों फलों ही बोई जा सकती हैं। इसलिए इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहकारी आवपाशी समिति स्थापित की जा सकती है और छोटे छोटे कार्तकार इससे लाभ उठा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में टियूब वेल या नहरें काम करती हैं वहां भी सहकारी समिति स्थापित करके पानी सब को समय से पहुँचाने का उचित प्रबन्ध किया जा सकता है।

आवपाशी समिति के उद्देश्य

इस समिति का आम तौर पर तो उद्देश्य यही है कि अपने मेम्बरों की खेती की खिचाई के लिये पानी का प्रबन्ध करे चाहे वह किसी सूरत से भी हो परन्तु नीचे लिखे काम विशेष तौर से करना होते हैं:—

- १—मेम्बरों की खिचाई के लिये नये कुयें खुदवाना, तालाब बनवाना या बांध बंधाना या पुराने कुयें, तालाब या बांध की मरम्मत कराना।
- २—खिचाई के औजार खरीदना या किराये पर मंगाना या उन्नतिशील पम्पिंग सेट या दूसरी मशीनों का प्रबन्ध करना

उद्देश्य है ।

८—और सब ऐसे काम करना जिससे मेम्बरों की सिचाइ में उन्नति हो और साधारण तरह से मितव्यता अपनी मदद आप करने व एक दूसरे की मदद करने की आदत पड़े

आवपाशी समिति का संगठन

इस समिति में हर एक व्यक्ति जिसको आवपाशी की आवश्यकता है और जिसके पास कुछ खेती है शरीक हो सकता है । सबसे पहले काश्तकारों को मिलकर आवपाशी का प्रबन्ध करने से जो २ लाभ तथा खर्च की बचत हो सकती है वह समझा दी जावे और जो २ लोग समिति बनाने के लिये तैयार हों उनका एक सूची तैयार करली जावे । इस सूची में उनका नाम, पता, रकबा, काश्त, लगान इत्यादि लिख दिया जावे । सबसे अच्छा यही है कि गांव में जिस खास चक की आवपाशी का प्रबन्ध करना है उसी चक के काश्तकारों को सम्मिलित किया जावे । इस रकबे का टोटल लगाकर यह तख्मीना लगाया जावे कि इस रकबे के लिये कितने कुयें या तालाब या बांध की आवश्यकता होगी और उसमें क्या खर्च होगा । कुयें, तालाब या बांध बंधाने के खर्च का तख्मीना अगर किसी ओवरसियर या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंजीनियर से कराया जावे तो ज्यादा अच्छा है ।

जब लागत का अन्दाज़ हो गया तो रकबे पर इस खर्च को फैला दिया जावेगा यानी यह मालूम हो जावेगा कि प्रति बीघा कितना खर्च लगेगा, इसी हिसाब से हर एक मेम्बर से हिस्से खरीदने को कहा जायगा जैसे मान लीजिये कि लागत का दरमीना २०) रु० बीघा आया तो जो मेम्बर एक बीघा का काश्त-कार है वह २०) का हिस्सा लेगा और जो ४ बीघा की सिंचाई करेगा वह ८०) का हिस्सा खरीदेगा। हिस्से क्रिस्तों में लिये जा सकते हैं प्रन्तु यह जरूरी नहीं है कि १० बरस में ही अदा हों। समिति की ज़िम्मेदारी परमित होती है और सब प्रबंध पंचायत द्वारा होता है जिसको जलसा आम चुनता है। हर व्यक्ति अपने हिस्से की रकम तक या उसकी दूनी या तिगुनी रकम का ज़िम्मेदार होगा जैसा कि समिति तजवीज़ करे। यदि सभा को अपने काम के लिये कर्ज़ लेना है तो ज़िम्मेदारी की हद अधिक मुक़र्रर करना होगी। हर एक मेम्बर को समिति की निश्चित की हुई प्रवेश फ़ीस देना होगी।

अधिक मुल्लभ तो यही हो कि समिति कर्ज़ा न ले बल्कि अपने हिस्से की रकम से काम करे प्रन्तु काश्तकारों के हालत देखते हुए यह सम्भव नहीं मालूम होता। मेम्बरान की हौसयत लिखकर बैंक को भेजना होगी तब बैंक कर्ज़ की हद मुक़र्रर कर देगा। साधारण तौर से यह होता है कि जब आवपाशी समिति को कर्ज़ से काम करना होता है तो हर एक मेम्बर

क्री बीघा लागत के हिमाव से जो रकम ऊपर निकाली गई है उसी की दरद्वारा कर्जा देना होती है और इसी माख के अनुसार दरिद्र लेना होता है। बैंक आम तौर पर ६) सैकड़ा सूर की दर पर इस काम के लिये रुपया देना है और मेम्बरान से १॥) सैकड़ा लिया जाता है। लगभग १) बीघा तक सालाना मरम्मत के लिये हर मेम्बर से वसूल किया जाता है। बैंक का कर्जा अदा हो जाने पर मेम्बरान कुयें के मालिक हो जाते हैं और समिति का काम केवल उनकी सिंचाई की देख भाल और सिंचाई में उन्नति कराने का रह जाता है। इसमें हर साल शुरू से ही मुनाफा बंट सकता है। चौथाई मुनाफा बचत की पूंजी में डालना होगा। इस सूत्र में ऐसी सभाओं की बहुत चरुरत है और कारगर के सुखी जीवन के लिये यह एक अवश्यक साधन है।

आवपाशी समिति की सफलता इसी पर निर्भर है कि सिंचाई का कौन सा साधन मेम्बर निश्चित करते हैं। कुओं और बांध या तालाबों के अतिरिक्त आजकल ट्यूबवेल तथा नहरों से बहुत अच्छी तरह सिंचाई होती है। समिति को इसी के आधार पर कुछ कारोबारी नियम बना लेने पड़ते हैं। उन्ही नियमों के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को सिंचाई करना और उसकी लागत तथा खर्च या सिंचाई दर देना होती है और नियमित रूप से निश्चित समय पर पानी लेना होता है। यदि मेम्बर पंचायत की

आज्ञा के विरुद्ध काम करता है तो वह दण्ड का भागी होता है। समिति अपने जल्सा आम में तै करके निम्नलिखित दण्ड मेम्बर को दे सकती है:—

- १—कुछ निश्चिः समय के लिये मेम्बर को अपने खेतों की सिंचाई करने से रोक दिया जावे और पानी न दिया जावे।
- २—समिति की आज्ञा उल्लंघन पर ५०) तक जुर्माना किया जावे।
- ३—उस मेम्बर की सिंचाई की दर दूनी करदी जावे और वह जब तक समिति की आज्ञानुसार काम न कर दर न घटाई जावे।
- ४—और जब वह किसी प्रकार भी न माने तो उसे समिति से निकाल दिया जावे।

ऐसी समितियों की इस शान्त में बड़ी आवश्यकता है। बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूँ इत्यादि में आषपाशी समितियां कार्का तादाद में काम रही हैं अब दिन पर दिन इकरी तादाद बढ़ती जा रही है।

भूमि और पानी काफी मिल जाने पर उपज अवश्य बढ़ेगी और अधिक उपज होने पर फिर उसके विक्रय का प्रश्न होगा इसलिये अब हमें देखना है कि क्रय-विक्रय समिति क्या काम करती है।

२—सहकारी क्रय-विक्रय समितियां

साधारण तौर से काश्तकार की पहिली आवश्यकता भूमि और दूसरी पानी है। इन दोनों का प्रबन्ध ठीक हो जाने के बाद उसको अच्छा बीज, खाद, अच्छे औजार, हल, तिफारा इत्यादि और अच्छे बैल चाहिये। वैसे तो हर काम के लिये एक २ समिति अलग २ खोली जा सकती है परन्तु यह सब चीजें ऐसी हैं कि जिनकी आवश्यकता हमेशा नहीं पड़ती। साल में दो एक बार फसल फसल पर ऐसी आवश्यकता होती है इस लिये अलग अलग समिति के लिये सालभर काकी काम ही नहीं होगा और जब काम काकी नहीं होगा तो लोगों में दिलचस्पी बाकी न रह जायगी। इस लिए किसानों की जिन्दगी की सब आवश्यकतायें पूरी करने के लिए यदि एक ही समिति से काम लिया जावे तो ज्यादा अच्छा है। बहुधंधी समिति का संगठन और उन का काम हम पहले बता चुके हैं।

सब किसानों की हर तरह की आवश्यकतायें एक की बहुधंधी समिति से पूरी हो सकती है जैसे हर किस्म का बीज आलू, तम्बाकू, तरकारी व नाज, ऊख इत्यादि मिल कर सस्ता मंगाया जा सकता है। उनकी दैनिक आवश्यकताओं का सागान समिति मंगा सकती है और इकट्ठा मंगाने में क़िफ़ायत भी बहुत होगी। योरप में जर्मनी, इटली और स्वीटज़रलैंड में यह सब काम

लेन देन वाली सभायें ही करती हैं परन्तु हमारे देश में लोगों के पास धन नहीं है उन्हें तो हर काम के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता होती है इस लिए इस देश में भी यदि लेन देन वाली सभायें भी यही सब काम करें तो जनता को अधिक लाभ हो इसी आधार पर बहुधंधी समिति में कर्ज का भी प्रबन्ध होता है ।

किसानों के लिये तो खेत से पैदा करने के बाद उस पैदावार को बेचना और अपनी आवश्यकता की चीजों का खरीदना ही एक मुख्य प्रश्न है । पैसा न होने से किसान को बीज, खाद, औजार या और आवश्यक सामान गांव के बनिए या और दूकानदारों से ही अधिक दाम देकर लेना पड़ता है । वह अधिक दाम इसलिये लेते हैं कि यह नक़द दाम तो देता नहीं फसल पर ही देने के वादा करता है । और जब पैदावार होती है तब विवश होकर इन्हीं लोगों के हाथ बेच भी देना होती है क्योंकि वह बेचने का ढङ्ग या व्यापार का पूरा हाथ नहीं जानते । इस से क्या क्या खराबियाँ होती है यह हम 'ग्राम जीवन' में सविस्तार बता चुके हैं । यदि हम गांव वालों को उनकी मेहनत का पूरा फल उन्हें दिलाना चाहते हैं तो हमें सहकारी समितियों के जरिये से आवश्यक सामान खरीदने और बेचने का प्रबन्ध करना होगा । यदि यह नहीं होता तो लेन देन की समितियाँ खोलने, जीवन सुधार करने, श्रमबन्दी कराने या आबपासी का प्रबन्ध कराने से कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि फिर भी उसका सारा लाभ गांव के

बनिये महाजनों को ही पहुँचता रहेगा ।

क्रय और विक्रय दोनों काम के लिए एक ही समिति काम दे सकती है । आयरलैंड में यह काम लेन देन वाली समितियाँ ही करती हैं । यहां पर गांव गांव में यदि लेन देन वाली समितियाँ इन कामों को भी अपने हाथ में ले लें तो बहुत सफलता से प्रबन्ध होजावे । क्रय विक्रय के लिए एक ही केन्द्रीय समिति १५ या २० गाँव के बीच में खोलना अच्छा होगा क्योंकि यह समितियाँ जब ही सफल होंगी जब इनके पास काम काफी होगा एक गांव में काम इतना नहीं मिल सकता । इस लिये इसका क्षेत्रफल कई गांवों को मिला कर कायम कराना चाहिये । इसी आधार पर क्षेत्रीय संघ जो बीज वितरण तथा क्रय विक्रय का काम कर रहे हैं खोले गए हैं ।

क्रय विक्रय समिति का संगठन

जैसा ऊपर बताया गया है इन समितियों का क्षेत्रफल कई गांवों का होगा इसलिये इस समिति के मेम्बर वही होंगे जो इस एर्रे में रहते हों और जो बेचने के लिये कोई फसल पैदा करते हों या अपने कारोंबार या दैनिक जीवन के लिये कुछ सामान खरीदना चाहते हों । जो लोग कि कुछ भी खरीदना या बेचना ही चाहते वह मेम्बर नहीं हो सकते । गांव की लेन देन की

समितियाँ या बहुधंधी समितियाँ भी मेम्बर हो सकती हैं। पैदावार बेचने के सिलसिले में वही चीजें आम तौर से ली जायेंगी जो गोदाम में रक्खी जा सकती हैं और जिनकी मांग बाजारों में आम तौर पर होती है जैसे गेहूँ, धान, तिलहन, गुड़ इत्यादि। ऊख बेचने के लिये अलग समिति बनाना चाहिए क्योंकि इसके बेचने के लिए विशेष प्रबन्ध करना होगा। दूध घी इत्यादि के लिए भी अलग अलग समितियाँ बनाना होंगी। हमारी क्षेत्रीय संघ यदि चाहें तो घी तेल इत्यादि का क्रय विक्रय कर सकते हैं इस तरह की समिति का विशेष उद्देश्य यही है कि मेम्बरों को उनकी पैदावार से, अधिक से अधिक लाभ मिल सके और बेचने में थोड़ा खर्च पड़े। उनकी आवश्यकता को वस्तुएँ सस्ते से सस्ते दामों पर उन्हें मिल जावें। समिति का यह भी उद्देश्य रहता है कि मेम्बरों को बाजार की रंगत का पता लगाकर यह भी सलाह देती रहे कि अब किस चीज की मांग अधिक है और वह क्या चीज पैदा करें जिससे उनको अधिक लाभ हो। इसके अतिरिक्त उनके पैदावार बढ़ाने या पैदावार का खर्च कम करने के समबन्ध में भी समिति उचित सलाह दे सकती है क्योंकि कारोबार या खेती के समबन्ध में आवश्यक सामान उसी को मंगा कर देना होगा। यह सभायें स्वदेशी का भी प्रचार अधिक कर सकती हैं और देश प्रेम फैला सकती हैं क्योंकि किसानों की दैनिक जीवन की सामग्री या जो कुछ सामान

बह मंगा कर देंगी उस में यह हो सकता है कि सब चीजें अपने देश की ही बनी हुई मंगावें। इस तरह गांव में स्वदेशी का प्रचार अधिक हो सकता है।

संगठन के सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न पूंजी का पैदा होता है। इस प्रकार समितियों को पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। पूंजी केवल हिस्सा, अमानत या बैंक के कर्जों से ही बन सकती है। चूंकि इस समिति का हल्का बहुत लम्बा होता है इस लिये इस में जिम्मेदारी परमित रखी जाती है यानी हर एक मेम्बर सभा के कर्जों या अमानतों के लिये अपने हिस्से की रकम के दूने, तिगने या चौगने तक का जिम्मेदार होता है। यदि जिम्मेदारी इस तरह न निश्चित की जावेगी तो बैंक अधिक कर्जों नहीं देगा और समिति का काम भी नहीं चल सकेगा। इसमें हिस्सा २०) या १०) ५० का होता है और उसकी अदायगी के लिये सब से सरल ढंग यह है कि माल की बिक्री के समय जब मेम्बर का हिस्सा किया जाये तो एक पैंसा या दो पैसे प्रति रुपये के हिसाब से हिस्से में लेलिया जावे तो मेम्बर को खलता भी नहीं और हिस्सा शीघ्र पूरा होजाता है। इस में दस साल तक इन्तज़ार नहीं किया जाता, जितनी शीघ्र होसके हिस्सा पूरा हो जाना चाहिये। किसी हालत में भी पांच साल से अधिक हिस्सा पूरे होने में न लगना चाहिये। समिति का काम पञ्चायत द्वारा होता है जिसको जलसा ग्राम चुनता है। हर मेम्बर का एक वोट

होता है। आम सभा का कोरम तिहाई मेम्बरों का और पञ्चायती सभा का आधे का होता है। और रजिस्ट्री के सब कागजात वैसे ही तैयार किये जाते हैं जैसे लेन देन के सम्बन्ध बताये जा चुके हैं।

समिति के काम का ढंग

इस समिति के मुख्य काम दो हैं। एक तो मेम्बरों को आवश्यक वस्तुयें मंगा कर देना दूसरे मेम्बरों का माल बिकवाना और उससे लाभ करना। इस समिति को सफलता उसी समय हो सकती है जब सब मेम्बर दिलचस्पी से काम करें और अपना सब काम समिति के द्वारा ही करावें। बिना किसी नियम के आम तौर पर लोगों को यह ख्याल नहीं रहता। इसलिये जब मेम्बर समिति में शामिल होता है तो उससे यह प्रतिज्ञा करा ली जाती है कि वह अपना सब माल सोसाइटी के ही द्वारा बेचेगा और आवश्यक वस्तुयें समिति के ही द्वारा मंगावेगा। इस सम्बन्ध में जो नियम भी जल्दा आम बना देगा उसको वह मानेगा यदि वह इस प्रतिज्ञा के विरुद्ध करे तो पंचायत १००) तक जुर्माना कर सकती है। बिना इस नियम के लोग दिलचस्पी न लेंगे।

अब खरीदारी के लिये हर एक गांव की समिति जो आम

तौर से बहुधंधी समिति ही होती है, मेम्बरान से पूछ कर आवश्यक सामान जैसे बीज, हल औजार, कपड़ा, तेल, साबुन, दियासलाई इत्यादि का इन्स्टेन्ट समय से १ महीना पहले तैयार कर लेती है और वह इस संघ के पास भेज देती है। यह संघ सब गांवों की सूची से छांटकर एक २ प्रकार के सामान की अलग सूची तैयार कर लेता है और उसके मंगाने का प्रबन्ध कर देता है। माल आ जाने पर वहां के परचे के अनुसार सामान हर गांव के सरपंच या खज्जाची के सुपुर्द कर दिया जाता है जो अपने २ गांव में मेम्बरों के बांट देते हैं और दस्तखत करा लेते हैं। बिक्री के लिये हर एक मेम्बर अपने गांव की समिति को अपने माल की सूचना दे देता है कि उसके पास इस किसम का माल इतना बिक्री के लिये है। यदि वह कुछ कीमत पेशगी माहता है तो यह संघ माल को अपने यहां मंगाकर कीमत का १० से ७५ प्रति सैकड़ा तक दे देता है और बिक्री हो जाने पर इसाव करके जो २ सामान मेम्बर ने लिया है उसके दाम और पक्की पर कुछ कर्माशन या खर्चा इत्यादि काटकर बाकी उसको दिये जाते हैं। इस तरह मेम्बर को खरीदने और बेचने दोनों बेकार खर्च नहीं पड़ता और बाजार भय पर चिज घर बैठे मिल जाती है। और जो रकम पेशगी दी जाती है उस समिति कुछ सूद लेती है जो बैंक की शरह सूद से कुछ अधिक होता है। जहां पर सूद नहीं लिया जाता वहां भाव

में इतना लिया जाता है कि उस में बेचने का खर्च व सूद इत्यादि सब निकल आवे। तब भी काश्तकार को दाम अलग बेचने के मुकाबले में समिति के द्वारा बेचने में कुछ अधिक मिल जाते हैं। बम्बई व करनाटक में बेचने वाली सभाएँ अच्छा काम कर रही हैं। मद्रास में उपयोगता स्टोरों ने अच्छा काम किया है जो शहरों में लोक प्रिय हैं। क्रय-विक्रय का काम मुख्यतः तीन सिद्धान्तों पर चलना है।

- (१) मेम्बर अपना समिति के हाथ अपने पूरे बाजारी दाम लेकर माल समिति के हाथ बेच देता है और दाम ले लेता है। इस में जो कुछ नफ़ा नुकसान होता है वह समिति का होता है मेम्बरों को इस से कुछ मतलब नहीं।
- (२) दूसरा तरीका कमीशन पर माल बेचने का है। अर्थात् मेम्बर माल को संघ के पास रख देता और यह तै होता है कि माल की बिक्री पर वह मेम्बर समिति को कुछ कमीशन बक्री पर देगा। माल बेचने की जिम्मेदारी समिति की रहती है। मेम्बर को कमीशन के अतिरिक्त बाजारी बिक्री खर्च भी देना पड़ता है।
- (३) आदत का तरीका है। इसमें मेम्बर अपने माल को संघ के गोशम में रख देता है और क्रोमव का ३०) या ७५ प्रति सैकड़ा तक नक़द ले लेता है और जिस भाव पर उसे बेचना है

वह बता देता है। संघ उस माल की देख रेख करता रहता है और समय आने पर उचित भाव मिलने पर उसे बेच देता है और मेम्बर को हिसाब कर के अपना रुपया जो पेशगी दिया में सूद काट कर बाकी दाम दे देता है। मेम्बर से आढ़त, किराया गोदाम, पल्लेदारी इत्यादि खर्च भी ले लिए जाते हैं।

इन ठगों में से जो मेम्बर को पसन्द होता है उसी पर काम किया जाता है साधारण तौर से लोग सब से पहले ठग को अधिक पसन्द करते हैं।

समिति की कुछ कठनाईयां ।

इन सभाओं की सफलता के लिए सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि इसका काम किसी भी ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द किया जावे जो बाजार से अच्छी जानकारी रखता हो। यानी सभा को एक ऐसा व्यक्ति नौकर रखना पड़ेगा। इस सभा में जहां तक हो लेन देन वाली या बहुधंत्री समितियां हो मेम्बर बनाई जायें व्यक्तिगत लोग मेम्बर न रखे जायें क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बनिए महाजन जिनका काम समिति के कारण कम हो जायगा और जो समिति की अवनत चाहेंगे सोसायटी को खराब कर देंगे। इस लिए यह समिति आम उसूल यह रखेगी कि मेम्बर या तो गांव की सभाएं होंगी या वह लोग होंगे जो

जो सभा से कोई मुकावला नहीं करते परन्तु माल सब का जो बिकवाना चाहे बेचा जा सकता है। बाजारों की जानकारी सभा को रखना बहुत ही आवश्यक है। सभा को माल रखने के लिए एक गोदाम का भी प्रबन्ध करना पड़ेगा। जब तक ऐसी सभाएं बनकर काश्तकारों को दलालों के फन्दे से नहीं छुड़ाएंगी और उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं दिलावेगा वह सुखी जीवन नहीं बिता सकते और न देश ही उन्नत कर सकता है। आज कल अधिक गल्ला उपजाना तथा उसका उचित मूल दिलाना यह दोनों प्रश्न मझान हैं। इन दोनों को सहकारी खेती समिति बना कर भी अच्छी तरह हल किया जा सकता है।

३—सहकारी खेती समिति ।

हमारे देश में इस समय पर्याप्त अन्न उत्पादन का एक बिकट प्रश्न उठा हुआ है। लड़ाई के बाद से देश में इतना अन्न नहीं होता है कि सारे देशवासियों को पूरा हो जावे। करोड़ों रुपया देश को बाहर से अन्न मंगाने में दे देना होता है इसी से गरीबी नहीं जाती। अधिक अन्न उपजाओ का एक आन्दोलन चल रहा है और हमारी सरकार ने लाखों रुपया इस आन्दोलन में व्यय किया है। इस सम्बन्ध में सरकार ने बहुत सी नई योजनाएँ चालू की हैं जैसे ढाक इत्यादिके जंगलों को काट कर भूमि को खेती के योग्य बनाना, परती भूमि को ट्रैक्टर आदि से जुतवा

और समिति के द्वारा मंगाया और बाटा जावे , इन ढंग में तो किसी को कोई विरोध न होना चाहिए और इन तरह की समिति शीघ्र बन सकती है और सफल भी हो सकती है ।

दूसरा तर्क यह है कि सामूहिक खेती करने वाले किसान अपने अपने खेत अपनी सामंति को दे दें और कुल खेती का सामान जैसे हल औजार, बैल, तथा अन्य सामान एकजोड़ ही रखा जावे । खेती का समुचित प्रबन्ध उन्हीं किसानों को चुना हुआ पंचायत के द्वारा ही किया जावे । मेम्बर जो काम खेतों पर समिति की ओर से करेंगे उसकी उनको मजदूरी दी जावेगी चाहे यह रुपये के रूप में हो चाहे अन्न के रूप में हो । फसल के तैयार होने पर पंचायत उसकी कटाई मड़ाई का प्रबन्ध करेगी और अन्न तैयार हो जाने पर एक निर्धारित नियम के अनुसार सदस्यों के श्रवण के हिसाब से अन्न निकाल कर बांट दया जायेगा । यदि मेम्बर चाहें तो खाने भर के अन्न ले लें और बाकी एकजोड़ सहकारी ढंग से विक्रय कर दिया जावे और जो मूल्य मिले वह बांट दिया जावे । यह दूसरा ढंग पूर्ण सहकारी ढंग से सामूहिक खेती का है । इसके लिए हमारा देश अभी तैयार नहीं है परन्तु प्रचार से और सम्मान से बफलावा हो सकती है ।

कुछ व्यक्तियों का खयाल है कि इस तरह की खेती में लोगो को निजी लाभ न होने के कारण दिलचस्पी नहीं होती । यह हो

सकता है परन्तु दूसरी ओर से भी देखिए कि जिस काम में सुख का लाभ है और वह लाभ अन्त में सदस्यों में ही बंट जाना है तो प्रत्येक व्यक्ति इस बात की कोशिश करेगा कि अधिक से अधिक उपज हो और उसके भी अधिक हिस्सा मिले इस लिए वह विशेष दिक्कतों से काम करेगा। इसके अतिरिक्त मौजूदा हालात में सब किसानों के पास किसानों के सभी साधन नहीं मिलते जैसे किसी के पास बैल नहीं तो किसी के पास बीज नहीं किसी के पास मजदूरी देने का धन नहीं तो किसी के पास उचित औजार नहीं गरज यह कि कोई सामान पूरा नहीं तो उपज पूरी कहां से हो जावे। सामूहिक ढंग से यह सभी कर्मियां पूरी हो सकती हैं और हर व्यक्ति को अन्त में अधिक उपज मिल सकती है। एक और लाभ यह है कि सामूहिक ढंग से खेती करने से किसान छोटे छोटे दैनिक झगड़ों से बच जाता है और आपस का वैमनस्य जो अब चल रहा है मिलने से दूर हो जाता है।

एक और भी विचार प्रगट किया जाता है कि जब भूमि अधिक होगी तो उपज प्रति एकड़ या बीघा कम होती जायगी। यह हो सकता है कि जहां इतने बड़े फार्म हैं जहां देख भाल नहीं हो सकती वहां उपज कम होती हो वरना उत्तर प्रदेश में जहां प्रति किसान ३ एकड़ से भी कम भूमि है वहां इसका क्या प्रश्न। हर किसान अपनी छोटी सी जोत की दिन रात रखवाली व देख भाल करता रहता है और उसके सब घर के लोग और

बच्चे सब उसी काम में लगे रहते हैं। यदि वह अलग २ मजदूरी करते तो अधिक धन पैदा कर सकते। सामूहिक खेती में वह हानि नहीं होने पाती और हर व्यक्ति को जो खेतों पर काम करते हैं अधिक धन मजदूरी के रूप में मिल जाता है और आपस में प्रेम भी बना रहता है। इसलिये इन छोटी जोतों को इकट्ठा कर देने से किसान खेती के साधनों में सम्पन्न हो जाता है और परिश्रम का बचत हो जाती है और दिन रात के जो भगड़े संकीर्ण विचारों और स्वार्थों से उत्पन्न होते हैं उनसे छुटकारा हो जाता है। खेती का खर्चा भी प्रति एकड़ कम पड़ता है। किसान अधिक सम्पन्न होता जाता है क्योंकि उपज प्रति एकड़ बढ़ती जाती है।

आज हमारे देश की मांग है कि भूमि के एक २ इंच से अधिक से अधिक धन पैदा हो इसलिये यदि हम अमेरिका आदि स्वतन्त्र देश के किसानों की भांति सहकारिता के आधार पर भारतीय किसान को संगठित नहीं करते और इन्हीं २ भूखे पर उसी प्रकार उत्पादन नहीं करते तो हमारा आगम कष्टवीर्य ही प्रतीत होता है और हम अपनी पाई हुई स्वतन्त्रता को कायम न रख सकेंगे।

सहकारी खेती समिति का संगठन

हमने यह देख लिया कि हमारे देश के लिये सामूहिक खेती

समिति बनाना अति आवश्यक है इसलिये अब इसके संगठन पर विचार करना चाहिये। इस समिति का भी संगठन ऊपर बताई हुई समितियों की भांति होता है। इसमें सब मेम्बर हिस्सा खरीदते हैं और आम जल्सा करके पंचायत का चुनाव कर देते हैं। सरपंच, खज्जाची और सेक्रेटरी भी चुने जाते हैं। चुनाव हो जाने के पश्चात् विकास तथा बहुधंत्री समिति की तरह सब कागजात बनाकर सुपरवाइजर रजिस्ट्री के लिये इंस्पेक्टर के द्वारा भेज देते हैं। रजिस्ट्री हो जाने के बाद कार्य आरम्भ हो जाता है। दूसरी और समितियों से इसमें अन्तर यह है कि इस में हिस्सा मेम्बरों की भूमि के मूल्य पर निश्चित किया जाता है और जो मूल्य मेम्बरों की भूमि का समिति तै करती है उतने का वह हिस्सेदार बना दिया जाता है। मेम्बरान से और जो खेती का सामान एकत्रित किया जाता है और सामूहिक रूपसे समिति के प्रयोग में आता है उसका भी मूल्य मेम्बर के व्यक्तिगत खाते में लिख दिया जाता है। सभी सामूहिक खेती करने वाले मिल कर एक जल्सा करते हैं उसमें यह तै किया जाता है कि कितनी भूमि मवेशियों के चरागाह को छोड़ी जावेगी और कितनी किस फ़सल (धानी रबी या खरीफ) के लिये रक्खी जावेगी फ़सलों का हेर फेर भी इसी आम जल्से में तै हो जाता है। फ़सलों की निगरानी कैब्रे होगी और उसके क्या नियम होंगे सब तै हो जाता है। इस समिति की जिम्मेदारी परमित होती है। हमारे

क्षेत्र में ऐसी समितियों की अधिक संख्या में बनने की आवश्यकता है।

सहकारी खेती समिति के उद्देश्य

उस समिति का मुख्य उद्देश तो सदस्यों में सहकारी विचारों को प्रोत्साहित करना और उनका अर्थिक व समाजिक विकास करना है और विशेष कर न.चे लिखे उद्देश्यों की पूर्ति करना है:-

- १—सम्मिलित खेती और सदस्यों की भूमि तथा अन्य उत्पादन के साधनों का संयुक्त प्रबन्ध करना और एक में जुटा कर आधुनिक ढंग से खेती करना।
- २—डेरी खोलना और दूध वाले पशुओं की नस्ल सुधारना, मुर्गी पालना और उसकी नस्ल में उन्नति करना और बीमारियों को रोकना।
- ३—तरकारियों की और फल फूल की खेती करना।
- ४—बेकार भूमि को खेती के योग्य बनाने का प्रबन्ध करना।
- ५—सिंचाई का उचित प्रबन्ध करना और उन्नतशील बीज, औजार, खाद और दूसरे साधनों का प्रबन्ध करा कर इस्तेमाल करना और खेती में सुधार करना।
- ६—खेती से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों को चलाना और उनके

लिये कच्चा माल जुटाना ।

४—खेती की तथा उद्योग धंधों की प्रदर्शनी करना ।

५—समिति तथा मेम्बर के उत्तरादित माल को रखने के लिये गोदामों का प्रबन्ध करना और माल की सहकारी नियमानुसार बिक्री करना ।

६—सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं के लिये उचित सामग्रि भंगाना या जुटाना ।

७—सदस्यों के रहने के मकानों की उन्नति करना पाने के पानी का प्रबन्ध करना, रस्ते दुरुस्त कगाना, रोशनी शिक्षा, दवा स्थानों का प्रबन्ध करना और सार्वजनिक भवन बनवाना और गांव में उन्नति करना तथा उनके रहन सहन को ऊंचा करना ।

८—इन सब साधनों के लिये आवश्यकता पड़ने पर कज का प्रबन्ध करना ।

अब हम देखेंगे कि भूमि को रहन करके रुपया का प्रबन्ध कैसे होता है ।

४—भूमि रहन सहकारी समिति ।

कार्तकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेन देन की समिति काम कर सकती है । वह समिति आम तौर से

(१) मेम्बरों की जमीन रखकर अधिक समय के लिये रुपये क़र्ज़ देने का प्रबन्ध करना ।

(२) क़र्ज़ चार कामों के लिए लेना ।

(अ) खेती वाली भूमि का पहले वाला रहन छुड़ाने के लिये

(ब) पुराने क़र्जों की अदायगी के लिये ।

(स) खेती वाली भूमि की उन्नति और खेती के तरीकों के सुधार के लिए ।

(द) खेती को बढ़ाने के लिये, भूमि खरीदने के लिए विशेषतः जब खेती वाली भूमि को एक जगह करना है ।

(३) मेम्बरों में क्रियायतशाली, अपनी मदद आप करने और और दूसरों की मदद करने की आदत डालना ।

ऐसी समितियों का क्षेत्र फल न तो इतना छोटा हो कि काम करने वाले भी न मिलें और न इतना बड़ा हो कि निगरानी ही न हो सके । इस लिए इस समिति का क्षेत्र फल आम तौर से एक ज़िले में रक्खा जाता है परन्तु पहले काम एक ही तहसील में आरम्भ होता है ।

समिति का संगठन ।

इस समिति में आम तौर से वही लोग सम्मिलित होते हैं

उस पर पहले का जो कर्जा है उसकी जांच एक कमेटी करती है जिस में जिले के सहकारी इन्सपेक्टर और एक कानून बनाने वाला मेम्बर एक और मेम्बर होते हैं। जब यह कमेटी जायदाद की तहकीकत और दफ्तर रजिस्ट्री की जांच से संतुष्ट हो जाती है और उसकी कीमत का अन्दाजा लगा लेती है तो इस से जायदाद की रजिस्ट्री मेम्बर से करा ली जाती है। इस रजिस्ट्री में उसकी सभी घर वाले सम्मिलित होते हैं। रजिस्ट्री के पश्चात् मेम्बर को रुपया मिल जाता है। कर्जा रजिस्ट्री की हुई जादाद की कीमत का १० प्रति सैंकड़ा ही मिलता है। १०००) ६० से अधिक नहीं मिल सकता और हिस्से की कीमत का २० गुना तक मिल सकता है इस से अधिक नहीं मिल सकता ४००) से कम भी इस समिति में नहीं दिया जाता। कर्जा देते समय यह दोनों सम्बन्ध देख लिए जाते हैं। यदि मेम्बर उन्ही काम में रुपया नहीं लगाता जिसके लिए मंजूर हुआ है तो उसे वापस करना पड़ता है। जो कर्जा पिछले रहन को छुड़ाने को दिया जाता है वह पिछले रहन रखने वाले को ही देकर कागजात वापस ले लिये जाते हैं और समिति में रख लिए जाते हैं। कर्ज १५ साल से अधिक के लिए नहीं दिया जाता।

हर एक मेम्बर को इस जायदाद के अतिरिक्त दो शहशी जामिन भी देना होते हैं। कर्जा देने से पहिले कमेटी एक नोटब

जारी कर देती है कि इस व्यक्ति को इस जायदाद पर इतना रुपया दिया जा रहा है जिसको एतराज हो कमेटी के सामने पेश करे। कुल तहकाकत का जांच और खर्चा मेम्बर को ही देना होता है। बार किरालत इत्यादि का सार्टीफीकेट लेने में जो फीस लगती है वह मेम्बर को ही देना पड़ती है यह सार्टीफीकेट सब रजिस्ट्रार के यहां से मिलता है। इस लिये मेम्बर को बाद पूरी जांच के रुपया दिया जाता है। चूंकि सन्निति यहदूद जिम्मेदारी की है इस लिये मुनाफा पहले साल से ही बटने लग जाता है। बकाया सुर निकाल कर मुनाफे का एक चौथाई बचत की पूंजी में डाला जाता है। बाकी में बट्टा खाता फंड खैरात फंड या और जो फंड कायम करना हों कर दिये जाते हैं और हिस्सों पर मुनाफा दिया जाता है जिसकी शरह १० की सदी से अधिक नहीं होती। यह समितियां भारतवर्ष के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। विशेषता आजकल के ज़माने में स्वतंत्र देश में उन्नति के लिए अधिक रुपये का आवश्यकता है और किसान जो अब भूमिधर हो गए हैं अपनी भूमि पर ही कर्ज ले सकते हैं। ऐसी समितियों की शिफारिश बैंकिंग कमेटी ने भी की है।

भूमि रहन समिति का प्रबन्ध

इस समिति का प्रबन्ध एक प्रबन्ध-कारिणी कमेटी द्वारा

होता है जिसमें जिलाधीश जो पदेनु सभापति होते हैं उनका अतिरिक्त तीन नामजद किये हुये मेम्बर और ६ चुने हुये मेम्बर होते हैं। मेम्बर तीन साल के लिये चुने और नामजद किये जाते हैं। पहले साल के बाद चुने हुये मेम्बरों में से एक तिहाई और दूसरे साल में बाकी के आधे लाटरी डालकर रिटायर कर दिये जावेंगे। दौरान साल में यदि कोई जगह हो जावे तो कमेटी स्वयं ही मेम्बरों में से किसी को चुन लेगी परन्तु यह जगह दूसरे चुनाव तक ही रहेगी। जो मेम्बर लगातार चार मीटिंग में सम्मिलित नहीं होता वह कमेटी से अलग किया जा सकता है। यदि किसी चुने हुये कमेटी के मेम्बर पर एक साल से अधिक की वक्त्या हो तो वह दूसरे चुनाव में भाग नहीं ले सकता और न वह कमेटी का मेम्बर हो रह सकता है। इस कमेटी को यह अधिकार है कि वह अपने कुल या थोड़े अधिकार सभापति को या सेक्रेटरी को देदे। चुन हुये और नामजद किये हुये सभी मेम्बर वोट दे सकते हैं। कमेटी यदि चाहे तो नीचे लिखी हालतों में कर्ज वारिस ले सकती है:—

१—जब रहन की हुई भूमि जबरिया सरकारी प्रबन्ध में आ जावे या जबरिया बेच दी जावे।

२—या यह भूमि को किसी नदी इत्यादि के बहाव में आ जाने का भय हो।

कर काम करने की आदत पड़े परन्तु नाँचे लिखे काम विशेषकर किये जाते हैं:—

- (१) मेम्बरों के लिये अच्छी नस्ल के अधिक दूध देने वाले मवेशी जैसे मुर्गा भैंस या हिंसारी, मांटगुमड़ा या सिन्धी गाय इकट्ठा खरीदवाने का प्रबन्ध करना ।
- (२) मेम्बरों को मवेशियों के लिये चारा इत्यादि खरीदने या उनके रख रखाओ का प्रबन्ध करने के लिये पेशगी रखा देना और उसे घाँ, दूध, खाँया इत्यादि का सट्टा करके वसूल करना । मवेशी या और जायदाद को सासाइंटों में रहन कराना भी सभा का कर्तव्य है ।
- (३) अच्छे किस्म के चारे पैदा करने का मेम्बरों को उत्साह दिलाना । चरागाह या गढ़ों (साइलोपिट) में चारा रखने का इन्तजाम कराना और मेम्बरों के मवेशियों के लिये चारा, भूसा, खली, नमक, चूना, भूसी कराई वगैरः इकट्ठा बड़ी बाजारों से सस्ते मूल्य पर खरीदवाने का प्रबन्ध करना ।
- (४) उन्नतिशील अच्छे बीज चारे के लिये बुबाना या और किसी तरह चारा उगाना जैसे चरी, गिनी, घास, लूसर्न इत्यादि ।
- (५) मवेशियों को उनके दूध के अनुसार राशन (चारा, खली,

भूमी इत्यादि दिलाने का प्रबन्ध करना ।

- (६) बीमार मवेशियों के दूसरे मवेशियों से अलग रखाने का प्रबन्ध करना और बीमार मवेशी का दूध समिति में आने से रोकना और मवेशियों के इलाज का प्रबन्ध करना ।
- (७) मवेशियों को सफाई से रखना और सफाई से दूध दुहने का प्रबन्ध करना और दूध में मिलावट न होने देना ।
- (८) दूध दुहने से पहले हाथों को और बर्तनों को खूब साफ कराना और जहाँ तक हो गरम पानी व लाल दवा के पानी से गाय व भैंस के थनों को और हाथों को खूब धुलवाना और साफ कपड़े से पोंछ देना । दूध दुहने और रखने की जगह को बहुत साफ रखना और अगर हो सके तो सिमेंट का चबूतरा बनवा देना ।
- (९) आवश्यकता पड़ने पर गांव वालों से दूध, दही, खोया इत्यादि इकठ्ठा बिकवाने का प्रबन्ध करना और उसका उचित मूल्य दिलाने का प्रबन्ध करना ।
- (१०) एक ही जगह मवेशी इकठ्ठा करके दूध दुहाने का प्रबन्ध करना और दूध का मवेशी बार खाता रखाने का भी प्रबन्ध करना ।
- (११) मवेशियों के लिये गांव में दवाखाना खोलना और आगे

पंचायत मेम्बरान की एक सूची तैयार करेगी जिनको मवेशी खरीदने की आवश्यकता है और यह भी जांच करेगी कि मेम्बर अपने पास से कितनी रकम लगावेंगे और कर्जा कितना लेंगे। इसी हिमाब से उनकी हैसियत व साख की जांच करेगी। जहां तक होगा मवेशी इकट्ठा शीखरीदने का प्रबन्ध किया जावेगा। मवेशी गांव में आने पर समिति में रजिस्ट्री करा लिये जावेंगे। मेम्बरान से दूध के भाव का सट्टा साल भर के लिये कर लिया जायगा जो साधारण तौर से गांव के भाव के अनुसार होगा। पंचायत नये बियाये मवेशी का दूध ४ दिन तक न लेगी और बीमार या ऐसे मवेशी का जिसके दूध में खून आता हो या और खराबी हो, दूध न लेगी। चारे की खेती का भी प्रबन्ध कराया जावेगा। यदि हल्के में दूध बेचने की यूनियन कायम हो गई है तो दूध यूनियन में भेज दिया जायगा या इसके बेचने का और दूध को बाजार भिजाने का प्रबन्ध किया जायगा। हर मेम्बर को कम से कम आध सेर दूध बच्चों के के लिये बचाना अनिवार्य होगा। ऐसी समितियां गांव वालों को बहुत लाभ पहुंचा सकती हैं इसलिए शीघ्र स्थापित कराने की आवश्यकता है। बहुधंधी समितियां जिसका व्यापार ऊपर किया गया है वह काम अच्छी तरह कर सकती हैं।

दूध यूनियन (मिल्क सप्लाय यूनियन)

गांव २ में जब दूध समितियां बन गई तो उनका दूध इकट्ठा

१२—मवेशियों के मेजे लगवाना और प्रतियोगिता पर पुरस्कार देना प्रदर्शनी कराना या और इसी तरह के काम मेम्बरों को उत्साहित करने के करना ।

संगठन

मिल्क यूनियन में उसके क्षेत्रफल के अन्तरगत जो समितियां दूध का काम करना चाहें वह इसकी मेम्बर हो सकती हैं और व्यक्तिगत भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु अधिकांश समाप्तियां ही मेम्बर होती हैं । यूनियन का हिस्सा ५० का होता है जो १० की वार्षिक किस्तों में अदा किया जाता है । कुल हिस्से की पूंजी के ४० प्रतिशत से अधिक व्यक्तिगत मेम्बर नहीं ले सकते । कोई मेम्बर हिस्सा वापस नहीं ले सकता परन्तु मेम्बरी समाप्त हो जाने पर नियमानुसार मिल सकता है । हिस्से की रकम मेम्बरी समाप्त होने के दो साल बाद और मर जाने के एक साल बाद वापस होती है । मेम्बरों की जिम्मेदारी हिस्से की दूनी कीमत तक परमित होती है ।

यूनियन में एक जनरल बाडी होती है जिसमें सब व्यक्तिगत मेम्बर और मेम्बर समितियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं । समितियों से प्रतिनिधि हर ५० मेम्बरों पर एक व्यक्ति के हिसाब से भेजे जाते हैं । जनरल बाडी का कोरम $\frac{1}{3}$ मेम्बरों का या ५० का जो कम हो होता है । मुलतवी की हुई मीटिंग में कम से

कम १० व्यक्ति उपस्थित होना चाहिये। यूनियन का चेयरमैन जिलाधीश (Exofficio) होता है।

इसके अतिरिक्त जनरल बाडी एक बोर्ड चुन देती है जो यूनियन का सब काम करती है। इसमें १२ चुने हुये मेम्बर चेयरमैन को लेकर होते हैं। इसमें ७ मेम्बर चुने हुये होंगे जिसमें कम से कम ४ समितियों के प्रतिनिधि होना चाहिये और तीन व्यक्तगत मेम्बरों में से। रजिस्ट्रार महोदय दो मेम्बरों को नामजद करेंगे जिनमें से एक टिकनीकल व्यक्ति होना चाहिये और दूसरे आर्थिक विशेषज्ञ होना चाहिये। बोर्ड दो व्यक्तियों का जो डेरी के काम से दिज्ञचस्पी रखते हों को आप्ट कर सकता है। वह सब डायरेक्टर अगले वार्षिक जलसे तक काम करेंगे। बोर्ड की साल में कम से कम दो बैठक अवश्य होंगी।

बोर्ड यदि चाहे तो दैनिक काम चलाने के लिये अपने डायरेक्टरों में से ४ या ५ व्यक्तियों की एक कार्य-कारिणी कमेटी बना सकता है। इस कमेटी के बन जाने पर बोर्ड अपने अधिकारों में से कुछ को कमेटी को दे सकता है जिसका ब्योरा बाईलाज में दिया है।

दूध यूनियन का काम

उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन योजना के अनुसार प्रत्येक

यूनियन में २०० मन दूध प्रति दिन इकट्ठा होकर वितरण किया जाना चाहिये। ऐसी यूनियन लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर में काम कर रही हैं और हाल में मेरठ और लालकुआं में भी स्थापित कर दी गई हैं।

यह यूनियन ग्राम दूध समितियों द्वारा शहर से ४० मील तक का दूध इकट्ठा करके मोटरों द्वारा शहर में लाते हैं जहां यह नियमानुसार गरम करके टण्डे कमरों में मशीनों द्वारा ठण्डा किया जाता है और दूध बांटने वाले सेन्ट्रों पर भेज दिया जाता है। सन १९४८-४९ में ६२,७६ मन दूध इस प्रकार एकत्रित करके उत्तर प्रदेश में बेचा गया। सरकार ने दुधार मवेशी खर्गदने के लिये मेम्बरों को ३,६५,००० रुपया बिना सूद तत्काली पर दिया। कानपुर में १५० मन दूध रोज वितरण होता है बाकी और जगहों पर यूनियन अभी लक्ष्य को नहीं पा सकी है। लखनऊ में १०० मन और इलाहाबाद में ६० या ७० मन का रोजगार होता है।

लाभ

इस सहकारी स्कीम से दूध उत्पादक और उपभोगता दोनों को लाभ होता है। उत्पादकों को घर बैठे पन्द्रहवें दिन दूध का उचित दाम मिल जाता है और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये बिना सूद रुपया भी मिलता है और खली इत्यादि वस्तुयें सस्ते

शामों पर मिल जाती हैं। उपभोगताओं को भी ग्वालों और इलवाइयों के मार पेच से बचा देतो है और शुद्ध दूध समय पर घर के निकट ही उचित भाव पर मिल जाता है। इन दूध संघों के कारण शहरों में दूध का दाम अधिक नहीं बढ़ने पाता ऐसे संघ हर एक जिले में स्थापित होना चाहिये।

६—सहकारी घी समितियां

जैसा दूध समिति के सम्बन्ध में बताया जा चुका है इन समितियों द्वारा किसानों के जीवन में बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। यह समितियां साधारण तौर से उन गांवों के लिए अधिक लाभदायक होती हैं जहां दूध के बेचने का प्रबन्ध नहीं हो सकता। ऐसी समितियों की सफलता के लिए दो बातों की विशेष आवश्यकता है, एक तो मवेशी ऐसे होने चाहिए जिनके दूध में घी की मात्रा अधिक हो और दूसर घी का बाजार ठीक मिल जावे और वहां तक घी को पहुँचने का उचित प्रबन्ध हो। बाकी और बातें जो दूध समिति के सम्बन्ध में कही गई हैं वह इस में भी लागू हैं। इन समितियों के उद्देश नाले लिखे हुए होते हैं।

घी समिति के उद्देश ।

इस समिति के मुख्य उद्देश्य यह हैं:—

- (१) मेम्बरों को भैंस खरीदना देना और उसकी कीमत घी लेकर वसूल करना । यानी घी की कटीती करना ।
- (२) जिन लोगों के पास भैंसें हैं उनके पेशागी रुपया देना और रुपया को घी कटऊँ करके वसूल करना ।
- (३) मेम्बरों का घी इकट्ठा करना और उसको थोक बेचने का प्रबन्ध करना । मेम्बर को उसकी कीमत की अदायगी करना या कर्जा वाली समिति में उस को जमा कर देना ।
- (४) घी में मिजाबट को रोकना और अच्छे तरीकों से घी निकालने का उत्पाद पैदा करना और अच्छा घी तैयार करने व बेचने में मेम्बरान का सहायता करना ।
- (५) मवेशियों के चारे व दाने का बन्दाबस्त कराना ।
- (६) मवेशियों की बीमारी के समय डाक्टर मवेशियान को बुलाना और दवा का प्रबन्ध कराना और मामूली मर्ज की दवाओं का गांव में ही प्रबन्ध रखना ।
- (७) मेम्बरों के मवेशियों को सफाई के साथ रखने का प्रबन्ध करना और अधिकांश लोगों को अच्छी नस्ल के मवेशों रखने पर राजी करना और रखाना ।
- (८) इसके अलावा और सब ऐसे काम करना जिस से मेम्बरों

की आमदनी बढ़े और किरायतशारी व अपनी मदद आप करने की आदत पड़े।

उत्तर प्रदेश में घी समितियों का आरम्भ उस समय से हुआ जब बाजार में घी बहुत सस्ता था और ठेकेदार जो गांव से घी ले जाते थे बहुत कम दाम देते थे। इन समितियों का मुख्य उद्देश देहात के घी उत्पादकों को घी ठेकेदारों और शहर के व्यापारियों के फन्दे से छुड़ाना था। इन समितियों का आरम्भ पहले जिला इटावा, आगरा, मैनपुरी, मेरठ और बुलन्द शहर से हुआ और इसके पश्चात और जिलों में भी जैसे भਾਂसी, बांदा, बलिया, जालौन और सुलतानपुर में भा यह समितियां बनीं। इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग ७०० समितियां काम कर रही हैं। सन् १९४८-४९ में इन समितियों ने लगभग १५ लाख रुपए का घी बेचा।

घी समिति का संगठन।

यह समितियां भी उसी तरह बनाई जाती हैं जैसे और सब समितियां जो पहले बताई जा चुकी हैं। इस में हर व्यक्ति जो बालिग है और जिसके पास भैंस है मेम्बर हो सकता है। हर मेम्बर को ११ फीस मेम्बरी देना होगी और एक इकरानामा लिखना पड़ेगा कि जल्दा आम जो कायदे बनावेगा वह सबको मानना पड़ेगा और न मानने पर पंचायत (१८०) तक जुर्माना

कर सकती है। पंचायत यह भी तय कर देगी कि किस मेंस पर कितना घी फटऊं कहके रुपया दिया जावे। हर एक मेम्बर की अलग अलग हालत देख कर यह निश्चय किया जावेगा और उसी के अनुसार रक्कत लिखा जावेगा। कोई व्यक्त बिना पंचायत की आज्ञा समिति के अतिरिक्त और किसी के हाथ घी नहीं बेच सकता। यदि ऐसा करेगा तो पंचायत उससे दण्ड दे सकती है। समिति का प्रबन्ध एक पंचायत द्वारा होगा जिसके पंच जल्सा ग्राम में चुने जावेंगे। ग्राम तौर से घी के तुलाने के लिए पंचायत एक दिन निश्चय कर लेगी उसी दिन सब लोग अपना अपना घी लाकर तौल दिया करेंगे। घी के इकट्ठा हो जाने पर पंचायत उस को किसी बाजार में बिकवाने का प्रबन्ध करेगी या व्यापारी से इकट्ठा भाव तय कर लेगी और वह निश्चित किए हुए दिन पर आकर घी ले जाया करेगा। पंचायत का यह फर्ज होगा कि वह इस बात की जांच करती रहे कि घी में किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं की जाती। घां में यदि कोई खराबा मालूम हो तो तुरन्त अपने सामने गरम कराकर साफ कराकर लेना चाहिए। बीमार मवेशियों का घी नहीं लिया जायगा और उनके मवेशियों से अलग रक्खा जायगा।

यह समिति परमित जिम्मेदारी की होती है जिसी तादाद ५० होती है यानी समिति जो जिम्मेदारी (फर्ज बगौरहः) बाहर से लेती है उसकी अदायगी के लिए हर एक मेम्बर ५०)

तक का ही जिम्मेदार होता है। इस समिति में हिस्से १८) के होते हैं। इधमें ५) हिस्सा लेते समय ही देना होता है और बाकी ५) जब समिति चाहे मांग सकती है। दूसरा तरीका हिस्सा की अदायगी का यह है कि दो पैसा रुपया घी का मूल्य देते समय काट लिया जाता है और इस रकम से हिस्सा खरीद लिया जाता है। साल भर में जो मुनाफा होता है उसका एक चौथाई बचत की पूंजी में डाला जाता है। बाकी का बट्टा खाता फण्ड में लिया जाता है और बचत की पूंजी व बट्टा खाता से जो बचता है उसका आधा तक रिबेट (छूट) में दे दिया जाता है। इस का मतलब यह है कि उन मेम्बरों को जिन्होंने घी दिया है उनको घी के हिसाब से छूट मिलती है। बाकी और किसी काम में लगा दिया जाता है या अगले साल के मुनाफे में शामिल होने को रख दिया जाता है।

कारोबार के ढंग ।

हर साल जून (जेठ) के महीने में पंचायत मेम्बरों की भैंसों की गिनती करती है और यह मालूम करती है कि कितनी भैंसें हैं और अन्दाज़ से कितना घी होगा। और यह भी पता लगाया जाता है कि किन किन मेम्बरों को भैंसें खरीदना है। यह भी मालूम किया जाता है कि कौन कौन घी नक़्दो दाम से देगा और कौन कौन कटाई करेगा और कौन घी कटाई करके भैंस

बिकवाने के लिये भी कोई प्रबन्ध चाहिए। वह प्रबन्ध यही हो सकता है कि बाजार में व्यापारियों द्वारा बिकवाया जाय और उन को कमीशन दिया जाय या स्वयम् अपनी कोई सहकारी संस्था वहां काम करे। नियमानुसार ~~का~~ काम को करने के लिए जिस जिले में घी समितियां काफ़ी हैं वहां एक केन्द्रीय संस्था घी सहकारी यूनियन के नाम से स्थापित की गई है। इस यूनियन के दफ्तर तथा कर्मचारियों के वेतन आदि के खर्च के लिए हर मेम्बर से २) प्रति मन के हिसाब से घी के ठेके पर चन्द लिया जाता है। इन यूनियनों का मुख्य काम समितियों के घी को इकट्ठा करना, साफ़ कराकर प्रेड कराना और उसका बिक्री कराना है। आदर्श से नीचा जो घी होता है वह नहीं लिया जाता। यूनियन अपने घी टेस्ट कराती रहती है और घी की परीक्षा करती है। शुद्ध घी साफ़ कराकर साफ़ पीपों में रक्खा जाता है और थोक में बेचा जाता है। अधिकांश तो घी के व्यापारी नक़्द दामों पर ले लेते हैं और कुछ घी खाने वालों के हाथ भां बेच दिया जाता है। इस प्रान्त में ऐसी ४ यूनियन काम कर रही है।

प्रबन्ध ।

यूनियन का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा होता है जिसका घ समितियों के प्रतिनिधि चुनते हैं।

सब प्रतिनिधियों से मिलकर जनरल वाड़ी बनती है जिसके सभी

प्रत्येक रेंज एक केन डेवलपमेन्ट अफसर की निगरानी में काम करती है। हर एक रेंज में जितनी चीनी मिलें हैं उनको गन्ना दिलवाना और उसके पहुँचने का उचित प्रबन्ध करना मोहकमे का काम है। जिस केन्द्र से चीनी मिल गन्ना खरीदती है उस केन्द्र में एक गन्ना विकास तथा विक्रय यूनियन संगठित कर दी गई है।

गन्ना विकास यूनियन के उद्देश।

इन गन्ना विकास यूनियनों का उद्देश नीचे लिखा हुआ होता है।

- १—गन्ने की अच्छी और अधिक उपज किसान को दिलाने के लिए अच्छे किस्म के गन्ने का बीज किसानों को दिला कर लोक प्रिय कराना।
- २—खेती के उन्नतशील ढंगों का प्रचार करना और उनका प्रयोग कराना।
- ३—गन्ने की फसलों की विशेष बीमारियों की जांच कराना और उनकी रोक थाम का प्रबन्ध करना।
- ४—अधिक उपज लेने के लिए काश्तकार को अच्छी और अधिक खाद व पानी का प्रबन्ध कराना। कम्पोस्ट बनाने का प्रबंध करना।

५—सरवे कराकर गन्ना बोने के बाद गन्ने के रक्कबे और अंदाजी उपज की जांच कराना और मेम्बरो से उस गन्ने की सही बिक्री के लिए सट्टा कराना ।

६—मिलों से गन्ने की बिक्री के लिए बात चीत करना और मेम्बरो के सट्टे के आधार पर मिल से गन्ना सप्लाइ करने का ठेका लेना और उसका ठेकेनामा लिखना ।

७—सरकार की बनाई हुई विकास योजना के अनुसार काम करना ।

८—गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए मेम्बरो को उत्साहित करना और प्रतियोगता करके मेम्बरो में से अच्छी पैदावार करने वालों को पुरस्कार देना ।

९—गन्ने की पैदावार में उन्नति करने के लिए और साधारण तौर से दूसरी खेती की उन्नति के लिए जो रुपये की आवश्यकता हो उसका प्रबन्ध करना ।

१०—हर प्रकार की उन्नति कराने के लिए जो जो सामान मेम्बरो को बाहर से मंगवाना आवश्यक हो वह मंगा कर देना जैसे खाद, बीज, हल व दूसरी मशीनें, पम्पिंग सेट, रहट और दूसरे औजार ट्रैक्टर इत्यादि सभी चीजें यूनियन से मंगाई जा सकती हैं ।

११-इसके अतिरिक्त और सब ऐसे काम करना जिन से
उद्देशों की पूर्ति हो और मेम्बरों में मित्रवत्ता और अपनी
मदद आप करने की आदत पड़े।

गन्ना विकास यूनियन का संगठन ।

इस यूनियन का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है क्योंकि यह
सब पूरे हल्के में काम करती है जहां से मिल गन्ना खरीदती
है परन्तु कहीं कहीं जहां गेट पर गन्ना कम मिलता है उन को
रेलसे भी दूसरे स्टेशनों से जा उनको केन कमिशनर दे देते हैं
मंगाना पड़ता है। इस लिए हर जाह गेट पर एक यूनियन
स्थापित हो गई है। और बाहरी स्टेशनों पर अलग यूनियन
बनाई गई है। प्रत्येक यूनियन के अन्तर गत १०० से २५० तक
गांव होते हैं। चूंकि गन्ने के सम्बन्ध में सब काम मिल से होता
है इस लिए यूनियन का हेडक्वार्टर मिल में या उस से निकट ही
रखा जाता है और गांव गांव में अविभांश समिति न बनाकर
व्यक्तिगत रूप में सभी गन्ने की खेती करने वाले यूनियन के
मेम्बर हो जाते हैं। और डिस्का खरीद लेते हैं। उनको यूनियन
से गन्ने के सम्बन्ध में बीज, खाद, औजार मिल जाते हैं और
पानी का भी प्रबन्ध यथा संभव हो जाता है। गन्ने की बीमारी की
रोक थाम करने के लिए हर एक रेंज में एक Plant Protec-
tion Inspector रहते हैं जो दौरा करके देख भाल करते रहते

आना चाहिए । यूनियन उतनी गाड़ियों की पुरजी हिस्सा रसदी मेम्बरो के नाम कांटती है जिस में समय और तारीख लिखी रहती है । नियुक्ति समय पर मेम्बर अपनी ऊख ले आते हैं और मिल पर तौला देते हैं । तौल की जांच के लिए यूनियन का और से भी मिल के कांटे पर कर्मचारी रहते हैं ताकि ठीक ठीक तौल हो जावे । मेम्बर को तौल के बाद ही दाम मिल जाता है । दाम मिलते समय भी क्राफ़ी देख भाल की जाती है । ऐसी ही तौल और देख भाल दूसरे स्टेशनों पर भी होती है ।

उत्तर प्रदेश में इस समय ६६ यूनियन काम कर रही हैं यह लगभग २० हजार गांवों के २० लाख व्यक्तियों में काम करती हैं । १९५८-५९ में २० करोड़ रुपए का गन्ना मिलों में इन्होंने पहुंचाया और लगभग २५ लाख मन अच्छा बीज ७ लाख मन खाद और हतारों यन्त्र बांटे । इन यूनियन की कारोबारी पूंजी १ करोड़ २० लाख है जिस में लगभग ८० लाख इन की निजी पूंजी है ।

यह यूनियन गन्ने के काम के अतिरिक्त मेम्बरों के लाभ तथा सुधार के और भी काम करती हैं । जैसे हर एक यूनियन में कुछ प्राइमरी स्कूल, कहीं कहीं मिडिल और हाई स्कूल भी यूनियन से चला रहे हैं । दवा खाने और स्नान भी चलाए गए हैं नहरों के गुलों की सफाई हुई है । सड़कें व पुलिया बनवाई गई हैं ।

सम्मिलित होते हैं और समिति उनकी सलाह योग्यता व प्रभाव का पूरा लाभ उठा सकती है ।

५—समिति को सब काम एक साथ करने से गांव के आर्थिक व सामाजिक सुधार का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है क्योंकि समिति में हर व्यक्ति की दिलचस्पी का सामान्य मौजूद होने के कारण अमीर, गरीब, ऊँच, नीच का ख्याल न करी हुये सबके एक साथ मिलने का अवसर होता है । इसी तरह जब सब मिलते हैं तो एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और आपस का वैमनस्य भी दूर हो जाता है । राष्ट्र की जड़ हड़ करने के लिये यह एक ही साधन है ।

इसके विपरीत केवल यही कहा जाता है कि इसका संगठन करने में कठिनाई होती है और यदि एक काम में समिति को हानि हुई तो इसका प्रभाव दूसरे कामों पर पड़ सकता है । परन्तु यह कोई बात नहीं है, यदि एक काम से हानि होगी तो दूसरे में लाभ होगा और अन्त में लाभ ही होगा । मेम्बरान हानि वाला काम छोड़ भी सकते हैं । हानि के मुकाबले में लाभ अधिक है इसलिये ऐसी समितियां बनाना चाहिये । इसीलिये अब गांवों में बहुधंधी समितियां ही बनाई जा रही हैं जो सभी काम करती हैं । उत्तर प्रदेश में हमारी ग्राम समितियों ने कम्पेस्ट खाद बनाने में, वृक्षरोपण में, तालाब खुदवाने में, और नये २ कुयें

पन्द्रहवां अध्याय

गैरजरायतीसहकारीसमितियाँ



खेतों का समस्या इस देश के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है परन्तु भारतवर्ष की उन्नति केवल खेतों की ही उन्नति से नहीं हो सकती। यह सबने मान लिया है। खेतों के साथ २ गांव में उद्योग धंधों की उन्नति की मुख्य आवश्यकता है। बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि फैक्ट्री खोलकर काम करना चाहिये और कुछ लोग यह कहते हैं कि इस देश में मशीन द्वारा काम करने से गरीबी और अधिक हो जायगी। परन्तु हमें यह समझना चाहिये कि यदि हम अपने देश को सारे संसार के दूसरे देशों के मुकाबले में लाना चाहते हैं तो हमको अपने देश की कृषि उन्नति के साथ २ वहां के उद्योग धंधों की उन्नति भी करना चाहिये।

यह मशीनों का युग है, बिना मशीनों के प्रयोग के हम औरों की तरह उन्नति नहीं कर सकते। हाँ, यह भी अनिवार्य है कि हमको अपनी मशीनें भी स्वयं ही बनाना चाहिये। इसके

लिये दूसरों पर भरोसा करना ठीक नहीं। दूसरे, बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जो देहात में कुटियों में हो सकते हैं यदि उनको सहयोग के सिद्धान्तों पर संगठित किया जावे। फैक्ट्री और घरेलू धंधों में यही अन्तर है कि फैक्ट्री में सब कारीगर एक ही स्थान पर इकट्ठा होकर काम करते हैं और घरेलू धंधों में सब कारीगर अपने २ घरों पर स्वतन्त्रता से काम करते हैं। इसमें एक दोष यही है कि कारीगर को अपनी चीज बनाने के अतिरिक्त उसके लिये सामान इकट्ठा करने और बनी हुई वस्तुओं को बेचने की भाँति फिक्र रहता है और इस काम में बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। यदि ऐसी कोई संस्था स्थापित हो जावे जो कारीगर को माल दे दिया करे और तैयार माल उससे लेकर उसके बेचने का प्रबन्ध करदे तो घरेलू धंधों में काफी उन्नति हो सकती है। जापान में ऐसे संगठित तरीकों से बहुत काम लिया जा रहा है। सहकारी समितियों का जो संगठन का तरीका बताया जा चुका है वही सब तरह की समितियों के लिये ठीक है। अब हम उदाहरण के तौर पर खहर बनाने वाली समितियों की स्थापना पर विचार करते हैं।

१—खादी उत्पादन व विक्रय समितियाँ

जितने जुलाहे या कोरी या खादी बनाने वाले हैं उन सबको इस बात का आवश्यकता रहता है कि समय २ पर उनको सूत

अधिक आवश्यकता है क्योंकि यहां पर बेकारी की समस्या बड़ी कठिन है। इन समितियों द्वारा बेकारी दूर की जा सकती है। यहां पर मद्रास और बम्बई प्रान्त में यह समितियां स्थापित की गई हैं। मजदूरों को यह समितियां आवश्यकता पड़ने पर कुछ पेशगी रुपया दे देती हैं और फिर मजदूरी में से धीरे-२ काट लेती हैं। मद्रास में दुलाई का काम और लकड़ी की कटाई व मकानों व सड़कों की बनवाई का काम करती हैं।

मजदूर समितियों का संगठन व काम

यह समितियाँ भी और दूसरी सहकारी समितियों की तरह बनाई जाती हैं। हर एक मजदूर को जो समिति में भर्ती होना चाहता है पहिले प्रवेश फीस देना पड़ता है जिस की तादाद आठ आना से लेकर १) तक होती है हर व्यक्ति को एक हिस्सा भी लेना पड़ता है। यह समिति अपनी एक पंचायत बना लेती है जो आगे की उन्नति का सारा काम करती है। पंचायत में वह व्यक्ति भी शामिल कर लिये जाते हैं जो मजदूरों के मुखिया, चौधरी, लीडर या दूसरी मजदूर समिति के प्रतिनिधि होते हैं। इस समिति के सभी कार्यकर्ता अवैतनिक (आनरेरी) होते हैं। कमेटी अपना एक तनखाहदार मैनेजर या ओवरसियर रख लेती है जो समिति को ठेका देने या और काम बनवाने में मदद देता रहता है। तनखाहदार आदमी समिति की बैठक में शरीक

हो सकते हैं परन्तु राय नहीं दे सकते। समिति की जिम्मेदारी परमित होती है।

यदि समिति को कभी रुपये की आवश्यकता पड़ती है तो वह ठेके के सार्टीफिकेट की जिम्मेदारी पर सहकारी बैंक से कर्ज ले सकती है और काम समाप्त होने पर जब ठेके की रकम मिलती है तो कर्जों की अदायगी कर देती है। अलग २ मेम्बरों को भी आवश्यकता के अनुसार पेशगी दिया जा सकता है। काम का समय पंचायत निश्चित कर देती है। साधारण और पर पंचायत का यह कर्तव्य है कि सब मेम्बरों को बराबर से काम दिलावे। यदि कभी काम की कमी होती है तो बारी २ से काम दिया जाता है जिसमें किसी को दैनिक जीवन निर्वाह में कठिनाई न हो। काम करने वालों की टोलियां बना दी जाती हैं और हर टोली पर एक मेट रहता है। यही सबसे काम लेता है। इस मेट को सब टोली के मेम्बरों की मजदूरी में से एक पैसा या दो पैसा रुपया रोजाना के हिसाब से मजदूरी काट कर दी जाती है। वार्षिक मुनाफ़े को एक तिहाई बचत की पूंजी में रखने के बाद १० प्रति सैकड़ा हिस्सों पर मुनाफ़ा दिया जा सकता है। बाकी रकम से एक फण्ड बनाया जा सकता है जिससे मेम्बरों को बुढ़ापे में या कोई दुर्घटना हो जाने पर या बिल्कुल काम न मिलने पर सहायता दी जा सकती है।

इस समिति में सभी पेशे वाले शामिल हो सकते हैं और जो बड़े लिखे होशियार होते हैं वही कमेटी में रहकर आगे के लाभ की बात सोच सकते हैं। मेम्बरो के बच्चों की शिक्षा उनके रहने के लिये उचित मकान, व बीमारी में दवा आदि का भी प्रबन्ध करना समिति का कर्तव्य होता है। ऐसी समितियां जितनी ही अधिक बनेंगी उतना ही अधिक देश का लाभ होगा और बेकारी दूर होगी। अब चूंकि जनता की सरकार है इसलिये ऐसा नियम हो जाना चाहिए कि सरकार या म्यूनिसिपल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो काम होंगे सब सहकारी समितियों द्वारा ही कराए जावें। व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति को ठेका न दिया जावे। ऐसा होने से जनता में संगठित रूप से काम करने की शक्ति बढ़ेगी और मजदूर दल भी बेकारी भी दूर होजावेगी। ऐसी समितियां बहुत जल्द बनना चाहिए।

३—उपभोक्ता सहकारी समितियाँ।

सहकारी आन्दोलन में उपभोक्ता का एक मुख्य स्थान है। वैसे तो ऐसी समितियां स्टोर के रूप में पहले से काम करती हैं परन्तु लड़ाई के जमाने से जब से जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मिलने में कठिनाई प्रतीत हुई और सरकार ने आवश्यक सामान पर नियंत्रण लगा दिया उस समय से इन समितियों का संगठन अधिक हुआ।

उपभोक्ता स्टोर यह ऐसी सहाकारी संस्था है जो सदस्यों के दैनिक आवश्यकताओं के सामान को एकत्रित करके सब लोगों को वितरण करने का प्रबन्ध करता है। दूसरे देशों में जैसे ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका इत्यादि में उपभोक्ता स्टोर्स का आरम्भ बहुत पुराने जमाने से हो गया यानी १८४४ में ही राकडेल पानीयर से आरम्भ हुआ था। भारत में इस की आवश्यकता अब प्रतीत हुई।

यह स्टोर केवल अपने मेम्बर्स की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए ही स्थापित होते हैं और उनके मुख्य उद्देश्य नीचे लिखे होते हैं :—

- १—डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट फेडरेशन या किसी दूसरी केंद्रीय संस्था के द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं को थोक भाव पर खरीदना और उनके गोदामों में रखने का प्रबन्ध करना और आपस में मेम्बर्स में बटवाना।
- २—राशन वाली वस्तुओं को नियमानुसार दूकाने खोलकर बटवाना।
- ३—बिना नियंत्रण वाले सामान जिनकी मेम्बर्स की आवश्यकता है मंगा कर देना।
- ४—मेम्बर्स के लाभ के लिए तथा उनकी आराम के लिए ऐसे काम करना जिनसे सामान का उत्पादन होसके जैसे (मेस) होटल चलाना या कपड़े सिलवाना या सरसों इत्यादि का

तेल निकलवाना और इन सब उत्पादन किए हुए सामान को बटवाना ।

उपभोक्ता स्टोरों का संगठन और काम

ऐसी समितियों के संगठन का वही तरीका है जो और समितियों का है उसी तरह जल्सा आम करके चुनाव डायरेक्टर इत्यादि कर के कागजात रजिस्ट्री के भेजे जाते हैं । चुनाव के लिए समिति के क्षेत्रफल को कई हिस्सों में रजिस्ट्रार की स्वीकृति से बांट दिया जाता है और हर हल्के से सभी सदस्य इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं और अपना एक या दो डेलीगेट चुन लेते हैं । हर सौ मेम्बर या उसके किसी हिस्से पर एक डेलीगेट चुना जाता है । इस तरह जब सब हल्कों का चुनाव हो जाता है तो सब डेलीगेट मिलकर आम जल्सा करते हैं । इस में प्रेसीडेंट, उप प्रेसीडेंट बोर्ड, खजान्ची, का चुनाव होता है । बोर्ड के मेम्बर बीन साल तक काम करते हैं । परन्तु समिति के पहले साल में एक तिहाई और दूसरे में बाक़ी के आधे लाटरी से गिटायर होंगे और उनकी जगह पर फिर चुनाव होगा । वह दोबारा फिर खड़े हो सकते हैं परन्तु कोई डायरेक्टर दो टर्न से अधिक नहीं हो सकता ।

बोर्ड में ७, ९ या ११ डायरेक्टर चुने हुए होंगे और दो कैम्पाइट किए जा सकते हैं । बोर्ड यदि चाहे तो एक प्रबन्ध

कारिणी जिस में प्रसीडेंट व सेक्रेट्री को लेकर ५ मेम्बर होंगे चुन सकता है और जो जो अधिकार चाहे दे सकता है। इस के अतिरिक्त बोर्ड अपने स्टोर की हर दूकान के लिए एक सुपरवाईजिंग (निरीक्षण) कमेटी बना सकता है जिस में उस हन्के के डेलीगेट रहेंगे और एक या दो डायरेक्टर रखे जा सकते हैं। इस कमेटी में तीन से अधिक मेम्बर नहीं होंगे। प्रबन्ध कारिणी कमेटी यदि चाहे तो अपने कुछ अधिकार इस कमेटी को दे सकती है।

इन स्टोरों का मुख्य काम दूकानों को चलाना, उनके लिए सामान मंगाना, रुपये का प्रबन्ध करना और इसी तरह के सब काम मेम्बरों के क्लयदे के करना होते हैं। रुपये हिस्सें से जमा हो जाते हैं। हिस्सा १०) का होता है जो एक दम भी दिया जा सकता है। १०००) से अधिक के हिस्से कोई नहीं ले सकता।

उत्तर प्रदेश में राशनिंग के प्रत्येक सब एरिया में एक एक स्टोर काम कर रहा है। इस तरह प्रांत भर में २२५ स्टोर काम कर रहे हैं जो लग भग ७० लाख का सामान हर महीने में बेचते हैं। इन में करीब ३ लाख मेम्बर हैं। प्रांत के ३६ जिलों में राशन के वितरण का पूरा प्रबन्ध सहकारी उपभोक्ता द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त बहुत से स्टोर कपड़ा, ची इत्यादि भी बेचते हैं। ऐसी संस्थाओं को सफल बनाना हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन समितियों को अपने मेम्बरों के लिए

उपभोक्त वस्तुओं तथा उनके उत्पन्न सम्बन्धी वस्तुओं का भी उचित प्रबन्ध करना है और इसी मार्ग पर सफल हो सकते हैं।

४-स्वास्थ्य सहकारी समितियां

हमारे देश के गांवों में गंदगी की सीमा कहां तक पहुंच चुकी है यह बचाने की आवश्यकता नहीं। चारों ओर घूरे के ढेर दिखाई देते हैं। प्रातः तथा सायंकाल लोग निकट वर्ती खेतों में ही शौच को बैठ जाते हैं। साल का कोई महीना ऐसा खाली नहीं होता जब कि गांव में किसी न किसी प्रकार का रोग न रहता हो। गांव में सफाई व तन्दुरस्ती का प्रचार उस समय तक नहीं हो सकता जब तक गांव संगठित रूप से काम न करें और वह स्वयं सफाई का ध्यान न रखे। प्रायः गांव में मकान बनाने के लिए गड्ढा करके मिट्टी खोदते हैं और बाद को वहीं गड्ढे गांव भर के लिए शौच स्थान हो जाते हैं। इस को कौन रोक सकता है। जब तक गांव में स्वयं लोगों में इस की बुराई का ध्यान उत्पन्न न हो। कोई कानून या बाहरी शक्ति इस को रोक नहीं सकती। इन्हीं गड्ढों में पानी भर जाने से और गन्दगी रहने से मच्छर पैदा होते हैं, हवा दूषित होती है और बीमारियां फैलती हैं। यदि औसत में हर मनुष्य साल में दो हफ्ते भी किसी रोग में बीमार रहा तो कितनी हानि हो जाती है। देश की हानि करोड़ों रुपये तक पहुंचती है। बंगाल में इस ओर बहुत ध्यान दिया गया है

और गांव गांव एन्टी मलेरिया समितियां (मलेरिया रोकने वाली सभायें) खोली गई हैं।

बंगाल में एक सेन्ट्रल एन्टी मलेरिया सुमायटी है जिस का मुख्य कर्तव्य मलेरिया रोकने का प्रचार करना है और गांव की समितियों को इस काम में सहायता देना है इस में व्यक्तिगत मेम्बर भी होते हैं और गांव की समितियां भी सम्मिलित होती हैं। इस समिति के व्यक्तिगत मेम्बर कुछ सालाना चन्दा देते हैं जिसकी तादाद ६) साल से ८) साल तक होती है। प्रान्तीय सरकार से कुछ ग्राण्ट भी मिलती है। इसी से यह सभा गांव की समितियों की आर्थिक सहायता भी करती है और प्रचार भी करती है। सब रोगों के बारे में नई नई बातें बताती है।

जब किसी हल्के में कुछ समितियां स्थापित हो जाती हैं तो उन समितियों की एक यूनियन बन जाती है जिस में हर समिति के प्रतिनिध होते हैं। इस यूनियन का केवल काम यह है कि गांव की समितियों से कुछ चन्दा इकट्ठा करके और सरकार से या बड़ी सभा से मदद लेकर एक वैद्य या डाक्टर रखे, जो हल्के के गांव में जाकर बीमारियों की बाबत बताया करे और रोगियों की आवश्यकता पड़ने पर देखा करे। वह डाक्टर या वैद्य अपनी स्वतन्त्र प्रैक्टिस भी कर सकता है। परन्तु जब मेम्बरों के यहां आवश्यकता पड़ेगी तो उसे वैसे ही जाना होगा या नाम मात्र

क्रीस लेली जावेगी, दवायें सब सेएट्रल नियन यूरेतो है। इल्के में ऐक बड़ा दवाईखाना रहता है।

मलेरिया रोकने के लिये गांव की समितियां बरसात से पहिले सब गड्ढे, पोखरे इत्यादि भरवा देती हैं और रास्ते दुरुस्त करा देती हैं ताकि पानी न भरने पावे। और जो बड़े २ गड्ढे हैं जहां पानी भर जाता है वहां बरसात से ३ महीने तक समिति मिट्टी का तेल छुड़वाया करती है जिस में मच्छर ही न पैदा होने पावें। यह गांव की समितियां हर मेम्बर से कुछ भाहवारी या सालाना चम्दा भी लेती हैं इसी आमदनी से सब काम दवा इत्यादि का चलता है। किसी बड़े काम में सरकार या सेएट्रल यूनियन सहायता भी देती है। ऐसी समितियां हमारे गांव के लिये बड़ी लाभदायक हैं जो अधिक संख्या में खुलना चाहिये। यदि विकास ग्राम समिति बनती है तो इस की अलग आवश्यकता नहीं रहती यह समितियां हर एक रोग और सफाई का प्रबन्ध कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश में एक तो सेएट्रल सोसायटी होमयोपैथिक दवाइयों के वितरण के सम्बन्ध में रायबरेली जिले में काम कर रही है और प्रान्तों में अनेको विकास तथा मारकेटिंग यूनियनों ने इस काम को अपने हाथ में ले रक्खा है। यूनियन की और से सेन्टर पर दवाईखाना खुला हुआ है जहां विश्वविद्यालय

के उत्तीर्ण डाक्टर तथा वैद्य काम करते हैं। यहां दवाईयां स्वयं तैयार करते हैं और कुछ बड़े कारखानों या विश्वविद्यालयों से जहां दवाईयां बनती हैं मंगा लेते हैं। काम का ढंग यह रहता है कि यूनियन के कायं क्षेत्र अन्दर जितने गांव हैं उनमें अधिक से अधिक दो या तीन सेन्टर बना दिए जाते हैं और वैद्य के उनस्थानों के लिए दिन निश्चय कर दिए जाते हैं जिन पर वह उस स्थान और समय पर जरूर जाते हैं। उस गांव के या और आस पास के गांवों के रोगियों को वह देख कर दवा दे देते हैं। बीच में यदि दवा की आवश्यकता पड़े या वैद्य को दिखाना हो तो वह बुला सकता है या दवाखाने से दवा मांग सकता है। उसके फीस कुछ नहीं देना पड़ती केवल वैद्य को लेजाने के लिए सवारी का प्रबन्ध कर देना पड़ता है। यूनियन हर मेम्बर से साल में १) दवाखाने के खर्च के लिए चन्दा लेती है और दवाईयां बना मूल्य देती है। बहुत क्रोमती दवाईयां रोगी स्वयं बाजार से मंगा सकता है या दवाखाने के द्वारा मंगा सकता है। सेन्टर पर दवाखाने में एक कम्पाउन्डर भी रहता है जो दवाईयां बांटता है और वैद्य जी दौरे पर जब दूसरी जगह जाते हैं तब भी वह दवाखाने में उपस्थित रहता है ताकि रोगियों को कठिनाई न हो। ऐसे दवा खाने अधिकांश गन्ना बिकाश यूनियनों तथा मारकेटिंग यूनियनों में चल रहे हैं। इन्हीं दवाखानों के द्वारा हैजा, ताऊन, चेचक इत्यादि के टीके लगवाये जाते हैं और ग्राम सफाई का प्रबन्ध

होता है। देश में ऐसे दवाखानों की बड़ी आवश्यकता है।

५—सालिसी (मुक्तदवा फैसल करने वाली) समितियाँ

आज कल देश का करोड़ों रुपया साधारण मुक्तदमेबाजी में व्यर्थ नष्ट होजाता है। जब हमारे देश की आमदनी के साधन इतने कम हैं तो हमें इस तरह की फिजूल खर्ची को पहले ही बन्द करना चाहिए। गांव के मामले यदि गांव में ही फैसल हो जावें तो हमारे ग्रामीण भाइयों को कितनी सुविधा और बचत हो। इसी उद्देश से आपस में मिल कर ऐसी समितियाँ बनाकर सहकारी कानून में रजिस्टरी करा ली जाती है। इनका मुख्य उद्देश यही रहता है कि गांव वालों में मुक्तदमेबाजी रोकें और गांव के जो मामले हों वह वहीं तें कर दें।

इन समितियों में जो १८ साल के ऊपर और ठीक दिमाक के हैं शामिलित होते हैं। हर मेम्बरों को १) प्रवेश फीस देना होती है जल्सा आम मुक्तदमा फैसल करने के कुछ निधम बना देता है और १) चार आना सैकड़ा के हिसाब से फीस मुद्दई से ली जाती है। यह फीस मुक्तदमे की मिलकियत पर लमती है। जल्सा आम ६ आदमियों को सालिस (पंच) चुन देता है। जब कभी कोई मामला आता है तो मुद्दई से पूछा जाता है कि वह इन पंचों में से किसको अपनी तरफ से पंच बनाना चाहता है।

इसी तरह मुदायले भी अपना पंच छांट लेता है और एक पंच समिति अपनी तरफ से नामजद करके रजिस्ट्रार साहब से यह मंजूरी मंगाली जाती है कि वह तीन पंच उस मामले को फैसला कर दें। वह लोग समय मुकर्रर करके, बयान गवाही इत्यादि लेकर फैसला दे देते हैं जो सब को मानना होता है। यदि इसकी अपील करना हो तो रजिस्ट्रार साहब के यहां हो सकती है।

इन समितियों में दीवान के सभी मामलात तै होजाते हैं। फौजदारी के वह मामले जिस में पुलिस को हस्ताक्षेप करने का अधिकार है यह पंच नहीं सुन सकते। यदि कोई मेम्बर अदालत जाना चाहता है तो वह तीन तरह से जासकता है।

- (१) पंचायत की मंजूरी हासिल करे।
- (२) १००) रु० जुर्माना अदा करके अदालत जाय।
- (३) तीन महीने का नोटिस समिति को देकर नाम कटप कर फिर अदालत जा सकता है।

इन समितियों से देश का बहुत सा पैसा बच सकता है। इस लिए यह अवश्य बनाई जायें। यदि विकास ग्राम समिति में इन बातों का प्रबन्ध हो जाय तो अलग इस समिति की आवश्यकता नहीं है। समिति को जो आमदनी होती है वह गांव के लाभ में लगाई जा सकती है किसी मेम्बर को उस में हिस्सा

पाने का हक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब पंचायत राज एकट लागू हो गया है जिस में ग्राम पंचायतों को अब मुकदमा फैसल करने का बृहत अधिकार मिल गया है इस लिए इन समितियों की अधिक आवश्यकता नहीं मालूम होती पर फिर भी सहयोग से जो काम लेना चाहें उस समिति बना सकते हैं।

३—प्रौढ़ शिक्षा समितियां।

इसी तरह देश को मूर्खता दूर करने के लिए गांव वाले आपस में मिलकर नवयुवकों के पढ़ने का प्रबन्ध कर सकते हैं। इस समय हमारी सरकार निरक्षरता को मिटाने बड़ा परिश्रम कर रही है। परन्तु यह परिश्रम उस समय तक अधिक लाभ न पहुँचा सकेगा जब तक गांव वाले स्वयं अपने पढ़ने का प्रबन्ध और सरकार की योजना से लाभ उठाने को तैयार न होंगे। अन्य सभाओं की तरह इसका भी प्रबन्ध होता है। मास्टर की खतरबाह इत्यादि सरकार की सहायता से मिल सकती है। पढ़ने का स्थान ठोक करना होता है और किताब इत्यादि मंगाना होती है। जो लोग पढ़ने नहीं आते या ठीक काम नहीं करते उन पर पंचायत दंड लगाती है। राष्ट्र निर्माण के लिये यह बहुत आवश्यक हैं। यह काम भी विकास ग्राम समितियों में शामिल कर लिया गया है।

७—वचत सहकारी समितियां ।

यह समितियां अन्य सहकारी समितियों की तरह बनाई जाती हैं। इनकी जिम्मेदारी परमित होता है और हिस्सा भी मामूली होता है। इनका मुख्य काम यह होता है कि मेम्बरों में वचत करने का ख्याल पैदा करें। यह समितियां अधिकांश मजदूरों में, नौकरी पेशा लोगों में, अध्यापकों में और स्त्रियों में अच्छा काम करती हैं।

यह सभायें अपने मेम्बरों की माहवारी आमदनी का कुछ हिस्सा जो एक आना की रुपया तक होता है लेकर जमा करती हैं। उस पर मेम्बर को सूद मिलता है। इस सभा में मेम्बरों को आम तौर पर कर्जा नहीं दिया जाता, परन्तु कोई विशेष आवश्यकता पड़ने पर वचत किए हुये रुपयों का ६०) प्रति शत तक दिया जा सकता है। स्कूल के लड़कों में भी वचत सहकारी समितियां अच्छा काम कर सकती हैं। उनको दस्तकारी के द्वारा कुछ सामान बनवाने का प्रबन्ध किया जावे और जब क्राफी इकट्ठा हो जावे तो उसको बेच कर उनके नाम वह रकम कर दी जावे।

पंजाब में स्त्रियों में बहुत क्राफी तादाद में यह समितियां काम कर रहा हैं। इन स्त्रियों की सभाओं ने एक लाख से ऊपर रुपया जमा कर लिया है। यह सभायें स्त्रियों का दस्तकारी के सामान इकट्ठा करके उसके बिकवा कर उनके नाम रुपया जमा

कर देती हैं। कूचरे, घरों में गोलक रख दी जाती है जिस में वह समय समय पर वचा कर पैसा छोड़ती रहती हैं और हफ्ते में एक मर्तबा सभा उसको संगी कद और मिन्टर मेम्बर के सामने उसके हिसाब में दर्ज कर लेती हैं। इस गोलक की कुंजी सभा में रहती है। इन बचत सभाओं का हमारे देश में बहुत आवश्यकता है। विशेष करकरी समाज में यही समितियाँ काम कर सकती हैं क्योंकि स्त्रा समाज में सहयोग का और कोई साधन नहीं है।

८—गृह निर्माण समितियाँ ।

हमारे देश में गरीबी के कारण हर व्यक्ति का वह शक्ति नहीं है कि अपना मकान बनवा सके। यहां पर ऐसी समितियों की बड़ी आवश्यकता है। अभी तक जो कुछ भी गृह निर्माण समितियाँ खुली हैं वह बम्बई, मद्रास प्रांत में अधिक खुली हैं। इस प्रांत में भी कुछ समितियाँ काम कर रही हैं।

इन समितियों का संगठन भी अन्य सहकारी समितियों की तरह ही होता है। हर एक मेम्बर को इस समिति में हिस्सा लेना पड़ता है। समिति की जिम्मेदारी परमित होती है। मकानात दो प्रकार से बनवाए जाते हैं। एक तो समिति अपनी ओर से बनवा देती है और मेम्बर हर महीने किराया देते हैं और उस

सोलहवां अध्याय ।

स्त्री समाज और सहयोग

—०—

अब तक हमने जवन के सभी अङ्गों पर विचार किया और देखा कि सहयोग से जीवन कहां तक सुखी हो सकता है । परन्तु एक बात पर जो अभी तक छूटी हुई थी विचार करना है । अकेला पुरुष ही यदि चाहें तो जीवन को सुखा नहीं बना सकते । जीवन तो एक गाड़ी के समान है जिसमें स्त्री और पुरुष दो पाइए का काम करते हैं । यदि स्त्री दुखी है तो जीवन सुखा कैसे हो सकता है । तात्पर्य यह है कि गृहस्थ जीवन में सुख कैसे पैदा किया जा सकता है यह हमको अब देखना है । यह सुख कसी समय हो सकता है जब स्त्रीयों में भी वहां सहयोग के सिद्धांत चालू हों ।

हमारे देश में सम्मिलित पारिवार सर्वदैव से रहा है । क्या यह सहयोग का जीता जागता नमूना नहीं है ? परन्तु अब यह दृढ़ता जा रहा है और इस अवनति में स्त्रीयों का हाथ अधिक है । पश्चिमी देशों के प्रभाव से आज कल की स्त्रीयों के खयालात बहुत छोटे होते जाते हैं । वह अपने पति या बच्चों के सिवा सब को धर

शिक्षा या ट्रेनिंग दी जावे ताकि वह और स्त्रियों को गृहस्थी के काम में योग्य बना सकें। औरतों को अपने कर्ज पूरे करने के लिये नीचे लिखी बातें जानने की आवश्यकता है:—

- १—कुछ लिखने पढ़ने का भी ज्ञान होना चाहिये ताकि घर का हिसाब लिख सकें, पत्र लिख सकें और अखबार पढ़ सकें।
- २—बच्चों की पालन पोषण तथा साधारण तन्दुरुस्ती के बारे में भी कुछ ज्ञान अवश्य होना चाहिये ताकि परिवार को सुखी बनाये रखें।
- ३—प्रत्येक माता को अपने बच्चों के कपड़े सीना जानना चाहिये और खाना बनाना भी अच्छी तरह जानना चाहिये। देहात में औरतें यह बहुत कम जानती हैं। और शहरों में जहां इसका ज्ञान है तो हाथ से काम करने से मुंह चुराती हैं। इसलिये खाना बनाने और सीने की शिक्षा दी जावे। इससे वह साल में सैकड़ों रुपये की बचत कर सकेंगी।
- ४—कुछ जच्चा बच्चा के काम का भी ज्ञान होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर परेशानी न हो और बच्चा सीखी हुई दाई इत्यादि से काम ले सकें। इसके सीखने से जीवन की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। न जानने के ही कारण बहुत से बच्चे मर जाते हैं। बहुतों को चेचक का टीका

या गया है और जालौन में चरखे तथा करघे का काम बढ़ी दिलचस्पी से किया है।

इस के अतिरिक्त कुछ ग्राम सेविकायें और अध्यापिकायें भी ग्राम सुधार स्कीम में काम करती थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ काम का सुचारु रूप से चलाने के लिए सहयोग विभाग में स्त्रीयों के काम के लिए एक डायरेक्टर की नियुक्त कर दी है जिनको Director of women welfare कहा जाता है। इस नई योजना से प्रांत को तीन भाग में बांट दिया है और हर भाग में कुछ चुने हुए जिले रक्खे गये हैं। प्रत्येक भाग जोन कहलाता है और यह एक जोनल अरगनाइजर की निगरानी में रक्खा गया है। सब भागों में मिल कर १२ जिले प्रांत भर में लिए गए हैं जिनका ब्योरा निम्न लिखित है :—

जोन नं० १ में ५ जिले हैं—१ गोरखपुर।

२ देवरिया।

३ बस्ती।

४ आजमगढ़।

५ फैजाबाद।

जोन नं० २ में ४ जिले हैं—६ बहराइच।

७ रायबरेली।

८ लखनऊ।

है और जनता को अपने हित के लिये और देशों की तरह अपना-ना चाहिये परन्तु यहां शिक्षा के अभाव से जनता अपने हित की बात ही नहीं समझती। सरकार जो जनता की बनाई हुई और जनता के ही हित के लिये होती है ऐसी बातों को सोच करती है और सार्वजनिक लाभ के काम करती रहती है। इस आन्दोलन को भी यदि सार्वजनिक आन्दोलन बनाना है तो सहयोग व नागरिक शास्त्र की शिक्षा हर एक मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, विश्वविद्यालय, और हर प्रकार के ट्रेनिंग में अनिवार्य कर देना चाहिये। जब तक जनता उस विषय को ही नहीं जानती तो उस आन्दोलन में भाग ही कैसे ले सकती है। प्रौढ़ पाठशालाओं तथा क्लबों द्वारा भी सहयोग का ज्ञान जनता में शीघ्र फैलाया जा सकता है। अब चूंकि जनता की सरकार है इसलिये इस ओर अवश्य ही ध्यान देना सरकार और जनता दोनों के लिये हितकर होगा। प्रान्तीय तथा भारतीय कांग्रेस को अब सहयोग आन्दोलन को अपनाना इस समय उचित है और इसी के द्वारा रचनात्मक प्रोग्राम देहातों में तथा नगरों में चलाना चाहिये। जब हमारे खीडर इसमें भाग लेंगे तो जनता भी आगे बढ़ेगी।

सरकार की ओर से सुविधायें

जैसा ऊपर बताया गया है सहकारी आन्दोलन को सफल

बनाने के लिये सरकार समय २ पर बहुत सी सुविधायें देती रही है और अब भी बराबर दे रही है। इन सबको एकत्रित करके नीचे लिखा जा रहा है। यह सुविधायें सहकारी आन्दोलन की उन्नति तथा शीघ्र प्रचार के लिये दी गई हैं:—

- १—पहले तो सहयोगी कानून (एक्ट नं० २, सन १९१२) बना कर सहयोगी सभाओं की निगरानी व सलाह के लिये एक मोहकमा ही स्थापित कर दिया है जो सहयोग के सम्बन्ध में सारा काम करता है और जिसका उल्लेख पहले हो चुका है।
- २—समितियों की रजिस्ट्री जो इस कानून के अनुसार होती है उसमें कोई फीस नहीं लगती और कम्पनियों की रजिस्ट्री कराने में ५०) फीस लगती है।
- ३—सहकारी सभाओं के मेम्बर या स्वयं सभायें जो दस्तावेजों अपने कारोबार के सम्बन्ध में लिखती हैं उन पर स्टाम्प फीस जो किसी भी कानून से उन पर लगना उचित हो, माफ़ है। यानी सभाओं का काम बगैर स्टाम्प लगाने वैसा ही पक्का हो सकता है जैसा दूसरों का स्टाम्प लगाने से होता है, परन्तु यदि सभा का नौकर अपनी तनखाह की रसीद लिखता है तो उस पर टिकट लगाना होगा।

कुर्की व नीलाम को लेती है। यदि कोई कमी रहती है तो जिला बैंक से या जिला फंडेशन या किसी केन्द्रीय संस्था से वसूल कर लेती है। सरकार ने समितियों को यह भी विनियत की है कि जो चीज मेम्बर किसी सभा के रुपये से खरीदते हैं उनका कोई कुर्क नहीं करा सकता जब तक रुपया खरा न हो जावे।

१५—बोर्ड आफ वार्डस को भी विनियत है कि वह सहायकारी समितियों को जो उनके हन्के में काम करती हों सहायता दें और सहायरी विभाग के कमचारियों को भी मदद दें।

१६—साकारी सामंती जो रुपया मनी आर्डर से भेजती है उस पर जो मनीआर्डर कमीशन लगता है उस का तीन चौथाई वापस कर दिया जाता है। अर्थात् भूमिद्वियों का रुपया एक चौथाई डाक कमीशन में हर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है।

१७—सरकार कारीगरों की समितियों को बहुत कम सूख पर रुपया मदद के तौर पर देती है और वस्तुकारों की समितियों की देख भाल के लिये विशेष इन्स्पेक्टर रहते हैं जो उनके रोजगार में सहाय देते हैं।

१८—सरकार ने दूसरे मोहकमे के अफसरों को इजाजत

रखी है कि सहकारी समितियों के काम में मदद दें ताकि इसमें अधिक वृद्धि हो। जिलावांश साधारण तौर से बैंकों के बेयरमैन होते हैं।

१६—सरकार प्रचार कार्य के लिये काफी सहायता देती है। जब कभी प्रान्त की सहकारी कान्फ्रेंस तथा नुमायश होती है तो बराबर सरकार मदद देती है।

२०—स्त्री समाज की उन्नति के लिये और उनमें सहयोगी समितियां स्थापित करने के लिये एक सेक्शन महिलाओं का सहकारी विभाग में खोला है और एक women welfare का डायरेक्टर नियुक्ति की है और काफी स्टाफ दिया है।

२१—मजदूरी के कानून (एक्ट नं० ४ सन् १९३६) में यह अधिकार दिया गया है कि सहकारी समिति का बचपान मेम्बर का मजदूरी में से मजदूरी देते समय काटा जा सकता है।

२२—इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों की समितियों में तनखाह बिल में से समिति के बचप की वसूली कटौती हो सकती है। एकाउंटेंट जनरल ने यह बरीकार कर लिया है कि तनखाह रजिस्टर में यह कटौती दस्तखतों के बाद रिमार्क वाले स्थानों में लिख देना चाहिए।

२३—सरकार ने यह आज्ञा दे दी है कि सरकारी, कर्मचारी यदि चाहें तो सहकारी समितियों में अपना रुपया जमा कर सकते हैं परन्तु शर्त यह है कि गवर्नमेन्ट सरबेन्ट कानडक्ट रुल्स की धारा १२ के प्रतिकूल न हो।

२४—बचत सहकार समितियों को एक्ट की धारा ३१ से बरी कर दिया गया है अर्थात् वह अपने मुताफे का केवल ५ प्रति सैकड़ा बचत की पूंजी में जमा कर सकती है।

२५—विकास कार्य के लिए सरकार हर सम्भव प्रयत्न देती है और विशेष कर कुआं बनवाने, बोरिंग कराने तथा रास्ते दुरुस्त कराने के लिए लागत की एक तिहाई रक्कम तक सहायता दी जाती है।

सरकार की इतनी सहायता होने पर भी यह आन्दोलन अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है। इस का मुख्य कारण यह है कि जनता सहयोग सिद्धान्तों से अनभिज्ञ है और सहयोग प्रचार तथा शिक्षा का कोई साधन नहीं है। शिक्षित समाज का भी ध्यान इस ओर नहीं है और न वह इस विषय से कुछ परचित ही है। देखी दशामें जब अपनी राष्ट्रीय सरकार की मंशा सहयोग को एक सार्वजनिक आन्दोलन में परिवर्तित करने का है तो सरकार को

(३७७) सरकार और सहयोग

चाहिये कि कक्षा ८ से लेकर बी० ए० तक इस विषय को अनिवार्य विषयों में कर दे । तब ही इसका ज्ञान फैल सकता है और काम करने वाले मिल सकते हैं । अब हमें देखना है कि हमारे राष्ट्र जीवन में सहयोग का क्या स्थान है ।



यदि हम मिटाना चाहें और धनी से निर्धन के मिलाने की जो इच्छा है तो वह सहयोग से ही हो सकती है। बड़े बड़े कारखाने सहयोग से ही चलाये जा सकते हैं और जहां धन और परिश्रम का मेल हुआ और सहयोगी प्रबन्ध ने जोर पकड़ा तो देश में धन ही धन दिखाई देने लगेगा और जितने आपस के बुरे भाव हैं सब दूर हो जायेंगे।

सामाजिक समस्याओं में अभी सहयोग ने कुछ अधिक प्रगति नहीं दिखाई है परन्तु फिर भी इस में कुछ संदेह नहीं कि सहकारी भाव पैदा हो जाने से हर काम में इस आन्दोलन से सहायता मिल सकती है। भारतवर्ष में जातिबां, सहयोग के ही उसूल पर स्थापित हुई थीं। हर एक जाति में लोगों को एक दूसरे के काम में शरीक होने और सहायता देने का क्याल रहता था। जातीय पंचायतें एक हिस्सा से सहकारी पंचायतें हैं। एक पेशेवाले अमीर उसी पेशे वाले गरीब आदमी की मदद करते हैं और खमब पर कम सूद पर या बिना सूद पर भी रुपया दे देते हैं। इस तरह वह लेन देन वाली समिति का काम करते हैं। एक पेशे वाले आम तौर से अपनी बनाई चीज अपनी जाति वालों के हाथ में कम दाम में बेचते हैं। इस तरह यह जाति संगठन स्टोर का काम करता है। आपस के सब मामले मुकदमों सब जातीय पंचायतों में ही लय हो जाते हैं इस तरह यह मुकदमों

वाली (खालसी) समितियों का काम करती हैं । इस तरह वह जातीय पंचायतें सहयोग के उसूल पर काम करती थीं । परन्तु अब सहकारिता का भाव तो जाता रहा और बेजान जातीय बन्धन कायम हैं । यह और भी अधिक जाति पाँत के मगड़े पैसा करता है और बजाय उन्नति के जातियों को तो चने गिराता है ।

हर एक जाति यदि अपनी उन्नति करले तो देश की उन्नति हो जावे । पहले कोई व्यक्ति एक पेशे से निकल कर दूसरे में जा सकता था । अब वह बात नहीं रही । अब पेशा पैदायशी हो गया और बजाय आपस में प्रेम के दैनिक मगड़े होने लगे । सहयोग फिर अपना कंदम आगे बढ़ा रहा है और जीवन के हर अङ्ग में इससे काम होने की कोशिश हां रही है । जीवन सुधार तथा विकाश स्थापित करके जातीय सुधार भी किया जा रहा है । यदि किसी तरह सहयोग से जीवन में सुधार हो जावे और आपस का वैमनस्य और बैर भाव दूर हो जावे तो जाति भी एक अच्छी चीज हो जावे ।

राजनैतिक विषय भी आजकल इस देश के लिये एक विस-वस्य विषय हो रहा है । सहकारी सभायें वैसे तो राजनीति से अलग रहती हैं परन्तु राजनैतिक शिक्षा देने के लिये वह समि-तियाँ एक स्कूल का काम करती हैं । बोट देना, चुनाव करना, निकाल कर काम करना, अपनी सहायता आप करना, आपस में

सरकार जो जो सहायता इस आन्दोलन को दे रही है वह सब बताई जा चुकी हैं, परन्तु कुछ लोग इसको काफ़ी नहीं समझते हैं और कुछ लोग इसके ग़लत मतलब लगाते हैं। वह यह समझते हैं कि सरकार इसके प्रचार से कुछ लाभ उठाना चाहती है इस लिये इस ग़लत कहानी में पड़कर लोग लगन से काम नहीं लेते और सरकार इस आन्दोलन को जनता के ही हाथ में छोड़कर उसकी स्वतन्त्रता को बढ़ाना चाहती है। नतीजा यह है कि दोनों ओर से लापरवाही हो जाने से आन्दोलन पर प्रभाव पड़ता है और जो सफलता चाही जाती है वह नहीं होती। इस लिये यह आवश्यक है कि शहर के शिक्षित लोग आगे कदम बढ़ावें और अपने देहाती भाइयों के जीवन को सुखी बनाने के लिये सहकारिता का प्रचार करें। यह इसलिये कि देश की और स्वयं उन लोगों की उन्नति बिना गाँव वालों के मिले नहीं हो सकती।

सहकारी समितियों की शाखायें जब तक गाँव १ न फैल जावेंगी देश का सुधार नहीं हो सकता और गाँव २ जब ही फैल सकती हैं जबकि यह समितियाँ लोगों की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करें राष्ट्रीय जीवन के मुख्य भाग कई हैं जैसे आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक जिसका ध्यान ऊपर किया गया है। आर्थिक विभाग के तीन हिस्से किये जा सकते हैं जैसे धन पैसा

करना, धन बांटना और धन का सेवन करना। कारतकार के लिये धन पैदा करन के सम्बन्ध में रुपया ही बहुत आवश्यक है जो लेन देन की सहकारी समितियों के द्वारा मिलता है। परन्तु जैसा ऊपर बताया गया है, यू० पी० में करीब अठारह हजार समितियां हैं जो कारतकार को किसी प्रकार सहायता देती हैं। परन्तु जहां एक लाख से ऊपर गांव हों वहां यह समितियां ऐसी हैं जैसे समुद्र में बूंद। बम्बई में भी केवल एक सिद्दाई गांवों में समायें हैं। माल बनाने वालों की समायें भी बनी हैं परन्तु अभी अधिक सफल नहीं हुई क्योंकि मेम्बर फायदे के साथ ईमानदारी से काम नहीं लेते।

धन बांटने के सम्बन्ध में उपभोगता स्टोर या क्रय-विक्रय की समितियां खोली गई हैं। दूसरे देशों ने इसमें अधिक ज़नत की है। वहां साधारण व्यक्ति का काम भी सहकारिता से ही चलता है। फ्रांस में हजारों गांव में सहयोग से बिजली पहुँचाई गई है। यहां पर भी मकान बनाने वाली बहुत सी समितियां खुली हैं। जीवन में हर अङ्ग सुधारने के लिये समितियां काम कर रही हैं जिसकी तफसील आदि से अन्त तक इस पुस्तक में दी जा चुकी है। प्रौढ़ शिक्षा, सफाई, और स्वास्थ्य में भी सहयोगी समितियां बहुत काम कर रही हैं। समाज सुधार जैसे शादी, गमी में खर्च की कमी, मुकदमेबाजी की रोक इत्यादि

सहकारी समितियों तथा संघों के रजिस्ट्ररों के नमूने कैश बुक

वारीख	क्रि. नं.	हवाला खाता	विवरण आमदनी	आय			प्रगत जोड़ आय			जोड़ मय बिल्लत सहजीक		
				रु.	आ.	पा.	रु०	आ.	पा.	रु०	आ.	पा.
१	२	३	४	५			६			७		

वारीख	नं. शुमार	हवाला खाता	विवरण खर्च	व्यय			प्रगत जोड़ व्यय			शेष तदवील		
				रु०	आ.	पा.	रु०	आ.	पा.	रु०	आ.	पा.
८	९	१०	११	१२			१३			१४		

मेम्बर की पास बुक

हिमाच दरमियान

सुसायटी

मेम्बर क्रमांक

वारीख	रकम जो मेम्बर से मिली	रकम जो मेम्बर को दी गई कर्जा वगीरा	सरपंच या और पाले वाले के दस्तखत	कुल कर्जा मेम्बर	सूद जो मेम्बर से बाजिव है	हिस्सा जो मेम्बर से बाजिव है	रकम जो मेम्बर की जमा है	लिफ्ट मय सहजीक	कैकि- बत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

जनरल लेजर

नाम काता.....

वारीक	दबाळा कैरा	बिकरस	नाम Debit	प्रगत जोड नाम	जमा Cr.	प्रगत जोड जमा	रोष
१	२	३	४	५	६	७	८

स्टाक बुक

नाम वस्तु.....

तारीख	पिछला स्टॉक	वस्तु जो मिको	प्रगत जोड	वस्तु जो बिक्री	प्रगत जोड बिक्री	रोष
	तादाद कीमत	तादाद कीमत	तादाद कीमत	तादाद कीमत	तादाद कीमत	कीमत
	रु.पा.रु.पा.प	रु.पा.रु.पा.प	रु.पा.प.रु.पा.प	रु.पा.प.रु.पा.प	रु.पा.प.रु.पा.प	रु.पा.प.रु.पा.प
१	२	३	४	५	६	७

मेम्बर रजिस्टर

इस लोग बिनाके नीचे दस्तावेज है इफ्तार करते हैं कि हम..... यह सभी सुभावली के बादकोय को यहाँ पर और जो कुछ बच होकी या इच्छा हममें कानून के हिस्से से हमारी मेम्बरी के समाप्ति में होना यह सभी हम पर लागू रहेगी ।

1	नं० सुमार		
2	वारीक मंजूरी		
3	वारीक भरती		
4	नाम मेम्बर जब सकुन्त व जात		
5	बाप का नाम		
6	मेम्बर के हस्तक्षर		
7	नाम वारिस जब बलिदस्त	नामपदगी अगर कोई हो	
8	हस्तक्षर नामपद करने वाले के		
9	हस्तक्षर नामपद		
10		मेम्बरी का समाप्ति	
11	वारीक खाता		
12	बचत		
13	प्रस्ताव का मन्तर		
14	वारीक बीछी		
15	कोटिबत		

प्रतिज्ञा रजिस्टर

हम लोग प्रिनके व दस्तावेज है इकरार करते हैं कि हम विकास तथा समिति के मेम्बर होने के कारण उन तमाम रिवाजों और क्रायदों को मानेंगे जिनको जहमा ब्याम पसन्द करे और न मानने की हालत में हम वह रकम जुर्माने का अदा करेंगे जो समिति की पंथायत तजवीज करे और जो १००) रु० से अधिक न हो।

नं०	तारीख	नाम मेम्बर मय	बाप का नाम	दस्तावेज मेम्बर	कैफियत
१	२	भरही	५	५	६

दवा का रजिस्टर

तारीख	नम्बर सि	बाय रोगी	पता	नाम रोग	दवा जो दी गई	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७

दैनिक विक्रय रजिस्टर

तारीख	बिबरण	माल.....	प्रगत जोड़...	माल.....	प्रगत जोड़...	माल.....	प्रगत जोड़...
१	२	तादाद कीमत	तादाद कीमत	तादाद कीमत	तादाद कीमत	तादाद कीमत	तादाद कीमत
		३	४	५	६	७	८

(लेखक की सफल-लेखनी द्वारा लिखी हुई अन्य पुस्तकें)

ग्राम-जीवन ।

देहातों का सुधार करने के लिये केवल व्याख्यान वातावरणों की ही आवश्यकता नहीं बल्कि इस बात की बड़ी जरूरत है कि देहात वालों की अवनत का ठीक ठीक कारण और उसका ठीक इलाज ग्रामीणों के दिमाग में डाला जाय तभी ठीक तरीके से ग्राम सुधार हो सकेगा । इस विषय में यह पुस्तक अपने विषय का अकेली है । मू० ३)

नागरिक जीवन ।

किसी भी देश के रहने वालों के क्या २ अधिकार प्राकृतिक और क्या क्या पैदायशा हक तथा क्या क्या अधिकार उन्हें स्टेट की ओर से प्राप्त हैं । एक अच्छे नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हैं और एक नागरिक के प्रति स्टेट के क्या कर्तव्य हैं, इस पुस्तक में भली भाँति समझाया गया है आज कल के जमाने में यह पुस्तक बड़े काम की चीज़ है । मू० २॥)

सुधार संगीत ।

इस में सुधार सम्बन्धी हर विषय के गाने अत्यन्त सरल भाषा में दिये गए हैं प्रचार के लिये यह पुस्तक अच्छी है । मू० चार आना ।

तोनों एक साथ मंगाने से डाक खर्च माफ़ ।

मिलने का पता:—

मैनेजर कोआपरेटिव प्रिंटिंग प्रेस, बरेली ।

तथा

रामप्रसाद सिन्हा पटकापुर, कानपुर ।

बच्चे सब उसी काम में लगे रहते हैं। यदि वह अलग २ मजदूरी करते तो अधिक धन पैदा कर सकते। सामूहिक खेती में यह हानि नहीं होने पाती और हर व्यक्ति को जो खेतों पर काम करते हैं अधिक धन मजदूरी के रूप में मिल जाता है और आपस में प्रेम भी बना रहता है। इसलिये इन छोटी जोतों को इकट्ठा कर देने से किसान खेती के साधनों में सम्पन्न हो जायेंगे हैं और परिश्रम की बचत हो जाती है और दिन रात के लोभगंडे संकीर्ण विचारों और स्वार्थों से उत्पन्न होते हैं उनसे छुटकारा हो जाता है। खेती का खर्चा भी प्रति एकड़ कम पड़ता है। किसान अधिक सम्पन्न होता जाता है क्योंकि उपज प्रति एकड़ बढ़ती जाती है।

आज हमारे देश की मांग है कि भूमि के एक २ इंच को अधिक से अधिक धन पैदा हो इसलिये यदि हम अमेरिका आदि स्वतन्त्र देश के किसानों की भांति सहकारिता के आधार पर भारतीय किसान को संगठित नहीं करते और इस २ फीट पर उसी प्रकार उत्पादन नहीं करते तो हमारा आगम कष्टवीर्य ही प्रतीत होता है और हम अपनी पाई हुई स्वतन्त्रता को कायम न रख सकेंगे।

सहकारी खेती समिति का संगठन

हमने यह देख लिया कि हमारे देश के लिये सामूहिक खेती

समिति बनाना अति आवश्यक है इसलिये अब इसके संगठन पर विचार करना चाहिये। इस समिति का भी संगठन ऊपर बताई हुई समितियों की भांति होता है। इसमें सब मेम्बर हिस्सा खरीदते हैं और आम जल्सा करके पंचायत का चुनाव कर देते हैं। सरपंच, खज्जाची और सेक्रेटरी भी चुने जाते हैं। चुनाव हो जाने के पश्चात् विकास तथा बहुधंत्री समिति की तरह सब कागजात बनाकर सुपरवाइजर रजिस्ट्री के लिये इंस्पेक्टर के द्वारा भेज देते हैं। रजिस्ट्री हो जाने के बाद कार्य आरम्भ हो जाता है। दूसरी और समितियों से इसमें अन्तर यह है कि इस में हिस्सा मेम्बरों की भूमि के मूल्य पर निश्चित किया जाता है और जो मूल्य मेम्बरों की भूमि का समिति तै करती है उतने का वह हिस्सेदार बना दिया जाता है। मेम्बरान से और जो खेती का सामान एकत्रित किया जाता है और सामूहिक रूपसे समिति के प्रयोग में आता है उसका भी मूल्य मेम्बर के व्यक्तिगत खाते में लिख दिया जाता है। सभी सामूहिक खेती करने वाले मिल कर एक जल्सा करते हैं उसमें यह तै किया जाता है कि कितनी भूमि मवेशियों के चरागाह को छोड़ी जावेगी और कितनी किस फ़सल (धानी रबी या खरीफ) के लिये रक्खी जावेगी फ़सलों का हेर फेर भी इसी आम जल्से में तै हो जाता है। फ़सलों की निगरानी कैब्रे होगी और उसके क्या नियम होंगे सब तै हो जाता है। इस समिति की जिम्मेदारी परमित होती है। हमारे

क्षेत्र में ऐसी समितियों की अधिक संख्या में बनने की आवश्यकता है।

सहकारी खेती समिति के उद्देश्य

उस समिति का मुख्य उद्देश तो सदस्यों में सहकारी विचारों को प्रोत्साहित करना और उनका अर्थिक व समाजिक विकास करना है और विशेष कर न.चे लिखे उद्देश्यों की पूर्ति करना है:-

- १—सम्मिलित खेती और सदस्यों की भूमि तथा अन्य उत्पादन के साधनों का संयुक्त प्रबन्ध करना और एक में जुटा कर आधुनिक ढंग से खेती कराना।
- २—डेरी खोलना और दूध वाले पशुओं की नस्ल सुधारना, मुर्गी पालना और उसकी नस्ल में उन्नति करना और बीमारियों को रोकना।
- ३—तरकारियों की और फल फूल की खेती कराना।
- ४—बेकार भूमि को खेती के योग्य बनाने का प्रबन्ध करना।
- ५—सिंचाई का उचित प्रबन्ध करना और उन्नतशील बीज, औजार, खाद और दूसरे साधनों का प्रबन्ध कराकर इस्तेमाल कराना और खेती में सुधार करना।
- ६—खेती से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों को चलाना और उनके

लिये कच्चा माल जुटाना ।

३—खेती की तथा उद्योग धंधों की प्रदर्शनी करना ।

४—समिति तथा मेम्बर के उत्प्रादित माल को रखने के लिये गोदामों का प्रबन्ध करना और माल की सहकारी नियमानुसार बिक्री करना ।

५—सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं के लिये उचित सामग्री भंगाना या जुटाना ।

६—सदस्यों के रहने के मकानों की उन्नति करना पाने के पानी का प्रबन्ध करना, रस्ते दुरुस्त कगाना, रोशनी शिक्षा, दवा स्थानों का प्रबन्ध करना और सार्वजनिक भवन बनवाना और गांव में उन्नति करना तथा उनके रहन सहन को ऊंचा करना ।

७—इन सब साधनों के लिये आवश्यकता पड़ने पर कज का प्रबन्ध करना ।

अब हम देखेंगे कि भूमि को रहन करके रुपया का प्रबन्ध कैसे होता है ।

४—भूमि रहन सहकारी समिति ।

कार्तकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेन देन की समिति काम कर सकती है । वह समिति आम तौर से

वर्ज थोड़े ही दिनों के लिए देती है। उसमें कर्ज पैसापैदा करने वाले काम के लिए ही अधिकांश दिया जाता है। जमीन खरीदने या पुराना कर्ज अदा करने के लिए वह रुपया नहीं देती और न उसके पास इतनी पूंजी ही होती है जो अधिक समय के लिए रुपया फंसा दे। इस लिए मामूली कार्तकारों की आवश्यकता तो लेन देन की समिति से पूरी हो सकती है परन्तु बड़े कार्तकार जिनके पास रहन व बै करने लायक भूमि है या जमींदार लोग जो जमीन के मालिक हैं इनकी आवश्यकता पूरा करने के लिए भूमि रहन बैंक खोले गये हैं। गांव की सभाएं अधिक दिन को रुपया जमीन रहन करके इस लिए नहीं देती कि पहले तो वहां जाती साख पर रुपया देने का तरीका है रहन कराने से जाती साख का महत्व ही जाता रहता है। दूसरे उनके पास इतना रुपया नहीं। तीसरे वह जायदाद की क्रोमत का अन्दाजा ठीक से नहीं लगा सकती। चौथे रहन के कागजात रखने और समय पर अक्षत जाने, डिगरी कराकर जादाद नीलाम कराने का कोई साधन इनके पास नहीं। इस लिए जमीन रहन सभाएं अलग से ही खोली गई है जो विशेष कर भूमि के मालिकों को कम सूद पर रुपया दिलवाने का प्रबन्ध कर देती हैं।

भूमि रहन समिति के उद्देश्य ।

इस सभा के विशेष उद्देश नचे लिखे हुये होते हैं:—

(१) मेम्बरों की जमीन रखकर अधिक समय के लिये रुपये क़र्ज़ देने का प्रबन्ध करना ।

(२) क़र्ज़ चार कामों के लिए लेना ।

(अ) खेती वाली भूमि का पहले वाला रहन छुड़ाने के लिये

(ब) पुराने क़र्जों की अदायगी के लिये ।

(स) खेती वाली भूमि की उन्नति और खेती के तरीकों के सुधार के लिए ।

(द) खेती को बढ़ाने के लिये, भूमि खरीदने के लिए विशेषतः जब खेती वाली भूमि को एक जगह करना है ।

(३) मेम्बरों में क्रियायतशाली, अपनी मदद आप करने और और दूसरों की मदद करने की आदत डालना ।

ऐसी समितियों का क्षेत्र फल न तो इतना छोटा हो कि काम करने वाले भी न मिलें और न इतना बड़ा हो कि निगरानी ही न हो सके । इस लिए इस समिति का क्षेत्र फल आम तौर से एक ज़िले में रक्खा जाता है परन्तु पहले काम एक ही तहसील में आरम्भ होता है ।

समिति का संगठन ।

इस समिति में आम तौर से वही लोग सम्मिलित होते हैं

जिनके पास ऐसी जमीन है जो रहन या बै की जा सकती है। हर एक मेम्बर को १) फीस दाखिला देना होता है। इस समिति में तीन तरह के हिस्सेदार होते हैं। एक तो वह जो कर्जा नहीं लेते दूसरे वह जो कर्जा ले सकते हैं। तीसरे वह जो रहन की रजिस्ट्री में शामिल कर लिए जाते हैं ताकि कोई कानूनी खराबी न रहे। यह मेम्बर ए, बी, और सी दर्जे के कहलाते हैं। तीसरे दर्जे के मेम्बर का हिस्सा १०) का होता है। इसमें २॥) तो हिस्से दिये जाने के समय देना होता है। बाकी २॥) रुपया करके जब जब समाप्त मांगे देना होता है। तीसरे दर्जे के मेम्बर हिस्सा नहीं लेते फीस दाखिला देना होता है। परन्तु यह ढाई रुपये कम से कम तीन महीने का अन्तर देकर मांगा जाता है। यह तरीका उन मेम्बरों के लिए है जो कर्ज नहीं लेते। कर्ज लेने वाले मेम्बरों को पूरा हिस्से की रकम हिस्से खरीदते समय ही अदा कर देनी होती है। यह हिस्से बेचे या मुन्तकिल कराये जा सकते हैं परन्तु प्रबन्ध करने वाली कमेटी की मंजूरी लेना पड़ती है। इस समिति की ज़िम्मेदारी परमित होती है। इसमें कर्ज न लेने वाले हिस्सेदार अपने हिस्से की रकम तक के ही ज़िम्मेदार होते हैं परन्तु कर्ज लेने वाले अपने हिस्से की पूरी रकम के ज़िम्मेदार होते हैं। हर एक मेम्बर को लिखित नामावली अपने वारिस की देना होती है जिस पर दो गवाही देना होती है।

समिति की पूंजी हिस्सों, अमानतो और कर्जों से बनती है।

अमानत कम से कम ५ बरस के लिए ली जाती है। सूद को शरह जिस पर कर्जा दिया जाता है साधारण तौर से ७।) रु० प्रति सैड़ा से ९) प्रति सैड़ा तक होती है। समिति का सभापति (एक आफिशिओ) जिलाधीश यानी कलक्टर महोदय अपने पद की बजह से होते हैं। जहला आम में एक प्रबन्ध कारिणों कमेटी चुन दी जाती है जिस में सभापति के अतिरिक्त तीन मेम्बर नामजद किये होते हैं और ६ मेम्बर चुने हुए होते हैं। नामजद मेम्बरों में एक रजिस्ट्रार महोदय नामजद करते हैं, दूसरा कलक्टर महोदय और तीरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नामजद करते हैं। मेम्बरान तीन साल के लिए चुने जाते हैं और इनका चुनाव फिर दूसरी बार भी हो सकता है। हर मेम्बर को एक वोट देने का हक है, सभापति को एक और फैसला देने वाला वोट भी देने का अधिकार है जब किसी मामले में वोट बराबर हों। सिवा परदा नशीन औरतों के और कोई दूसरा व्यक्ति अपना वोट दूसरे के द्वारा नहीं दे सकता।

काम का ढंग।

मेम्बरों की जायदाद की तहकीकात कराकर उसकी कीमत लगा ली जाती है। जब कोई मेम्बर कर्जा लेना चाहता हैतो वह पहले दरखास्त के साथ अपने कारजात जो जमीन का मिलाकियत साबित करें जायदाद की सूची के साथ दाखिल करता है। समिति की तरफ से इस जायदाद की मिलाकियत की ओर

उस पर पहले का जो कर्जा है उसकी जांच एक कमेटी करती है जिस में जिले के सहकारी इन्सपेक्टर और एक कानून बनाने वाला मेम्बर एक और मेम्बर होते हैं। जब यह कमेटी जायदाद की तहकीकत और दफ्तर रजिस्ट्री की जांच से संतुष्ट हो जाती है और उसकी कीमत का अन्दाजा लगा लेती है तो इस से जायदाद की रजिस्ट्री मेम्बर से करा ली जाती है। इस रजिस्ट्री में उसकी सभी घर वाले सम्मिलित होते हैं। रजिस्ट्री के पश्चात् मेम्बर को रुक्या मिल जाता है। कर्जा रजिस्ट्री की हुई जादाद की कीमत का १० प्रति सैंकड़ा ही मिलता है। १०००) ६० से अधिक नहीं मिल सकता और हिस्से की कीमत का २० गुना तक मिल सकता है इस से अधिक नहीं मिल सकता ४००) से कम भी इस समिति में नहीं दिया जाता। कर्जा देते समय यह दोनों सम्बन्ध देख लिए जाते हैं। यदि मेम्बर उन्ही काम में रुपया नहीं लगाता जिसके लिए मंजूर हुआ है तो उसे वापस करना पड़ता है। जो कर्जा पिछले रहन को छुड़ाने को दिया जाता है वह पिछले रहन रखने वाले को ही देकर कागजात वापस ले लिये जाते हैं और समिति में रख लिए जाते हैं। कर्ज १५ साल से अधिक के लिए नहीं दिया जाता।

हर एक मेम्बर को इस जायदाद के अतिरिक्त दो शहशी जामिन भी देना होते हैं। कर्जा देने से पहिले कमेटी एक नोटिस

जारी कर देती है कि इस व्यक्ति को इस जायदाद पर इतना रुपया दिया जा रहा है जिसको एतराज हो कमेटी के सामने पेश करे। कुल तहकाकत का जांच और खर्चा मेम्बर को ही देना होता है। बार किरालत इत्यादि का सार्टीफीकेट लेने में जो फीस लगती है वह मेम्बर को ही देना पड़ती है यह सार्टीफीकेट सब रजिस्ट्रार के यहां से मिलता है। इस लिये मेम्बर को बाद पूर्ण जांच के रुपया दिया जाता है। चूंकि समिति यहदूद जिम्मेदारी की है इस लिये मुनाफा पहले साल से ही बटने लग जाता है। बकाया सुर निकाल कर मुनाफे का एक चौथाई बचत की पूंजी में डाला जाता है। बाकी में बट्टा खाता फंड खैरात फंड या और जो फंड कायम करना हों कर दिये जाते हैं और हिस्सों पर मुनाफा दिया जाता है जिसकी शरह १० की सदी से अधिक नहीं होती। यह समितियां भारतवर्ष के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। विशेषता आजकल के ज़माने में स्वतंत्र देश में उन्नति के लिए अधिक रुपये का आवश्यकता है और किसान जो अब भूमिधर हो गए हैं अपनी भूमि पर ही कर्ज ले सकते हैं। ऐसी समितियों की शिफारिश बैंकिंग कमेटी ने भी की है।

भूमि रहन समिति का प्रबन्ध

इस समिति का प्रबन्ध एक प्रबन्ध-कारिणी कमेटी द्वारा

होता है जिसमें जिलाधीश जो पदेनु सभापति होते हैं उनका अतिरिक्त तीन नामजद किये हुये मेम्बर और ६ चुने हुये मेम्बर होते हैं। मेम्बर तीन साल के लिये चुने और नामजद किये जाते हैं। पहले साल के बाद चुने हुये मेम्बरों में से एक तिहाई और दूसरे साल में बाकी के आधे लाटरी डालकर रिटायर कर दिये जावेंगे। दौरान साल में यदि कोई जगह हो जावे तो कमेटी स्वयं ही मेम्बरों में से किसी को चुन लेगी परन्तु यह जगह दूसरे चुनाव तक ही रहेगी। जो मेम्बर लगातार चार मीटिंग में सम्मिलित नहीं होता वह कमेटी से अलग किया जा सकता है। यदि किसी चुने हुये कमेटी के मेम्बर पर एक साल से अधिक की वक्त्या हो तो वह दूसरे चुनाव में भाग नहीं ले सकता और न वह कमेटी का मेम्बर हो रह सकता है। इस कमेटी को यह अधिकार है कि वह अपने कुल या थोड़े अधिकार सभापति को या सेक्रेटरी को देदे। चुन हुये और नामजद किये हुये सभी मेम्बर वोट दे सकते हैं। कमेटी यदि चाहे तो नीचे लिखी हालतों में कर्ज वारिस ले सकती है:—

१—जब रहन की हुई भूमि जबरिया सरकारी प्रबन्ध में आ जावे या जबरिया बेच दी जावे।

२—या यह भूमि को किसी नदी इत्यादि के बहाव में आ जाने का भय हो।

३—जब मेम्बर अपने पिछले कर्ज का मही पता नहीं बताता और समिति की बिना आज्ञा बाहर से और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है ।

४—जब कमेटी के मांगने पर और अधिक या नये जामिन नहीं दे सकता ।

५—जब मेम्बर अपनी किस्त अदा नहीं करता ।

—जब मेम्बर रहन की हुई भूमि का लगान या मालगुजारी अदा नहीं करता ।

७—जब मेम्बर दीवालिया या पागल हो जाता है और समिति से निकाल दिया जाता है ।

८—जब रहन की हुई भूमि अदालत से कुर्क हो जाती है ।

९—जब मेम्बर बाईलाज की पाबन्दी नहीं करता और समिति का हानि पहुँचने की सम्भावना होती है ।

५—दूध विक्रय समितियाँ

खेती करने वालों जमींदारों और भूमेधरों के जीवन को सुखी बनाने का प्रबन्ध करने के पश्चात् हमको यह देखना है कि उन लोगों के सुखी जीवन का क्या प्रबन्ध है जो इन दोनों किस्मों में नहीं आते जैसे गाय भैंस पालने वाले जो अपना

गुजर दूध बेचकर या घी बेचकर करते हैं। इन लोगों के लिये सहयोग क्या कर सकता है ? साधारण तौर से यह लोग अपना दूध गांव के ही किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं जो बहुत सस्ते भाव पर लेता है। यह अनुभव हुआ है कि गांव में जहां दूध काफी होता है यह लोग ढाई तन सेर फा रुपया तक लेते हैं। इसका या तो वह स्वयं खोया भून लेते हैं या दूध को ही साइकिल के द्वारा शहर को ले जाते हैं और वहां १॥, २ सेर प्रति रुपये के हिसाब से बेचते हैं। इनमें इन लोगों को काफी मुनाफा होता है। उधर मवेशी पालने वालों को सस्ता दूध या घी बेचना पड़ता है और मवेशियों के लिये खली, चुनी, भूसी या और चीजें अलग २ गांव के बनिये से मंहगी लेना पड़ती है। यदि कोई बड़ी बाजार या शहर से जाता है तो उसके अपना दिन भर का हर्ज करना पड़ता है और उतनी दूर से सब चीजें ढंकर लाना पड़ती हैं। इन सब कष्टों से बचाने और दूध वालों को अधिक पैसा दिलाने के लिये सहकारी दूध विक्रय समितियां जारी की जाती हैं। इनका नाम कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी भी रक्खा जाता है।

सहकारी दूध विक्रय समिति के उद्देश्य

वैसे तो यह समिति साधारण तौर से वह सब काम करती है जिससे मेम्बरों का माली हालत सुधारने और आपस में मिल

कर काम करने की आदत पड़े परन्तु नाँचे लिखे काम विशेषकर किये जाते हैं:—

- (१) मेम्बरों के लिये अच्छी नस्ल के अधिक दूध देने वाले मवेशी जैसे मुर्रा भैंस या हिस्सारी, मांटगुमड़ा या सिन्धी गाय इकट्ठा खरीदवाने का प्रबन्ध करना ।
- (२) मेम्बरों को मवेशियों के लिये चारा इत्यादि खरीदने या उनके रख रखाओ का प्रबन्ध करने के लिये पेशगी रखा देना और उसे घों, दूध, खोया इत्यादि का सट्टा करके बसूल करना । मवेशी या और जायदाद को सांसाइंटों में रहन कराना भी सभा का कर्तव्य है ।
- (३) अच्छे क्रिस्म के चारे पैदा करने का मेम्बरों को उत्साह दिलाना । चरागाह या गढ़ों (साइल्लोपिट) में चारा रखने का इन्तजाम कराना और मेम्बरों के मवेशियों के लिये चारा, भूसा, खली, नमक, चूनी, भूसी कराई वगैरः इकट्ठा बड़ी बाजारों से सस्ते मूल्य पर खरीदवाने का प्रबन्ध करना ।
- (४) उन्नतिशील अच्छे बीज चारे के लिये बुबाना या और किसी तरह चारा उगाना जैसे चरी, गिनी, घ्रास, लूसर्न इत्यादि ।
- (५) मवेशियों को उनके दूध के अनुसार राशन (चारा, खली,

भूमी इत्यादि दिलाने का प्रबन्ध करना ।

- (६) बीमार मवेशियों के दूसरे मवेशियों से अलग रखाने का प्रबन्ध करना और बीमार मवेशी का दूध समिति में आने से रोकना और मवेशियों के इलाज का प्रबन्ध करना ।
- (७) मवेशियों को सफाई से रखना और सफाई से दूध दुहने का प्रबन्ध करना और दूध में मिलावट न होने देना ।
- (८) दूध दुहने से पहले हाथों को और बर्तनों को खूब साफ कराना और जहाँ तक हो गरम पानी व लाल दवा के पानी से गाय व भैंस के थनों को और हाथों को खूब धुलवाना और साफ कपड़े से पोंछ देना । दूध दुहने और रखने की जगह को बहुत साफ रखना और अगर हो सके तो सिमेंट का चबूतरा बनवा देना ।
- (९) आवश्यकता पड़ने पर गांव वालों से दूध, दही, खोया इत्यादि इकठ्ठा बिकवाने का प्रबन्ध करना और उसका उचित मूल्य दिलाने का प्रबन्ध करना ।
- (१०) एक ही जगह मवेशी इकठ्ठा करके दूध दुहाने का प्रबन्ध करना और दूध का मवेशी बार खाता रखाने का भी प्रबन्ध करना ।
- (११) मवेशियों के लिये गांव में दवाखाना खोलना और आगे

अच्छी नस्ल पैदा करने के लिये अच्छे सांड का भी प्रबन्ध करना ।

दूध समिति का संगठन ।

हर शख्स जिसका चाल चलन अच्छा हो और उम्र १८ साल के ऊपर हो और जिसके गाय, भैंस मौजूद हों या लेना चाहता हो इस समिति में सम्मिलित हो सकता है । हर मेम्बर को आठ आना से १) तक कीस मेम्बरी देना होगा और यह वापस न मिलेगी । हर मेम्बर को एक हिस्सा जिसकी कीमत २०) होंगी खरीदना होगा । यह हिस्सा एक या दो पैसा की छेर दूध के हिसाब से जो उसने दिया है कीमत देते समय काट लिया जावेगा और यदि मेम्बर माहवारी क्रिस्त देना चाहता है तो पचायत की मंजूरी से दे सकता है परन्तु कुछ हिस्से का रकम शीघ्र से शीघ्र दो साल में अदा हो जाना चाहिए । दूध का कीमत पन्द्रह दिन में या एक महीने में जैसा मेम्बर चाहें अदा की जावेगी और उस कीमत में से एक आना से दो आना प्रति रुपया के हिसाब से हर मेम्बर को नए मवेशी खरीदने के लिए जमा करना होगा । जब यह रकम २००) से अधिक हो जावेगी तो उस में कुछ पंचायत की मजूरी से बीमारों इत्यादि या बच्चों की शिक्षा या और आवश्यक काम के लिए रक्खा जा सकता है । इस बचत के रुपये पर ६) सैकड़ सालाना सूद

दिया जावेगा । हर मेम्बर को यह इकरारनामा भी लिखना होगा कि समिति का मेम्बर होने की वजह से समिति के सब नियमों को मानेगा और समिति के अतिरिक्त और कहीं दूध दही इत्यादि नहीं बेचेगा और न जलसा आम को बनाए हुये नियम का उलंघन करेगा । न मानने पर पंचायत को अधिकार होगा कि वह ५०) तक जुर्माना करदे । एक हिस्से पर ५०) तक बर्जा मिल सकता है और ९) सालाना सूद देना होगा ।

हर एक काम पंचायत की राय से हुआ करेगा । सब से बड़ा अधिकार जलसा आम को है जिस में एक तिहाई मेम्बरों का कोरम होगा और यदि जलसा मुलज्वा हो जावे तो १/६ मेम्बर ही काम कर सकेंगे । हर मेम्बर की एक वोट होगी । यदि लोग उचित समझें तो अधिक के अधिक दो आदमी पंचायत में ऐसे मेम्बर भी रखे जा सकते हैं जो सभा के मेम्बर नहीं हैं परन्तु जिनसे समिति के काम या प्रबन्ध में मदद मिल सकती है । पंचायत में ३, ५, ७ या ९ व्यक्ति होंगे और जो केवल ऐसे जलसा आम की राय से जिस में एक तिहाई मेम्बर मौजूद हों और उस में से दो तिहाई राय दें अलग किसे जा सकते हैं । कुछ कारोबारी नियम जलसा आम से पास किये जावेंगे ।

समिति की जिम्मेदारी परमित होगी । हर जठे के महीने में

पंचायत मेम्बरान की एक सूची तैयार करेगी जिनको मवेशी खरीदने की आवश्यकता है और यह भी जांच करेगी कि मेम्बर अपने पास से कितनी रक्का लगावेंगे और कर्जा कितना लेंगे। इसी हिसाब से उनकी हैसियत व साख की जांच करेगी। जहां तक होगा मवेशी इकट्ठा शीखरीदने का प्रबन्ध किया जावेगा। मवेशी गांव में आने पर समिति में रजिस्ट्री करा लिये जावेंगे। मेम्बरान से दूध के भाव का सट्टा साल भर के लिये कर लिया जायगा जो साधारण तौर से गांव के भाव के अनुसार होगा। पंचायत नये बियाये मवेशी का दूध ४ दिन तक न लेगी और बीमार या ऐसे मवेशी का जिसके दूध में खून आता हो या और खराबी हो, दूध न लेगी। चारे की खेती का भी प्रबन्ध कराया जावेगा। यदि हल्के में दूध बेचने की यूनियन कायम हो गई है तो दूध यूनियन में भेज दिया जायगा या इसके बेचने का और दूध को बाजार भिजाने का प्रबन्ध किया जायगा। हर मेम्बर को कम से कम आध सेर दूध बच्चों के के लिये बचाना अनिवार्य होगा। ऐसी समितियां गांव वालों को बहुत लाभ पहुंचा सकती हैं इसलिए शीघ्र स्थापित कराने की आवश्यकता है। बहुधंधी समितियां जिसका ध्यान ऊपर किया गया है वह काम अच्छी तरह कर सकती हैं।

दूध यूनियन (मिल्क सप्लाय यूनियन)

गांव २ में जब दूध समितियां बन गई तो उनका दूध इकट्ठा

करके बेचने का प्रबन्ध सहकारी ढंग पर करना आवश्यक है इसलिये शहर में एक मिल्क सप्लाय यूनियन का संगठन किया जाता है। इस यूनियन के उद्देश्य भी वही हैं जो दूध समिति के होते हैं केवल अन्तर इतना है कि यूनियन व्यक्तिगत किसी मेम्बर से उपोहार नहीं करती। वह अपनी अन्तर्गत दूध समितियों से ही व्यवहार करती है। विशेषकर मिल्क यूनियन के उद्देश्य नीचे लिखे होते हैं:—

१—मेम्बर समितियों के लाभ के लिये बढ़िया सांड रखना और समितियों को मवेशियों की नस्ल का सुधार करने में मदद देना।

२—इक्ठु चारा, खज्जी या और ऐसी वस्तुओं खरीदना और समितियों को उचित मूल्य पर थोक भाव में देना।

३—मेम्बर समितियों के दूध न देने वाले मवेशियों को रखना और उनके चरागाह किराये पर लेना या किसी तरह उनके चारे का प्रबन्ध करना।

४—मवेशियों के लिये दवाखाने स्थापित कराना और बवाई बीमारियों के रोकने का उचित प्रबन्ध करना और मवेशियों की तन्दुरुस्ती की जांच समय २ पर कराना।

५—मेम्बर समितियों का दूध इक्ठु करना और उसको किसी

केन्द्रीय स्थान पर पहुँचाना और वहाँ से उसके विक्रय का प्रबन्ध करना ।

६—यूनियन में एक लेबोरेट्री (Laboratory) स्थापित करना और समितियों में दूध इकट्ठा करने वाले सेन्टरों पर दूध की जाँच कराना और दूध के शुद्ध होने का सर्टीफिकेट देना ।

७—शहर में दूध प्रयोग करने वालों की समिति या क्लब बनाना जिससे उनको शुद्ध दूध या उसकी बना वस्तु उचित दामों में मिल सके ।

८—दूध पीने वालों के लिये मिल्क बार खोलना और इसी के द्वारा दूध तथा उसकी बना वस्तुओं का प्रचार करना ।

९—दूध इकट्ठा करने के लिये अन्तरगत गाँवों में सेन्टर खोलना और बेचने के लिये भी सेन्टर स्थापित करना ।

१०—तई २ मशीनें दूध को रखने या मक्खन इत्यादि बनाने के लिये मँगाना और मक्खन, क्रीम तथा दूसरी वस्तुयें तैयार कराना ।

११—गाँव में दुहने के शौड बनवाना और सड़कें व रास्ते दुरुस्त कराना ।

१२—मवेशियों के मेजे लगवाना और प्रतियोगिता पर पुरस्कार देना प्रदर्शनी कराना या और इसी तरह के काम मेम्बरों को उत्साहित करने के करना ।

संगठन

मिल्क यूनियन में उसके क्षेत्रफल के अन्तरगत जो समितियां दूध का काम करना चाहें वह इसकी मेम्बर हो सकती हैं और व्यक्तिगत भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु अधिकांश समाप्तियां ही मेम्बर होती हैं । यूनियन का हिस्सा ५० का होता है जो १० की वार्षिक किस्तों में अदा किया जाता है । कुल हिस्से की पूंजी के ४० प्रतिशत से अधिक व्यक्तिगत मेम्बर नहीं ले सकते । कोई मेम्बर हिस्सा वापस नहीं ले सकता परन्तु मेम्बरी समाप्त हो जाने पर नियमानुसार मिल सकता है । हिस्से की रकम मेम्बरी समाप्त होने के दो साल बाद और मर जाने के एक साल बाद वापस होती है । मेम्बरों की जिम्मेदारी हिस्से की दूनी कीमत तक परमित होती है ।

यूनियन में एक जनरल बाडी होती है जिसमें सब व्यक्तिगत मेम्बर और मेम्बर समितियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं । समितियों से प्रतिनिधि हर ५० मेम्बरों पर एक व्यक्ति के हिसाब से भेजे जाते हैं । जनरल बाडी का कोरम $\frac{1}{3}$ मेम्बरों का या ५० का जो कम हो होता है । मुलतवी की हुई मीटिंग में कम से

कम १० व्यक्ति उपस्थित होना चाहिये। यूनियन का चेयरमैन जिलाधीश (Exofficio) होता है।

इसके अतिरिक्त जनरल बाडी एक बोर्ड चुन देती है जो यूनियन का सब काम करती है। इसमें १२ चुने हुये मेम्बर चेयरमैन को लेकर होते हैं। इसमें ७ मेम्बर चुने हुये होंगे जिसमें कम से कम ४ समितियों के प्रतिनिधि होना चाहिये और तीन व्यक्तगत मेम्बरों में से। रजिस्ट्रार महोदय दो मेम्बरों को नामजद करेंगे जिनमें से एक टिकनीकल व्यक्ति होना चाहिये और दूसरे आर्थिक विशेषज्ञ होना चाहिये। बोर्ड दो व्यक्तियों का जो डेरी के काम से दिज्ञचस्पी रखते हों को आप्ट कर सकता है। वह सब डायरेक्टर अगले वार्षिक जलसे तक काम करेंगे। बोर्ड की साल में कम से कम दो बैठक अवश्य होंगी।

बोर्ड यदि चाहे तो दैनिक काम चलाने के लिये अपने डायरेक्टरों में से ४ या ५ व्यक्तियों की एक कार्य-कारिणी कमेटी बना सकता है। इस कमेटी के बन जाने पर बोर्ड अपने अधिकारों में से कुछ को कमेटी को दे सकता है जिसका व्योरा बाईलाज में दिया है।

दूध यूनियन का काम

उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन योजना के अनुसार प्रत्येक

यूनियन में २०० मन दूध प्रति दिन इकट्ठा होकर वितरण किया जाना चाहिये। ऐसी यूनियन लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर में काम कर रही हैं और हाल में मेरठ और लालकुआं में भी स्थापित कर दी गई हैं।

यह यूनियन ग्राम दूध समितियों द्वारा शहर से ४० मील तक का दूध इकट्ठा करके मोटरों द्वारा शहर में लाते हैं जहां यह नियमानुसार गरम करके टण्डे कमरों में मशीनों द्वारा ठण्डा किया जाता है और दूध बांटने वाले सेन्ट्रों पर भेज दिया जाता है। सन १९४८-४९ में ६२,७६ मन दूध इस प्रकार एकत्रित करके उत्तर प्रदेश में बेचा गया। सरकार ने दुधार मवेशी खर्गदने के लिये मेम्बरों को ३,६५,००० रुपया बिना सूद तत्काली पर दिया। कानपुर में १५० मन दूध रोज वितरण होता है बाकी और जगहों पर यूनियन अभी लक्ष्य को नहीं पा सकी है। लखनऊ में १०० मन और इलाहाबाद में ६० या ७० मन का रोजगार होता है।

लाभ

इस सहकारी स्कीम से दूध उत्पादक और उपभोगता दोनों को लाभ होता है। उत्पादकों को घर बैठे पन्द्रहवें दिन दूध का उचित दाम मिल जाता है और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये बिना सूद रुपया भी मिलता है और खली इत्यादि वस्तुयें सस्ते

शामों पर मिल जाती हैं। उपभोगताओं को भी ग्वालों और हलवाइयों के मार पेच से बचा देती हैं और शुद्ध दूध समय पर घर के निकट ही उचित भाव पर मिल जाता है। इन दूध संघों के कारण शहरों में दूध का दाम अधिक नहीं बढ़ने पाता ऐसे संघ हर एक जिले में स्थापित होना चाहिये।

६—सहकारी घी समितियां

जैसा दूध समिति के सम्बन्ध में बताया जा चुका है इन समितियों द्वारा किसानों के जीवन में बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। यह समितियां साधारण तौर से उन गांवों के लिए अधिक लाभदायक होती हैं जहां दूध के बेचने का प्रबन्ध नहीं हो सकता। ऐसी समितियों की सफलता के लिए दो बातों की विशेष आवश्यकता है, एक तो मवेशी ऐसे हेतु चाहिए जिनके दूध में घी की मात्रा अधिक हो और दूसर घी का बाजार ठीक मिल जावे और वहां तक घी को पहुँचने का उचित प्रबन्ध हो। बाकी और बातें जो दूध समिति के सम्बन्ध में कही गई हैं वह इस में भी लागू हैं। इन समितियों के उद्देश नीचे लिखे हुए होते हैं।

घी समिति के उद्देश।

इस समिति के मुख्य उद्देश्य यह हैं:—

- (१) मेम्बरों को भैंस खरीदना देना और उसकी कीमत घी लेकर वसूल करना । यानी घी की कटीती करना ।
- (२) जिन लोगों के पास भैंसें हैं उनके पेशगी रुपया देना और रुपया को घी कटऊँ करके वसूल करना ।
- (३) मेम्बरों का घी इकट्ठा करना और उसको थोक बेचने का प्रबन्ध करना । मेम्बर को उसकी कीमत की अदायगी करना या कर्जा वाली समिति में उस को जमा कर देना ।
- (४) घी में मिजाबट को रोकना और अच्छे तरीकों से घी निकालने का उत्पाद पैदा करना और अच्छा घी तैयार करने व बेचने में मेम्बरान का सहायता करना ।
- (५) मवेशियों के चारे व दाने का बन्दाबस्त कराना ।
- (६) मवेशियों की बीमारी के समय डाक्टर मवेशियान को बुलाना और दवा का प्रबन्ध कराना और मामूली मर्ज की दवाओं का गांव में ही प्रबन्ध रखना ।
- (७) मेम्बरों के मवेशियों को सफाई के साथ रखने का प्रबन्ध करना और अधिकांश लोगों को अच्छी नस्ल के मवेशों रखने पर राजी करना और रखाना ।
- (८) इसके अलावा और सब ऐसे काम करना जिस से मेम्बरों

की आमदनी बढ़े और किरायतशारी व अपनी मदद आप करने की आदत पड़े।

उत्तर प्रदेश में घी समितियों का आरम्भ उस समय से हुआ जब बाजार में घी बहुत सस्ता था और ठेकेदार जो गांव से घी ले जाते थे बहुत कम दाम देते थे। इन समितियों का मुख्य उद्देश देहात के घी उत्पादकों को घी ठेकेदारों और शहर के व्यापारियों के फन्दे से छुड़ाना था। इन समितियों का आरम्भ पहले जिला इटावा, आगरा, मैनपुरी, मेरठ और बुलन्द शहर से हुआ और इसके पश्चात और जिलों में भी जैसे झांसी, बांदा, बलिया, जालौन और सुलतानपुर में भा यह समितियां बनीं। इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग ७०० समितियां काम कर रही हैं। सन् १९४८-४९ में इन समितियों ने लगभग १५ लाख रुपए का घी बेचा।

घी समिति का संगठन।

यह समितियां भी उसी तरह बनाई जाती हैं जैसे और सब समितियां जो पहले बताई जा चुकी हैं। इस में हर व्यक्ति जो वालिग है और जिसके पास भैंस है मेम्बर हो सकता है। हर मेम्बर को ११ फीस मेम्बरी देना होगी और एक इक्रारनामा लिखना पड़ेगा कि जल्दा आम जो कायदे बनावेगा वह सबको मानना पड़ेगा और न मानने पर पंचायत (१८०) तक जुर्माना

कर सकती है। पंचायत यह भी तय कर देगी कि किस भैंस पर कितना घी फटऊं कहके रुपया दिया जावे। हर एक मेम्बर की अलग अलग हालत देख कर यह निश्चय किया जावेगा और उसी के अनुसार रक्कत लिखा जावेगा। कोई व्यक्ति बिना पंचायत की आज्ञा समिति के अतिरिक्त और किसी के हाथ घी नहीं बेच सकता। यदि ऐसा करेगा तो पंचायत उससे दण्ड दे सकती है। समिति का प्रबन्ध एक पंचायत द्वारा होगा जिसके पंच जल्सा आम में चुने जावेंगे। आम तौर से घी के तुलाने के लिए पंचायत एक दिन निश्चय कर लेगी उसी दिन सब लोग अपना अपना घी लाकर तौल दिया करेंगे। घी के इकट्ठा हो जाने पर पंचायत उस को किसी बाजार में बिकवाने का प्रबन्ध करेगी या व्यापारी से इकट्ठा भाव तय कर लेगी और वह निश्चित किए हुए दिन पर आकर घी ले जाया करेगा। पंचायत का यह कर्ज होगा कि वह इस बात की जांच करती रहे कि घी में किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं की जाती। घी में यदि कोई खराबा मालूम हो तो तुरन्त अपने सामने गरम कराकर साफ करा कर लेना चाहिए। बीमार मवेशियों का घी नहीं लिया जायगा और उनके मवेशियों से अलग रक्खा जायगा।

यह समिति परमित जिम्मेदारी की होती है जिसी तादाद ५० होती है यानी समिति जो जिम्मेदारी (कर्ज बगैरहः) बाहर से लेती है उसकी अदायगी के लिए हर एक मेम्बर ५०)

तक का ही जिम्मेदार होता है। इस समिति में हिस्से १८) के होते हैं। इ०में ५) हिस्सा लेते समय ही देना होता है और बाकी ५) जब समिति चाहे मांग सकती है। दूसरा तरीका हिस्सा की अदायगी का यह है कि दो पैसा रुपया घी का मूल्य देते समय काट लिया जाता है और इस रकम से हिस्सा खरीद लिया जाता है। साल भर में जो मुनाफा होता है उसका एक चौथाई बचत की पूंजी में डाला जाता है। बाकी का बढ़ा खाता फन्ड में लिया जाता है और बचत की पूंजी व बढ़ा खाता से जो बचता है उसका आधा तक रिबेट (छूट) में दे दिया जाता है। इस का मतलब यह है कि उन मेम्बरों को जिन्होंने घी दिया है उनको घी के हिसाब से छूट मिलती है। बाकी और किसी काम में लगा दिया जाता है या अगले साल के मुनाफे में शामिल होने को रख दिया जाता है।

कारोबार के ढंग ।

हर साल जून (जेठ) के महीने में पंचायत मेम्बरों की भैंसों की गिनती करती है और यह मालूम करती है कि कितनी भैंसें हैं और अन्दाज़ से कितना घी होगा। और यह भी पता लगाया जाता है कि किन किन मेम्बरों को भैंसें खरीदना है। यह भी मालूम किया जाता है कि कौन कौन घी नक़दो दाम से देगा और कौन कौन कटाई करेगा और कौन घी कटाई करके भैंस

मोल लेगा। मम्बर भैंस ठीक करके पंचायत से क्रीमत देने को कहेगा भैंस के व्याने के समय मम्बर से तै कर लिया जायगा कि वह कितना घी देगा और कितने दिनों में वह पूरा करेगा। पंचायत जो सदस्य से घां की मात्रा का ठेका करता है उस ठेके का पूरी रकम मम्बर को एक दम दे दी जाती है। इससे मम्बर को बहुत लाभ होता है क्योंकि घी के व्यापारी थोड़ी थोड़ी क्रीमत घां की देते हैं। पंचायत निश्चित किए हुये समय पर इकट्ठा होकर घा तुलाकर, साफ कराकर बाजार भेजने का प्रबन्ध करेगी या किसी बनिए से तै कर लेगी और यह निश्चित समय पर आकर घां ले जावेगा। घां में यदि मिलावट होती है तो वह लेने से इनकार कर देगी और मम्बर पर जुर्माना कर देगी। घी के दर्जे भी निश्चित कर दिये जाएंगे और उसी हिसाब से भाव भी होगा। पंचायत का कर्तव्य है कि बाजारों से कभी कभी जाकर या और किसी के द्वारा भाव मालूम करती रहे ताकि बनियां उसके धोका न दे सके। ऐसी समितियों की सफलता के लिए मम्बरों में उत्साह और व्यापारियों के तराकों की जानकारी होना चाहिए। यदि मंडियों और शहरों के हेडक्वार्टर पर एक केन्द्रीय सहकारी संस्था हो तो अधिक लाभदायक हो।

घी यूनियन ।

गांव में जब घी समितियां बन गईं तो इन सब का घी शहर में

बिकवाने के लिये भी कोई प्रबन्ध चाहिए। वह प्रबन्ध यही हो सकता है कि बाज़ार में व्यापारियों द्वारा बिकवाया जाय और उन को कमीशन दिया जाय या स्वयम् अपनी कोई सहकारी संस्था वहां काम करे। नियमानुसार ~~का~~ काम को करने के लिए जिस ज़िले में घी समितियां काफ़ी हैं वहां एक केन्द्रीय संस्था घी सहकारी यूनियन के नाम से स्थापित की गई है। इस यूनियन के दफ़्तर तथा कर्मचारियों के वेतन आदि के खर्च के लिए हर मेम्बर से २) प्रति मन के हिसाब से घी के ठेके पर चन्द लिया जाता है। इन यूनियनों का मुख्य काम समितियों के घी को इकट्ठा करना, साफ़ कराकर प्रेड कराना और उसका बिक्री कराना है। आदर्श से नीचा जो घी होता है वह नहीं लिया जाता। यूनियन अपने घी टेस्ट कराती रहती है और घी की परीक्षा करती है। शुद्ध घी साफ़ कराकर साफ़ पीपों में रक्खा जाता है और थोक में बेचा जाता है। अधिकांश तो घी के व्यापारी नक़्द दामों पर ले लेते हैं और कुछ घी खाने वालों के हाथ भां बेच दिया जाता है। इस प्रान्त में ऐसी ४ यूनियन काम कर रही हैं।

प्रबन्ध ।

यूनियन का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा होता है जिसका घ समितियों के प्रतिनिधि चुनते हैं।

सब प्रतिनिधियों से मिलकर जनरल वाई बनती है जिसके सभी

अति जिज्ञासु या हाकिम परगना होते हैं और यही जनरल बाडी एक बोर्ड चुनती है जिस में ७ या ८ चुने हुए डायरेक्टर होते हैं। और एक नामजद व्यक्ति बैंक की ओर से और सरकिल अफसर सहकारी विभाग और दान को आपटेड डायरेक्टर होते हैं। एक आनरेरी सेक्रेटरी भी होता है जो बोर्ड का भी मेम्बर होता है। यह सब डायरेक्टर अगली वार्षिक जनरल मीटिंग तक काम करते हैं।

दैनिक कार्य की देख रेख के लिए एक प्रबन्ध कारिणी कमेटी हाती है जिसमें तीन चुने हुए डायरेक्टर होते हैं और वाइस चेयरमैन, सरकिल अफसर और आनरेरी सेक्रेटरी भी रहते हैं। यह कमेटी बोर्ड से चुनी जाती है और जो काम बॉर्ड इस कमेटी के सुपुर्द करे वही करती है।

आज कल जब शुद्ध घी की इतनी कमी है इसी लिए तो ऐसी यूनियनों के संगठन की बड़ी आवश्यकता है।

७—गन्ना विकाश तथा विक्रय समितियां।

हम ऊपर गांव की क्रय-विक्रय समितियों का तथा क्षेत्राध्य यूनियन जो क्रय-विक्रय का काम करती हैं उनका उल्लेख कर चुके हैं। गन्ना इस प्रान्त में हर जगह बोया जाता है इस लिए उसके प्रयोग और क्रय विक्रय का भी प्रश्न सदैव ही बना रहना

है। खेती की और वस्तुएँ तो पैदा होने के पश्चात् गोदामों में रख दी जाती हैं और समय व भाव मिलने पर बिकती रहती हैं। परन्तु गन्ना ऐसी वस्तु है जो किसी गोदाम में भर कर नहीं रखी जा सकती। इसे तो फल पर ही बेच देना होता है। इसके अतिरिक्त चीनी के मिलों पर जहाँ इसकी अधिकांश खपत होती है सरकार का नियंत्रण है। इस सिये उन विशेष नियमों के अनुसार ही गन्ना बिक सकता है। ऐसी दशा में सरकार ने गन्ने के विकास कार्य के लिये एक अलग मोहकमा कायम कर दिया है जिसे गन्ना विकास विभाग कहते हैं और जिसके अध्यक्ष केन कमिशनर कहलाते हैं। गन्ने का विकास कार्य तथा विक्रय सहकारी समितियों द्वारा ही होता है और यह समितियाँ केन कमिशनर के अन्तरगत ही काम करती हैं। उत्तर प्रदेश को गन्ने की पैदावार तथा चीनी मिलों के अनुसार पांच भागों में बाँट दिया गया है और प्रत्येक भाग को एक रेंज कहा जाता है। इस तरह इस प्रान्त में निम्नलिखित रेंज हैं।

- १- पूर्वी रेंज—इसका हेड क्वार्टर गोरखपुर में है और इसमें गोरखपुर, देवरिया जिले और कुछ हिस्सा आजमगढ़ बलिया और गाज़ीपुर का भी आता है क्योंकि वहाँ का गन्ना गोरखपुर व देवरिया जिलों की मिलों ही खरीदती हैं। इस रेंज में २१ चीनी मिलें हैं।

२—मध्य पूर्वी रेंज—इसका हेड क्वार्टर गोंडा में है और इस में बस्ती, गोंडा, बहराईच इत्यादि जिले शामिल हैं। इस में ११ चीनी मिलें हैं।

३—सेन्द्रल रेंज—इसका हेडक्वार्टर सीतापुर में है और इस में सीतापुर, लखीमपुर, खीरी, हरदोई लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद और कानपुर जिले शामिल हैं।

इस के अलावा बनारस, जौनपुर और आजमगढ़ जो पहले बनारस रेंज के नाम से अलग थे वह अब फैजाबाद में मिला दिए गए हैं। इसमें १० चीनी मिलें हैं।

४—रोहेल खण्ड रेंज—इस का हेडक्वार्टर बरेली में है और इसमें बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर शामिल हैं। इस में भी ११ चीनी मिलें हैं।

५—पश्चिमी रेंज—इसका हेड क्वार्टर मेरठ में है और इस में मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून के जिले शामिल हैं। इस रेंज में १४ चीनी मिलें हैं।

प्रत्येक रेंज एक केन डेवलपमेन्ट अफसर की निगरानी में काम करती है। हर एक रेंज में जितनी चीनी मिलें हैं उनको गन्ना दिलवाना और उसके पहुँचने का उचित प्रबन्ध कराना मोहकमे का काम है। जिस केन्द्र से चीनी मिल गन्ना खरीदती है उस केन्द्र में एक गन्ना विकास तथा विक्रय यूनियन संगठित कर दी गई है।

गन्ना विकास यूनियन के उद्देश।

इन गन्ना विकास यूनियनों का उद्देश नीचे लिखा हुआ होता है।

- १—गन्ने की अच्छी और अधिक उपज किसान को दिलाने के लिए अच्छे किस्म के गन्ने का बीज किसानों को दिला कर लोक प्रिय कराना।
- २—खेती के उन्नतशील ढंगों का प्रचार करना और उनका प्रयोग कराना।
- ३—गन्ने की फसलों की विशेष बीमारियों की जांच कराना और उनकी रोक थाम का प्रबन्ध करना।
- ४—अधिक उपज लेने के लिए कारगर के अच्छी और अधिक खाद व पानी का प्रबन्ध कराना। कम्पोस्ट बनाने का प्रबन्ध करना।

५—सरवे कराकर गन्ना बोने के बाद गन्ने के रक्कबे और अंदाजी उपज की जांच कराना और मेम्बरो से उस गन्ने की सही बिक्री के लिए सट्टा कराना ।

६—मिलों से गन्ने की बिक्री के लिए बात चीत करना और मेम्बरो के सट्टे के आधार पर मिल से गन्ना सप्लाय करने का ठेका लेना और उसका ठेकेनामा लिखना ।

७—सरकार की बनाई हुई विकास योजना के अनुसार काम करना ।

८—गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए मेम्बरो को उत्साहित करना और प्रतियोगता करके मेम्बरो में से अच्छी पैदावार करने वालों को पुरस्कार देना ।

९—गन्ने की पैदावार में उन्नति करने के लिए और साधारण तौर से दूसरी खेती की उन्नति के लिए जो रुपये की आवश्यकता हो उसका प्रबन्ध करना ।

१०—हर प्रकार की उन्नति कराने के लिए जो जो सामान मेम्बरो को बाहर से मंगवाना आवश्यक हो वह मंगा कर देना जैसे खाद, बीज, हल व दूसरी मशीनें, पम्पिंग सेट, रहट और दूसरे औजार ट्रैक्टर इत्यादि सभी चीजें यूनियन से मंगाई जा सकती हैं ।

११-इसके अतिरिक्त और सब ऐसे काम करना जिन से सदश्यों की पूर्ति हो और मेम्बरों में मितव्यता और अपनी मदद आप करने की आदत पड़े।

गन्ना विकास यूनियन का संगठन ।

इस यूनियन का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है क्योंकि यह उस पूरे हल्के में काम करती है जहां से मिल गन्ना खरीदती है परन्तु कहीं कहीं जहां गेट पर गन्ना कम मिलता है उन को रेलसे भी दूसरे स्टेशनों से जो उनके केन कमिशनर दे देते हैं मंगाना पड़ता है। इस लिए हर जाह गेट पर एक यूनियन स्थापित हो गई है। और बाहरी स्टेशनों पर अलग यूनियन बनाई गई है। प्रत्येक यूनियन के अन्तर गत १०० से २५० तक गांव होते हैं। चूंकि गन्ने के सम्बन्ध में सब काप मिल से होता है इस लिए यूनियन का हेडक्वार्टर मिल में या उस से निकट ही रखा जाता है और गांव गांव में अधिकांश समिति न बनाकर व्यक्तिगत रूप में सभी गन्ने की खेती करने वाले यूनियन के मेम्बर हो जाते हैं। और इस्सा खरीद लेने हैं। उनको यूनियन से गन्ने के सम्बन्ध में बीज, खाद, औजार मिल जाते हैं और पानी का भी प्रबन्ध यथा संभव हो जाता है। गन्ने की बीमारी की रोक थाम करने के लिए हर एक रेंज में एक Plant Protection Inspector रहते हैं जो दौरा करके देख भाल करते रहते

हैं और रोग को दूर करने के उपाय बताते और उस पर अमल कराते रहते हैं। जिस गांव में ग्राम समिति रजिस्टर्ड हो गई है वहां गांव वाले अपनी पंचायत द्वारा सब काम मिल कर करते हैं और जिस गांव में ग्राम समिति की रजिस्ट्री नहीं हुई है वहां भी यूनियन के मेम्बर जो उस गांव में रहते हैं आपस में मिल कर पंचायत चुन लेते हैं। हर गांव का साल में एक बार वार्षिक ग्राम जल्सा किया जाता है और उसमें हर गांव से एक एक डेली गेट चुन कर यूनियन में गांव प्रतिनिध कर के भेजा जाता है। जिस गांव में १० से कम मेम्बर होते हैं वह डेली गेट नहीं भेजते।

जब सब यूनियन के गांव के डेली गेट का चुनाव हो जाता है तब यूनियन का वार्षिक जल्सा किया जाता है और एक बोर्ड चुन लिया जाता है जो यूनियन का नवित प्रबन्ध करता है। यूनियन के सभापति जिन्हाघोश (Ex-officio) होते हैं और बोर्ड में डेली गेटों में से ६ चुने हुए डायरेक्टर होते हैं और एक नामजद किए हुए होते हैं। सरकिल के डिप्टी सी० डी० आ० या सी० डी० आ० भी डायरेक्टर होते हैं। बोर्ड यदि चाहे तो एक प्रबन्धकारिणी कमेटी तीन डेली गेटों को बना सकता है इसके अतिरिक्त ए० सी० डी० आ० जा वे डका सेक्रेटरी होता है वह और हल्के के डिप्टी सी० डी० आ० को शामिल करके पांच व्यक्तियों की प्रबन्ध कारिणी कमेटी काम करती है।

बोर्ड इत्यादि बनाने के बाद युनियन की रजिस्ट्री करा ली जाती है। इसकी जिम्मेदारी परमित होती है और हिस्सा १०) का होता है। हर मेम्बर को एक प्रतिज्ञा पत्र लिखना पड़ता है कि वह बिना समिति की राय के न गन्ना कहीं बेचेगा और न गुड़ इत्यादि बनाए या बेचेगा।

गन्ना विकास युनियन का काम।

यूनियन का मुख्य काम तो मेम्बरों को गन्ने की अधिक उपज कराना और उसे बेच कर अधिक मूल्य दिलाना है। अधिक पैदावार के संबंध में उसको मोहकमे की बताई हुई बातों पर अमल करना पड़ता है। यहां पर यह बताना ठीक होगा कि यूनियन के काम के दो भाग हैं एक विकास और दूसरा विक्रय। चूंकि गन्ना विकास के भी दो हिस्से काम के संबंध में हैं इसलिये यह दोनों केन कमिशनर की मातहतों में काम करते हैं। एक तो विकास विभाग जिसके अकसर डेवलपमन्ट कोआरडीनेशन अकसर कहलाते हैं और दूसरा हिस्सा मारकेटिंग का है जिसके अकसर मारकेटिंग कोआरडीनेशन अकसर कहलाते हैं। नई योजना के अनुसार गन्ना विकास कार्य के लिये हर बीनी मिल में एक एक गन्ना विकास कौंसिल स्थापित की गई है जिस में दो प्रतिनिध मिल की ओर से और दो गन्ना विकास युनियन की ओर से होते हैं और सभापति अलग से चुने जाते हैं जिन्हें केन कमिशनर मंजूर करते

हैं। इस गन्ना विकास कौंसिल को यूनियन की कुल कमीशन की कमाई का एक तिहाई हर साल दिया जाता है जो वह अपना अलग बजट बनाकर गन्ना विकास कार्य में खर्च करती है। विकास कार्य के सम्बन्ध में यूनियन इस कौंसिल के बनाए हुए सब काम करती है और खाद औजार इत्यादि सब वसी की मरर्जा से मंगा कर किसानों को देती है। अधिक उपज बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता नुमाईश होती है जिस में इनाम दिए जाते हैं।

दूसरा काम गन्ना विकास व विक्रय यूनियन का गन्ना बेचने से सम्बन्ध रखता है। मिल चालू होने से पहले मेम्बरों के गन्ने की फसल की जांच पड़ताल करके उपज का अन्दाज लगा लिया जाता है और अन्दाज के आधार पर यूनियन मेम्बर से उतने गन्ने का सट्टा कर लेती है और सब सट्टों के आधार पर मिल से उतने गन्ने का सट्टा कर लेती है। यूनियन का कर्तव्य होता है कि वह सट्टा विया हुआ कुल गन्ना मिल को दे न देने की हालत में मिल तावान ले सकती है। १५ प्रति सैकड़ा तक की कमी तक कुछ तावान नहीं देना पड़ता इससे अधिक कमी होने पर कुल कमी पर तावान पड़ता है।

सट्टा हो जाने के बाद जब मिल चालू होती है तो वह यूनियन को रोज इन्डेन्ट देता है कि इतना गाढ़ा गन्ना मिल पर

आना चाहिए । यूनियन उतनी गाड़ियों की पुरजी हिस्सा रसदी मेम्बरो के नाम कांटती है जिस में समय और तारीख लिखी रहती है । नियुक्ति समय पर मेम्बर अपनी ऊख ले आते हैं और मिल पर तौला देते हैं । तैल की जांच के लिए यूनियन का और से भी मिल के कांटे पर कर्मचारी रहते हैं ताकि ठीक ठीक तैल हो जावे । मेम्बर को तौल के बाद ही दाम मिल जाता है । दाम मिलते समय भी क्राफी देख भाल की जाती है । ऐसी ही तैल और देख भाल दूसरे स्टेशनों पर भी होती है ।

उत्तर प्रदेश में इस समय ६६ यूनियन काम कर रही हैं यह लगभग २० हजार गांवों के २० लाख व्यक्तियों में काम करती हैं । १९५८-५९ में २० करोड़ रुपए का गन्ना मिलों में इन्होंने पहुंचाया और लगभग २५ लाख मन अच्छा बीज ७ लाख मन खाद और हतारों यन्त्र बांटे । इन यूनियन की कारोबारी पूंजी १ करोड़ २० लाख है जिस में लगभग ८० लाख इन की निजी पूंजी है ।

यह यूनियन गन्ने के काम के अतिरिक्त मेम्बरों के लाभ तथा सुधार के और भी काम करती हैं । जैसे हर एक यूनियन में कुछ प्राइमरी स्कूल, कहीं कहीं मिडिल और हाई स्कूल भी यूनियन से चल रहे हैं । दवा खाने और स्नान भी चलाए गए हैं नहरों के गुलों की सफाई हुई है । सड़कें व पुलिया बनवाई गई हैं ।

हमारे देश में ऐसी संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है।

८—बहुधंधी समितियाँ

अब हम देख चुके कि खेतों से सम्बन्ध रखने वाली समितियाँ किस प्रकार बन सकती हैं और वह काश्तकारों के जीवन को कैसे सुखी बना सकती हैं। हमारे गांव में अलग २ समितियों के काम करने के लिये अगुवा मिलना बहुत कठिन है इसलिये एक ही गांव में जहाँ ऊपर बताया हुये सभी काम करना हों अलग २ समितियों का चलाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसलिये यदि गांव वाले इस बात पर तैयार हैं कि सहयोग समिति के द्वारा उनको सुखी जीवन व्यतीत करना आ जावे तो एक ही समिति में सब लोग शामिल कर दिये जावें और उसी में हर प्रकार के काम हुआ करें। उसका नाम भी अलग २ काम पर न रख कर केवल बहुधंधी समिति रखा जावे और मेम्बर की हर प्रकार की आवश्यकतायें उससे पूरी की जावें। गांव के सभी लोगों को कुछ न कुछ आवश्यकता अवश्य ही रहती है। यदि समिति के द्वारा यह पूरा हो सकती है तो सबको इसमें सम्मिलित होने में कोई एतराज न होगा। समिति का काम भी हर समय चलता रहेगा और लोगों में उत्साह भी बना रहेगा। ऐसी समितियों के संगठन के नियम हम पहिले विकास समिति के सम्बन्ध में बता चुके हैं उन्ही के अनुसार

यह समितियां बनाई जा सकती हैं। ऐसी समितियों से निम्न-लिखित लाभ मालूम होते हैं:—

- १—ऐसी समिति में गांव का हर एक व्यक्ति सम्मिलित होकर अपनी सभी आवश्यकतायें पूरी कर सकता है। यह समिति सब गांव वालों को एक सूत्र में जबही बांध सकती है जब सबकी भिन्न २ आवश्यकताओं को पूरा करे। दूसरे यदि हर प्रकार का काम समिति करती है तो मेम्बरों का समिति से और एक दूसरे से बराबर सम्बन्ध रहता है और यही आपस का प्रेम व उत्साह बढ़ाने का साधन है।
- २—जब मेम्बर की हर प्रकार की उचित आवश्यकता समिति से पूरी होती है तो उसकी समिति में श्रद्धा बढ़ती है।
- ३—भिन्न २ काम होने के कारण समिति को मुनाफा भी काफी हो जाता है जिसके कारण वह प्रबन्ध बहुत किफायत के साथ कर सकती है और यदि आवश्यकता सम्भले तो विशेष काम जानने वालों को नौकर भी रख सकती है।
- ४—गांव में आम तौर से एक या दो ही व्यक्ति प्रभावशाली और योग्य होते हैं और जिनसे केवल एक काम करके कोई सहायता नहीं ली जा सकती है। यदि समिति सब काम करने लगती है तो वह किसी न किसी काम के लिये अवश्य

सम्मिलित होते हैं और समिति उनकी सलाह योग्यता व प्रभाव का पूरा लाभ उठा सकती है ।

५—समिति का सब काम एक साथ करने से गांव के आर्थिक व सामाजिक सुधार का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है क्योंकि समिति में हर व्यक्ति की दिलचस्पी का सामान्य मौजूद होने के कारण अमीर, गरीब, ऊँच, नीच का ख्याल न करीं हुये सबके एक साथ मिलने का अवसर होता है । इसी तरह जब सब मिलते हैं तो एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और आपस का वैमनस्य भी दूर हो जाता है । राष्ट्र की जड़ हड़ करने के लिये यह एक ही साधन है ।

इसके विपरीत केवल यही कहा जाता है कि इसका संगठन करने में कठिनाई होती है और यदि एक काम में समिति को हानि हुई तो इसका प्रभाव दूसरे कामों पर पड़ सकता है । परन्तु यह कोई बात नहीं है, यदि एक काम से हानि होगी तो दूसरे में लाभ होगा और अन्त में लाभ ही होगा । मेम्बरान हानि वाला काम छोड़ भी सकते हैं । हानि के मुकाबले में लाभ अधिक है इसलिये ऐसी समितियां बनाना चाहिये । इसलिये अब गांवों में बहुधंधी समितियां ही बनाई जा रही हैं जो सभी काम करती हैं । उत्तर प्रदेश में हमारी ग्राम समितियों ने कम्पेस्ट खाद बनाने में, वृक्षारोपण में, तालाब खुदवाने में, और नये २ कुयें

बनवाकर अधिक अन्न उपजाने में बहुत कार्य किया है। अब जमींदारी उनमूलन में हजारों भूमिधर बनवाकर लाखों रुपया फण्ड में जमा कराया है। इसी प्रकार सरकार की हर स्कीम में यह सहायता करती और काम को पूरा कराती है। कई स्थानों पर यह समितियां खाद उत्पादन करती और बारधा घाना से घरों का तेल निकलवाती हैं। सांगंश यह देश के निर्माण कार्य में यह समितियां सभी से मिलकर महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब हमें गैरजरायत समितियों पर भी कुछ विचार करना है।

पन्द्रहवां अध्याय

गैरजरायतीसहकारीसमितियाँ



खेती का समस्या इस देश के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है परन्तु भारतवर्ष की उन्नति केवल खेती की ही उन्नति से नहीं हो सकती। यह सबने मान लिया है। खेती के साथ २ गांव में उद्योग धंधों की उन्नति की मुख्य आवश्यकता है। बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि फैक्ट्री खोलकर काम करना चाहिये और कुछ लोग यह कहते हैं कि इस देश में मशीन द्वारा काम करने से गरीबी और अधिक हो जायगी। परन्तु हमें यह समझना चाहिये कि यदि हम अपने देश को सारे संसार के दूसरे देशों के मुकाबले में लाना चाहते हैं तो हमको अपने देश की कृषि उन्नति के साथ २ वहां के उद्योग धंधों की उन्नति भी करना चाहिये।

यह मशीनों का युग है, बिना मशीनों के प्रयोग के हम औरों की तरह उन्नति नहीं कर सकते। हाँ, यह भी अनिवार्य है कि हमको अपनी मशीनें भी स्वयं ही बनाना चाहिये। इसके

लिये दूसरों पर भरोसा करना ठीक नहीं। दूसरे, बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जो देहात में कुटियों में हो सकते हैं यदि उनको सहयोग के सिद्धान्तों पर संगठित किया जावे। फैक्ट्री और घरेलू धंधों में यही अन्तर है कि फैक्ट्री में सब कारीगर एक ही स्थान पर इकट्ठा होकर काम करते हैं और घरेलू धंधों में सब कारीगर अपने २ घरों पर स्वतन्त्रता से काम करते हैं। इसमें एक दोष यही है कि कारीगर को अपनी चीज बनाने के अतिरिक्त उसके लिये सामान इकट्ठा करने और बनी हुई वस्तुओं को बेचने की भाँति फिक्र रहता है और इस काम में बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। यदि ऐसी कोई संस्था स्थापित हो जावे जो कारीगर को माल दे दिया करे और तैयार माल उससे लेकर उसके बेचने का प्रबन्ध करदे तो घरेलू धंधों में काफी उन्नति हो सकती है। जापान में ऐसे संगठित तरीकों से बहुत काम लिया जा रहा है। सहकारी समितियों का जो संगठन का तरीका बताया जा चुका है वही सब तरह की समितियों के लिये ठीक है। अब हम उदाहरण के तौर पर खहर बनाने वाली समितियों की स्थापना पर विचार करते हैं।

१—खादी उत्पादन व विक्रय समितियाँ

जितने जुलाहे या कोरी या खादी बनाने वाले हैं उन सबको इस बात का आवश्यकता रहता है कि समय २ पर उनको सूत

मिलता जावे और जो कपड़ा तैयार करें उसकी शीघ्र ही बिक्री हो जावे। यह काम अलग २ बड़ी कठिनाई से होता है। यदि तमाम कपड़ा बुनने वाले और सूत कातने वाले संगठित हो जावें तो एक समिति को रजिस्ट्री कराई जा सकती है। इस समिति में केवल १०) का हिस्सा रक्कब जावे और जिम्मेदारी भी मेम्बरों की हिस्से की ही रकम तक परमित हो तो वह समिति आसानी से काम कर सकती है। हिस्से की रकम अधिक से अधिक १० महीने में अदा हो जावे।

इस हिस्से के रुपये से समिति रुई खरीद कर और चरखे खरीद कर मेम्बरों को या उनका औरतों को देदे और कता हुआ सूत लेकर उनको कताई दे दिया करे। यही सूत फिर बुनने वालों को देकर कपड़ा तैयार करा लिया जावे। इस कपड़े को समिति स्वयं बेच सकती है या खहर भण्डार जो शहर में काम करते हैं उनको दे सकती है। यदि मिल के कते सूत से अधिक कपड़ा बनवाना हो तो समिति उस रुपये से सूत खरीद कर बुनने वालों को देदे और उनसे कपड़ा लेकर मजदूरी देदे। जो कुछ साल में मुनाफा हो उसमें से एक तिहाई बचत की पूंजी में रखकर बाकी में से १०) प्रति सैकड़ा खैरात में खर्च करदे और बाकी में से हिस्सों पर १०) सैकड़ा मुनाफा बांटने के बाद जो बचे उसमें से मकान बनाने के लिये प्रबन्ध किया जावे और कुछ

लोगों की बुनाई व कताई का खयाल करते हुये बोनस भी दे दिया जावे। ऐसी समितियों की इस देश में अधिक आवश्यकता है और जब तक ऐसी समितियां न बनेंगी गांव २ खदर का प्रचार होना या जुलाहों और कोरियों की रोजी बढ़ना कठिन है। यह समिति इन दस्तकारों के बच्चों की शिक्षा आदि का भी प्रबन्ध कर सकती है।

समिति का प्रबन्ध और समितियों की तरह पंचायत करेगी जिसको जल्सा आम चुन लेगा। पंचायत अपनी तरफ से नये नये क्रिस्म के चरखे व करघे बनवा कर मेम्बरों को किगाये पर या सस्ते मूल्य पर दे सकती है। इस काम के लिये जो रुपये की आवश्यकता हों तो सरकार से बहुत ही कम सुद पर मिल सकता है। समिति अपना एक खजांची व सेक्रेटरी भी चुन लेगी। यह अवश्य ही देख लेना होगा कि सभा के सेक्रेटरी व सरपंच बुनाई व कताई के काम से कुछ जानकारी रखते हों। यदि उनको जानकारी नहीं है तो कुछ बातें ऐसी सीखना होंगी। बिना सीख सफलता नहीं हो सकता।

इसी तरह और दूसरे कारीगरों की भी समितियां बना कर कुटियों में दस्तकारी का प्रचार करके उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। सूत की तरह चरखों पर ऊन कताई जा सकती है, कम्बल आसन आदि बुनवाये जा सकते हैं। मूँज, टाट, पट्टी,

खड़ाऊं इत्यादि और लकड़ी की चीजें, चमड़े का काम, पीतल या फूल के बर्तन बनाने के काम या लोहे के चाकू छुरी, सरौते, ताले, कुञ्जी, कढ़ाई करछुल, बाल्टी इत्यादि बनाने का काम बहुत आसानी से इन समितियों के द्वारा हो सकता है। यानी सहयोग से इन दस्तकारों का भी जीवन सुखी बनाया जा सकता है।

२—मजदूरों की सहकारी समितियां

ऊपर हम देख चुके हैं कि कारतकारों और दस्तकारों के जीवन को सहयोग से कैसे सुखी बनाया जा सकता है। अब हमें वह देखना है कि मजदूरों के लिये सहयोग क्या कर सकता है। मजदूरों की सहकारी समितियां सबसे पहले इटली में स्थापित हुईं और इन्हीं के द्वारा सड़कें बनाने, मकानात बनवाने, और रेल व पुल इत्यादि बनाने का ठेका लेना आरम्भ किया गया। इन समितियों का यही उद्देश्य था कि जो मुनाफा ठेकेदार लोग ले जाते हैं वह स्वयं मेम्बरान को ही मिल जावे जो अपने हाथ से काम करते हैं। यह समितियां करीब ७० वर्ष पहिले जारी हुई थीं और अब बहुत ही सफलता के साथ चला रही हैं और वादा भी इटली में ३००० से ऊपर पहुँच चुकी है। वहां सरकार की ओर से भी काफ़ी सहायता मिलती है।

हमारे देश में इन समितियों के स्थापित होने की और भी

अधिक आवश्यकता है क्योंकि यहां पर बेकारी की समस्या बड़ी कठिन है। इन समितियों द्वारा बेकारी दूर की जा सकती है। यहां पर मद्रास और बम्बई प्रान्त में यह समितियां स्थापित की गई हैं। मजदूरों को यह समितियां आवश्यकता पड़ने पर कुछ पेशगी रुपया दे देती हैं और फिर मजदूरी में से धीरे-२ काट लेती हैं। मद्रास में दुलाई का काम और लकड़ी की कटाई व मकानगत व सड़कों की बनवाई का काम करती हैं।

मजदूर समितियों का संगठन व काम

यह समितियाँ भी और दूसरी सहकारी समितियों की तरह बनाई जाती हैं। हर एक मजदूर को जो समिति में भर्ती होना चाहता है पहिले प्रवेश फीस देना पड़ता है जिस की तादाद आठ आना से लेकर १) तक होती है हर व्यक्ति को एक हिस्सा भी लेना पड़ता है। यह समिति अपनी एक पंचायत बना लेती है जो आगे की उन्नति का सारा काम करती है। पंचायत में वह व्यक्ति भी शामिल कर लिये जाते हैं जो मजदूरों के मुखिया, चौधरी, लीडर या दूसरी मजदूर समिति के प्रतिनिधि होते हैं। इस समिति के सभी कार्यकर्ता अवैतनिक (आनरेरी) होते हैं। कमेटी अपना एक तनख्वाहदार मैनेजर या ओवरसियर रख लेती है जो समिति को ठेका देने या और काम बनवाने में मदद देता रहता है। तनख्वाहदार आदमी समिति की बैठक में शरीक

हो सकते हैं परन्तु राय नहीं दे सकते। समिति की जिम्मेदारी परमित होती है।

यदि समिति को कभी रुपये की आवश्यकता पड़ती है तो वह ठेके के सार्टीफिकेट की जिम्मेदारी पर सहकारी बैंक से कर्ज ले सकती है और वाम समाप्त होने पर जब ठेके की रकम मिलती है तो कर्जों की अदायगी कर देती है। अलग २ मेम्बरों को भी आवश्यकता के अनुसार पेशगी दिया जा सकता है। काम का समय पंचायत निश्चित कर देती है। साधारण और पर पंचायत का यह कर्तव्य है कि सब मेम्बरों को बराबर से काम दिलावे। यदि कभी काम की कमी होती है तो बारी २ से काम दिया जाता है जिसमें किसी को दैनिक जीवन निर्वाह में कठिनाई न हो। काम करने वालों की टोलियां बना दी जाती हैं और हर टोली पर एक मेट रहता है। यही सबसे काम लेता है। इस मेट को सब टोली के मेम्बरों की मजदूरी में से एक पैसा या दो पैसा रुपया रोजाना के हिसाब से मजदूरी काट कर दी जाती है। वार्षिक मुनाफ़ों को एक तिहाई बचत की पूंजी में रखने के बाद १० प्रति सैकड़ा हिस्सों पर मुनाफ़ा दिया जा सकता है। बाकी रकम से एक फण्ड बनाया जा सकता है जिससे मेम्बरों को बुढ़ापे में या कोई दुर्घटना हो जाने पर या बिल्कुल काम न मिलने पर सहायता दी जा सकती है।

इस समिति में सभी पेशे वाले शामिल हो सकते हैं और जो बड़े लिखे होशियार होते हैं वही कमेटी में रहकर आगे के लाभ की बात सोच सकते हैं। मेम्बरों के बच्चों की शिक्षा उनके रहने के लिये उचित मकान, व बीमारी में दवा आदि का भी प्रबन्ध करना समिति का कर्तव्य होता है। ऐसी समितियाँ जितनी ही अधिक बनेंगी उतना ही अधिक देश का लाभ होगा और बेकारी दूर होगी। अब चूंकि जनता की सरकार है इसलिये ऐसा नियम हो जाना चाहिए कि सरकार या म्यूनिसिपल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो काम होंगे सब सहकारी समितियों द्वारा ही कराए जावें। व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति को ठेका न दिया जावे। ऐसा होने से जनता में संगठित रूप से काम करने की शक्ति बढ़ेगी और मजदूर दल भी बेकारी भी दूर होजावेगी। ऐसी समितियाँ बहुत जल्द बनना चाहिए।

३—उपभोक्ता सहकारी समितियाँ।

सहकारी आन्दोलन में उपभोक्ता का एक मुख्य स्थान है। वैसे तो ऐसी समितियाँ स्टोर के रूप में पहले से काम करती हैं परन्तु लड़ाई के जमाने से जब से जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मिलने में कठिनाई प्रतीत हुई और सरकार ने आवश्यक सामान पर नियंत्रण लगा दिया उस समय से इन समितियों का संगठन अधिक हुआ।

उपभोक्ता स्टोर यह ऐसी सहाकारी संस्था है जो सदस्यों के दैनिक आवश्यकताओं के सामान को एकत्रित करके सब लोगों को वितरण करने का प्रबन्ध करता है। दूसरे देशों में जैसे ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका इत्यादि में उपभोक्ता स्टोरों का आरम्भ बहुत पुराने जमाने से हो गया यानी १८४४ में ही राकडेल पानीयर से आरम्भ हुआ था। भारत में इस की आवश्यकता अब प्रतीत हुई।

यह स्टोर केवल अपने मेम्बरों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए ही स्थापित होते हैं और उनके मुख्य उद्देश्य नीचे लिखे होते हैं :—

- १—डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट फेडरेशन या किसी दूसरी केंद्रीय संस्था के द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं को थोक भाव पर खरीदना और उनको गोदामों में रखने का प्रबन्ध करना और आपस में मेम्बरों में बटवाना।
- २—राशन वाली वस्तुओं को नियमानुसार दूकाने खोलकर बटवाना।
- ३—बिना नियंत्रण वाले सामान जिनकी मेम्बरों की आवश्यकता है मंगा कर देना।
- ४—मेम्बरों के लाभ के लिए तथा उनकी आराम के लिए ऐसे काम करना जिनसे सामान का उत्पादन होसके जैसे (मेस) होटल चलाना या कपड़े सिलवाना या सरसों इत्यादि का

तेल निकलवाना और इन सब उत्पादन किए हुए सामान को बटवाना ।

उपभोक्ता स्टोरों का संगठन और काम

ऐसी समितियों के संगठन का वही तरीका है जो और समितियों का है उसी तरह जल्सा आम करके चुनाव डायरेक्टर इत्यादि कर के कागजात रजिस्ट्री के भेजे जाते हैं । चुनाव के लिए समिति के क्षेत्रफल को कई हिस्सों में रजिस्ट्रार की स्वीकृति से बांट दिया जाता है और हर हल्के से सभी सदस्य इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं और अपना एक या दो डेलीगेट चुन लेते हैं । हर सौ मेम्बर या उसके किसी हिस्से पर एक डेलीगेट चुना जाता है । इस तरह जब सब हल्कों का चुनाव हो जाता है तो सब डेलीगेट मिलकर आम जल्सा करते हैं । इस में प्रेसीडेंट, उप प्रेसीडेंट बोर्ड, खजानाची, का चुनाव होता है । बोर्ड के मेम्बर बीन साल तक काम करते हैं । परन्तु समिति के पहले साल में एक तिहाई और दूसरे में बाक़ी के आधे लाटरी से गिटायर होंगे और उनकी जगह पर फिर चुनाव होगा । वह दोबारा फिर खड़े हो सकते हैं परन्तु कोई डायरेक्टर दो टर्न से अधिक नहीं हो सकता ।

बोर्ड में ७, ९ या ११ डायरेक्टर चुने हुए होंगे और दो किआप्ट किए जा सकते हैं । बोर्ड यदि चाहे तो एक प्रबन्ध

कारिणी जिस में प्रसीडेंट व सेक्रेटरी को लेकर ५ मेम्बर होंगे चुन सकता है और जो जो अधिकार चाहे दे सकता है। इस के अतिरिक्त बोर्ड अपने स्टोर की हर दूकान के लिए एक सुपरवाईजिंग (निरीक्षण) कमेटी बना सकता है जिस में उस हस्के के डेलीगेट रहेंगे और एक या दो डायरेक्टर रखे जा सकते हैं। इस कमेटी में तीन से अधिक मेम्बर नहीं होंगे। प्रबन्ध कारिणी कमेटी यदि चाहे तो अपने कुछ अधिकार इस कमेटी को दे सकती है।

इन स्टोरों का मुख्य काम दूकानों को चलाना, उनके लिए सामान मंगाना, रुपये का प्रबन्ध करना और इसी तरह के सब काम मेम्बरों के फायदे के करना होते हैं। रुपये हिस्सों से जमा हो जाते हैं। हिस्सा १०) का होता है जो एक दम भी दिया जा सकता है। १०००) से अधिक के हिस्से कोई नहीं ले सकता।

उत्तर प्रदेश में राशनिंग के प्रत्येक सब एरिया में एक एक स्टोर काम कर रहा है। इस तरह प्रांत भर में २२५ स्टोर काम कर रहे हैं जो लगभग ७० लाख का सामान हर महीने में बेचते हैं। इन में करीब ३ लाख मेम्बर हैं। प्रांत के ३६ जिलों में राशन के वितरण का पूरा प्रबन्ध सहकारी उपभोक्ता द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त बहुत से स्टोर कपड़ा, ची इत्यादि भी बेचते हैं। ऐसी संस्थाओं को सफल बनाना हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन समितियों को अपने मेम्बरों के लिए

उपभोक्त वस्तुओं तथा उनके उत्पादन सम्बन्धी वस्तुओं का भी उचित प्रबन्ध करना है और इसी मार्ग पर सफल हो सकते हैं।

४-स्वास्थ्य सहकारी समितियां

हमारे देश के गांवों में गंदगी की सीमा कहां तक पहुंच चुकी है यह बताने की आवश्यकता नहीं। चारों ओर घूर के ढेर दिखाई देते हैं। प्रातः तथा सायंकाल लोग निकट वर्ती खेतों में ही शौच को बैठ जाते हैं। साल का कोई महीना ऐसा खाली नहीं होता जब कि गांव में किसी न किसी प्रकार का रोग न रहता हो। गांव में सफाई व तन्दुरस्ती का प्रचार उस समय तक नहीं हो सकता जब तक गांव संगठित रूप से काम न करें और वह स्वयं सफाई का ध्यान न रखे। प्रायः गांव में मकान बनाने के लिए गड्ढा करके मिट्टी खादते हैं और बाद को वहीं गड्ढे गांव भर के लिए शौच स्थान हो जाते हैं। इस को कौन रोक सकता है। जब तक गांव में स्वयं लोगों में इस की बुराई का ध्यान उपपन्न न हो। कोई कानून या बाहरी शक्ति इस को रोक नहीं सकती। इन्हीं गड्ढों में पानी भर जाने से और गन्दगी रहने से मच्छर पैदा होते हैं, हवा दूषित होती है और बीमारियां फैलती हैं। यदि औसत में हर मनुष्य साल में दो हफ्ते भी किसी रोग में बीमार रहा तो कितनी हानि हो जाती है। देश की हानि करोड़ों रुपये तक पहुंचती है। बंगाल में इस ओर बहुत ध्यान दिया गया है

और गांव गांव एन्टी मलेरिया समितियां (मलेरिया रोकने वाली सभायें) खोली गई हैं।

बंगाल में एक सेन्ट्रल एन्टी मलेरिया सुसायटी है जिस का मुख्य कर्तव्य मलेरिया रोकने का प्रचार करना है और गांव की समितियों को इस काम में सहायता देना है इस में व्यक्तिगत मेम्बर भी होते हैं और गांव की समितियां भी सम्मिलित होती हैं। इस समिति के व्यक्तिगत मेम्बर कुछ सालाना चन्दा देते हैं जिसकी तादाद ६) साल से ६) साल तक होती है। प्रान्तीय सरकार से कुछ ग्रान्ट भी मिलती है। इसी से यह सभा गांव की समितियों की आर्थिक सहायता भी करती है और प्रचार भी करती है। सब रोगों के बारे में नई नई बातें बताती है।

जब किसी हल्के में कुछ समितियां स्थापित हो जाती हैं तो उन समितियों की एक यूनियन बन जाती है जिस में हर समिति के प्रतिनिध होते हैं। इस यूनियन का केवल काम यह है कि गांव की समितियों से कुछ चन्दा इकट्ठा करके और सरकार से या बड़ी सभा से मदद लेकर एक वैद्य या डाक्टर रखे, जो हल्के के गांव में जाकर बीमारियों की बाबत बताया करे और रोगियों की आवश्यकता पड़ने पर देखा करे। वह डाक्टर या वैद्य अपनी इवतन्त्र प्रैक्टिस भी कर सकता है। परन्तु जब मेम्बरों के यहां आवश्यकता पड़ेगी तो उसे वैसे ही जाना होगा या नाम मात्र

फ्रीस लेली जावेगी, दवायें सब सेएट्रल नियन यूरेती है। इल्के में ऐक बड़ा दवाईखाना रहता है।

मलेरिया रोकने के लिये गांव की समितियां बरसात से पहिले सब गड्ढे, पोखरे इत्यादि भरवा देती हैं और रास्ते दुरुस्त करा देती हैं ताकि पानी न भरने पावे। और जो बड़े २ गड्ढे हैं जहां पानी भर जाता है वहां बरसात से ३ महीने तक समिति मिट्टी का तेल छुड़वाया करती है जिस में मच्छर ही न पैदा होने पावें। यह गांव की समितियां हर मेम्बर से कुछ भाहवारी या सालाना चम्दा भी लेती हैं इसी आमदनी से सब काम दवा इत्यादि का चलता है। किसी बड़े काम में सरकार या सेएट्रल यूनियन सहायता भी देती है। ऐसी समितियां हमारे गांव के लिये बड़ी लाभदायक हैं जो अधिक संख्या में खुलना चाहिये। यदि विकास ग्राम समिति बनती है तो इस की अलग आवश्यकता नहीं रहती यह समितियां हर एक रोग और सफाई का प्रबन्ध कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश में एक तो सेएट्रल सोसायटी होम्योपैथिक दवाइयों के वितरण के सम्बन्ध में रायबरेली जिले में काम कर रही है और प्रान्तों में अनेकों विकास तथा मारकेटिंग यूनियनों ने इस काम को अपने हाथ में ले रक्खा है। यूनियन की और सेन्टर पर दवाईखाना खुला हुआ है जहां विश्वविद्यालय

के उत्तीर्ण डाक्टर तथा वैद्य काम करते हैं। यहां दवाईयां स्वयं तैयार करते हैं और कुछ बड़े कारखानों या विश्वविद्यालयों से जहां दवाईयां बनती हैं मंगा लेते हैं। काम का ढंग यह रहता है कियूनियन के कायं क्षेत्र अन्दर जितने गांव हैं उनमें अधिक से अधिक दो या तीन सेन्टर बना दिए जाते हैं और वैद्य के उनस्थानों के लिए दिन निश्चय कर दिए जाते हैं जिन पर वह उस स्थान और समय पर जरूर जाते हैं। उस गांव के या और आस पास के गांवों के रोगियों को वह देख कर दवा दे देते हैं। बीच में यदि दवा की आवश्यकता पड़े या वैद्य को दिखाना हो तो वह बुला सकता है या दवाखाने से दवा मांग सकता है। उसके फीस कुछ नहीं देना पड़ती केवल वैद्य को लेजाने के लिए सवारी का प्रबन्ध कर देना पड़ता है। यूनियन हर मेम्बर से साल में १) दवाखाने के खर्च के लिए चन्दा लेती है और दवाईयां बना मूल्य देती है। बहुत क्रोमती दवाईयां रोगी स्वयं बाजार से मंगा सकता है या दवाखाने के द्वारा मंगा सकता है। सेन्टर पर दवाखाने में एक कम्पाउन्डर भी रहता है जो दवाईयां बांटता है और वैद्य जी दौरे पर जब दूसरी जगह जाते हैं तब भी वह दवाखाने में उपस्थित रहता है ताकि रोगियों को कठिनाई न हो। ऐसे दवा खाने अधिकांश गन्ना बिकाश यूनियनों तथा मारकेटिंग यूनियनों में चल रहे हैं। इन्हीं दवाखानों के द्वारा हैजा, ताऊन, चेचक इत्यादि के टीके लगवाये जाते हैं और ग्राम सफाई का प्रबन्ध

होता है। देश में ऐसे दवाखानों की बड़ी आवश्यकता है।

५—सालिसी (मुक्तदवा फैसल करने वाली) समितियाँ

आज कल देश का करोड़ों रुपया साधारण मुक्तदमेबाजी में व्यर्थ नष्ट होजाता है। जब हमारे देश की आमदनी के साधन इतने कम हैं तो हमें इस तरह की फिजूल खर्ची को पहले ही बन्द करना चाहिए। गांव के मामले यदि गांव में ही फैसल हो जावें तो हमारे ग्रामीण भाइयों को कितनी सुविधा और बचत हो। इसी उद्देश से आपस में मिल कर ऐसी समितियाँ बनाकर सहकारी कानून में रजिस्टरी करा ली जाती है। इनका मुख्य उद्देश यही रहता है कि गांव वालों में मुक्तदमेबाजी रोकें और गांव के जो मामले हों वह वहीं तें कर दें।

इन समितियों में जो १८ साल के ऊपर और ठीक दिमाक के हैं शामिलित होते हैं। हर मेम्बरों को १) प्रवेश फीस देना होती है जल्सा आम मुक्तदमा फैसल करने के कुछ निभम बना देता है और १) चार आना सैकड़ा के हिसाब से फीस मुहई से ली जाती है। यह फीस मुक्तदमे की मिलकियत पर लमती है। जल्सा आम ६ आदमियों को सालिस (पंच) चुन देता है। जब कभी कोई मामला आता है तो मुहई से पूछा जाता है कि वह इन पंचों में से किसको अपनी तरफ से पंच बनाना चाहता है।

इसी तरह मुदायले भी अपना पंच छांट लेता है और एक पंच समिति अपनी तरफ से नामजद करके रजिस्ट्रार साहब से यह मंजूरी मंगाली जाती है कि वह तीन पंच उस मामले को फैसला करें। वह लोग समय मुकर्रर करके, बयान गवाही इत्यादि लेकर फैसला दे देते हैं जो सब को मानना होता है। यदि इसकी अपील करना हो तो रजिस्ट्रार साहब के यहां हो सकती है।

इन समितियों में दीवान के सभी मामलात तै होजाते हैं। फौजदारी के वह मामले जिस में पुलिस को हस्ताक्षेप करने का अधिकार है यह पंच नहीं सुन सकते। यदि कोई मेम्बर अदालत जाना चाहता है तो वह तीन तरह से जासकता हैं।

- (१) पंचायत की मंजूरी हासिल करे।
- (२) १००) रु० जुर्माना अदा करके अदालत जाय।
- (३) तीन महीने का नोटिस समिति को देकर नाम कटा कर फिर अदालत जा सकता है।

इन समितियों से देश का बहुत सा पैसा बच सकता है। इस लिए यह अवश्य बनाई जायें। यदि विकास ग्राम समिति में इन बातों का प्रबन्ध हो जाय तो अलग इस समिति की आवश्यकता नहीं है। समिति को जो आमदनी होती है वह गांव के लाभ में लगाई जा सकती है किसी मेम्बर को उस में हिस्सा

पाने का हक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब पंचायत राज एक्ट लागू हो गया है जिस में ग्राम पंचायतों को अब मुक्तदमा फैसल करने का बृहत अधिकार मिल गया है इस लिए इन समितियों की अधिक आवश्यकता नहीं मालूम होती पर फिर भी सहयोग से जो काम लेना चाहें उस समिति बना सकते हैं।

३—प्रौढ़ शिक्षा समितियां।

इसी तरह देश को मूर्खता दूर करने के लिए गांव वाले आपस में मिलकर नवयुवकों के पढ़ने का प्रबन्ध कर सकते हैं। इस समय हमारी सरकार निरक्षरता को मिटाने बड़ा परिश्रम कर रही है। परन्तु यह परिश्रम उस समय तक अधिक लाभ न पहुँचा सकेगा जब तक गांव वाले स्वयं अपने पढ़ने का प्रबन्ध और सरकार की योजना से लाभ उठाने को तैयार न होंगे। अन्य सभाओं की तरह इसका भी प्रबन्ध होता है। मास्टर की इतरबाह इत्यादि सरकार की सहायता से मिल सकती है। पढ़ने का स्थान ठोक करना होता है और किताब इत्यादि मंगाना होती है। जो लोग पढ़ने नहीं आते या ठीक काम नहीं करते उन पर पंचायत दंड लगाती है। राष्ट्र निर्माण के लिये यह बहुत आवश्यक है। यह काम भी विकास ग्राम समितियों में शामिल कर लिया गया है।

७—वचत सहकारी समितियां ।

यह समितियां अन्य सहकारी समितियों की तरह बनाई जाती हैं। इनकी जिम्मेदारी परमित होता है और हिस्सा भी मामूली होता है। इनका मुख्य काम यह होता है कि मेम्बरों में वचत करने का ख्याल पैदा करें। यह समितियां अधिकांश मजदूरों में, नौकरी पेशा लोगों में, अध्यापकों में और स्त्रियों में अच्छा काम करती हैं।

यह सभायें अपने मेम्बरों की माहवारी आमदनी का कुछ हिस्सा जो एक आना की रुपया तक होता है लेकर जमा करती हैं। उस पर मेम्बर को सूद मिलता है। इस सभा में मेम्बरों को आम तौर पर कर्जा नहीं दिया जाता, परन्तु कोई विशेष आवश्यकता पड़ने पर वचत किए हुये रुपयों का ६०) प्रति शत तक दिया जा सकता है। स्कूल के लड़कों में भी वचत सहकारी समितियां अच्छा काम कर सकती हैं। उनको दस्तकारी के द्वारा कुछ सामान बनवाने का प्रबन्ध किया जावे और जब क्राफी इकट्ठा हो जावे तो उसको बेच कर उनके नाम वह रकम कर दी जावे।

पंजाब में स्त्रियों में बहुत क्राफी तादाद में यह समितियां काम कर रही हैं। इन स्त्रियों की सभाओं ने एक लाख से ऊपर रुपया जमा कर लिया है। यह सभायें स्त्रियों का दस्तकारी के सामान इकट्ठा करके उसके बिकवा कर उनके नाम रुपया जमा

कर देती हैं। कूड़े, घरों में गोलक रख दी जाती है जिस में वह समय समय पर बचा कर पैसा छोड़ती रहती हैं और इनसे में एक मर्तबा सभा उसको संग्रह कर और मित्रकार मेम्बर के सामने उसके हिसाब में दर्ज कर लेती हैं। इस गोलक की कुंजी सभा में रहती है। इन बचत सभाओं का हमारे देश में बहुत आवश्यकता है। विशेष करकरी समाज में यही समितियाँ काम कर सकती हैं क्योंकि स्त्रा समाज में सहयोग का और कोई साधन नहीं है।

८—गृह निर्माण समितियाँ ।

हमारे देश में गरीबी के कारण हर व्यक्ति की यह शक्ति नहीं है कि अपना मकान बनवा सके। यहां पर ऐसी समितियों की बड़ी आवश्यकता है। अभी तक जो कुछ भी गृह निर्माण समितियाँ खुली हैं वह बम्बई, मद्रास प्रांत में अधिक खुली हैं। इस प्रांत में भी कुछ समितियाँ काम कर रही हैं।

इन समितियों का संगठन भी अन्य सहकारी समितियों की तरह ही होता है। हर एक मेम्बर को इस समिति में हिस्सा लेना पड़ता है। समिति की जिम्मेदारी परमित होती है। मकान दो प्रकार से बनवाए जाते हैं। एक तो समिति अपनी ओर से बनवा देती है और मेम्बर हर महीने किराया देते हैं और उस

के अतिरिक्त कुछ अधिक रुपया भी देते जाते हैं। जब क्रोमत पट जाती है तो मकान बनका हो जाता है। दूसरा ढंग यह भी है कि समिति मेम्बर के लिए मकान बनवाने का तख्तीना करा देती है। उस तख्तीने का एक चौथाई से लेकर एक तिहाई तक मेम्बर अपने पास से लगाता है और बाक़ी समिति कम सूद पर बतौर कर्जा दे देती है जो उस या पंद्रह साल से बसूल हो जाता है। मेम्बर को वह मकान समिति के नाम रजिस्ट्री कर देकर बंटता है। जब कर्जा अदा हो जाता है तो मकान मेम्बर का हो जाता है।

हमारे देशों में ऐसी समितियां अभी तक नहीं बनी हैं, मकानात बनवाने की और अच्छे ढंग के मकानात के नमूने देने की देहात में बड़ी आवश्यकता है। जब गृह निर्माण समिति से रुपया लेकर कोई मकान बनवाता है तो उसको मकान भां समिति के बताए हुए ढंग पर बनवाना होता है, इस तरह उन्नत शोध हो जाती है। इस समिति में भी वचत की पूंजी रहती है और मुनाफ़ा भी और समितियों की तरह बांटा जाता है। इस प्रांत में यह समितियां इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली में तथा अन्य बड़े शहरों में काम कर रही हैं। अब कानपुर में भी मिला के मजदूरों के लिए मकानात बनवाने की योजना जारी की जा रही है। अभिप्राय यह है कि सहयोग इस तरह भी मनुष्य के जीवन को

अच्छे मकानात देकर सुख बना सकता है ।

गृह सम्बन्धी समस्यायें जैसा ऊपर बताया गया अधिकांश मध्यम श्रेणी के लोगों में होती हैं और बड़े शहरों में यह समस्या विकट रूप धारण कर लेती है । इसका मुख्य बातें यह हैं कि कोई मेम्बर इसमें मुनाफाखोरों नहीं कर सकता । रहने को यदि स्थान नहीं है तो पा सकता है । बिना समिति की मंजूरी के ई मेम्बर मकान न बेच सकता है और न किराया पर दे सकता है । इस तरह समिति के द्वारा बने गृह केवल रहने के लिए ही हैं ।

सरकार समितियों की नीचे लिखी सहायता कर देती है:—

१— मकान बनवाने के लिए जमीन प्राप्त करके समिति को उचित मूल्य पर दे देती है ।

२—आवश्यकतानुसार समिति सरकार से सस्ते व्याज पर रुपया भी पा सकती है ।

३—सरकार समिति को घर बनाने का सामान भी नियमित मूल्य पर दिला देती है ।

४—नकशा इत्यादि बनवाने में भी यदि कोई सहायता की आवश्यकता हो तो मिल जाती है ।

अब उत्तर प्रदेश में काफी समितियों की मांग है ।

अब हम देख चुके कि जीवन का कोई ऐसा काम नहीं जिस में सहयोग सफल न हो सकता हो। इस देश में भी अन्य देशों की तरह हर प्रकार के मनुष्यों के लिए और हर किस्म के कामों के लिए सहयोग समितियां जारी करके जीवन सुखा बनाया गया है। अब हमको यह देखना है कि स्त्री समाज के लिए सहयोग क्या कर सकता है।



सोलहवां अध्याय ।

स्त्री समाज और सहयोग

—०—

अब तक हमने जवन के सभी अङ्गों पर विचार किया और देखा कि सहयोग से जीवन कहां तक सुखी हो सकता है । परन्तु एक बात पर जो अभी तक छूटी हुई थी विचार करना है । अकेला पुरुष ही यदि चाहें तो जीवन को सुखा नहीं बना सकते । जीवन तो एक गाड़ी के समान है जिसमें स्त्री और पुरुष दो पाइए का काम करते हैं । यदि स्त्री दुखी है तो जीवन सुखा कैसे हो सकता है । तात्पर्य यह है कि गृहस्थ जीवन में सुख कैसे पैदा किया जा सकता है यह हमको अब देखना है । यह सुख कसी समय हो सकता है जब स्त्रीयों में भी वहां सहयोग के विद्वांत पाए हों ।

हमारे देश में सम्मिलित पारिवार सर्वदैव से रहा है । क्या यह सहयोग का जीता जागता नमूना नहीं है ? परन्तु अब यह दृढ़ता जा रहा है और इस अवनति में स्त्रीयों का हाथ अधिक है । पश्चिमी देशों के प्रभाव से आज कल की स्त्रीयों के खयालात बहुत छोटे होते जाते हैं । वह अपने पति या बच्चों के सिवा सब को और

सजमानी हैं और अपने पति की आमदनी का कुछ भी हिस्सा दूसरे के खर्च में लगते हुए नहीं देख सकतीं। भाइयों भाइयों में झगड़ा इसी से होता है, गांव देश में लड़ाई की जड़ यह है। शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है। क्या लक्ष्मी के यही गुण हैं ? नहीं, उस समय जब कि स्त्रीयां लक्ष्मी कही जाती थीं उस समय यह अपनी सेवा व प्रेम के बल से परिवार में सुमति पैदा करती थीं और जहां सुमति होती है वहां धन की कमी नहीं रहती इसी लिए वह लक्ष्मी कहाती थीं। आज कल बात बात में कलह लड़ाई और झगड़ा रहता है फिर सुमति कहां और जब सुमति नहीं तो लक्ष्मी कहां ? अब हमें देखना यह है कि वह झगड़ाईयां कैसे दूर हों। पहले तो इसके कारण पर विचार करना होगा।

आमतौर से स्त्रियों को दिन रात गृहस्ती के कामों से, जैसे चूल्हे, चक्की, झाड़ू, पानी से, और बच्चों के कामों से बिल्कुल फुरसत नहीं मिलती जो वह अपने घर की बात के अतिरिक्त बाहर की भी सुन या समझ सकें। अधिकांश स्त्रियों को पढ़ने लिखने का भी अवसर शहरों में कम मिलता है और गांवों में तो बिल्कुल नहीं मिलता। वह बेचारी अपने सब काम करें और अपने पति के लिये जो कुछ बन पड़े सो करें। जब उनको कहीं जाने, आने, मिलने बैठने का मौका ही नहीं होता तो बताइये कि उनके विचार संकीर्ण न हों तो क्या हों। इसके लिये पहले

समाज भी उत्तरदाई है कि अपनी देवियों की उन्होंने यह हाकत बनादी। पुरुषों और स्त्रियों में एक हिसाब से सहयोग ही नहीं रह गया। क्योंकि एक दूसरे के ख्यालात को ही नहीं समझ सकते। यदि हम अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें स्त्रियों में सुधार पहले करना होगा, उन्हें सहयोग मन्त्र पहले देना होगा तब सुखी जीवन हो सकेगा क्योंकि घरेलू जीवन की उन्नति स्त्रियों ही के हाथ में है।

अब हमको यह देखना चाहिये कि मनुष्य क्या चाहता है। प्रत्येक मनुष्य सुखी घर और गृहलक्ष्मी चाहता है और इसी लालसा में सारी उम्र कड़ी से कड़ी मेहनत करता रहता है। हर मनुष्य की यही इच्छा रहती है कि उसका गृह स्थान साफ और सुन्दर हो, घर में तन्दुरुस्त और सुन्दर बच्चे हों, तन्दुरुस्त साफ और हँसमुख गृहलक्ष्मी हो और परिवार में सदा शान्ती रहती हो। जब यह बातें होगी तभी घर स्वर्ग और स्त्री गृहलक्ष्मी कहलायेगी। यह सब बातें उस समय तक नहीं मिल सकती जब तक कि स्त्रियाँ जो अब भी घर की मालिक होती हैं शिक्षित न हों। शिक्षित से मेरा तात्पर्य केवल यही नहीं है कि वह लिख पढ़ सकती हों बल्कि यह है कि गृहस्थी के काम को अच्छी तरह समझती हों और दिल में अपने घर, ग्राम और देश की उन्नति का ख्याल हो।

यह सब कोई जानता है कि जिम घर में स्त्री अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना जानती है वहीं घर सुखी जीवन का अनुभव करा सकती। वहीं हमें घर में सफाई और फूल पत्तों भी दिखाई देते हैं और लक्ष्मी का वास होता है बच्चे साफ, सुन्दर और खुश मालूम होते हैं। भोजन भी स्वादिष्ट और तन्दुरुस्ती बढ़ाने वाला मिलता है। सब सामान ठिकाने से सफाई के साथ रक्खा हुआ होता है। बीमारी पहले तो आती ही नहीं और यदि आई भी तो तुरन्त इलाज होता है और कष्ट नहीं होने पाता। भूत प्रेत का इस घर में काम नहीं होता। बहुत से घर ऐसे हैं जहां मूढ़ स्त्रियों ने ही भूत प्रेत, ओम्हाई, लड़ाई मगड़े, मुकदमेबाजों में घरों का सत्यानाश करा दिया। इससे हमको मालूम हो गया कि यदि हम सुखी जीवन चाहते हैं तो स्त्रियों में सुधार करना होगा। स्त्रियों को मंगठित करने की हमें उतनी ही आवश्यकता है जितना कि पुरुषों को, क्योंकि जीवन के अधिकांश हिस्से का भार स्त्रियों हा पर है।

यह सब संगठन स्त्रियों में विकास समितियां खोल कर बहुत अच्छी तरह हो सकता है। परन्तु यह समितियां चलाने का भार स्त्रियों को स्वयं ही लेना पड़ेगा। पहले तो कुछ ऐसी स्त्रियां चुनी जावें जो गांव में या शहर के मोहल्लों में जाकर संगठन का काम कर सकें और उनको नीचे लिखे विषय में

शिक्षा या ट्रेनिंग दी जावे ताकि वह और स्त्रियों को गृहस्थी के काम में योग्य बना सकें। औरतों को अपने कर्ज पूरे करने के लिये नीचे लिखी बातें जानने की आवश्यकता है:—

- १—कुछ लिखने पढ़ने का भी ज्ञान होना चाहिये ताकि घर का हिसाब लिख सकें, पत्र लिख सकें और अखबार पढ़ सकें।
- २—बच्चों की पालन पोषण तथा साधारण तन्दुरुस्ती के बारे में भी कुछ ज्ञान अवश्य होना चाहिये ताकि परिवार को सुखी बनाये रखें।
- ३—प्रत्येक माता को अपने बच्चों के कपड़े सीना जानना चाहिये और खाना बनाना भी अच्छी तरह जानना चाहिये। देहात में औरतें यह बहुत कम जानती हैं। और शहरों में जहां इसका ज्ञान है तो हाथ से काम करने से मुंह चुराती हैं। इसलिये खाना बनाने और सीने की शिक्षा दी जावे। इससे वह खान में सैकड़ों रुपये की बचत कर सकेंगी।
- ४—कुछ जच्चा बच्चा के काम का भी ज्ञान होना आवश्यक है ताकि समय पढ़ने पर परेशानी न हो और बड़ सीखी हुई दाई इत्यादि से काम ले सकें। इसके सीखने से जीवन की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। न जानने के ही कारण बहुत से बच्चे मर जाते हैं। बहुतों को खेचक का टीका

नहीं लगता क्योंकि वह छिपा दिये जाते हैं और अन्त को उनका जीवन बरबाद हो जाता है।

५—पांचवीं आवश्यक बात उनको किरायतशारी सिखाना है क्योंकि अधिकांश फिजूल खर्च इन्हीं लोगों की बशूलत होती है। पूजा पाठ व ओम्माई में, जेवर इत्यादि में, शादी गमी व और रस्मों में खर्च इनको ही सिखाकर कम कराया जा सकता है और कोई दूसरी सूरत नहीं।

६—इनको कुछ और दस्तकारी का काम जैसे सूत काटना, कपड़े सीना, स्वेटर शाल बुनना ऊन कातना इत्यादि भी सिखाना चाहिये ताकि फुरस्त के समय कुछ काम करके वह अपने परिवार की आमदनी को बढ़ा सके और इस तरह अपने जीवन को सुखी बना सकें।

हम देखते हैं कि हमारी शारीरिक सामाजिक व आर्थिक उन्नति सभी में स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ है। बिना इनकी सहायता के किसी उन्नति के काम में सफलता होना कठिन है। इनमें उन्नति होने से पुरुषों के भी जीवन में परिवर्तन हो जायगा और उन्नति हो जायगी क्योंकि पग २ पर जो बाधाएँ अब जो नासमझी के कारण पड़ती हैं वह फिर न पड़ेंगी। जैसे बच्चों के टीका लगवाने में, समय से पहले व्याह या और रस्में करने में

जेवर इत्यादि बनवाने में जो खर्च होता है या बाधायें पड़ती हैं वह न रहेंगी जीवन सुधार का काम वगैर स्त्री समाज को संगठित किये हुये एक तिहाई ही रह जाता है, क्योंकि स्त्रियों में काम करने से ग्रियों और बच्चों का सुधार होता है वैसे अकेले पुरुषों का होता है। अब हम समझ गये कि स्त्रियों के बिना संगठन किये हुये देश की उन्नति नहीं हो सकती।

यू० पी० में सहकारी विभाग ने कुछ काम इस सम्बन्ध में किया है और स्त्रियों में विकास तथा बहुधंधी बचत की सहकारी समितियां खोली हैं परन्तु वह काफी नहीं है। कठिनाई तो है कि काम करने के लिये स्त्रियां नहीं मिलती।

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हित के लिए कई स्कीमें जारी की। प्रांत में पहले एक लेडी इंस्पेक्टर की नियुक्ति करके कई जिलों में महिलाओं के सुधार सेन्टर खोले और बचत सहकारी सभायें स्थापित कीं। स्त्रियों में काम करने वाली समितियों की संख्या १४४ है। अधिकांश यह समितियां गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, बनारस लखनऊ जालौन परताबगढ़ सुलतानपुर, मैनपुरी झांसी और मुगनाचल में हैं और ६ स्त्री सुपरवाइजर काम करती हैं। इन समितियों में ३११७ सदस्य हैं और इनका ३३१३१) नकद और ५७८ मन गल्ला बचत तथा हिस्सों में जमा है। परताबगढ़ में स्त्रियों के सुई का काम बिज्जा-

या गया है और जालौन में घरखे तथा करघे का काम बढ़ी बिलचस्पी से किया है।

इस के अतिरिक्त कुछ ग्राम सेविकायें और अध्यापिकायें भी ग्राम सुधार स्कीम में काम करती थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ काम का सुचारु रूप से चलाने के लिए सहयोग विभाग में स्त्रियों के काम के लिए एक डायरेक्टर की नियुक्त कर दी है जिनको Director of women welfare कहा जाता है। इस नई योजना से प्रांत को तीन भाग में बांट दिया है और हर भाग में कुछ चुने हुए जिले रक्खे गये हैं। प्रत्येक भाग जोन कहलाता है और यह एक जोनल अरगनाइजर की निगरानी में रक्खा गया है। सब भागों में मिल कर १२ जिले प्रांत भर में लिए गए हैं जिनका ब्योरा निम्न लिखित है :—

जोन नं० १ में ५ जिले हैं—१ गोरखपुर।

२ देवरिया।

३ बस्ती।

४ आजमगढ़।

५ फैजाबाद।

जोन नं० २ में ४ जिले हैं—६ बहराइच।

७ रायबरेली।

८ लखनऊ।

६ हमीरगढ़ ।

जोन नं० ३ में तीन जिले हैं—१० इटावा ।

११ मथुरा ।

१२ देहरादून ।

प्रत्येक जिले में एक एक डिस्ट्रिक्ट आरगनाइजर रखने मई है जो जोनल आरगनाइजर की देख रंख में काम करेगी । जिले में डेवलपमेन्ट ब्लाक में से कुछ ऐसे गांव छूटे जावेंगे जहां स्थिों में काम हो सकता है और उस सेन्टर में दो तीन गांव लिये जावेंगे पर सेन्टर पर तीन काम विशेष रूप से होंगे और उस के लिये विशेष जानकारी रखने वाली सेवायाँ नियुक्त की जावया । वह यह है:—

(१) दाई का काम सिखाने के लिये

(२) दस्तकारी का काम सिखाने के लिये ।

(३) पढ़ाई लिखाई का काम सिखाने के लिए ।

इस तरह हर सेन्टर पर कम से कम तीन ग्राम सेवाकार्य ग्राम करेंगी । उनका काम यह होगा कि वह ७ बजे से १० बजे एक गरमी के मौसम में और १० बजे से १२ बजे तक जाड़ों में छोटे बच्चों को भी जो तीन से ७ साल की उम्र के होंगे शिक्षा देंगी । और दोपहर से तीसरे पहर तक औरतों का सम्मेलन किया

करेगी और उनके घर गृहस्थों का काम, बच्चों का पालन पोषण और कुछ इस्तकाली व पढ़ने लिखने का काम सिखावेगी । गांव में इबा का बक्स रहेगा जिस से क्या देना भी सिखाया जावेगा । गांव की दुर्गियों को भी काम सिखावेगी और उसके साथ जा कर काम किया करेंगी । हर एक ग्राम सेविका गांव में कच्चों तथा औरतों को हर समय मिल सकेगी । वह स्कूल बड़ी लाभदायक है पशु लाभ जब ही होगा जब ग्राम बाड़ी अच्छी स्त्री और लड़कों को सीखने का अवकाश देंगे और स्त्रियों में काम करने की शिक्षने की लग्न होगी ।

सत्रहवां अध्याय

सहयोग और सरकार

जैसा पहले बताया जा चुका है भारतवर्ष में सहयोग आन्दोलन का श्री गणेश सरकार ही द्वारा हुआ है। दूम्रे देशों की भांति यहां का जनता आगे नहीं हुई। किसी काम को आरम्भ में चलाने और लोकप्रिय बनाने में बड़ा कठिनाई होती है और कुछ सहायता दूसरों की भी लेना पड़ती है। यही यहां भी हुआ। सरकार को प्रचार, निर्गन्ध और सहयोग शिक्षा की सारी जिम्मेदारी लेना पड़ी और पब्लिक के लोग जो इस काम में सम्मिलित हुये उनके कुछ विशेष रियायतें भी देना पड़ीं।

सहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार ने समय २ पर आवश्यकता के अनुसार जो सहायता के नियम बनाये हैं और जो अब तक जारी हैं नीचे लिखे जाते हैं। यदि यह सहायता न मिलती तो सहयोग आन्दोलन का प्रचार भारतवर्ष में होना कठिन था। हालांकि यह आन्दोलन एक सार्वजनिक आन्दोलन

है और जनता को अपने हित के लिये और देशों की तरह अपना-
 नाना चाहिये परन्तु यहां शिक्षा के अभाव से जनता अपने हित
 की बात ही नहीं समझती। सरकार जो जनता की बनाई हुई
 और जनता के ही हित के लिये होती है ऐसी बातों को खोवा
 करती है और सार्वजनिक लाभ के काम करती रहती है। इस
 आन्दोलन को भी यदि सार्वजनिक आन्दोलन बनाना है तो सह-
 योग व नागरिक शास्त्र की शिक्षा हर एक मिडिल स्कूल, हाई
 स्कूल, विश्वविद्यालय, और हर प्रकार के ट्रेनिंग में अनिवार्य
 कर देना चाहिये। जब तक जनता उस विषय को
 ही नहीं जानती तो उस आन्दोलन में भाग ही कैसे
 ले सकती है। प्रौढ़ पाठशालाओं तथा क्लबों द्वारा भी सहयोग
 का ज्ञान जनता में शीघ्र फैलाया जा सकता है। अब चूंकि
 जनता की सरकार है इसलिये इस ओर अवश्य ही ध्यान देना
 सरकार और जनता दोनों के लिये हितकर होगा। प्रान्तीय तथा
 भारतीय कांग्रेस को अब सहयोग आन्दोलन को अपनाना इस
 समय उचित है और इसी के द्वारा रचनात्मक प्रोग्राम देहातों
 में तथा नगरों में चलाना चाहिये। जब हमारे लीडर इसमें भाग
 लेंगे तो जनता भी आगे बढ़ेगी।

सरकार की ओर से सुविधायें

जैसा ऊपर बताया गया है सहकारी आन्दोलन को सफल

बनाने के लिये सरकार समय २ पर बहुत सी सुविधायें देती रही हैं और अब भी बराबर दे रही है। इन सबको एकत्रित करके नीचे लिखा जा रहा है। यह सुविधायें सहकारी आन्दोलन की उन्नति तथा शीघ्र प्रचार के लिये दी गई हैं:—

- १—पहले तो सहयोगी कानून (एक्ट नं० २, सन १९१२) बना कर सहयोगी सभाओं की निगरानी व सलाह के लिये एक मोहकमा ही स्थापित कर दिया है जो सहयोग के सम्बन्ध में सारा काम करता है और जिसका उल्लेख पहले हो चुका है।
- २—समितियों की रजिस्ट्री जो इस कानून के अनुसार होती है उसमें कोई फीस नहीं लगती और कम्पनियों की रजिस्ट्री कराने में ५०) फीस लगती है।
- ३—सहकारी सभाओं के मेम्बर या स्वयं सभायें जो दस्तावेजों अपने कारोबार के सम्बन्ध में लिखती हैं उन पर स्टाम्प फीस जो किसी भी कानून से उन पर लगना उचित हो, माफ़ है। यानी सभाओं का काम बगैर स्टाम्प लगाने वैसा ही पक्का हो सकता है जैसा दूसरों का स्टाम्प लगाने से होता है, परन्तु यदि सभा का नौकर अपनी तनखाह की रसीद लिखता है तो उस पर टिकट लगाना होगा।

क्योंकि यह कोई कारोबारी काम नहीं है, यह उसका जार्त काम है। यदि दीवानी कचहरी में कोई दरखवास्त देना हो या और कारवाई करना हो तो स्टाम्प माफ नहीं है।

४—सहकारी सभायें या उसके कर्मचारी या मेम्बर जो कोई दस्तावेज रजिस्ट्री के कानून के अनुसार रजिस्ट्री करावें तो फ्रीस रजिस्ट्री माफ है परन्तु वह दस्तावेज सभा के कारोबार के सम्बन्ध में हो या उस विषय से सम्बन्ध रखती हो जो समिति के उद्देश्यों में हो।

५—सहकारी समितियों के मुनाफे पर इन्कम टैक्स नहीं लगता।

६—सभाओं को यह सुविधा दे दी गई है कि वह अपनी सहवील या दस्तावेजों एक मसबूत औरत दर्जे के बक्स में बन्द करके ताला व मोहर लगाकर हिफाजत के लिये किसी सरकारी खजाने में रखी जा सकती है परन्तु शर्त यह है कि खजाने के कर्मचारियों को बार २ खोलने व बन्द करने का अधिक कष्ट न करना पड़े।

७—इसी तरह सहकारी समितियां अपनी सहवील या दस्तावेजों को सन्दूक में बन्द करके ताला व मोहर लगा कर हिफाजत के लिये किसी थाने में रख सकती हैं।

८—यह समितियाँ डाकखाने में सेविंग बैंक हिसाब खुलवा सकती हैं और रिजवायन यह दी गई है कि नोटिस की मियाद को कम कर दिया है। यानी ३०००) सबर डाकखाने से तीन दिन के नोटिस पर और किसी दूसरे डाकखाने से छह दिनों के नोटिस पर निकाला जा सकता है। १००००) के लिये १०० दिनों के नोटिस की आवश्यकता होगी।

९—सरकार ने म्यूनिसिपल बोर्डों को सलाह दे रखी है कि प्राइमरी समितियों के हैसियत और जायदाद सम्बन्धी टेक्स माफ करदे। यदि कोई बोर्ड यह रिजवायन सहकारी सभाओं को देगा तो सरकार को एतराज न होगा।

१०—एक सहकारी सभा दूसरी सभा को खजाने की रसीद के द्वारा रुपया भेज सकती है। जैसे मान लांजिये बनारस सहकारी बैंक को लखनऊ बैंक के पास रुपया भेजना है। बनारस का बैंक बनारस के खजाने में उतना रुपया जमा करके रसीद लेकर लखनऊ बैंक के पास भेज देगा और लखनऊ बैंक वहाँ के खजाने से रसीद दिखा कर रुपया ले लेगा। इसमें बगैर किसी खर्च के रुपया पहुँच जाता है।

११—सरकार ने कंटेनरियों को हिदायत करदी है कि सहकारी सभाओं के मंजूरियों को हैसियत तत्वीक किया करें और

उसके बदले में सभा उसको २५ मेम्बरों तक १) बजराव
 दिया करेगी और इससे अधिक मेम्बरों के बिना एक आना
 की मेम्बर दिया जायगा ।

१२—सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को यह सचना दे रखी है कि
 यदि बोर्ड चाहें तो अध्यापकों को सहाय्य आन्दोलन में
 काम करने की आज्ञा दे सकते हैं । सरकार इसके अनुकूल
 है ।

१३—प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार है कि अशुद्ध और
 पिछड़ जाति की सहाय्य समितियों को सफल बनाने
 के लिये उनका हिसाब किताब लिखने वाले किसी सुपरिं
 या सेक्रेटरी को नियुक्त करदे और उसका खर्च सरकार
 बरदाश्त करे । यह खर्च सरकार उसी हद तक दे सकती
 है जहां तक उसे खैरात में खर्च करने का अधिकार है ।
 इन समितियों के लिये किसी अच्छे काम करने वाले को
 सरकार इनाम भी दे सकती है ।

१४—सहाय्य समितियों का हपया जब कभी बाकी पड़ जाता
 है तो सरकार उसको बतौर बकाया मालगुजारी के बसूल
 कर देती है । इस काम के लिये जो विशेष कर्मचारी रखना
 पड़ते हैं उनका खर्च सरकार व्यय करती है और कीस

कुर्छी व नीकाम को लेती है। यदि कोई कमी रहती है तो जिका बैंक से वा जिका फंडेशन या किसी केन्द्रीय संस्था से वसूल कर लेती है। सरकार ने समितियों को वह भी शिक्षायत की है कि जो चीज मेम्बर किसी सभा के रूप से लेती है उसे कोई कुर्छ नहीं कर सकता जब तक रुपया अदा न हो जावे।

१५—बोर्ड आफ चार्डस को भी हिदायत है कि वह सहकारी समितियों को जो उनके हस्के में काम करती हों सहायता दें और सहकारी विभाग के कमचारियों को भी मदद दें।

१६—सहकारी सामंतियों जो रुपया मनी आर्डर से भेजती हैं उस पर जो मनीआर्डर कमीशन लगता है उस का तीन चौथाई वापस कर दिया जाता है। अर्थात् भविष्यों का रुपया एक चौथाई डाक कमीशन में हर एक लगह से दूसरी जगह चला जाता है।

१७—सरकार कारीगरों की समितियों को बहुत कम सूख पर रुपया मदद के तौर पर देती है और दस्तकारों की समितियों की देख भाल के लिये विशेष इन्स्पेक्टर रहते हैं जो उनके रोजगार में सलाह देते हैं।

१८—सरकार ने दूसरे मोहकमे के अफसरों को इजाजत

रखी है कि सहकारी समितियों के काम में मदद दें ताकि इसमें अधिक वृद्धि हो। जिलावांश साधारण तौर से बैंकों के बेयरमैन होते हैं।

१६—सरकार प्रचार कार्य के लिये काफी सहायता देती है। जब कभी प्रान्त की सहकारी कान्फ्रेंस तथा नुमायश होती है तो बराबर सरकार मदद देती है।

२०—स्त्री समाज की उन्नति के लिये और उनमें सहयोगी समितियां स्थापित करने के लिये एक सेक्शन महिलाओं का सहकारी विभाग में खोला है और एक women welfare का डायरेक्टर नियुक्ति की है और काफी स्टाफ दिया है।

२१—मजदूरी के कानून (एक्ट नं० ४ सन् १९३६) में यह अधिकार दिया गया है कि सहकारी समिति का बचपान मेम्बर का मजदूरी में से मजदूरी देते समय काटा जा सकता है।

२२—इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों की समितियों में तनखाह बिल में से समिति के बचप की वसूली कटौती हो सकती है। एकाउंटेंट जनरल ने यह स्वीकार कर लिया है कि तनखाह रजिस्टर में यह कटौती दस्तखतों के बाद रिमार्क वाले स्थानों में लिख देना चाहिए।

२३—सरकार ने यह आकांक्षा दे दी है कि सरकारी, कर्मचारी यदि चाहें तो सहकारी समितियों में अपना रुपया जमा कर सकते हैं परन्तु शर्त यह है कि गवर्नमेन्ट सरबेन्ट कानडक्ट रुल्स की धारा १२ के प्रतिकूल न हो।

२४—व्यक्त सहकार समितियों को एक्ट की धारा ३१ से बरी कर दिया गया है अर्थात् वह अपने मुताफे का केवल ५ प्रति सैकड़ा व्यक्त की पूंजी में जमा कर सकती है।

२५—विकास कार्य के लिए सरकार हर सम्भव प्रयत्न देती है और विशेष कर कुप्पां बनवाने, बोरिंग कराने तथा रास्ते दुरुस्त कराने के लिए लागत की एक तिहाई रकम तक सहायता दी जाती है।

सरकार की इतनी सहायता होने पर भी यह आन्दोलन अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है। इस का मुख्य कारण यह है कि जनता सहयोग सिद्धान्तों से अनभिज्ञ है और सहयोग प्रचार तथा शिक्षा का कोई साधन नहीं है। शिक्षित समाज का भी ध्यान इस ओर नहीं है और न वह इस विषय से कुछ परचित ही है। ऐसी दशा में जब अपनी राष्ट्रीय सरकार की मंशा सहयोग को एक सार्वजनिक आन्दोलन में परिवर्तित करने का है तो सरकार को

(३७७) सरकार और सहयोग

बाहिये कि कक्षा C से लेकर बी० ए० तक इस विषय को अनिवार्य विषयों में कर दे । तब ही इसका ज्ञान फैल सकता है और काम करने वाले मिल सकते हैं । अब हमें देखना है कि हमारे राष्ट्र जीवन में सहयोग का क्या स्थान है ।



अठारवां अध्याय

राष्ट्रीय जीवन में सहयोग का स्थान

भारतवर्ष में जनता की उन्नति के लिये जितने भी वार्षिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक आन्दोलन चल रहे हैं उनमें सहकारी आन्दोलन ही सब से अधिक आवश्यक माना जाता है। देश की आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय होती जा रही है कि कोई उन्नति का काम आगे नहीं बढ़ पाता। आपस का रहन सहन का ङग भी बहुत बिगड़ रहा है। वर्तमान हालत को देखते हुये इस समय सहकारी आन्दोलन के सिवा और कोई दूसरा आन्दोलन ऐसा नहीं माना जाता जो देश की हर प्रकार की जनता को एक सूत्र में बाँध सके। जब तक देश को एक सूत्र बाँधने का प्रयत्न नहीं होगा उस समय तक हमारा राष्ट्र ही ठीक नहीं हो सकता। सहकारी आन्दोलन ३३ करोड़ की संख्या देश की आबादी में से किसी का अलग नहीं करता। हर प्रकार के

सुधार का यह उपाय बताता है, इसी लिये हम को एक महत्वपूर्ण आन्दोलन समझना चाहिये।

इस देश में इस आन्दोलन की शुरूआत जैसा ऊपर बताया गया है कारतकारों की कर्षदारी व गरीबी मिटाने और उनकी उन्नति के लिए ही हुई थी। कोई भी आन्दोलन हो जब तक उस में शिक्षित समाज भाग नहीं लेगा सफल नहीं होगा। चूंकि सहकारी आन्दोलन की शुरूआत गरीबों से हुई थी और वेदांत में शिक्षित लोग हैं नहीं, इसलिए शिक्षित समाज के लोग अब भी इस के महत्व को नहीं समझते। यह देश ग्रामों का देश है इसीलिये इस देश की उन्नति ग्रामों की उन्नति से हो सकती है। ग्रामों की उन्नति के लिये सहकारी आन्दोलन से बढ़ कर और कोई दूसरा आन्दोलन नहीं।

आज का राष्ट्र जीवन की धारा किन्कर बढ़ रही है यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि लोग राजनैतिक सुधार, आर्थिक लाभ और सामाजिक उन्नति चाहते हैं और आर्थिक लाभ के लिये सहयोग सब से अधिक आवश्यक है। हम देख चुके हैं कि कारतकारों को अब भी अधिकांश महाजनों से ही लेन देन करना पड़ता है। परन्तु सहकारी समितियों का इतना प्रभाव तो अवश्य पड़ा है कि गाँव वालों के साथ महाजन लोग अब कुछ नरमी और ईमानदारी का व्यवहार करने लगे हैं। सूद की दर भी समिति के कायदे बट

गया है। देहात में जहाँ पर इसका लाभ मालूम हो गया है
समितियों अपना काम आप करने लग गई हैं।

जैसा इन पुस्तक में समझाने का प्रयत्न किया गया है सह-
योग से लेन देा के अतिरिक्त जीवन के सभी कामों में सहायता
ली गई है और बहुत से आर्थिक प्रश्न इस किये गये हैं। खेतों से
अच्छा पैसाकर लेने के लिए कृषि का सामान मगाने और बेचने
के लिए, भिनकर खेती व आवश्यक करने के लिये, खेतों की
चक लक्ष्मी के लिये या बहुत ऐसे कामों के लिये और समस्त
जीवन की समस्याएँ हल करने के लिये समितियाँ बनाई गई हैं।
परन्तु लेन देन के काम में अधिक सफलता पहले प्राप्त हुई क्योंकि
और काम तो अभी थोड़े ही समय से आरम्भ हुये हैं। परन्तु
अब भगव के परिवर्तन से स्वतंत्र भारत में सभी काम सहयोग
सिद्धांत पर हो रहे हैं इस लिए इसकी सफलता अवश्य होगी।
कोई भी देश हो बिना व्यापार की उन्नति के वह उन्नति नहीं
कर सकता। देश के आर्थिक जीवन में व्यापार का मुख्य स्थान है
और छोटे छोटे व्यापारियों के लिए सहयोग ही जीवन है। सह-
योग ने ही उनको अपने घेरे में ले लिया है। अपने देश की अभी
बहुत सी वस्तु कारियाँ और उद्योग धन्ये सहयोग की राह देख
रहे हैं। मिलों में वहाँ के काम करने वालों के लिए विकास
समितियाँ बन गई हैं। इससे उनकी आवश्यकताएँ भी पूरी होती हैं

यदि हम मिटाना चाहें और धनी से निर्धन के मिलाने की जो इच्छा है तो वह सहयोग से ही हो सकती है। बड़े बड़े कारखाने सहयोग से ही चलाये जा सकते हैं और जहां धन और परिश्रम का मेल हुआ और सहयोगी प्रबन्ध ने जोर पकड़ा तो देश में धन ही धन दिखाई देने लगेगा और जितने आपस के बुरे भाव हैं सब दूर हो जायेंगे।

सामाजिक समस्याओं में अभी सहयोग ने कुछ अधिक प्रगति नहीं दिखाई है परन्तु फिर भी इस में कुछ संदेह नहीं कि सहकारी भाव पैदा हो जाने से हर काम में इस आन्दोलन से सहायता मिल सकती है। भारतवर्ष में जातिवां, सहयोग के ही उसूल पर स्थापित हुई थीं। हर एक जाति में लोगों को एक दूसरे के काम में शरीक होने और सहायता देने का क्याल रहता था। जातीय पंचायतें एक हिस्सा से सहकारी पंचायतें हैं। एक पेशेवाले अमीर उसी पेशे वाले गरीब आदमी की मदद करते हैं और खमब पर कम सूद पर या बिना सूद पर भी रुपया दे देते हैं। इस तरह वह लेन देन वाली समिति का काम करते हैं। एक पेशे वाले आम तौर से अपनी बनाई चीज अपनी जाति वालों के हाथ में कम दाम में बेचते हैं। इस तरह यह जाति संगठन स्टोर का काम करता है। आपस के सब मामले मुकदमों सब जातीय पंचायतों में ही लय हो जाते हैं इस तरह यह मुकदमों

वाली (खालसी) समितियों का काम करती हैं । इस तरह वह जातीय पंचायतें सहयोग के उसूल पर काम करती थीं । परन्तु अब सहकारिता का भाव तो जाता रहा और बेजान जातीय बन्धन कायम हैं । यह और भी अधिक जाति पाँत के मगड़े पैदा करता है और बजाय उन्नति के जातियों को तो घेर गिराता है ।

हर एक जाति यदि अपनी उन्नति करले तो देश की उन्नति हो जावे । पहले कोई व्यक्ति एक पेशे से निकल कर दूसरे में जा सकता था । अब वह बात नहीं रही । अब पेशा पैदायशी हो गया और बजाय आपस में प्रेम के दैनिक मगड़े होने लगे । सहयोग फिर अपना कंदम आगे बढ़ा रहा है और जीवन के हर अङ्ग में इससे काम होने की कोशिश हो रही है । जीवन सुधार तथा विकाश स्थापित करके जातीय सुधार भी किया जा रहा है । यदि किसी तरह सहयोग से जीवन में सुधार हो जावे और आपस का वैमनस्य और बैर भाव दूर हो जावे तो जाति भी एक अच्छी चीज हो जावे ।

राजनैतिक विषय भी आजकल इस देश के लिये एक विश्व-व्यापक विषय हो रहा है । सहकारी सभायें वैसे तो राजनीति से अलग रहती हैं परन्तु राजनैतिक शिक्षा देने के लिये वह समितियाँ एक स्कूल का काम करती हैं । बोट देना, चुनाव करना, निकाल कर काम करना, अपनी कहायता भाष करना, आपस में

एक दूसरे की राय का ख्याल रखना, अपने मामले स्वयं ही करना यह ऐसी बातें हैं जो उन्नति करने वाले गणराज्य देश में हर मनुष्य को जानना चाहिये। इसी से वह एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कारवकारों को बरसों की नींव से जगाने वाली यह सहकारी समितियाँ ही हैं। यह आन्दोलन एक प्रजातन्त्र आन्दोलन है। इसमें प्रजा को स्वयं अपने लिये काम करना होता है।

हमारे देश में इस समय प्रजातन्त्र गणराज्य शासन की लहर बह रही है और इसका पूरा ज्ञान जनता में सिखाव सहकारी समितियों के और कोई भली प्रकार नहीं दे सकता। हर एक सरकार का और खास तौर से प्रजातन्त्र सरकार का मुख्य कर्तव्य जनता के जीवन को सुखी बनाना है। सरकार अब विकास कार्य करके जीवन के सुधार करने का प्रबन्ध कर रही है। इस सम्बन्ध में यह कह देना अनुचित न होगा कि सहयोग से जीवन के सुधारने का काम अवश्य सफल हो सकता है। परन्तु सरकार को एक क़ानून बहुत जल्द बना देना चाहिये कि जिस गाँव में ७५ फी सदी घरानों के लोग किसी गाँव की सहकारी ग्राम समिति में सम्मिलित हों तो जो नियम वह समिति बनायेगी वह सारे गाँव पर लागू होंगे और उन पर अमल कराने में सरकार सहायता देगी। ऐसा होने से सुधार में बड़ी सुविधा होगी।

सरकार जो जो सहायता इस आन्दोलन को दे रही है वह सब बताई जा चुकी हैं, परन्तु कुछ लोग इसको काफ़ी नहीं समझते हैं और कुछ लोग इसके ग़लत मतलब लगाते हैं। वह वह समझते हैं कि सरकार इसके प्रचार से कुछ लाभ उठाना चाहती है इस लिये इस ग़लत कहानी में पड़कर लोग लगन से काम नहीं लेते और सरकार इस आन्दोलन को जनता के ही हाथ में छोड़कर उसकी स्वतन्त्रता को बढ़ाना चाहती है। नतीजा यह है कि दोनों ओर से लापरवाही हो जाने से आन्दोलन पर प्रभाव पड़ता है और जो सफलता चाही जाती है वह नहीं होती। इस लिये यह आवश्यक है कि शहर के शिक्षित लोग आगे कदम बढ़ावें और अपने देहाती भाइयों के जीवन को सुखी बनाने के लिये सहकारिता का प्रचार करें। यह इसलिये कि देश की और स्वयं उन लोगों की उन्नति बिना गाँव वालों के मिले नहीं हो सकती।

सहकारी समितियों की शाखायें जब तक गाँव १ न फैल जावेंगी देश का सुधार नहीं हो सकता और गाँव २ जब ही फैल सकती हैं जबकि यह समितियाँ लोगों की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करें राष्ट्रीय जीवन के मुख्य भाग कई हैं जैसे आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक जिसका ध्यान ऊपर किया गया है। आर्थिक विभाग के तीन हिस्से किये जा सकते हैं जैसे धन पैसा

करना, धन बांटना और धन का सेवन करना। कारतकार के लिये धन पैदा करने के सम्बन्ध में रुपया ही बहुत आवश्यक है जो लेन देन की सहकारी समितियों के द्वारा मिलता है। परन्तु जैसा ऊपर बताया गया है, यू० पी० में करीब अठारह हजार समितियां हैं जो कारतकार को किसी प्रकार सहायता देती हैं। परन्तु जहां एक लाख से ऊपर गांव हों वहां यह समितियां ऐसी हैं जैसे सपुर में बूंद। बम्बई में भी केवल एक तिहाई गांवों में सभायें हैं। माल बनाने वालों की सभायें भी बनी हैं परन्तु अभी अधिक सफल नहीं हुई क्योंकि मेम्बर फायदे के साथ ईमानदारी से काम नहीं लेते।

धन बांटने के सम्बन्ध में उपभोगता स्टोर या क्रय-विक्रय की समितियां खोली गई हैं। दूसरे देशों ने इसमें अधिक ज्जनात की है। वहां साधारण व्यक्ति का काम भी सहकारिता से ही चलता है। फ्रांस में हजारों गांव में सहयोग से बिजली पहुँचाई गई है। यहां पर भी मकान बनाने वाली बहुत सी समितियां खुली हैं। जीवन में हर अङ्ग सुधारने के लिये समितियां काम कर रही हैं जिसकी तफसील आदि से अन्त तक इस पुस्तक में दी जा चुकी है। प्रौढ़ शिक्षा, सफाई, और स्वास्थ्य में भी सहयोगी समितियां बहुत काम कर रही हैं। समाज सुधार जैसे शादी, गमी में खर्च की कमी, मुकदमेबाजी की रोक इत्यादि

सुखी जीवन

(१८६)

अब काम समितियां करती हैं। गरब यह है कि जीवन का कोई ऐसा अङ्ग नहीं है जहां सहयोग सकलता से काम में करता हो। इसलिये राष्ट्रीय जीवन में इसका प्रथम स्थान है। वही देश को ऊपर उठा सकता है इसलिये इसी आन्दोलन को अपना कर अपने देश के कोने कोने में इसकी लहर को पहुँचा कर देश की स्वतन्त्रता को अमर बनाना चाहिये।

❀ समाप्त ❀

परिशिष्ट नं० (१)

सहकारी समाजों के रजिस्टर में दर्ज किये जाने के प्रार्थना-पत्र का आदर्श

- १—निरिक्त सहकारी समाज का नाम ।
- २—सेक्टर या गांव की या नगर की ।
- ३—समाज के भेद—(परिमित या अपरिमित उत्तरदायित्व हिस्सों के साथ या बिना हिस्सा) ।
- ४—जिले का नाम ।
- ५—समाज का उद्देश्य ।
- ६—बहि पूंजी हिस्सों द्वारा बनाई जायगी तो उन हिस्सों की संख्या और प्रीमियम क्या है जिसके बेचने का निश्चय हो चुका है ।
- ७—किस्तें जिनमें हिस्सा चुकाया जायगा ।
- ८—कार्य-क्षेत्र ।
- ९—सदस्यों के चुनाव सम्बन्धी योग्यता जो निरिक्त की गई हो ।
- १०—उन लोगों की संख्या जो सम्मिलित होने के लिये कटिबद्ध हों ।
- ११—भाषा और अक्षर (लिपि) जिनमें बहियां रखनी चाहेंगी ।
- १२—समाज-मन्त्री या सरपंच का नाम ।
- १३—पता—(ग्राम और डाकघर) जो रजिस्टर में अंकित होगा ।

सहकारी सभाओं के एक्ट नं० २ सन १९१२ ई० की धारा ८ सहायक धारा (२) के (अ) और (ब) टुकड़े के अनुसार हम लोग जिनके हस्ताक्षर नीचे किए गए हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनमें समाजद सारंखे व्यक्तियों की सी चुने जाने को योग्यता विद्यमान है यह प्रार्थना करते हैं कि सभा रजिस्टर में वृत्तों की जाय। जो प्रतिनिधियां निश्चित की हुई निवासवालों की जिन पर सोसायटी की ओर से निवमानुसार हस्ताक्षर किए गए हैं, हस्तक्षेप खास भेजी जाती हैं।

हस्ताक्षर

निवास स्थान

क्रम संख्या	नाम	बाप का नाम	वृत्त	जात	ग्राम	हस्ताक्षर	जिला
१							
२							
३							
४							
५							
६							
७							
८							
९							
१०							

परिशिष्ट नं० २

सहकारी विकास समिति तथा ग्राम समिति के बाईसाज के अनुसार आदर्श नियम

प्रत्येक मेम्बर को निम्नलिखित नियमों को मानना होगा। न मानने की दशा में पंचायत को उन पर १००) तक जुर्माना करने का अधिकार होगा।

- १—प्रत्येक मेम्बर को अपने घर की सफाई करके कुड़ा करकट आबादी से बाहर गड्ढों में रखना होगा।
- २—प्रत्येक मेम्बर को अपने २ घर के सामने गलियां या मार्ग साफ रखने होंगे।
- ३—प्रत्येक मेम्बर को अपने २ नाबदान (पानी सोखने वाले गड्ढे) दुरुस्त करने होंगे, और हर साल बीपावकी पर उभरवा कर साफ करा देना होगा।
- ४—प्रत्येक मेम्बर को अपना घर हर सप्ताह दो दिन लिपवाना होगा।
- ५—किसी भी मेम्बर या उसके सम्बन्धी को कुयों की जगह पर न नहाना होगा और न कपड़े ही धोना होगा।
- ६—कोई भी मेम्बर गांव के अन्दर मिट्टी खोदकर गड्ढा न बना सकेगा और जो गड्ढे ऐसे मौजूद हैं उन्हें दो साह के अन्दर पटाना होगा।
- ७—प्रत्येक मेम्बर को नये मकान बनवाने समय या पुराने मकानों को नया बनवाने समय या उसमें परिवर्तन करते समय पंचायत की मंजूरी लेनी होगी और उसके बतलाये हुए ढंग पर खिड़की आदि रखनी होंगी।
- ८—प्रत्येक मेम्बर के बच्चों को दो बार टीका लगवाना होगा, एक छः या सात माह की उम्र में, दूसरा ७ या ८ साल की उम्र में।

८—प्रत्येक मेम्बर का कर्त्तव्य है कि बन्धों के पैदायश के समय पंचायत को खबर दे और नार काटने का जो प्रबन्ध वह करे उसके मुताबिक काम करे।

१०—प्रत्येक मेम्बर को अपने सभी बन्धों को स्कूल भेजना होगा व प्रौढ़ों को भी पढ़ाना होगा।

११—प्रत्येक मेम्बर को आवश्यक होगा कि वह अपने पशुओं को दूसरों के दरवाजे और आम रास्ते से अलग बांधें और इसी भांति चरनी भी अलग बसाने होगी।

१२—कोई मेम्बर किसी दूसरे का खेत या मेंड़ न जोतेगा और न तोड़ेगा और न किसी दूसरे के खेत को बरायेगा और न फसल या घास ही चुरा कर काटेगा।

१३—प्रत्येक मेम्बर को चाहिये कि न तो वह स्वयं जुआ खेले और न मादक वस्तु का प्रयोग करे और न अपने घर आंशों को खेले दे।

१४—प्रत्येक मेम्बर का कर्त्तव्य होगा कि वह पंचायत के बतलाए हुए ढंग पर खेत करे और उन्नति-शील धातु और औजारों का इस्तेमाल करे और बतलाए हुए ढंग पर खाद बनावे व प्रयोग करे। और अपनी उपज को सामति के बतलाए ढंग पर बेचे।

१५—प्रत्येक मेम्बर को ग्राम-सभा की वषः समितियों का हुक्म मानना पड़ेगा।

१६—प्रत्येक मेम्बर को शादी, पैदायश या खुशी के मौकों पर अपनी हैसियत के अनुसार दान देना होगा।

१७—प्रत्येक मेम्बर को हर फसल पर दस सेर अनाज प्रति हल दवाखाने, पाठशाले आदि के प्रबन्ध को देना होगा और जो अन्न न देंगे वह बाजारी कीमत देंगे।

- १८—प्रत्येक मेम्बर को चाहिए कि वह सबके साथ ईमानदारी का व्यवहार करे, लेन देन ठीक रखे, अदायगी वक्त पर करे।
- १९—प्रत्येक मेम्बर को चाहिये कि नाच के बजाय अपनी भजन मंडली तथा नाटक मंडली से काम ले।
- २०—प्रत्येक मेम्बर को धर्म घट रखना होगा।
- २१—प्रत्येक मेम्बर को गांजा, भंग, शराब आदि से बचना होगा।
- २२—प्रत्येक मेम्बर को चाहिये कि वह जो चीज या तो हल और औजार या और आलात व बीज बगैरह, जो सोसाइटी से ले वह मय सवाई या किराये के अगर कोई हो, समय पर वापस कर दे वरना पंचायत दण्ड देने की अधिकारी होगी।
- २३—प्रत्येक मेम्बर को चाहिये कि गांव में सब त्योहार शुद्ध रूप से पंचायत के बतलाए ढंग से मनावें और उनको पंचायत के बताए हुए काम करना होंगे।
- २४—प्रत्येक मेम्बर को अपने घरों में रोशनदान बतलाए ढंग पर खोलना होगा।
- २५—कोई मेम्बर बिना पंचायत की राब के कोई मामला अदालत में नहीं लेजायगा।
- २६—प्रत्येक मेम्बर को कम से कम साल में ४ आम जत्तों में शरीक होना पड़ेगा विशेष कारणों में पंचायत जमा कर कर सकती है।
- २७—प्रत्येक मेम्बर को लाजिम होगा कि वह हर एकदशी को अपने अपने कारोबार बन्द रखें और उस रोज अपने मवेशी और औजार और कपड़े आदि की सफाई करे।
- ऊपर लिखे हुए क़ायदे.....सुसाइटी की काररवाई जल्सा आम के प्रस्ताव नं०.....में जो सारीख को हुई पास हुए।

सुरक्षित

सहकारी समितियों तथा संघों के रजिस्ट्रारों के नमूने कैश बुक

पारीख	दि. नं.	हवाला खाता	विवरण	आय			प्रगत जोड़ आय			जोड़ मय बिल्लस सहकारी		
				रु.	आ.	पा.	रु०	आ.	पा.	रु०	आ.	पा.
१	२	३	४	५			६			७		

पारीख	नं. शुमार	हवाला खाता	विवरण खर्च	उभय			प्रगत जोड़ उभय			शेष तद्वील		
				रु०	आ.	पा.	रु०	आ.	पा.	रु०	आ.	पा.
८	९	१०	११	१२			१३			१४		

मेम्बर की पास बुक

दियाव दरमियान

सुसायटी

मेम्बर क्रम

पारीख	रक्रम को मेम्बर से मिली	रक्रम जो मेम्बर को दी गई कर्षा बगीरा	सरपंच या और पाने वाले के दरजखत	कुल कर्षा खिलसे मेम्बर	सूद जो मेम्बर से बाजिब है	हिस्सा जो मेम्बर से बाजिब है	रक्रम जो मेम्बर की जमा है	हिस्से में आमा-तत में	कि. मय	वत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११

जनरल लेजर

नाम का नाम.....

तारीख	दवाका कैश	विवरण	नाम Debit	प्रगत जोड़ नाम	जमा Cr.	प्रगत जोड़ जमा	शेष
१	२	३	४	५	६	७	८

स्टाक बुक

नाम वस्तु.....

तारीख	पिछला स्टॉक	वस्तु जो मिले	प्रगत जोड़	वस्तु जो बिक्री	प्रगत जोड़ बिक्री	शेष
	तादाद	कीमत	तादाद	कीमत	तादाद	कीमत
	१	२	३	४	५	६

मेम्बर रजिस्टर

इस लोग बिनाके नीचे दस्तावेज है इफ्तार करते हैं कि हम..... यह सभी सुभावली के बादकोय को यहाँ पर और जो कुछ बच होकी या इच्छा हममें कानून के हिस्से से हमारी मेम्बरी के समाप्ति में होना यह सभी हम पर लागू रहेगी ।

1	नं० सुमार		
2	वारीक मंजूरी		
3	वारीक भरती		
4	नाम मेम्बर जब सकुन्त व जात		
5	बाप का नाम		
6	मेम्बर के दस्तखत		
7	नाम वारिस जब बलिदस्त	नामजदगी अगर कोई हो	
8	दस्तखत नामजद करने वाले के		
9		दस्तावेज गवाहान	
10			
11	वारीक खात्मा	मेम्बरी का समाप्ति	
12	बचत		
13	प्रस्ताव का मन्तर		
14	वारीक बीछिया		
15	कोटिबत		

प्रतिज्ञा रजिस्टर

हम लोग प्रिनके व दस्तावेज है इकरार करते हैं कि हम विकास तथा समिति के मेम्बर होने के कारण उन तमाम रिवाजों और क्रायदों को मानेंगे जिनको जहमा ब्याम पसन्द करे और न मानने की हालत में हम वह रकम जुर्माने का अदा करेंगे जो समिति की पंथायत तजवीज करे और जो १००) रु० से अधिक न हो।

नं०	तारीख	नाम मेम्बर मय	बाप का नाम	दस्तावेज मेम्बर	कैफियत
१	२	भरही	५	५	६

दवा का रजिस्टर

तारीख	नम्बर सि	नाम रोगी	पता	नाम गेग	दवा जो दी गई	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७

दैनिक विक्रय रजिस्टर

तारीख	बिबरण	माल.....	प्रगत जोड़...	माल.....	प्रगत जोड़...	माल.....	प्रगत जोड़...
१	२	तादाद	कीमत	तादाद	कीमत	तादाद	कीमत
		३	४	५	६	७	८

(लेखक की सफल-लेखनी द्वारा लिखी हुई अन्य पुस्तकें)

ग्राम-जीवन ।

देहातों का सुधार करने के लिये केवल व्याख्यान वातावरणों की ही आवश्यकता नहीं बल्कि इस बात की बड़ी जरूरत है कि देहात वालों की अव्यक्त का ठीक ठीक कारण और उसका ठीक इलाज ग्रामीणों के दिमाग में डाला जाय तभी ठीक तरीके से ग्राम सुधार हो सकेगा । इस विषय में यह पुस्तक अपने विषय का अकेली है । मू० ३)

नागरिक जीवन ।

किसी भी देश के रहने वालों के क्या २ अधिकार प्राकृतिक और क्या क्या पैदायशा हक तथा क्या क्या अधिकार उन्हें स्टेट की ओर से प्राप्त हैं । एक अच्छे नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हैं और एक नागरिक के प्रति स्टेट के क्या कर्तव्य हैं, इस पुस्तक में भली भाँति समझाया गया है आज कल के जमाने में यह पुस्तक बड़े काम की चीज़ है । मू० २॥)

सुधार संगीत ।

इस में सुधार सम्बन्धी हर विषय के गाने अत्यन्त सरल भाषा में दिये गए हैं प्रचार के लिये यह पुस्तक अच्छी है । मू० चार आना ।

तोनों एक साथ मंगाने से डाक खर्च माफ़ ।

मिलने का पता:—

मैनेजर कोआपरेटिव प्रिंटिंग प्रेस, बरेली ।

तथा

रामप्रसाद सिन्हा पटकापुर, कानपुर ।

